लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५६, १९६१ / १८८३ (शक)

[७ से १६ अगस्त १९६१ / १६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

चौदहवां सत्र, १९६१ / १८८३ (शक)

(खण्ड ५६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ५६–अंक १ से १०—७ से १६ अगस्त १९६१/१६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

अंक १ सोमवार, ७ अगस्त, १९६१/१६ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ८३, ४ से ९ और ४५ . . २—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४४, ४६ से ८२ और ८४ . . २६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७०, ७२ से १४० और १४२ . ६२—११९

निधन संबंधी उल्लेख ११९

तारांकित प्रश्न संख्या ४४ और ४५ के बारे में . १२०

स्थगन प्रस्ताव

(१) आसाम में पाकिस्तानियों का कथित अनधिकृत प्रवेश १२०—२२

(२) पानशेत में मिट्टी के बाध का टूट जाना . . १२२—२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बाढ़ की स्थिति . . १२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १२४—३१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . १३२

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य . १३२

सदस्यों का त्याग पत्र . . . १३३

प्रत्यर्पण विधेयक—पुरःस्थापित . . १३३

शब्दों को निकालने के बारे में १३३

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १३४—६२

कार्य मंत्रणा समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन १६३

दैनिक संक्षेपिका १६४—८०

विषय	पृष्ठ
अंक २—मंगलवार, ८ अगस्त १,९६१/ १७ श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९४ और ११६ . . .	१८१—२०४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ९५ से ११५ और ११७ से १५९ . .	२०४—३८
अतारांकित प्रश्न संख्या १४३ से २४०, २४२ से ३३७, ३३९ और ३४१ ,से ३४३	२३८—३३१
अतारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के उत्तर में शुद्धि . .	३३१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७६ के उत्तर में शुद्धि . . .	३३१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३३१—३४
कार्य मंत्रणा समिति--	
चौसठवां प्रतिवेदन	३३४
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३३४—७९
दैनिक संक्षेपिका	३८०—९१
अंक ३—बुधवार, ९ अगस्त १९६१/१८ श्रावण १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर---	
तारांकित प्रश्न संख्या १६० से १७० . .	३९३—४१३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १७१ से २८५ . . .	४१३—७३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ४२०, ४२२ से ५३१, ५३३ से ५४० और ५४२ से ५६३ .	४७३—५५९
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	५५९—६५
चीनी की स्थिति तथा निर्यात पर नोट के बारे में . .	५६५
ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति---	
पच्चासीवां प्रतिवेदन	५६५
विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य तथा विदेशी सहायता संबंधी विज्ञप्ति .	५६६
तारांकित प्रश्न संख्या १५७८ के उत्तर में शुद्धि	५६६
समितियों के लिये निर्वाचन	५६६–६७
(१) राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति ।	
(२) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड ।	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	५६७—९४

पृष्ठ

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . ५९४–६१३

खंड २ से २४ . ६१०–११

पारित करने का प्रस्ताव ६११–१३

चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य-निर्धारण के बारे में चर्चा . ६१३–१९

दैनिक संक्षेपिका ६२०–३८

अंक ४--गुरुवार, १० अगस्त, १९६१/१९ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २८६ से २८९, ३३१, ३४३ और २९० से २९५ ६३९–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३३०, ३३२ से ३४२ और ३४४ से ३७० . ६६३–९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५९० और ५९३ से ६९६ ६९८–७५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७५४–५५

आयकर विधेयक--

प्रवर समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य ७५५

विधेयक पुरःस्थापित--

(१) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक . ७५६

(२) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ७५६

संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . . ७५६–५८

खण्ड २ से ६ तथा १ . . ७५८–५९

पारित करने का प्रस्ताव ७५९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ७५८–६७

खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . ७६८–६९

नमक उपकर (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव ७६९–७७

खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . . . ७७७

पारित करने का प्रस्ताव ७७७

प्रसूति लाभ विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव. . ७७७–८५

विषय सूची

	पृष्ठ
चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा .	७८५–९४
दैनिक संक्षेपिका	७९५–८०४
अंक ५—शुक्रवार, ११ अगस्त, १९६१/२० श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७१ से ३७६, ३८२, ३७७ से ३८१, ३८३ से ३८६, ३८८, ३९० और ३९१	८०५–३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३८७, ३८९ और ३९२ से ४२९ .	८३३–५१
अतारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ८८४, ८८६ से ८९५ .	८५१–९३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
यान में जगह देने में इंडियन एयरलाइन्स की विफलता .	९३७–३८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	९३९–४२
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही सारांश .	९४२
सिख गुरुद्वारा विधेयक—	९४२
राय	
विशेषाधिकार समिति—	
तेरहवां प्रतिवेदन . .	९४२–४३
सभा का कार्य	९४३
ब्रिटेन के योरोपियन आर्थिक समूह में सम्मिलित होने के बारे में वक्तव्य .	९४३–४४
तेल की खोज के लिये प्राकृतिक गैस आयोग तथा फ्रांसीसी पैट्रोल संस्था के बीच हुए करार के बारे में वक्तव्य . .	९४४
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	९४५
दादरा और नगर हवेली विधेयक—पुरःस्थापित . .	९४५
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	९४५–७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चासीवां प्रतिवेदन	९७८
व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प	९७९–८६
सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प .	९८६–९८
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंसठवां प्रतिवेदन . . .	९९८
दैनिक संक्षेपिका	९९९–१०१३

पृष्ठ

अंक ६—सोमवार १४ अगस्त, १९६१/२३ श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३१ और ४३३ से ४४२ . १०१५—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . १०३७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ और ४४३ से ५११ . . १०३८–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९६ से ९२६, ९२८ से ९५१, ९५३ से १०९९ और ११०१ से ११०७ . . . १०७२—११६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम् में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल ११६०–६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, (सामान्य) १९६१-६२, के बारे में विवरण . ११६३

दो सदस्यों की दोष सिद्धि और जमानत पर उनकी रिहाई . ११६३

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर ११६३–६४

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन . . . ११६४

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, १९६१ . ११६५—८२

विचार करने का प्रस्ताव ११६५—८१

खंड २, ३ और १ . ११८१—८२

पारित करने का प्रस्ताव . ११८१–८२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ११८२—९३

प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव ११८२—९३

दैनिक संक्षेपिका ११९४—१२०६

अंक ७—बुधवार १६ अगस्त, १९६१/२५ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५१४, ५१६ से ५२३, ५२६, ५२९, ५३०, ५३३ और ५३५ . १२०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१५, ५२४, ५२५, ५२७, ५२८, ५३१, ५३२, ५३४ और ५३६ से ५६६ . . . . १२३२—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०८ से १२५५, १२५७ और १२५८ . १२५२—१३१२

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में —	
गोआ के राष्ट्रीय नेता को दी गई यंत्रणा . . .	१३१२–१३
मास्टर तारा सिंह का आमरण अनशन . . .	१३१३–१४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय जूट मिल संघ द्वारा सामूहिक रूप से मिलें बन्द करना .	१३१४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१३१४–१५
गोरेश्वर के दंगों के प्रतिवेदन के बारे में	१३१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियास्सीवां प्रतिवेदन . .	१३१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ इकतालीसवां प्रतिवेदन	१३१६
आसाम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	१३१६
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . .	१३१६—५२
दैनिक संक्षेपिका . .	१३५३—६१

अंक ८– गुरूवार, १७ अगस्त, १९६१ / २६ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७ से ५६९, ५७१ से ५७३, ५७५, ५७६, ५७८ से ५८१, ५८३, ५८५, ६१८, ५८६, ५९०, और ५९१	१३६३–८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७०, ५७४, ५७७, ५८२, ५८४, ५८७ मे ५८९, ५९२ से ६१७ और ६१९ से ६२६ .	१३८८—१४०४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५९ से १४२४ और १४२६ से १४४२	१४०६—९०
स्थगन प्रस्ताव—	
सोनपुर में गोलीकांड .	१४९०—९२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में बार बार बिजली का बन्द हो जाना	१४९२—९४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४९४
राज्य सभा से सन्देश	१४९४
सभा का कार्य	१४९४
वेतन में स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक—पुरःस्थापित	१४९५
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	१४९५—१५०२
दादरा और नागर हवेली विधेयक	१५०२—१४

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१५०२—१३
खंड २ से १४ तथा १ . . .	१५१४
पारित करने का प्रस्ताव .	१५१४
प्रत्यर्पण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१५१४—१८
दैनिक संक्षेपिका	१५१९—२९
अंक ९— शुक्रवार, १८ अगस्त, १९६१ / २७ श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ से ६४१ .	१५३१—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४२ से ६८०	१५५४—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४४३ से १६०२	१५७०—१६३४
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१६३४—३६
राज्य सभा से सन्देश	१६३६
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा-पटल पर रखे गये—	
(१) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) संशोधन विधेयक	१६३६
(२) विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक .	१६३६
विशेषाधिकार समिति—	
तेरहवां प्रतिवेदन	१६३७—३९
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१६३९—४१
प्रत्यर्पण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	१६४२—४३
आयकर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१६४३—५०
गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियासीवां प्रतिवेदन	१६५०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (श्री महन्ती का) पुरःस्थापित	१६५०—५१
लोक प्रतिनिधित्व (अनर्हता निवारण) विधेयक (श्री खुशवक्त राय का) पुरःस्थापित	१६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन का) पुरःस्थापित . . .	१६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन का)	१६५१

विषय	पृष्ठ

विचार करने का प्रस्ताव . . . १६५१—५३

सिख गुरुद्वारा विधेयक (सरदार ए० एस० सहगल का) १६५३—५५

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . १६५५

खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का) १६५५—६८

विचार करने का प्रस्ताव १६५५—६८

दैनिक संक्षेपिका १६६९—८०

अंक १०— शनिवार, १९ अगस्त १९६१ / २८ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ से ६९०, ६९३, ६९४ और ६९६ १६८१—१७०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९२, ६९५, ६९७ से ७२६ १७०१—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०३ से १७२४ . . १७१७—६६

स्थगन प्रस्ताव . . . . . . १७६६—६८

कथित गुप्तचर का पकड़ा जाना १७६६—६८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७६८—६९

सभा का कार्य १७६९

शिशिक्षु विधेयक—पुरःस्थापित १७६९

विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७६९—७९

आयकर विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १७७९—८३

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन . १७८३

अणुशक्ति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७८३—८९

दैनिक संक्षेपिका . . . १७९०—९७

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा :

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० को० (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अचित राम, लाला (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (तिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुनुगम, श्री रा० सी० (श्री बिल्लीपुतुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम, श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

अष्ठाना, श्री लीलाधर (उन्नाव)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरी)

798 (Ai) LSD—1.

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)

इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री व० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनिश्वर दत्त (प्रतापगढ़)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवा)

उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (उत्तर पूर्व सीमान्त प्रदेश)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर, (नौगांव)

कट्टी, श्री द० अ० (चिकोड़ी)

कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)

कमल सिंह, श्री (बक्सर)

कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामले, डा० देवराज नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)

काशीराम, श्री व० (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

क—(क्रमशः)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)

किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुन्हनें, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)

कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)

कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)

कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)

कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)

कृष्णप्पा, श्री, दू० बलराम (गुडिवाडा)

केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)

केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोडियान, श्री (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)

कोट्टु कप्पलजी, श्री जार्ज थामस (मवात्तु पुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)

खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खां, श्री सादत अली (वारंगल)

खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)

खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)

खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)

खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव--रक्षित--अनसूचित जातियां)
गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)
गणपति राम, श्री (जौनपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
गणपति सहाय, श्री (सुल्तानपुर)
गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल)
गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रताप सिंह राव (बड़ौदा)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता--दक्षिण पश्चिम)
गुप्त, श्री छेदालाल (हरदोई)
गुप्त, श्री रामकृष्ण (महेन्द्रगढ़)
गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता--पूर्व)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)
गोडझोरा, श्री शम्भू चरण (सिंहभूम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोहोकर, डा० देवराव यशवन्त राव (यवतमाल)
गौंडर, श्री षनमुघ (तिंडीवन्म)
गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तर)
गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)
गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (कैरा)
घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)
घोष, श्री महेन्द्रकुमार (जमशेदपुर)
घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)
घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)

च—(क्रमशः)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)
चन्द्रामणि, कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
चाव्हन, श्री दा० रा० (कराड़)
चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा)
चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)
चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)
चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सुं० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)
जोनबन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)
जेधे, श्री गुलाब राव केशव राव (बारामती)
जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)
जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)
जोगेन्द्रसिंह, सरदार (बहराइच)
जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)
ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)
झूलन सिंह, श्री (सीघन)

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर—मध्य)
डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री अली मोहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किसनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारिका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़—खंडवा)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (आसनसोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)

द—(क्रमशः)

दिगे, श्री शंकरराव खंडेराव (कोल्हापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णुशरण (सरधना)
देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)
देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देव, श्री प्र० गं० देब (अंगुल)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)
द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्र नाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री वन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरी)
नथवानी, श्री नरेन्द्रभाई (सोरठ)
नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरी)
नरेन्द्र कुमार, श्री (नागौर)
नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवास राव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन दीवी द्वीप)
नाथपाई, श्री (राजापुर).
नादर, श्री थानुलिंगम्, (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

न--(क्रमशः)

नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)
नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
नारायणस्वामी, श्री (परियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)
नेगी, श्री नेकराम (महासू--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
नेसवी, श्री ति० र० (धारवाड़-दक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल, सुश्री मणिबेन वल्लभाई (आनन्द)
पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)
पद्मदेव, श्री (चम्बा)
पन्नालाल, श्री (फैजाबाद--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)
पलनियाण्डी, श्री (पैरम्बलूर)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

प—(क्रमशः)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)
पाटिल, श्री तु० शं० (अकोला)
पाटिल, श्री नाना (सतारा)
पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)
पाटिल, श्री र० ढो० (भीर)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)
पाण्डेय, श्री सरजू (रसरा)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास–उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपूर)
बरुआ, श्री प्रफुल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
बसुमतारी, श्री धरनीधर (खालपाड़ा––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

ब—(क्रमश:)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनसूचित जातियां)

बाल्मीकि, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)

बिडरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)

बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)

बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)

'ब्रजेश', पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)

भगवती, श्री बि० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला—रक्षित—अनसूचित जातियां)

भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)

भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)

भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)

भवानी प्रसाद, श्री (सीतापुर—रक्षित—अनसूचित जातियां)

भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)

भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)

भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

म—(क्रमशः)

मणियंगाडन, श्री मैथ्यु (कोट्टयम्)

मतीन, काजी (गिरिडीह)

मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

मधोक, श्री बलराज (नई दिल्ली)

मनायन, श्री (दार्जिलिंग)

मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)

मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र (धनबाद)

मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)

मसानी, श्री मी० रु० (रांची—पूर्व)

मसुरिया दीन, श्री (अफूलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)

महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)

माईति, श्री नि० वि० (घाटल)

माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)

मारे, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)

मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराही—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मिश्र, श्री भगवानदीन (कैसरगंज)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगु सराय)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)

मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)

मिश्र, श्री विभूति (बगहा)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)

मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)

मुतूकृष्णन्, श्री म० (बल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म—(क्रमशः)

मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहम्मद इमाम, श्री (चितलदुर्ग)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० सू० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें कृ० कृष्णन् (बम्बई नगर-उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकुन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)
मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहनस्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनाली)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंह जी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोता (गुंटूर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)

र—(क्रमशः)

रहमान, श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजा राम बाल कृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजू, श्री दे० स० (राजामुंद्री)
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (राय बरेली)
राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (राय बरेली)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)
राधा मोहन सिंह, श्री (बलिया)
राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)
राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)
रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामधनीदास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामम, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)
राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)
रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातिय
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)
रामशंकर लाल, श्री (डुलरियागंज)
राम शरण, बी (मुरादाबाद)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)
रामौल, श्री शिवानन्द (महासू)
राय, श्री खुशवक्त (खेरी)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राव, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)
राव, श्रीमती सहोदराबाई (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगोंडा)

र—(क्रमशः)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

राव, श्री वी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रुंगुंग मुइवा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रेड्डि, श्री क० च० (कोलार)

रेड्डि, श्री, रो० नरसा (ओंगोल)

रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)

रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)

रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)

रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

ल

लक्ष्मणसिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)

लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)

लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

लाहिरी, श्री जितेन्द्र नाथ (श्री रामपुर)

लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्बारन)

वर्मा, श्री माणिक्यलाल (उदयपुर)

वर्मा, श्रीरामजी (देवरिया)

वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (वलरामपुर)

वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वारियर, श्री कु० कि० (त्रिचूर)

वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विजय आनन्द, महाराजकुमार (विशाखापटनम्)

विजय राजे, कुंवरानी (छतरा)

व--(क्रमशः)

विल्सन, श्री जान० न० (मिर्जापुर)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

विश्वास, श्री भोलानाथ (कटिहार)

वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री (रायपुर)

वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)

वेद कुमारी, मोते (एलूरू)

वैरावन, श्री अ० (तंजौर)

वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)

व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा--रक्षित अनुसूचित जातियां)

शंकर पांडियन, श्री (टंकासी)

शंकरय्या, श्री (मैसूर)

शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)

शर्मा, श्री दीवान चन्द्र (गुरदासपुर)

शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)

शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)

शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)

शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबांकी--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)

शाह, श्रीमती जयाबेन बजुभाई (गिरनार)

शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

शिवरंजप्पा, श्री (मंडया)

शिवराज, श्री (चिंगलपट--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलोदा बाजार)

शोभाराम, श्री (अलवर)

श्रीनारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

सवंदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सपम्त्, श्री (नामक्कल)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमरसिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० चं० (भुवनेश्वर)

सालक, श्री बालासाहेब (खेड़)

साहू, श्री भगवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शाहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चण्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज—बिहार)

सिंह, श्री रमेश प्रसाद (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिदय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

स—(क्रमशः)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)
सुगन्धि, श्री मु० सु० (बीजापुर—उत्तर)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्बरायन, डा० प० (तिरूचेंगोड)
सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)
सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
सुल्तान, श्रीमती ममूना (भोपाल)
सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)
सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)
सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सैयद महमूद, उ० (गोपाल गंज)
सोनावने, श्री तयप्पा (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सोनुल, श्री हरिहर राव (नांदेड़)
सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)
सोरेन, श्री देवी (दुमका—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़—रक्षित—अनसूचित जातियां)
स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)
स्वामी, श्री (चान्दा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हजरनवीस, श्री रा० म० (भंडारा)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)
हाथी, श्री जयेसुखलाल लालशंकर (हालर)

ह—(क्रमशः)

हाल्दर श्री अन्सारी (डायमण्ड हार्ब्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हिनिटा, श्री हुवर (स्वायत जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (भटिंडा)
हेडा, श्री ह० च० (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भागव

डा० सुशीला नायर

श्री मूल चन्द दुबे

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती

श्री जगन्नाथ राव

श्री ह० चं० हेडा

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य-मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री प्र० क० देव

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री राजेश्वर पटेल

श्री शिवराम रंगो राने

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री लैसराम अचौ सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री मिसुला सूर्यनारायण मूर्ति

श्री तंगामणि।

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—सभापति

श्री हेम बरुआ

श्री च० द० गौतम

श्री फतहसिंहजी घोडासार

श्री मी० रु० मसानी

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री च० द० पांडे

श्री शिवराम रंगो राने

श्री अशोक कु० सेन

श्रीमती जयाबेन वजूभाई शाह

श्री मारंगधर सिन्हा

श्री सत्यनारायण सिंह

डा० प० सुब्बारायन

श्री श्रद्धाकर सूपकार

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—सभापति

श्री मानकभाई अग्रवाल

श्री अय्याकणु

श्री इगनेस बेक

श्री बी० ला० चांडक

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री नं० रं० घोष

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री गुलाबराव केशवराव जेधे

श्री बै० च० मलिक

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री राजेश्वर पटेल

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री शिवनंजप्पा

श्री रूंगसुंग सुइसी

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—सभापति

श्री प्रमथनाथ बनर्जी

श्री चन्द्र शंकर

श्री वें० ईयाचरण

श्री अन्सार हरवानी

श्री हेडा

श्री मं० रं० कृष्ण

रानी मंजुला देवी

श्री विभूति मिश्र

श्री गोरे

श्री गु० सिं० मुसाफिर

श्री पद्म देव

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री पन्नालाल

श्री करसन दास परमार

श्री थानु पिल्ले

श्री पुन्नूस

श्री राजेन्द्र सिंह

श्री रामस्वामी

श्री सतीश चन्द्र सामन्त

श्री विद्या चरण शुक्ल

श्री कैलाशपति सिन्हा

श्री सुगन्धि

श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह ठाकुर

श्री महावीर त्यागी

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय

श्री रामसिंह भाई वर्मा

श्री बालकृष्ण वासनिक

श्री वोडयार

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—सभापति

श्री अय्याकण्णु

श्री बासप्पा

श्री भोलानाथ विश्वास

श्री दलजीत सिंह

श्री विभूति भूषण दास गुप्त

श्री गणपति राम

श्री मूलच द जैन

श्री कमल सिंह

श्री कोडियान

श्री बरराज मधोक

श्री मोती लाल मालवीय

डा० पशुपति मंडल

श्री विश्वनाथ राय

श्री रामजी वर्मा

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन--**सभापति**

श्री अब्दुल सलाम

श्री अंजनप्पा

श्री जगदीश अवस्थी

श्री फतहसिंह घोड़ासर

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामचन्द्र माझी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री मथुरा प्रसाद मिश्र

श्री मुहम्मद इमाम

श्री वासुदेवन नायर

श्रीमती उमा नेहरू

श्री नानूभाई निच्छाभाई पटेल

श्री शिवनंजप्पा

श्री शिवराज

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह--**सभापति**

श्री स० अ० अगाड़ी

श्री अकबर भाई चावदा

श्री देवी सोरेन

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री यादवनारायण जाधव

श्री भानुसाहेब राव साहेब महागांवकर

श्री सुरेन्द्र महन्ती

श्री नि० बि० माईति

श्री थानुलिंगम नादर

श्री त० ब० विट्ठलराव

श्री रूप नारायण

श्री अमर सिंह सहगल

श्री झूलन सिंह

श्री सुन्दर लाल

लोक लेखा समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन—सभापति

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री हेमराज

श्री र० सि० किलेदार

श्री माने

डा० पशुपति मंडल

श्री मतीन

डा० मेलकोटे

श्री पु० र० पटेल

डा० सामन्त सिंहार

पंडित द्वा० ना० तिवारी

कुमारी मोत्ते वेदकुमारी

श्री रामजी वर्मा

श्री वारियर

राज्य सभा

डा० श्रीमती सीत परमानन्द

श्री लालजी पेंडसे

श्री बी० सी० केशव राव

श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी

श्रीमती सावित्री देवी निगम

श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह

श्री जयनारायण व्यास

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह--सभापति

श्री बहादुर सिंह

श्री अरविन्द घोषाल

श्री न० रे० घोष

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

डा० कृष्णस्वामी

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री मोहम्मद इमाम

श्री पु० र० पटेल

श्री करसनदास परमार

श्री रघुबीर सहाय

श्री क० स० रामस्वामी

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री झूलन सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर--सभापति

सरदार हुक्म सिंह

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री ब्रजराज सिंह

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री श्री अ० डांगे

श्री दासप्पा

श्री प्र० के० देव

श्री मूलचन्द दूबे
श्री ह० चं० हेडा
श्री रंगा
श्री जयपाल सिंह
डा० कृष्णस्वामी
श्री उ० श्री० मल्लय्या
श्री अशोक मेहता
डा० सुशीला नायर
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री शिवराज
श्री याज्ञिक
श्री जगन्नाथ राव

आवास समिति

श्री उ० श्री० मल्लय्या--सभापति
श्री बैरो
श्री माणिकलाल मगनलाल गांधी
श्री अरविन्द घोषाल
श्री राम कृष्ण गुप्त
श्री खुशवक्त राय
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्रीमती मफीदा अहमद
श्री राजेश्वर पटेल
श्री जगन्नाथ राव
श्री स० चं० सामन्त
श्री सिंहासन सिंह

लाभपद सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्--**सभापति**
डा० मा० श्री० अणे
श्री आसर
श्री क० बु० मेनन

श्री मुरारका

श्री ही० ना० मुकर्जी

श्रीमती उमा नेहरू

श्री रामेश्वर साहू

श्री राधा चरण शर्मा

श्री सिद्धनंजप्पा

राज्य सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम चेट्टियार

श्री एम० गोविन्द रेड्डी

डा० राज बहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—सभापति

श्री बैरो

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य

श्री रेशम लाल जांगड़े

श्री प्रभात कार

श्री मोहन स्वरूप

श्री च० रा० नरसिंहन्

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिंहासन सिंह

श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम

राज्य सभा

श्री जगन्नाथ कौशल

श्री अवधेश्वर प्रताप सिंह

श्री रोहित एम० दवे

श्रीमती यशोदा रेड्डी

डा० डब्ल्यू० एस० बार्लिंगे

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—सभापति

सरदार हुक्म सिंह

नियम समिति

श्री अमजद अली

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री नौशीर भरूचा

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मु० सु० सुगन्धी

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री मोतीलाल मालवीय

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्री पु० र० पटेल

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

श्री शंकरय्या

श्री राधा मोहन सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भार-साधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री—श्री अ० कृ० सेन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री—हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्ण मेनन

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

राज्य मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री—श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायूं कबिर

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री--सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री--श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री--श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री--श्री मो० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री--श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री--श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री--श्री श्यामनन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री--श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री--डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री--श्री शाहनवाज़ खां

रेलवे उपमंत्री--श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री--श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री--श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री--श्री कोत्ता रघुरमैय्या

असैनिक उड्डयन उपमंत्री--श्री मुहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री--श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री--श्री पु० शे० नास्कर

विधि उपमंत्री--श्री हजरतवीस

वित्त उपमंत्री--श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री--श्री ब० सू० मूर्ति

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री--श्री ललित नारायण मिश्र

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव--श्री सादत अली खां

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव--श्री जो० ना० हजारिका

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव--श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव--श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव--श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव--श्री श्यामधर मिश्र

लोक-सभा

सोमवार, ७ अगस्त, १९६१

१६ श्रावण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

†**अध्यक्ष महोदय** : सचिव उन सदस्यों के नाम पुकारें जो संविधान के अधीन शपथ लेने और प्रतिष्ठान करने आये हैं ।

†**सचिव** : श्री रमेश प्रसाद सिंह ।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : अध्यक्ष महोदय, मुझे श्री रमेश प्रसाद सिंह का, जो श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह के त्यागपत्र के कारण हुए उपचुनाव में बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, सभा से और आप से परिचय कराने में बड़ा हर्ष है ।

(श्री रमेश प्रसाद सिंह ने तब अंग्रेजी में शपथ ली और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया)

†**सचिव** : श्री गनपत सहाय ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मुझे श्री गनपत सहाय का, जो पंडित गोविन्द मालवीय के निधन के कारण हुए उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, सभा से और आप से परिचय कराने में बड़ा हर्ष है ।

(श्री गनपत सहाय ने तब अंग्रेजी में शपथ ली और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया)

†**सचिव** : श्री अनन्त त्रिपाठी शर्मा ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मुझे श्री अनन्त त्रिपाठी शर्मा का, जो श्री उमा चरण पटनायक के निधन के कारण हुए उपचुनाव में छत्रपुर-गंजन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, सभा से और आप से परिचय कराने में बड़ा हर्ष है ।

(श्री अनन्त त्रिपाठी शर्मा ने तब अंग्रेजी में शपथ ली और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया)

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वाशिंगटन में भारत विरोधी परिपत्र

†*१. श्री नाथ पाई :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री प्र० गं० देव :
श्री यादव नारायण जाधव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल में वाशिंगटन में बड़ी संख्या में जारी किये गये भारत विरोधी परिपत्रों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) क्या सरकार ने यह मालूम करने की कोई कोशिश की कि ये पत्र कहां से निकलते हैं; और

(ग) इन पत्रों में कही गयी बातों का खंडन करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां।

(ख) किसी गुमनाम संस्था द्वारा ये परिपत्र जारी किये गये थे।

(ग) वाशिंगटन स्थित हमारे दूतावास ने इस परिपत्र की ओर राज्य विभाग का ध्यान दिलाया था। हमारे दूतावास ने क्यूबा के संबंध में भारतीय नीति के विषय में ठीक-ठीक बातें बताने वाली एक विशेष विज्ञाप्त भी जारी की थी।

†श्री नाथ पाई : क्या वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने इन परिपत्रों का उद्गम मालूम करने की कोई कोशिश की थी और प्रचार का खंडन करने के किए क्या कार्यवाही की गयी ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : उस पर न कोई हस्ताक्षर, न किसी संगठन का पता या मुद्रक का नाम ही था और इस कारण यह पता लगाना कठिन था कि वह परिपत्र कहां से निकला। हमने जो कुछ किया वह मूल प्रश्न के उत्तर में बताया जा चुका है। क्यूबा के मामले मे २२ अप्रैल को प्रधान मंत्री द्वारा कही गयी बातों तथा अखिल भारतीय निर्माता संगठन के सामने उनके भाषण की बातों का पूरा-पूरा विवरण देने वाली एक विज्ञप्ति हमने जारी की है और उसमें क्यूबा के मामले में भारतीय नीति का स्पष्ट विवेचन किया गया है। यह विज्ञप्ति चारों ओर प्रसारित की गयी थी और उस पर प्रशंसात्मक टिप्पणियां हुईं।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : भारतीयों के मुकाबले में इस हानिकारक परिपत्र का अमरीकी लोगों पर वस्तुतः क्या प्रभाव पड़ा और हमारे दूतावास से क्या समाचार प्राप्त हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी मे

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे खेद है कि मैं अमरीकी लोगों की ओर से उत्तर नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह कहा गया था कि इन परिपत्रों का उद्देश्य भारत को सहायता दिये जाने के विरुद्ध अमरीका में जनमत तैयार करना था और वह भी इस कथित आधार पर कि क्यूबा के बारे में भारत की नीति अमरीकी सरकार की नीति के विरुद्ध है। उपमंत्री ने अभी अभी बताया कि वाशिंगटन स्थित हमारे दूतावास ने यह स्पष्ट बता दिया है कि ऐसा नहीं है। क्या इसका यह अर्थ है कि दूतावास ने यह समझाने की कोशिश की कि क्यूबा के मामले में हमारी नीति वही है जो अमरीकी सरकार की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमने वही परिचालित किया है जो मैंने उस बारे में मुख्यतः कहा है। यह स्पष्ट है कि वह नीति अमरीकी सरकार की नीति से भिन्न है।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों को विश्वास दिलाने के लिए उनसे सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रयत्न किया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं। आम तौर से वह नहीं किया जाता।

छोटी मोटर गाड़ियों का निर्माण

+

†*२. पं० द्वा० ना० तिवारी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० गं० देव :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुलतान :
श्री कोडियान :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० च० सामन्त :
श्री सुब्बैया अम्बलम :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री मे० क० कुमारन् :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री आचार :
श्री दामानी :

†मूल अंग्रेजी में

श्री मुरारका :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री वारियर :
श्री हेम बरुआ :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री न० म० देव :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ११ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में किस ढंग की मोटरकार तैयार की जायेगी, इस बारे में क्या विशेषज्ञ समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरकार रिपोर्ट की छानबीन कर रही है । रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य सिफारिशें और उन पर सरकार के निर्णय यथाशीघ्र घोषित कर दिये जायेंगे ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या रिपोर्ट में मोटरगाड़ी की कीमत ५,००० रुपये से बढ़ाकर ६,००० या ७,००० रुपये कर दी गयी है ;

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं । सबसे पहले ६,५०० रुपये कीमत रखी गयी थी । उत्पादन लागत के लिए ५,००० रुपये की कीमत अब भी वही है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह तय हो चुका है कि छोटी गाड़ी बनाने वाला कारखाना कहां होगा और क्या इसके लिए आवश्यक निधि निर्धारित की जा चुकी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसाकि प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में मैंने बताया है, इन सभी मामलों पर विचार हो रहा है और उन पर सरकार का अंतिम निर्णय यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या निर्माण का स्थान निर्धारित किया जा चुका है या वह रिपोर्ट में बताया जा चुका है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : समिति ने ऐसी परियोजना के किये उपयुक्त चार स्थूल क्षेत्रों का उल्लेख किया है ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या 'डॉफिन' नामक मोटर गाड़ी बनाने के लिये फ्रांसीसी फर्म के साथ कोई अस्थायी करार हुआ है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बहुत सक्रिय बातचीत चल रही है लेकिन कोई अन्तिम फैसला अभी नहीं हुआ है । वह सब सरकार के निर्णय को ध्यान में रख कर किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साधन गुप्त** : इस बात को देखते हुये कि जनता की मोटरगाड़ी बनाने की बात बहुत समय से चल रही है, क्या सरकार ने कम से कम यह कल्पना की है कि वह मोटर गाड़ी किस समय तक बाजार में आ जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं माननीय सदस्य की उत्सुकता को समझता हूं और हमें आशा है कि ४ से ६ हफ्ते के अन्दर हम अन्तिम निर्णय कर सकेंगे ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : समाचारपत्रों में कहा गया था कि अभी तक "डॉफिनॉइज" की रेनोल्ट गाड़ी पर सब से अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है और हमें मालूम हुआ है कि फ्रांस के लिये यह एक पुराना और चलन से हटा हुआ मॉडल है । क्या मुझे यह आश्वासन मिल सकता है कि कोई पुराना मॉडल नहीं ले लिया जायगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह डॉफिनॉइज नहीं है । पहले मैंने अपने उत्तर में वही बताया था कि वह रेनाल्ट का डॉफिन माडल है जो अभी प्रचलित है मशीन बिलकुल नयी होगी । वह भी एक पार्टी है जिसने प्रस्ताव रखा है ।

†**श्री आचार** : छोटी गाड़ी के इस मामले ने काफी समय ले लिया है । हम कब तक इस गाड़ी के तैयार हो जाने की आशा कर सकते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि हम किसी संबंधित जनता से अधिक उत्सुक हैं और हमें आशा है कि बहुत शीघ्र ही इस मंझले आकार की परियोजना के बारे में अब अन्तिम निर्णय हो जायगा ।

†**श्री रंगा** : क्या सरकारी प्रयास के अतिरिक्त किन्हीं गैर-सरकारी निर्माताओं ने भी छोटी मोटरगाड़ी बनाने के लिये आवेदन पत्र दिया है ? उस पर क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सरकार ने ऐसे सभी प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये हैं । सरकारी क्षेत्र में छोटी मोटरगाड़ी का प्रश्न अब भी कायम है और उस पर सरकार यथासंभव अधिक ध्यान दे रही है । मैं बता चुका हूं कि ४ से ६ हफ्ते के अन्दर मैं सरकार का निर्णय सभा के सामने रख सकूंगा ।

श्री ब्रजराज सिंह : अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि इस तरह के चार क्षेत्र विचाराधीन हैं जहां पर ऐसे प्लांट लगाये जायेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि उन क्षेत्रों में एक उत्तर प्रदेश भी है और उत्तर प्रदेश में भी आगरे को चुना जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : यह मैं अभी नहीं बतला सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** : प्रश्न संख्या ८३ का उत्तर भी प्रश्न संख्या ३ के साथ दे दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उनका उत्तर एक साथ दिया जा सकता है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीलंका में भारतीय

+

†*३. श्री हेम बरुआ :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री आसर :
श्री आचार :
श्री डामर :

क्या **प्रधान मंत्री** १५ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के प्रधान मंत्री के साथ श्रीलंका में भारतीयों की समस्या पर और आगे बातचीत की गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) और (ख). श्रीलंका में भारतीयों की समस्या पर श्रीलंका के प्रधान मंत्री के साथ और आगे कोई बातचीत नहीं हुई है ।

भारत-लंका वार्ता

+

†*८३. श्री हेम बरुआ :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प्र० गं० देव :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका की सरकार का विचार सरकारी स्तर पर भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिये शीघ्र ही एक सम्मेलन बुलाने का है जिसमे लंका स्थित भारतीयों की नागरिकता का प्रश्न उठाया जायेगा ?

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन मूल बातों पर विचार किया जायेगा, क्या उस सम्मेलन में लंका स्थित भारतीय नागरिकों के साथ जो भेदभाव पूर्ण बर्ताव किया गया है उस बारे में भी विचार किया जायेगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर पिछले भाग का उत्तर नकारात्मक हो तो इस सम्मेलन के कार्यक्रम में इस समस्या के शामिल न करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) श्रीलंका की सरकार ने इस विषय में भारत सरकार के सामने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। श्रीलंका के गवर्नर जनरल ने १३ जुलाई, १९६१ को श्रीलंका की संसद् के उद्घाटन के समय अपने भाषण में बताया था कि श्रीलंका के प्रधान मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के प्रश्न की छानबीन कर रहे हैं और निकट भविष्य में भारतीय प्रधान मंत्री के साथ बातचीत करने का उनका विचार है ।

(ख) और (ग). सम्मेलन बुलाने का सवाल अभी नहीं उठाया गया है और न ही कोई कार्यसूची तैयार की गयी है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या निवास-कर तथा व्यापार-कर के बोझ के कारण श्रीलंका में भारतीय राष्ट्रजनों की वर्तमान कठिनाइयां और अधिक बढ़ गयी हैं और यदि हां, तो क्या इस पहलू की ओर श्रीलंका की सरकार का ध्यान दिलाने का सरकार का विचार है ?

†**श्री सादत अली खां :** श्रीलंका अस्थायी निवासकर विधेयक संसद् ने जून, १९६० में पारित किया था। इस विषय की ओर हमने श्रीलंका सरकार का ध्यान दिलाया था और हमें बताया गया था कि १० अक्तूबर, १९५४ के बाद भारत के नागरिक के तौर पर पंजीकृत व्यक्तियों को मुक्त रखते हुये यह विधान लागू किया जायगा और बाद मे उन्हें कुछ और भी छूट दी जायगी ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या राज्य विहीन व्यक्तियों की समस्या अभी हल नहीं हुई है और यदि हां तो उन व्यक्तियों को गैर-राष्ट्रीय जन मानने का श्रीलंका सरकार का निर्णय निराधार नहीं है और यदि हां, तो क्या इस ओर श्रीलंका की सरकार का ध्यान दिलाया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** इस प्रश्न का अभी इस माने में निबटारा नहीं हुआ है कि श्रीलंका सरकार के दृष्टिकोण से अभी अन्तिम रूप से इसका निर्णय नहीं किया गया है। जहां तक हमारा संबंध है, हम समझते हैं कि ये तथाकथित राज्य विहीन व्यक्ति श्रीलंका के राष्ट्रजन हैं या होने चाहिये ।

†**श्री तंगामणि :** माननीय सभा सचिव ने बताया कि जिन भारतीय निवासियों पर अस्थायी निवास करारोपण विधेयक का प्रभाव पड़ा है उन्हीं को छूट दी जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि श्रीलंका में भारतीय नागरिकों पर अपना व्यापार चलाने के लिये विशेष कर लगाये जाते हैं और यदि हां, तो किस प्रकार का अभ्यावेदन किया गया है और श्रीलंका सरकार से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस विशिष्ट कर का उल्लेख कर रहे हैं। जहां तक भारतीय नागरिकों का संबंध है, वे उन तथाकथित राज्य विहीन व्यक्तियों से, जो हमारी धारणा के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रजन है, बिलकुल अलग हैं। जब कभी भारतीय राष्ट्रजनों के हितों के विरुद्ध कोई बात होती है तब हम समय समय पर श्रीलंका सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं और उस विषय पर फिर से विचार कराने की कोशिश करते

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं। यही हम समय समय पर करते है। मैं इस विशिष्ट मामले के बारे में उत्तर नहीं दे सकता कि क्या अभ्यावेदन दिया गया है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह व्यापार कर लगाना नेहरू-कोटलावाला करार की भावना के विरुद्ध नहीं है और यदि हां तो क्या इस ओर श्रीलंका सरकार का ध्यान दिलाया गया है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पहले किये गये किसी करार पर सावधानी से विचार किये बगैर मैं यह नहीं बता सकता कि वह उस करार के विरुद्ध है या नहीं, लेकिन जैसा कि बताया गया है, ऐसे मामलों की ओर समय समय पर ध्यान दिलाया जाता है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : जब तक कि ये लोग भारतीय उद्भव के हैं, सरकार इस लम्बे झगड़े को निबटाने में क्यों नहीं अगुआ बनती?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रश्न उद्भव का नहीं है बल्कि उनकी वर्तमान वैध संवैधानिक स्थिति का है। मैं भारतीय राष्ट्रजनों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरों के बारे में कह रहा हूं। हमने इस विषय पर कई बार चर्चा की है लेकिन कोई अन्तिम समझौता नहीं हो सका। यदि श्रीलंका सरकार चाहे तो हम फिर बातचीत करेंगे। लेकिन श्रीलंका के अपने नागरिकों के संबंध में श्रीलंका सरकार को ही अगुआपन लेना होगा, न कि हमें।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार के पास भारतीय उद्भव के उन राज्य विहीन व्यक्तियों के सबसे ताजे आंकड़े हैं, जिन्हें श्रीलंका की नागरिकता अभी तक नहीं प्रदान की गयी है?

†**श्री सादत अली खां** : मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिनसे वह स्पष्ट हो जायगा।

अभी तक हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय नागरिक या श्रीलंका के नागरिक के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:—

दिसम्बर, १९६० के अन्त तक भारतीय नागरिक .	३५,४११
अगस्त, १९६० के अन्त तक श्रीलंका के नागरिक .	१,२०,२९४

हमारी जानकारी के अनुसार उन व्यक्तियों की संख्या जिनके भारतीय नागरिकता और श्रीलंका की नागरिकता के लिए आवेदन पत्र रद्द कर दिये गये थे, इस प्रकार है:—

दिसम्बर, १९६० के अन्त तक भारतीय नागरिकता . .	१०,४९१
अगस्त, १९६० के अन्त तक श्रीलंका की नागरिकता . .	६,९१,९७५

†**श्री त्यागी** : मैं राज्य विहीन व्यक्तियों की परिभाषा जानना चाहता हूं। क्या ये व्यक्ति राज्य विहीन इस कारण हैं कि उन्होंने नागरिकता प्राप्त करना नहीं चाहा या वे परिस्थितियों के कारण राज्य विहीन रहने के लिए बाध्य हुए हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वे मुख्यतः अपने किसी दोष के कारण राज्य विहीन नहीं हैं बल्कि इस कारण है कि वे संबंधित राज्यों की विभिन्न रायों के जाल में फंस गये हैं, अर्थात् भारत सरकार की राय के अनुसार वे श्रीलंका के राष्ट्रजन हैं या होने चाहिये। श्रीलंका सरकार उन्हें मान्यता नहीं देती इसलिए वे बीच में ही पड़े हुए हैं। इस प्रकार तथाकथित राज्य विहीन व्यक्तियों ने दोनों सरकारों को या एक को आवेदन पत्र दिया है। कुछ लोगों के

---

†मूल अंग्रेजी में

आवेदन पत्र मंजूर किये जाते हैं और कुछ लोगों के रद्द कर दिये जाते हैं। जिनके आवेदन पत्र मंजूर होते हैं, वे या तो भारतीय राष्ट्रजन हो जाते हैं या श्रीलंका के राष्ट्रजन हो जाते हैं। जिनके आवेदन-पत्र अस्वीकृत होते हैं वे किसी भी श्रेणी में नहीं आते।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या श्रीलंका में नागरिकता या अधिवास कानून नहीं है जिसमें उन परिस्थितियों को गिनाया गया हो जिनके अधीन वहाँ किसी निश्चित अवधि तक रहने वाला कोई व्यक्ति उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता हो?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी हां, वहां है। मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं है लेकिन निश्चय ही वहां कुछ ऐसी विधियां या नियम आदि हैं जो इन बातों का नियंत्रित करते हैं। इन्हीं नियमों के अनुसार ही वे इन आवेदन पत्रों पर विचार करते हैं, उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा कहना यह है कि बाहरी परिस्थितियों पर विचार किया जाता है या उनके पंजीकरण में बहुत छोटी-छोटी बातें लायी जाती हैं।

†**श्री रंगा :** हमने पिछली बार कब श्रीलंका सरकार के साथ इस मामले पर चर्चा की थी?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे तारीख याद नहीं है लेकिन वह दो या तीन साल या उससे पहले था।

†**श्री रंगा :** क्या हम यह समझें कि तब से कोई प्रयत्न नहीं किया गया है या और अधिक प्रगति करने के लिए इस मामले पर कुछ चर्चा आरंभ करना भारत सरकार ने आवश्यक नहीं समझा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** भारत सरकार ने कोई विशिष्ट प्रयत्न नहीं किये हैं लेकिन भारत सरकार के श्रीलंका स्थित प्रतिनिधि ने समय समय पर इसकी चर्चा की है। फिर भी मैं चाहता हूं कि सभा यह याद रखे कि इस मामले में प्राथमिक उत्तरदायित्व श्रीलंका सरकार का है। यह बात अलग है कि भावनात्मक दृष्टि से हमें इसमें दिलचस्पी है और वह इसलिए है कि उनका मूलस्थान भारत था लेकिन राजनैतिक और संवैधानिक दृष्टि से उत्तरदायित्व श्रीलंका सरकार का है। हम चर्चा करने के लिए सदा तैयार हैं क्योंकि श्रीलंका सरकार के साथ हमारी मैत्री है । लेकिन वे हमारे राष्ट्रजन नहीं है; हमारी राय के अनुसार वे श्रीलंका के राष्ट्रजन हैं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या भारत और श्रीलंका के बीच, जो दोनों ही राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, राष्ट्रमंडल की श्रृंखला के कारण श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों को कुछ सुविधाएं प्राप्त नहीं होती? क्या उन्हें पूरी तरह राज्य विहीन तथा सामान्य अधिकारों से विहीन समझे जाने से सुरक्षित रखने वाली कोई बात नहीं है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी नहीं। राष्ट्रमंडल की श्रृंखला से इस मामले में बहुत अधिक सहायता नहीं मिलती क्यों कि ये मामले द्विपक्षीय करारों से प्रशासित होते हैं। श्रीलंका वाले यदि इंग्लैंड या भारतीय राष्ट्रजन इंग्लैंड जांये तो उनके मामले इससे प्रशासित होंगे लेकिन श्रीलंका और भारत के बीच के मामले हमारे अपने द्विपक्षीय करारों से ही प्रशासित होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० मा० श्री० अणे :** जब लंका की प्रधान मंत्री पिछली बार यहां आई हुई थीं तो क्या यह उन मामलों में शामिल नहीं था जिन पर भारत तथा लंका के प्रधान मंत्रियों के बीच अनौपचारिक चर्चा हुई थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस की चर्चा नहीं की गई। लंका के प्रधान मत्री विभिन्न बौद्ध केन्द्रों की यात्रा के लिये भारत आई थीं और चूंकि उनका यात्रा का वह मुख्य उद्देश्य था इसलिये इन राजनैतिक मामलों की चर्चा नहीं की गई।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यदि कोई व्यक्ति विशेष हाल ही में ही भारत से गया हो, तो बात समझ में आ सकती है। परन्तु क्या कोई अवधि सीमा नहीं है अर्थात् पांच या छः वर्ष की जिसके पश्चात यदि वे वहां रहते रहे हों, तो स्वतः वे अधिवास के लिये प्रार्थना पत्र दे सकते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** ऐसी कोई अवधि सीमा नहीं है, वास्तव में मोटे तौर पर वहां पिछले बहुत से वर्षों, दस या पन्द्रह वर्षों से---मुझे इस समय ठीक अवधि याद नहीं--- बहुत वर्षों से कोई व्यक्ति वहां नहीं गया है। समस्या उन लोगों की है जो वहां लगभग एक पीढ़ी या अधिक समय पहले से वहां गये हुए हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि गैर-निवासी वीजा लंका सरकार द्वारा राज्य विहीन लोगों को भारी वीजा फीस देने के बाद जारी किे जाते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह सच है कि उनके पंजीबद्ध होने के बावजूद उनको गैर-निवासी वीजा दिये जाते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं इसका सही उत्तर नहीं दे सकता। मेरा विश्वास है कि लंका सरकार उनको भारत आने के लिये वीजा या यात्रा पत्र देने के लिये सहमत है। उनमें से अधिकांश लोग भारत में केवल सांस्कृतिक मेल मिलाप के कारण अथवा यहां उनके दूर के संबंधियों के होने के कारण या यात्रा के लिये आना चाहते हैं, परन्तु वे लोग सामान्यतया उनको लेने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि यदि एक बार वे उन्हें लेते हैं और और वे भारत आ जाते हैं तो उन्हें वापिस आने नहीं दिया जाएगा। इसलिये वे उनको नहीं लेते। अतः वे भारत में बहुत कम आते हैं।

कोयला खानों में मजूरी ढांचा

†*४. **श्री गोरे :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १५ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान संबंधी औद्योगिक समिति ने कोयला खानों में मजूरी ढांचे में परिवर्तन करने के प्रश्न पर बातचीत की है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उस समिति की सिफारिशें मान ली हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, हां।

(ख) समिति का यह मत था कि कोयला खनन उद्योग में मजूरी संशोधन के मामले के सब पहलुओं पर मालिकों और मजदूरों की एक द्विपक्षीय समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिये। दोनों पक्ष मिल कर, वर्तमान मूल्य स्तर के अन्दर मजूरी निर्धारित करने की संभाव्यता पर विचार करेंगे।

(ग) सरकार ने मजदूरों और मालिकों के संगठनों को कहा है कि वे प्रस्तावित द्विपक्षीय समिति के लिये अपने अपने प्रतिनिधि नामांकित कर दें। कुछ संघों से अभी उत्तर नहीं आए हैं।

†**श्री गोरे** : क्या सरकार ने कोई अवधि सीमा रखी है जिसके अन्दर कायला खानों के मालिकों को अपने विचार बताने होंगे और यदि वे उसका पालन नहीं करते तो क्या सरकार स्वयं कार्रवाई करेगी ?

†**श्री आबिद अली** : जैसा कि मैंने पहले कहा है मजदूरों के प्रतिनिधि भी इस समिति में थे। यदि वे प्रगति से संतुष्ट नहीं अथवा यह अनुभव करते हैं कि समझौता होना संभव नहीं है, तो वे अग्रेतर कार्रवाई के लिये हमें कह सकते हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या इस समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है और यदि हां तो मालिकों के संघों के कितने प्रतिनिधि हैं तथा केन्द्रीय कार्मिक संघों के कितने प्रतिनिधि हैं ?

†**श्री आबिद अली** : हमने कर्मचारियों के तीन केन्द्रीय संघों को बुलाया है, अर्थात् आई एन टी यू सी, ए आई टी यू सी और एच एम एस, कि वे अपने मजदूरों के प्रतिनिधि भेजें। मालिकों के संघों में से आई एम ए, आई एम एफ और एन सी डी सी तथा मध्य प्रदेश के दो और संघों अर्थात् मध्य प्रदेश खनन संघ तथा भारतीय कोयला खान मालिक संघ की प्रत्येक को एक एक प्रतिनिधि भेजने के लिये कहा गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि एक द्विपक्षीय सम्मेलन करने का प्रयत्न किया जायेगा। यदि उस सम्मेलन में कोई समझौता न हो पाया, तो क्या सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी ?

†**श्री आबिद अली** : इस द्विपक्षीय समिति में निर्णय होने या निर्णय न होने पर, हम उचित कार्रवाई करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहम्मद इलियास** : इस समिति को अनुसचिवीय कर्मचारी देने का प्रबन्ध कौन करेगा ?

†**श्री आबिद अली** : मैं नहीं समझता कि इसके लिये स्थायी सचिवालय की कोई आवश्यकता होगी, परन्तु यदि आवश्यकता पड़ी तो हम सहायता करेंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या सरकार इस समिति में कोई दिलचस्पी नहीं लेगी ?

†**श्री आबिद अली** : हमें इसमें बहुत दिलचस्पी है, परन्तु यह स्वीकार किया गया था, कि मजदूरों और मालिकों के प्रतिनिधि इस समिति में होंगे और समझौता करेंगे और जब आवश्यकता होगी तो हम भी सहायता देंगे ।

लाओस सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को ऋण

+

†*५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में लाओस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को अभी हाल में भारत से रवाना होते समय २ अरब डालर का कर्ज दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार को उस रकम की वापसी के लिए आयोग ने क्या व्यवस्था की है ?

†**वैदेशिक कार्य-मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस मामले के बारे में जैनेवा सम्मेलन के दो सह-सभापतियों को कहा गया है और प्रार्थना की गई है कि वे भारत सरकार द्वारा व्यय की गई राशि भारत सरकार को दे दें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या अभी तक वहां से कोई उत्तर आया है ?

†**श्री सादत अली खां** : जी हां ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : उन संबद्ध देशों में से कुछ ने कुछ राशि देना स्वीकार कर लिया है । उदाहरणार्थ इंगलैंड, चीन, सोवियत संघ और अमरीका ने तुरन्त लाओस आयोग के लिये १००,००० अमरीकी डालर देना मान लिया है । हिन्द-चीन में दूसरे आयोगों के बारे में अभी कुछ हिसाब निलम्बित है और फ्रांस, इंगलैंड तथा रूस कुछ देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या आयोग ने भारत सरकार से और कुछ ऋण मांगा है और यदि हां, तो कितनी राशि का ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** ऋण लेने का प्रश्न नहीं है ; वे उनके कथनानुसार प्रति मास ६५,००० पौंड खर्च कर रहे हैं जो काफी राशि है । और वे लगातार इस राशि की मांग कर रहे हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** भारत सरकार को यह राशि देने के लिये कौन से देश उत्तर-दायी हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैंने कुछ देशों के नाम बताये हैं। वे सब इसमें अंशदान देंगे ।

श्री विभूति मिश्र : पहले भारत सरकार रुपया दे देती है और उसके बाद इन देशों से बाद में लेती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा कायदा नहीं है कि कमीशन के लिए सभी देश एक साथ भारत सरकार को रुपया भेज दिया करें ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह कायदे कानून की बातें नहीं हैं। यह तो कुछ इंतजाम की बातें हैं। चूंकि कमीशन का चेयरमैन भारत का है, कुछ जिम्मेदारी उसकी काम चलाने की बढ़ जाती है और जब उसके पास पैसे की कमी होती है तो हम से मांगते हैं। हम उन्हें देते गये हैं और अन्य मुल्कों से लेते हैं ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** इस आयोग के व्यय में भारत सरकार का कितना अंश है और भारत सरकार ने इस आयोग के व्यय के लिये अभी तक कुल कितनी राशि दी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हो सकता है कि इस में शुद्धि की जरूरत हो, भारत सरकार कुछ नहीं देती, और केवल वहां स्थित भारतीय कर्मचारियों का वेतन देती है । परन्तु अन्य सब खर्च दूसरे संबद्ध देशों का है । भारत सरकार धन देती है जब जरूरत होती है और अन्य देशों से उसे लेती है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** यह आयोग वहां पहले भी था और इसके वित्तीय मामले पहले ही तय हो चुके होंगे । इस आयोग का खर्च कैसे चलता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं समझता हूं कि ये विभिन्न देशों के समान खर्च करते हैं। वास्तविक राशि व्यय पर निर्भर होती है । किसी नियत राशि के बीच उनको अपना बजट नहीं बनाना पड़ता । कभी यह अधिक होती है और यह अधिकाधिक होती जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राजेश्वर दयाल का त्यागपत्र

†*६. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनीलाल :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री बलराज मधोक :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री आचार :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री विभूति मिश्र :
श्री वाजपेयी :
श्री हेम बरुआ :
श्री डामर :
श्री तंगामणि :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री राजेश्वर दयाल ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के पद से इस्तीफा दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) श्री राजेश्वर दयाल ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से प्रार्थना की है कि उन्हें संयुक्त राष्ट्रसंघ की सेवा से मुक्त कर दिया जाए और महा सचिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है । श्री दयाल को वहां की सेवा से मुक्त कर दिया गया है और वह पाकिस्तान में हमारे उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिये गये हैं ।

(ख) सरकार को खुशी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने श्री दयाल की सेवाओं की सराहना की है । सरकार महासचिव के इस वक्तव्य से सहमत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये श्री दयाल ने विशेष प्रतिनिधि के रूप में जो काम किया है वह सर्वोत्तम योग्यता और उच्च स्तर के साथ किया है, तथा उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रति उनकी पूर्ण स्वामिभक्ति है एवं उन्होंने अडिग निष्ठा का परिचय दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० गं० देव :** क्या श्री दयाल का पदत्याग करने का यह कारण था कि कांगो में पश्चिमी राजनयिकों ने दबाव डाला था ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** पदत्याग का प्रश्न नहीं है । उन्होंने महासचिव से प्रार्थना की कि उन्हें कार्यभार से मुक्त कर दिया जाए । वह प्रार्थना मान ली गई और वह स्वदेश लौट आये । यहां 'पदत्याग' शब्द उचित नहीं है ।

†**श्री नाथ पाई :** 'पदत्याग' इस बात को व्यक्त करने के लिये कोमल शब्द प्रतीत होता है कि बहुत समय से महासचिव पर क्रमबद्ध दबाव डाला जा रहा था कि श्री दयाल को हटा दिया जाये । अब एक निर्विवाद सचाई सभा से छिपाई जा रही है । हो सकता है प्रविधिक रूप से पदत्याग न हो । परन्तु हम जानना चाहते हैं कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ देशों के, विशेष कर श्री राजेश्वर दयाल के स्वतंत्र रवैये के कारण इस दवाब के सामने झक गया था ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर विभिन्न पक्षों की ओर से पर्याप्त दबाव डाला जा रहा था । परन्तु हम कैसे यह कह सकते हैं कि कितनी मात्रा तक उस दबाव का अन्य कार्रवाइयों पर प्रभाव पड़ा ? अन्ततोगत्वा, कई कारणों से स्थिति ऐसी हो गई, अंशत: इस कारण कि कांगो की स्थिति में कुछ सुधार हो गया था और अंशत: इस कारण कि श्री राजेश्वर दयाल के कुछ व्यक्तिगत कारण थे, इसलिये उन्होंने अनुभव किया कि वहां उनका उपयोग सीमित हो रहा था— अत: उन्होंने उस पद को छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया । विभिन्न साधनों से पता लगाना और इन सब बातों का संतुलन करना माननीय सदस्यों का काम है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि श्री राजेश्वर दयाल के त्यागपत्र से यह सिद्ध होता है कि सुरक्षा परिषद् के ढांचे में कुछ इस प्रकार की दुर्बलताएं उत्पन्न हो गयी थीं कि जिन से श्री राजेश्वर दयाल जैसे गंभीर कार्यकर्त्ता को अपना त्यागपत्र देना पड़ा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उन के त्यागपत्र से तो यह बात कोई निकलती नहीं है लेकिन वाकयात से अलबत्ता कुछ जरूर निकलती है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** प्रधान मंत्री ने अभी कहा है कि कुछ राष्ट्रों के कुछ राजनयिकों ने काफी दबाव डाला था कि श्री दयाल को हटा दिया जाये । वे राष्ट्र कौन से हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं समझता कि यह गुप्त बात है, परन्तु मैं उन राष्ट्रों के नाम बताना उचित नहीं समझता । परन्तु यह बता सकता हूं कि जिन राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इस प्रकार का दबाव डाला उन्हें स्वयं कांगो से हटा दिया गया ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** संयुक्त राष्ट्र सभा में माननीय मंत्री द्वारा व्यक्त विभिन्न कार्य और नीतियां प्राय: सभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और कांगो में उनका प्रयोग किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में यह कैसी बात है कि कांगो की सरकार और कुछ पश्चिमी राष्ट्र हमारे प्रतिनिधि को नहीं चाहते थे जो उन्हीं नीतियों को वहां कार्यान्वित करता था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकार की गई थीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अनुमान है कि वे संबद्ध राष्ट्र उन नीतियों के पक्ष में नहीं थे ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : प्रधान मंत्री ने जो कुछ हमें बताया है उसको ध्यान में रखते हुये, कि राजेश्वर दयाल को संयुक्त राष्ट्र संघ में उन के पद से हटानेके लिये दबाव डाला गया, सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को यह बताने के लिये क्या किया है कि हमारे राष्ट्रजनों की सेवाओं को संयुक्त राष्ट्र के लिये देना ठीक नहीं है यदि अत्यधिक सन्देहास्पद कारणों से उनको निष्ठा के पथ से हटाने के प्रयत्न किये जाते हैं जिस पर कि इस मामले में श्री दयाल अपनी सब योग्यताओं के साथ चलने का प्रयत्न कर रहे थे ? इस प्रकार के फरेब नहीं करने दिये जायेंगे संयुक्त राष्ट्र को यह बताने के लिये भारत सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कांगो का यह मामला अत्यधिक पेचीदा था । जहां स्थिति दिन प्रतिदिन बदलती थी और जहां स्वभावतः एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू यह था कि स्थानीय स्थिति क्या है । बाहर का कितना भी दबाव हो वह औपचारिक रूप से ज्यादा अन्तर पैदा नहीं कर सकता, अब तक कि इसका स्थानीय स्थिति पर प्रभाव न पड़े । वहां ऐसा ही होता रहा है । हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्राधिकारियों को अपने लोगों के द्वारा सूचित करते रहे हैं कि उस स्थिति में हमारे क्या विचार थे ।

पाकिस्तान में भारतीय व्यापारी फर्म

+

*७. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री नवल प्रभाकर :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में कुछ भारतीय व्यावसायिक फर्मों को बिना मुआवजा दिये अपने अधिकार में ले लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय व्यापारियों को अपनी आय का धन भी भारत नहीं लाने दिया जाता ;

(ग) एसी फर्मों की संख्या कितनी है और उनमें कितना धन लगा हुआ है ; और

(घ) भारत सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या किया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार के ध्यान में ऐसे कई मामले आये हैं जिनमें भारतीय फर्मों को पाकिस्तान में कमाया हुआ लाभ धन भेजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

(ग) पाकिस्तान में लगभग ६० बड़ी भारतीय फर्में हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया ने विदेशों में भारत की देयताओं और परिसंपत्तियों (लाइबिलिटीज़ एण्ड एसेट्स) का जो पता लगाया था, उसके अनुसार, भारत की पाकिस्तान में लगी हुई प्राइवेट पूंजी ३१-१२-१९५५ को इस प्रकार थी :—

(करोड़ रु० में)

(१) भारतीय ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों द्वारा पाकिस्तानी शेयरों डिबेंचरों और सिक्योरिटियों में लगाई गई पूंजी . .	१७.५६
(२) भारत में रहने वाले लोगों और भारतीय साझेदारी फर्मों की ओर से जो बैंकिंग कम्पनियां नामजद होकर, एजेंट या संरक्षक (कस्टोडियन) बनकर काम करती हैं, उनके द्वारा पाकिस्तानी सिक्योरिटियों, शेयरों और डिबेंचरों में लगाई गई पूंजी	००.२७
कुल	१७.८३

इन आंकड़ों में वह पूंजी शामिल नहीं है जो भारत में रहने वाले लोगों और भारतीय साझेदारी फर्मों ने सीधे लगाई है। उक्त तारीख के बाद की जानकारी सुलभ नहीं है क्योंकि बैंक ने उसके आगे सर्वेक्षण नहीं किया। लेकिन बैंक ने यह बताया है कि इस संबंध में उसके पास जो सूचना है, उसके अनुसार स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है।

(घ) भारतीय फर्मों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनसे संबद्ध सभी मामलों पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ लिखा-पढ़ी की जा रही है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान ने जो रुकावटें लगाई हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की मंत्रणा के प्रतिकूल हैं जिसे दोनों पक्ष लेते हैं जबकि पाकिस्तान और भारत दोनों उस निधि के सदस्य हैं ? क्या ये विनिमय नियंत्रण नियमों के भी प्रतिकूल नहीं है जो इन देशों द्वारा पारस्परिक आधार पर बनाये गये थे ? मैं समझती हूं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा विदेशी मुद्रा नियंत्रण दोनों के नियमों के प्रतिकूल है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के कुछ नियमों के प्रतिकूल पाकिस्तान सरकार जो कार्रवाइयां करती रही है इस बारे में जो प्रश्न है उसका उत्तर देना मेरे लिये कठिन है। मेरा विश्वास है उनमें से कुछ कार्रवाइयां उन नियमों के विपरीत हैं। मैं यह नहीं जानता कि आया माननीय सदस्य के इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना संभव है। यदि वह चाहती हैं तो हमें बता दें हम सूचना दे देंगे।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान ने जिन फर्मों को ले लिया है उन्हें पाकिस्तान में किसी विधिगत उपचार का भी अधिकार नहीं दिया गया जो प्रत्येक का सामान्य अधिकार होता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्या यह भूलती हैं कि पाकिस्तान में सैनिक विधि है। सैनिक विधि के अन्तगत कोई साधारण विधिगत उपचार नहीं हुआ करता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० चं० गुह** : पाकिस्तान में ऐसी कितनी राशि रुकी हुई है जो यहां भेजी जानी चाहिये थी और क्या वहां भारतीय लोगों की कोई बाणिज्यिक या औद्योगिक फर्में पाकिस्तान सरकार द्वारा लगाई गई इन या अन्य रुकावटों के कारण वास्तव में ही बन्द हो गई हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हो सकता है कुछ बन्द हो गई हों, परन्तु एक विशष मामले में बहुत ज्यादती हुई है, जो चितरंजन रूई मिलों का है, क्योंकि वह विभाजन से पहले से एक बड़ी फर्म है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है । पाकिस्तान सरकार ने उन मिलों पर पिछले दिसम्बर में कब्जा कर लिया और इस बहाने से, कि उन मिलों का लोकहित की दृष्टि से उचित प्रबन्ध नहीं होता था, कोई प्रतिकर भी नहीं दिया । हमने कई बार इस ओर उस सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया है क्योंकि हम समझते हैं कि यह उस फर्म के साथ अन्याय हुआ है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या यह भी सच है कि कुछ लोगों को जो इन फर्मों की व्यवस्था करते थे, १० से लेकर १५ वर्ष तक के लम्बे कारावास का दंड दिया गया है और उनकी समस्त सम्पत्ति जब्त कर ली गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मुझें एक मामले का पता है जिसमें प्रबन्धक को लगभग ५ वर्ष कारावास का दंड दिया गया था, परन्तु अब वह हटा दिया गया है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : दूसरा मामला भी था.....

†**अध्यक्ष महोदय** : राजा महेन्द्र प्रताप ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : जब मार्शल अयूब खां ने संयुक्त राष्ट्र प्रतिरक्षा का प्रस्ताव किया है तो कठिनाई कहां है ? आप उसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते ? क्योंकि उससे सब प्रश्न हल हो जाते हैं और पाकिस्तान से मिलने वाली धमकियां बन्द हो जायेंगी ?

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : भारतीय वाणिज्यिक फर्मों को प्रतिकर न देने के लिये पाकिस्तान सरकार ने क्या कारण दिया है ? क्या भारत में भारत सरकार ने किसी मुसलमान फर्म पर बिना प्रतिकर दिये कब्जा किया है और यदि नहीं, तो भारत सरकार कैसे इन बातों को बर्दाश्त कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : भारत सरकार हिन्दू फर्मों और मुसलमान फर्मों के साथ नहीं अपितु राष्ट्रजनों की फर्मों से संबंध रखती है चाहे वे कोई भी हों, और जो राष्ट्रजन नहीं हैं, उनके साथ उस आधार पर बर्ताव करती है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : जिन भारतीय फर्मों का विवरण दिया गया है, जिनको पाकिस्तान सरकार ने बिना मुआवजा दिये हुये अपने अधिकार में कर लिया है, क्या वे फर्में पूर्वी पाकिस्तान में हैं, या उनमें से कुछ पश्चिमी पाकिस्तान में भी हैं ? इस प्रकार के कितने कनसर्न्ज पाकिस्तान में हैं, जिनको पाकिस्तान सरकार ने अभी अपने अधिकार में नहीं लिया है और उनकी सुरक्षा के लिये भारत सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ये सवाल तो ज्यादातर पूर्वी पाकिस्तान के उठे हैं । मैं यकायक नहीं कह सकता कि पश्चिमी पाकिस्तान में ऐसे केसिज़ हुये हैं या नहीं । गालिबन कुछ होंगे, लेकिन मेरे पास तफसील नहीं है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : माननीय वित्त मंत्री ने बताया है कि उनको पांच वर्ष के कारावास का एक मामला मालूम है, मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह उन मामलों की जांच करवाये,

---

†मूल अंग्रजी में

जिनमें वित्तीय ढंग के सौदों में भारतीय राष्ट्रजनों को दीर्घकालीन कारावास का दंड दिया गया है, और उस जांच का परिणाम सभा पटल पर रखे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम निश्चय ही इस मामले में जांच करेंगे ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के नक्शे में काश्मीर का स्थान

†

†८. { **श्री हेमराज :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मन्त्री** १६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ के नक्शे में काश्मीर का स्थान गलत दिखाये जाने के संबंध में सरकार को संयुक्त राष्ट्रसंघ सचिवालय से इस बीच कोई उत्तर मिला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर मिला है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). बहुत से अनुस्मारकों के बावजूद कोई औपचारिक उत्तर नहीं आया । १५ जून को संयुक्त राष्ट्रसंघ में हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने महा सचिव से बातचीत की और उन्होंने मामले की जांच करने की प्रतिज्ञा की । अग्रतर उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री हेमराज** : पहला अभ्यावेदन कब किया गया था और यह मामला कब से विचाराधीन है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : पहला अभ्यावेदन १७ दिसम्बर, १९५८ को किया गया था और अंतिम २६ अगस्त, १९६० को ।

श्री अ० मु० तारिक : अक़वामे मुत्तहिदा ने यह ग़लत नक्शा छाप कर एक तरीके से पाकिस्तान के ग़लत मुतालिबे को तस्लीम किया है। मैं हुकूमते हिन्द से यह जानना चाहता हूं कि अपने हक़ को, जो कि दुरुस्त है, मनवाने के लिये और इस नक्शे को तब्दील करवाने के लिये हम कितने साल से कोशिश कर रहे है और अगर इस सिलसिले में कोई खतो-किताबत हुई है, तो क्या वज़ीरे आज़म उस खतो-किताबत को इस हाउस के सामने रखेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ज़ाहिर है कि जब ऐसे सवाल किये जाते हैं, जिनके जवाब देने में परेशानी या दिक्कत हो, तो उनके जवाब आसानी से नहीं मिलते हैं । और जब वह एक ऐसा सवाल हो, जिसमें दो मुल्कों के आपस में बहस में पड़ने की बात हो, तो कोशिश की जाती है कि जहां तक बन पड़े, जवाब न दें, क्योंकि जो भी जवाब वे दें, तो परेशानियां होती हैं । इसमें कोई ताज्जुब नहीं है । हां, हम उनको याद दिला सकते हैं और अपनी जगह साफ़ रखना चाहते हैं । और कोई ज़रिया नज़र नहीं आता कि हम किस तरह युनाइटिड नेशन्ज़ में इस सवाल को उठायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथपाई :** चूंकि हमें यह कड़वी शिक्षा मिली है कि नक्शों की गलतियां बहुत महंगी सिद्ध हो सकती है जैसा कि चीन के मामले में हुआ है, क्या हम राष्ट्रसंघ में इस बात के लिए अधिक निश्चित एवं प्रभावपूर्ण कदम उठायेंगे कि इस गलती को तुरन्त सुधारा जाय और केवल इतने से ही सन्तुष्ट न रहें कि विरोध प्रकट किया जा चुका है क्योंकि विरोध तो हमने चीन से भी प्रकट किया था परन्तु हमने देखा कि उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं समझता हूं कि यह मामला काश्मीर से संबंधित है। मैं नहीं समझता कि हम राष्ट्रसंघ के सम्बन्ध में बार बार उनका ध्यान आकर्षित करने के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं ?

†**श्री नाथपाई :** हम राष्ट्रसंघ के साथ सहयोग कर रहे हैं। भारत सरकार को इस बात पर जोर देना होगा कि काश्मीर हमारे लिए इतना महत्व रखता है कि इस निकाय को ऐसे नक्शे नहीं बनाने दिया जा सकता जो भारत के हितों का गलत चित्रण करते हों। आप राष्ट्रसंघ के प्रत्येक कार्य में बहुत ईमानदारी से सहयोग कर रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वह जो मत प्रकट कर रहे हैं उससे मैं सहमत हो सकता हूं परन्तु हो सकता है कि राष्ट्रसंघ उनके अथवा मेरे मत से पूर्णतः सहमत न हो। हम इसके सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं ?

†**श्री हीं० ना० मुकर्जी :** यह प्रश्न राष्ट्रसंघ की हमारे साथ सहमति अथवा असहमति का नहीं है। हमारा देश पूर्ण स्वतंत्र है और इसी आधार पर हम राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और हम जानते हैं कि हमारी सीमायें क्या हैं। काश्मीर के सम्बन्ध में हमारी बात ही मानी जानी चाहिये। राष्ट्रसंघ का उससे कोई सरोकार नहीं है परन्तु वे काश्मीर की सीमाओं के सम्बन्ध में विवाद खड़ा कर रहे हैं। क्या हम इस प्रकार की चीज़ के सामने झुक जायेंगे। हम तीन तीन साल बाद पत्र लिखने और उत्तर भी न पाने के अतिरिक्त और क्या करने जा रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य इसके सम्बन्ध में क्या करने के लिए कह रहे हैं। हम सिवाय अपने दृष्टिकोण पर जोर देने के और कर ही क्या सकते हैं ?

†**श्री रंगा :** क्या वह नक्शा अभी भी परिचालित किया जा रहा है अथवा राष्ट्रसंघ ने उसे वापस ले लिया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** राष्ट्रसंघ के समस्त प्रकाशनों में काश्मीर की स्थिति को अंकित करने के लिये टूटी हुई रेखाओं का प्रयोग किया गया है। हमने इस मामले के सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ को विस्तारपूर्वक लिखा है जिसमें यह संकेत किया गया है कि उनके कानूनी सलाहकार--भारत और पाकिस्तान के लिए राष्ट्रसंघीय आयोग--ने यह संकेत किया है कि काश्मीर का भारत में प्रवेश विधिवत था। इसलिये हमने इस बात पर जोर दिया कि ये टूटी हुई रेखायें सही स्थिति नहीं दिखाती हैं। परन्तु महासचिव के कार्यकारी सहायक श्री एण्ड्रॉडियर ने इसके उत्तर में एक वक्तव्य

†मूल अंग्रेजी में

में यह कहा है कि चूंकि यह मामला सुरक्षा परिषद् के न्यायाधीन है इसलिये यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती। महासचिव के सहायक ने यह उत्तर दिया है।

कुछ माननीय सदस्य उठे —

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति क्या माननीय सदस्य इस मामले का निर्णय इस प्रश्न के सम्बन्ध में करना चाहते हैं ? मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों को इस बार भी विदेश-सम्बन्धों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा और तब वे यह बता सकते हैं कि प्रधान मंत्री को क्या करना चाहिये। प्रश्नों के घण्टे में हम इसका निपटारा नहीं कर सकते हैं। समस्त उपलब्ध सूचना यहां पेश कर दी गई है।

†**श्री नाथपाई :** वह भ्रामक नहीं होनी चाहिये। न्यायाधीन क्या है ? क्या प्रवेश न्यायाधीन है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह उपमंत्री महोदया का मत नहीं है। उन्हें उत्तर मिला है कि यह मामला न्यायाधीन है। यह उनका मत है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या माननीय मंत्री राष्ट्रसंघ से प्राप्त उस पत्र की एक प्रति सभा के पटल पर रखेंगी ताकि हम उसे देख सकें ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** वह कोई पत्र नहीं है वरन् श्री एण्ड्रकॉडियर द्वारा दिया गया वक्तव्य है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उसे पढ़ कर सुना सकती हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह पत्र के रूप में ही होगा।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** उनसे कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। उन्होंने एक प्रेस वक्तव्य दिया था जो इस प्रकार है :

> "कुछ सप्ताह बाद १६ जनवरी, १९५९ को इस विषय पर महासचिव के कार्यकारी सहायक द्वारा एक प्रेस कान्फ्रेंस में एक वक्तव्य दिया गया था जो निम्न प्रकार है :
>
> 'इस मामले में राष्ट्रसंघ सचिवालय का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। मैं समझता हूं कि उसके निर्वचन के सम्बन्ध में बहुत गलतफहमी रही है। राष्ट्रसंघ के नक्शे में जम्मू तथा काश्मीर को पाकिस्तान के भाग के रूप में नहीं दिखाया गया है। नक्शे में दोनों देशों के बीच सीमान्त राज्यक्षेत्र में टूटी हुई रेखा है। वह इस बात की द्योतक है कि काश्मीर का समस्त विषय न्यायाधीन है और सचिवालय को वास्तव में वही रेखा माननी चाहिये। जो सुरक्षा परिषद् द्वारा मानी जाये। हमारे लिए वैसा करते रहने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।' "

---

†मूल अंग्रेजी में

भारी ढांचे और जलपोत परियोजनाएं

†

†*९. श्री पांगरकर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नेकराम नेगी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में भारी ढांचे और परियोजनाएं स्थापित करने के लिये परियोजनाओं और स्थान के बारे में इस बीच कोई निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया है ; और

(ग) उनके लिए कौन कौन से स्थान चुने गये हैं ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : सरकार को अंतिम निर्णय पर पहुंचने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : निर्णय शीघ्र ही हो जायेगा । ब्रिटिश दल यहां आया था और करार की समस्त मदों पर अंतिम निर्णय किया जा चुका है । वास्तविक स्थान के सम्बन्ध में निर्णय बहुत शीघ्र कर लिया जायेगा ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : इस संयंत्र की स्थापना के लिये कौन कौन से राज्यों ने प्रस्ताव पेश किए है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वर्तमान स्थिति में उसके महाराष्ट्र में वर्धा में स्थापित किए जाने की संभावना है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मैं अन्य राज्यों के नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने इस संयंत्र की स्थापना के लिये भारत सरकार से अभ्यावेदन किया है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में इन विभिन्न परियोजनाओं के लिये प्रायः प्रत्येक राज्य यह संकेत करता रहा है कि प्रत्येक परियोजना उस क्षेत्र में स्थापित की जानी चाहिये । मैं सभा को यह आश्वासन दे चुका हूं कि सरकार की यह नीति है कि औद्योगिक दृष्टि से घने क्षेत्रों को छोड़ते हुए प्रत्येक राज्य को हमारे सरकारी क्षेत्र के और इंजीनियरिंग उद्योगों का लाभ प्राप्त हो सके ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अनेक माननीय सदस्यों ने यह अनुरोध किया है कि प्रश्न संख्या ५८ को लिया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह :** मैंने प्रश्न संख्या ४५ के लिये जाने का नोटिस दिया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी गई शस्त्रास्त्र सहायता के सम्बन्ध में है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** प्रश्न संख्या ४४ भी लिया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं प्रश्न ४५ लेता हूं ।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र की सहायता

\+

†*४५. **श्री आसर :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री साधन गुप्त :
श्री कालिका सिंह :
श्री वाजपेयी :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रेसीडेण्ट अय्यूब की अमरीकी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के प्रेसीडेण्ट अय्यूब खां और अमरीका के प्रसीडेण्ट केनेडी की उस संयुक्त विज्ञप्ति का अध्ययन कर लिया है जो दोनों की हाल की वार्ता के सम्बन्ध में जारी की गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान को आधुनिक शस्त्रास्त्र की और अधिक सहायता देने का वचन दिया है ;

(ग) क्या अमरीकी सरकार का काश्मीर के मामले में मध्यस्थता करने का कोई इरादा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) सरकार ने वह विज्ञप्ति देखी है ।

(ख) हमें निश्चित नहीं मालूम परन्तु हमारी जानकारी के अनुसार हाल में कुछ आधुनिक विमान पाकिस्तान को दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जहां तक हमारी जानकारी है नहीं।

(घ) पाकिस्तान के भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैये की दृष्टि से पाकिस्तान को दी गई कोई भी सैनिक सहायता भारत के लिए चिन्ता का विषय है।

†**श्री वाजपेयी** : चूंकि पाकिस्तान के प्रेसीडेण्ट ने काश्मीर में सैनिक कार्यवाही की धमकी दी है, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से इस प्रकार का निश्चित आश्वासन प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है कि अमेरिकी शस्त्रास्त्र का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जायेगा और क्या प्रधान मंत्री के संयुक्तराज्य अमेरिका जाने के पूर्व इस प्रकार का आश्वासन प्राप्त किया जायेगा ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान संयुक्त राज्य अमरीकी सरकार के राज्य अवर सचिव द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर आकर्षित करूंगा जो आज के समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है।

†**श्री वाजपेयी** : क्या श्री बोल्स का वक्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार का आश्वासन समझा जा रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के सदस्य हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उस वक्तव्य में उन्होंने यह कहा है कि भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में अमेरिका भारत की सहायता करेगा। क्या इसका मतलब यह है कि जहां तक अमेरिका और पाकिस्तान का संबंध है आइजनहोवर का १९५४ का सिद्धान्त और "सीटो' तथा 'सेन्टो' मृतप्राय हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खेद है कि मैं प्रश्न समझ नहीं सका।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : श्री बोल्स के वक्तव्य में कहा गया है कि भारत पर कोई आक्रमण होने की स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की सहायता करेगा। यदि ऐसा है तो क्या हम यह समझें कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच १९५४ का करार और 'सीटो' तथा 'सेन्टो' मृतप्राय हो गये हैं जहां तक पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ये मामले संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान के बीच के हैं। भारत का उनसे कोई संबंध नहीं सिवाय इसके कि कुछ बातें, ऐसी होती हैं जिनके भयंकर परिणाम हमारे सामने आते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें श्री चेस्टर बोल्स अथवा संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार के अन्य प्रमुख सदस्य द्वारा अपने इरादे के संबंध में कही गई बातों को स्वीकार कर लेना चाहिये। यह उनका विचार और इरादा है। कठिनाई यह है कि उनके विचार अन्य पक्ष पर बाध्य न हों। वास्तविक कठिनाई.....

(अन्तर्बाधायें)

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ऐसी बातों की पूर्व कल्पना क्यों करते हैं ?

†**श्री वाजपेयी** : श्रीमान्, पाकिस्तान द्वारा अफगान राष्ट्रजनों के विरुद्ध अमेरिकी शस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें दो प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूँ।

†**श्री आसर** : क्या यह सच नहीं कि पाकिस्तान को अमेरिकी शस्त्रों की सहायता के विस्तार के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच अत्यधिक सैनिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है और यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रतिरक्षा के मामलों की चर्चा इस प्रकार नहीं की जाती है। जाहिर है कि यदि पाकिस्तान को नवीनतम टाइप के सुपरसॉनिक विमान आदि मिलते हैं तो पाकिस्तान की स्थिति कुछ ऊंची हो जाती है परन्तु हमें सम्पूर्ण स्थिति देखनी चाहिये। यह हमारे लिये चिन्ता का विषय है अतः अपने ऊपर होने वाले आक्रमण का सामना करने के लिए हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिये।

†**श्री नाथपाई** : जब किसी पक्ष को शस्त्र दे दिये जाते हैं तो उनके प्रयोग का निर्णय वही पक्ष करता है। 'नेटो' के अन्तर्गत फ्रांस और पुर्तगाल को शस्त्र संभरण किया गया था....

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न क्या है?

†**श्री नाथपाई** : सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? फ्रान्स और पुर्तगाल दोनों उनका प्रयोग उन लोगों के विरुद्ध कर रहे हैं जो स्वतंत्रता के लिये लड़ रहेहैं। हमें संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से यह गारण्टी मिली है कि वे उनका प्रयोग हमारे विरुद्ध नहीं करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? क्या भारत सरकार इस आश्वासन से संतुष्ट है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारे संतोष अथवा गारण्टी मांगने का कोई प्रश्न नहीं है। जैसा कि मैं कह चुका हूं संसार की समस्त गारण्टियां यह गारण्टी नहीं करती है कि अन्य पक्ष कोई कार्य नहीं करेगा। हमें स्थिति का सामना करना होगा और उसके लिए भरसक तैयार रहना होगा।

†**श्री हेम बरुआ** : चूंकि संयुक्त विज्ञप्ति में प्रयुक्त 'विस्तृत सहायता' (एक्सटेंडेड एड) शब्दों के बारे में बहुत विवाद है और प्रोफेसर गैलब्रेथ ने यह कहा है कि इन शब्दों का तात्पर्य पाकिस्तान को अधिक सैनिक सहायता नहीं है, क्या भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार से यह मालूम किया है कि "पाकिस्तान के विस्तृत सैनिक सहायता" (एक्सटेंडेड मिलिटेरी एड टु पाकिस्तान) शब्दों का क्या तात्पर्य है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जब संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के प्रतिनिधि कोई बात कहते हैं तो हमें उसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के मत के रूप में ही स्वीकार करना चाहिये। यह मत केवल यहां के अमरीकी राजदूर और संयुक्त राज्य अमरीकी सरकार के राज्य अवर सचिव ने ही व्यक्त नहीं किया है वरन् वाशिंगटन में भी अन्य व्यक्तियों द्वारा वैसा मत व्यक्त किया गया है। मेरा निवेदन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के इरादे और प्रयोजन से समस्त खतरे दूर नहीं हो जाते हैं क्योंकि दूसरा पक्ष भी है और उसी का निर्णय अंतिम होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री वाजपेयी** : पाकिस्तान के इरादों को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से यह क्यों नहीं कहा गया कि पाकिस्तान को शस्त्र देना भारत के प्रति अमित्रतापूर्ण कार्य समझा जायेगा।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम इन मामलों के संबंध में अनेक बार चर्चा कर चुके हैं जबसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को यह सैनिक सहायता दी गई है। गत कुछ वर्षों में हमने अनेक बार उनका ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया है। यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को किसी प्रकार की चेतावनी दें तो वैसा हमने नहीं किया है और वैसा करने का हमारा विचार भी नहीं है। परन्तु अपनी स्थिति हमने उनको सर्वथा स्पष्ट कर दी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सूती वस्त्र की कीमतें

†*१०. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशुल्क आयोग ने सूती वस्त्र की उत्पादन लागत और कीमतों के बारे में अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई रिपोर्ट मिली है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मैथानोल संयंत्र सिन्दरी

†११. { **श्री नेकराम नेगी** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिन्दरी में मेथानोल संयंत्र की बिक्री के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) वे प्रस्ताव अपर्याप्त पाए जाने के कारण नामंजूर कर दिए गए।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांस्टीट्यूशन क्लब

†*१२. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री अमजद अली :
श्री नाथपाई :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंस्टीट्यूशन हाउस नामक सरकारी होस्टल में बुरी हालत के बारे मे कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) वास्तव में शिकायतें क्या हैं ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)**: (क) और (ख). नलों और छतों के टपकने, खिड़कियों और पेंटिंग आदि के बारे में सामान्य शिकायतें होस्टल से संबद्ध केन्द्रीय लोक कर्म विभाग के पूछताछ के दफ्तर में प्राप्त होती हैं । इसी प्रकार भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में भी कुछ छोटी मोटी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) केन्द्रीय लोक कर्म विभाग के पूछताछ के दफ्तर मे प्राप्त शिकायतों की तुरन्त कार्यवाही की गई थी । भोजन व्यवस्थापक को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दे दी गई है ।

सरकारी कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत

†*१३. **श्री अमजद अली :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुन्नीलाल :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार तथा उसके कर्मचारियों के बीच संयुक्त परामर्श तथा मध्यस्थ निर्णय के लिए एक प्रणाली कायम करने के प्रस्तावों पर बातचीत की है ;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए कितने कर्मचारी संगठनों को आमंत्रित किया गया था और वे कौन कौन से संगठन थे ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय किया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)** (क) से (ग). श्रम मंत्री ने केन्द्रीय सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच संयुक्त परामर्श और विवाचन के लिये

†मूल अंग्रेजी में

यंत्र की स्थापना के प्रस्ताव के सम्बन्ध मे कुछ सरकारी कर्मचारियों के साथ अनौपचारिक चर्चा की थी । इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

†*१४. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनीलाल :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन उद्योगों की स्थापना के समय से ही उन उद्योगों के कर्मचारियों को रहने की जगह देना अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव पर इस बीच योजना आयोग के साथ चर्चा की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की चर्चा हुई और उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) उसका क्या नतीजा निकला ?

†**निर्माण आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) से (ग). प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है और उसके सम्बन्ध में योजना आयोग के साथ चर्चा कुछ समय बाद की जा सकेगी ।

पटसन के माल का निर्यात

†*१५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन के माल के निर्यात में कमी जनवरी-जून १९६१ में भी जारी रही ; और

(ख) पटसन के माल की ऊंची कीमतों को घटाने के लिए इस अवधि में क्या कार्यवाही की गयी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) हां, श्रीमान् । मार्च, १९६१ के अन्त तक के निर्यात आंकड़ों के आधार पर ।

(ख) कच्चे पटसन के मूल्य को देखते हुए उद्योग से स्वेच्छा से मूल्य स्तर को स्थिर रखने के लिए अनुरोध करने के अतिरिक्त पटसन (लाइसेंसिंग तथा कंट्रोल) आदेश प्रस्थापित किया गया था जिसमें पटसन के माल के मूल्य निर्धारण, स्टाक की अधियाचना आदि का उपबन्ध था । चूंकि मूल्य गिरने लगे इसलिए कोई अग्रेतर कदम नहीं उठाए गए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खान मशीन संयंत्र, दुर्गापुर

†*१६. श्री कुन्हन :
श्री त० व० विट्ठलराव :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खनन मशीन संयंत्र, दुर्गापुर में उत्पादन कब आरम्भ होगा ;

(ख) प्रारम्भिक अवस्थाओं में किस प्रकार के उपकरण तैयार किये जायेंगे ; और

(ग) वाइंडिंग इंजन कब तक तैयार किये जायेंगे ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) १९६३ के अन्त तक ।

(ख) सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प, सैण्ड पम्प, डायरेक्ट हालेज, एण्डलैस हालेज, मेन एक्सियल पंखे, बूस्टर पंखे, स्क्रेपर चेन कन्वेयर्स और वैल्ट कन्वेयर्स ।

(ग) वाइंडिंग इंजनों के वर्ष १९६५ में निर्माण किए जाने की संभावना है ।

समुद्री मीन क्षेत्रों के लिये उपकरण

†*१७. श्री कोडियान : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री, २१ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २००४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री मीन क्षेत्रों के लिए उन्नत ढंग के उपकरण देश में तैयार करने के विषय पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति ने सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो वह क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). श्रीमान्, अभी तक नहीं ।

कृत्रिम रबड़ का कारखाना, बरेली

*१८. श्री भक्त दर्शन : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २२ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली (उत्तर प्रदेश) में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थापित करने मे इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

बरेली (उत्तर प्रदेश) में कृत्रिम रबड़ के कारखाने की सम्पूर्ण रूप-रेखा अन्तिम रूप से तैयार की जा चुकी है । यह कारखाना मेसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, बम्बई द्वारा अमरीका के मेसर्स फारस्टोन के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है । रहने की बस्ती

†मूल अंग्रेजी में

बन कर तैयार हो जाने वाली है और रेल की लगभग ४ मील लम्बी बड़ी लाइन बिछाई जा चुकी है । कारखाना बनाने तथा रहने की बस्ती दोनों के लिये बिजली और पानी का आवश्यक प्रबन्ध पहले ही किया जा चुका है । परियोजना के लिये प्रमुख कच्चा माल अर्थात् अल्कोहल पर्याप्त परिमाण में प्राप्त करने के लिये कार्रवाई की जा रही है ।

कम्पनी ने १०० रुपये वाले ४,५०,००० साधारण शेयर जारी किये हैं और उनकी पूरी राशि प्राप्त कर ली गयी है ।

आयात किये जाने वाले संयंत्र और मशीनों का लगभग एक-चौथाई भाग आ चुका है जो कारखाने की जगह को भेजा जा रहा है । कारखाने की नींव रखी जा रही है उपकरणों का एक हिस्सा देश में लिया जाने वाला है, और उसके आर्डर दिये जा चुके हैं ।

कारखाने के निर्माण का काम एक करार के अधीन मेसर्स लुमुस कम्पनी, लन्दन को सौंपा गया है; अपेक्षित संख्या में विदेशी टेक्नीशियनों के सेवा-संविदाओं के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है । इनमे से लगभग एक दर्जन भारत में पहुंच भी गये है और वे परियोजना का काम कर रहे है । वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने के पश्चात् आशा है निर्माण का काम और भी तेजी से हो सकेगा । संयंत्र के चीफ इंजीनियर की नियुक्ति की जा चुकी है । वे एक भारतीय हैं और इस समय अमरीका में प्रशिक्षण ले रहे हैं ।

बारी से बाहर मकान दिया जाना

†*१९. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य "पूल" के अधीन १० प्रतिशत मकान बारी से बाहर आवंटन (अलाटमेंट) के लिए निर्धारित हैं ;

(ख) क्या यह प्रतिशतता इस बीच ५० प्रतिशत तक बढ़ा दी गयी है ;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(घ) इस बात के लिए क्या कार्यवाही की जाती है कि सामान्य रूप से अपनी बारी में प्रतीक्षा करने वालों पर इसका बुरा प्रभाव न पड़े ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) से (घ). स्थिति की व्याख्या करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सामान्य 'पूल' में बारी से बाहर मकान के आवंटन के लिए कोई निर्दिष्ट कोटा निर्धारित नहीं है । सामान्य आवंटन प्रतीक्षा सूची के अनुसार किए जाते हैं जो योग्य अधिकारियों की पूर्ववर्तिता तारीखों के आधार पर रखी जाती है । बारी के बाहर आवंटन सिद्ध कठिनाई के व्यक्तिगत मामलों में मंजूर किए जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वर्तमान बस्तियों में वैकल्पिक रिक्ततायें समान्यतः उन अधिकारियों को मिलती हैं जिन्हें बारी के बाहर आवंटन मंजूर किये जाते हैं। परन्तु चूंकि इस प्रकार की रिक्ततायें बहुत कम होती हैं, उनका उन बस्तियों के मकानों की कुल संख्या के संबंध में प्रतिशत अत्यन्त नगण्य है। नई बनने वाली बस्तियों में जब नये क्वार्टर तैयार हो जाते हैं तो बारी के बाहर आवंटन के लिये उपलब्ध किये जाने वाले एककों की संख्या ऐसे लोगों की प्रतीक्षा सूची के आकार के आधार पर निश्चित की जाती है। यह निर्णय ऐसे लोगों की मंजूरी मिलने के बाद प्रतीक्षा करने की अवधि और उनकी कठिनाइयों के आधार पर किया जाता है।

घड़ियों का कारखाना

†*२०. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री नेकराम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अरविंद घोषाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में घड़ियों के कारखाने का काम संभालने के लिये जापानी विशेषज्ञ पहुंच गये हैं; और

(ख) क्या परियोजना के निर्माण के लिये सभी मशीनें प्राप्त हो चुकी हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) (क) हां, श्रीमान्, बंगलौर के एच० एम० टी० घड़ी कारखाने में।

(ख) आशा है कि कुछ उपकरण शीघ्र ही पहुंचने शुरू हो जायेंगे और संयंत्र कार्यक्रम के अनुसार पहुंच जायेगा।

मिट्टी के तेल से चलने वाली मोटर गाड़ी

†*२१. **श्री लै० अचौ० सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री अरविंद घोषाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आविष्कार संवर्धन बोर्ड ने मिट्टी के तेल से मोटर गाड़ी चलाने की कोई युक्ति मंजूर की है; और

(ख) क्या इस आविष्कार का लाभदायक ढंग से उपयोग किया जा सकता है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) आविष्कार संवर्धन बोर्ड ने एक व्यक्ति को सहायता मंजूर की है जिसने एक ऐसी युक्ति निकाली है जिससे अन्य बातों के साथ मोटरगाड़ी का इंजन मिट्टी के तेल से चलाया जा सकेगा।

(ख) इस आविष्कार का लाभदायक ढंग से उपयोग इस युक्ति से चलने वाली मोटर गाड़ी के वास्तविक कार्यकरण संबंधी अग्रेतर परीक्षणों के नतीजों पर निर्भर करेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर से जम्मू और काश्मीर में अतिक्रमण

†*२२. { **श्री बलराज मधोक :**
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में पाकिस्तान और काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से कितने आदमी जम्मू और काश्मीर राज्य में आये ; और

(ख) इस अतिक्रमण को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) पिछले पांच वर्षों में पाकिस्तान और पाकिस्तान द्वारा अधिकृत काश्मीर के क्षेत्रों से अनधिकृत प्रवेश करने वाले ११९२ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

(ख) उनके प्रवेश को रोकने के लिये समस्त आवश्यक कदम उठाये गये हैं और यह गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या से स्पष्ट है ।

प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण

†*२३. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री सरजू पांडेय :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरन्तर समन्वित और व्यापक सर्वेक्षण के लिये एक संगठन की स्थापना पर विचार कर रहा है ;

(ख) ऐसे संगठन के प्रस्तावित कार्य क्या होंगे ;

(ग) अभी फिलहाल जो संस्थायें राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करती हैं उनसे यह संगठन किस प्रकार भिन्न होगा ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र): (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) प्राकृतिक संसाधनों के लिये एक एकक योजना आयोग में स्थापित किया जा चुका है ।

(ख) इस एकक का प्रयोजन देश के प्राकृतिक संसाधनों के निर्धारण और विकास संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना है ।

(ग) प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिये जिम्मेदार अन्य संगठनों, जैसे भारतीय कृषि, गवेषणा परिषद्, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्, अणुशक्ति आयोग, भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण, वन गवेषणा संस्था आदि, जो विशिष्ठ क्षेत्रों

†मूल अंग्रेजी में

के विशेष अध्ययन में लगे हुये हैं, से भिन्न यह एकक मूलतः समन्वय अभिकरण होगा। अन्य संगठनों के साथ सहयोग से वह समन्वित अध्ययन की व्यवस्था करेगा, वर्तमान सूचना की कमियों का संकेत करेगा, विशेषकर दीर्घकालीन आयोजन की दृष्टि से, और उपयुक्त नीतियों तथा उपायों के सुझाव देगा जिनसे प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित विकास और संरक्षण हो सके।

कांगो संबंधी सम्मेलन

†*२४. श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेसिडेंट एनक्रूमा ने उन सभी देशों के प्रतिनिधियों की बैठक का सुझाव दिया है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ कमान के अधीन कांगो में अपनी सेनायें भेजी थीं ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन किन विषयों पर विचार किया जाने वाला है ; और

(ग) इस संबंध में भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). जी हां। मई के आरम्भ में घाना के प्रेसिडेंट ने सुझाव दिया था कि कांगो में जिन देशों की सेनायें हैं, उनका अकरा अथवा अन्य कहीं पर एक सम्मेलन किया जाये जिसमें कांगो की संसद् को शीघ्र बुलाने के लिये कांगो के अधिकारियों की सहायता करने के तरीकों पर विचार किया जाये। बाद में कांगो की स्थिति में परिवर्तन आ जाने के कारण कांगो की संसद् की बैठक के आवाहन के कारण घना के प्रेसिडेंट के कहने पर ही सम्मेलन करने का विचार रद्द कर दिया गया था।

अभ्रक का निर्यात बाजार

†*२५. श्री अरविंद घोषाल :
श्री दामानी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व मंडी में भारतीय अभ्रक का निर्यात व्यापार १९६० में कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). यद्यपि १९६० में, १९५९ की तुलना में कम मूल्य का निर्यात हुआ है, परन्तु फिर भी १९५८ से अधिक है। भांडार इकट्ठा करने की खरीददारी को रोक देने के कारण यद्यपि अमरीका को निर्यात पर्याप्त मात्रा में कम हो गया है परन्तु कुल बिक्री अधिक ही हुई है। अन्य देशों को निर्यात बढ़ाने दिये जाने के कारण इस कमी को पूरा कर दिया गया था।

सीमेंट की कमी

†*२६. **श्री यादव नारायण जाधव :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री कोडियान :
श्री अनि चन्द्रन् :
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :
श्री आसर :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री खीमजी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सीमेंट की भारी कमी है ;

(ख) क्या सीमेंट काले बाजार में १२ रुपये से लेकर १४ रु० की बोरी के भाव से बिक रही है ;

(ग) विभिन्न राज्यों को किस आधार पर सीमेंट का कोटा दिया जाता है और वर्ष १९६०–६१ में राज्यवार यह कितना था ;

(घ) दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये चालू निर्माण कार्यों तथा अन्य कार्यों के लिये कितना कोटा दिया जाता है ;

(ङ) क्या सीमेंट का उत्पादन मांग से कम है ; और

(च) देश की मांग पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (च). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १**]।

ट्रैक्टरों का आयात

†*२७. **श्री त्यागी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पोलैंड से ट्रैक्टरों का आयात कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितने ट्रैक्टर मंगाये जायेंगे और किस लागत पर ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल कितनी कीमत के ट्रैक्टर मंगाये गये ; और

(घ) भारत में ट्रैक्टर तैयार करने वाले संयंत्र की लागत कितनी होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) पोलैंड से ट्रैक्टरों का आयात करने की अनुमति १९६१ के लिये दी जा रही है ।

(ख) अनुमान है कि पुर्जों समेत लगभग ४५० ट्रैक्टरों का आयात होगा और लगभग ४० लाख रुपये की लागत होगी ।

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में सभी साधनों से ३३.४६ करोड़ रुपये के ट्रैक्टरों का आयात किया गया था ।

(घ) अनुमान बताना बड़ा कठिन है क्योंकि यह बनने वाले कारखाने की क्षमता, ढलाई करने वाले औजारों का निर्माण, तथा कारखाने के अन्य पुर्जों के उत्पादन के तरीकों आदि पर आधारित होता है ।

चाय बागान कर्मचारियों की मजूरी

†*२८. **श्री दशरथ देब** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में कछार के चाय बागान मजदूरों की मजूरी में कोई परिवर्तन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका आधार क्या है ; और

(ग) क्या त्रिपुरा के चाय बागान मजदूरों के लिये भी मजूरी में इसी प्रकार का परिवर्तन किया जाने वाला है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मजूरी में परिवर्तन किया जाता है ।

(ग) चाय उद्योग के लिये स्थापित मजूरी बोर्ड इस पर विचार करेगा ।

स्विस फर्म के साथ वस्तु-विनिमय करार

†*२९. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने कपड़ा तथा कुछ दूसरी चीजों के निर्यात के बदले में स्वचालित करघों के आयात के लिए एक स्विस फर्म के साथ वस्तु-विनिमय करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†***वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) समझौते के अनुसार दो वर्ष तक कपड़े तथा अन्य भारतीय उत्पादों के विरुद्ध ३ करोड़ रुपये स्वचालित करघों का आयात करने की व्यवस्था है ।

---

*मूल अंग्रेजी में

नरेला में तेल तथा सामान्य मिलें

†*३०. { श्री राम गरीब :
श्री बाजपेयी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नरेला (दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र) में विभिन्न तेल तथा सामान्य मिलों में काम करने वाले मजदूरों को मिल मालिक उनके उचित अधिकार नहीं दे रहे हैं ;

(ख) मिलों में काम का समय क्या है ;

(ग) क्या मजदूरों को उचित प्रकार से मजूरी दी जा रही है ;

(घ) क्या योग्य अधिकारियों ने इन मिलों का निरीक्षण किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और पिछले दो वर्षों में किन किन तारीखों पर ?

†श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं ।

(ख) मिलें प्रति दिन तीन पालियों में चलती हैं । एक पाली आठ घंटे की होती है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) ३१-८-५९, २८-१-६०, १९-३-६०, २२-७-६० और ७-७-६१ को ।

पश्चिम बंगाल के शिविरों में असम के निष्क्रमणार्थी

†*३१. { श्रीमती रेणुका राय :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के शिविरों मे असम निष्क्रमणार्थियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) शिविर उठा लिये जाने के बाद उनमें से कितने असम लौट गये हैं और कितने अब भी पश्चिम बंगाल में हैं ; और

(ग) इन शिविरों पर कुल कितना खर्च हुआ और वह कहां से किया गया ?

†पुनर्वास उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) ३१,७७० व्यक्ति ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सरकारी तौर पर शिविरों के बन्द कर दिए जाने के बाद १ मई, १९६१ को २६,७४५ व्यक्ति इन शिविरों को छोड़ कर चले गये थे । इसके बाद १२ जुलाई १९६१ को १२९९ व्यक्ति आसाम लौट आये । शेष ४,७२६ व्यक्ति संभवतया १२-७-६१ को पश्चिम बंगाल में ही थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि इन शिविरों पर व्यय किए गए धन को अन्तिम रूप से नहीं बताया गया है । परन्तु भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा किए गए का ५० प्रतिशत लगभग २० लाख रुपया देना स्वीकार कर लिया है ।

तिब्बत में चोरी से अनाज ले जाना

†*३२. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० गं० देव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत में अकाल पड़ने तथा चीन में फसल न होने के कारण सिक्किम-भूटान-तिब्बत सीमा पर चीनियों की मदद से काफी बड़े पैमाने पर अनाज और निर्बन्धित वस्तुएं चोरी छिपे तिब्बत में लायी जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) और (ख). सरकार को भारत से तिब्बत में बड़े पैमाने पर चोरी छिपे माल ले जाने की जानकारी नहीं है । परन्तु भारत-तिब्बत सीमा पर अवैध व्यापार रोकने के लिए सावधानी बरती जा रही है ।

कांगो में भारतीय पदाधिकारी की गिरफ्तारी

†*३३. **श्री वाजपेयी :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री कालिका सिंह :
श्री सुगन्धि :
श्री वोडियार :
श्री अगाडी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री साधन गुप्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में लियोपोल्डविल (कांगो) में कांगोई अधिकारियों ने भारतीय दूतावास के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है और हिरासत में रखा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पदाधिकारी की गिरफ्तारी और उसे रोक रखने के क्या कारण है ; और

(ग) उसकी रिहाई के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

†**वैदेशिक-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). जी हां । लियोपोल्डविल के भारतीय राजदूतावास के एक अधिकारी श्री वेंकटरामन को १३ जून, १९६१ को ९–४५ म० पू० कांगोली पुलिस ने उनको उनके होटल के कमरे से बाहर बुला कर गिरफ्तार किया था । सूचना मिलने के तुरंत बाद दूतावास के द्वितीय सचिव स्थानीय पुलिस अधिकारी के पास स्वयं गए और उन्होंने श्री वेंकटरामन की गिरफ्तारी का जोरदार शब्दों में विरोध किया और उनको उसी दिन ११–१५ म० पू० रिहा कराया । भारतीय दूतावास के प्रभारी दूत ने कांगोली विदेश कार्यालय को विरोध पत्र भेजा । कांगों के घरेलू मंत्री ने भारतीय दूत को टेलीफोन किया तथा माफी मांगी ।

श्री वेंकटरामन की गिरफ्तारी कांगों की संसद् बुलाने के संबंध में लियोपोल्डविल अधिकारियों द्वारा की गई गिरफ्तारियों में से एक थी ।

कोयला धोने का कारखाना

†*३४. **श्री नारायणन कुट्टि मेनन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत में कोयला धोने और तैयार करने का कारखाना बनाने के लिए ब्रिटिश फर्म का एक प्रस्ताव मान लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि ६० प्रतिशत हिस्से फर्म होंगे और शेष पूंजी भारतीय जनता दे सकेगी ; और

(ग) यदि हां, तो और दूसरी शर्तें कौन कौन सी हैं जिनके आधार पर ब्रिटिश फर्म को यह कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). जी नहीं । टीटाघर (पश्चिम बंगाल) में स्थित एक भारतीय इंजीनियरिंग कम्पनी को वर्तमान कारखाने में ही कोयला धोने तथा तैयार करने का कारखाना उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन लाइसेंस दिया गया था । इस कम्पनी ने सरकार को बताया है कि इन कारखानों के निर्माण के लिए उनका विचार एक ब्रिटिश सार्थ से प्रविधिक समझौता करने का है । संबंधित पक्षों में समझौते की शर्तों पर बातचीत हो रही है ।

भारत और बर्मा के बीच सीमा स्तम्भ

†*३५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर (भारत) और चिन स्पेशल डिविजन (बर्मा) के बीच अधिकतर सीमा स्तम्भ इस वर्ष जून में हटा दिये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किसने ये स्तम्भ हटाये ; और

(ग) इस मामले पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक कार्य उप-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). हम अन्तिम जानकारी मालूम करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन

†*३६. **श्री राधारमण:**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के पुनर्गठन के निमित सिफारिशें करने के लिए विस्थापित पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). पुनर्गठन समिति ने अभी अपना पूरा प्रतिवेदन नहीं दिया है । प्रस्तुत विषयों पर सरकार सक्रिय रूप में विचार कर रही है ।

वाराणसी में रिले केन्द्र

†*३७. **श्री कालिका सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी में रिले ट्रांसमिटिंग स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार हो रहा है ;

(ख) वह केन्द्र कब तक काम करने लगेगा ;

(ग) ट्रांसमिटिंग स्टेशन के और अधिक विस्तार की क्या योजना है; और

(घ) वाराणसी में स्टूडियो सहित हाई पावर ट्रांसमिटिंग स्टेशन स्थापित करने की कौनसी योजना सरकार के विचाराधीन है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी हां । वाराणसी में १० किलो-वाट मीडियम वेव रिले ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है ।

(ख) यदि भवन निर्माण कार्य १९६१ तक अनुसूचित रूप में पूरा हो गया तो स्टेशन १९६२ में चालू हो जायेगा ।

(ग) और (घ). जी नहीं । यह लखनऊ स्टेशन का रिले सेंटर होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली में पम्प हाउस

†*३८. श्री मुहम्मद इलियास : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में बनाये गये पम्प हाउसों की ऊंचाई कम करने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी वर्तमान ऊंचाई कितनी है और कम करने के बाद ऊंचाई कितनी होगी ;

(ग) उसमें कितना खर्च होगा और ऊंचाई कम करने का उद्देश्य क्या है ;

(घ) किस अधिकारी के आदेश से इतने ऊंचे पम्प हाउस बनाये गये थे ?

†निर्माण, आवास और संभरण उप-मंत्री (श्री अनिल कु० चंदा): (क) जी हां । परन्तु महत्वपूर्ण सड़कों पर स्थित २० पम्प हाउसों के बारे में ।

(ख) वर्तमान ऊंचाई ज़मीन से ९'–६" है। २० पम्प हाउसों की यह ऊंचाई ३'–९" कर दी जायेगी ।

(ग) ५००० रुपये व्यय होने का अनुमान है। महत्वपूर्ण सड़कों पर स्थित पम्प हाउसों का भद्दापन कम करने का विचार है ।

(घ) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये नक्शों के अनुसार पम्प हाउस बनाये जायेंगे ।

कहवा बोर्ड के मुख्य विपणन पदाधिकारी

†*३९. श्री भूरा सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कहवा बोर्ड के मुख्य विपणन पदाधिकारी को बोर्ड के अध्यक्ष का काम सौंपा गया है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में तथा उपाध्यक्ष की बजाय उसे बैठकों मे सभापति पद का भार भी सौंपा गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि मुख्य विपणन पदाधिकारी बोर्ड का एक कर्मचारी मात्र है और वह उसका सदस्य नहीं है; और

(ग) क्या इस असंगति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और इसे दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). ऐसी स्थाई व्यवस्था नहीं है कि कहवा बोर्ड के सभापति की अनुपस्थिति में मुख्य विपणन अधिकारी सभापति का कार्य करेगा तथा बोर्ड की बैठकों में सभापतित्व करेगा । १९५९ में थोड़ी अवधि के लिए सभापति के छुट्टी पर होने पर तथा १९६० में सभापति का स्थान रिक्त होने पर तदर्थ व्यवस्था की गई थी जिसके अनुसार मुख्य विपणन अधिकारी को अपने काम के साथ साथ सभापति का काम भी सौंप दिया गया था क्योंकि वही बोर्ड के सभापति के बाद वरिष्ठ सदस्य हैं। इसी अवधि में उन्होंने एक बार सभापतित्व किया था। कानूनी आपत्तियां उठाये जाने के कारण भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कागज मिलें

*४०. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में स्थापित की जाने वाली नई कागज मिलों के सम्बन्ध में अपनी नीति बदल दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका कारण क्या है ; और

(ग) जून १९६१ तक कितनी मिलों को लाइसेंस दिया गया और उनकी स्वीकृत क्षमता कितनी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). कागज बनाने की पर्याप्त क्षमता का लाइसेंस दे दिया गया है । इसलिये सरकार ने अब निर्णय कर लिया है कि कागज की लुगदी तथा रेयन की लुगदी बनाने की किसी योजना के लिये एक वर्ष तक लाइसेंस न दिया जाये ।

(ग) ३० जून, १९६१ तक १२.२ लाख टन वार्षिक की क्षमता वाली १४० यूनिटों को लाइसेंस दिए जा चुके हैं ।

तीसरी योजना और उड़ीसा

†*४१. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री सूपकार :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उड़ीसा राज्य में नये कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सत्तारूढ़ होने के बाद उस राज्य के संबंध में तीसरी पंजवर्षीय योजना के योजना प्राक्कलनों में परिवर्तन करना मंजूर कर लिया है ; और

(ख) क्या भारत सरकार उस राज्य में पंचायत समिति उद्योग चालू करने के लिये उड़ीसा के नये मुख्य मंत्री की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये वर्तमान रकम की अपेक्षा ३० करोड़ रुपये अधिक देने के लिये तैयार है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) जी नहीं । इस मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागा आक्रमणकारी

†*४२. डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजया आनन्द
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामजी वर्मा :
श्री वे० च० मल्लिक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा आक्रमणकारियों ने १ जुलाई, १९६१ को ध्वज सम्मान समारोह में दो छात्रों को मार डाला ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नागा आक्रमणकारियों ने अभी हाल में माओ में असम राइफल यूनिट पर भी हमला किया था ; और

(घ) क्या नागालैंड की स्थापना के बाद नागा आक्रमणकारियों की कार्यवाइयां किसी हद तक कम हुई हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव** (**श्री जो० ना० हजारिका**) : (क) और (ख). १ जुलाई, १९६१ को नागा आक्रमणकारियों के एक छोटे से दल ने चूचूयिनलांग गांववासियों के एक दल पर ३०० गज की दूरी से गोली चलाई जो उस गांव में आ रहे एक्जीक्यूटिव काउंसिलरों की अगवानी करने के लिये एकत्रित हुए थे। मालूम हुआ है कि उनका इरादा एक्जीक्यूटिव काउंसिलरों पर गोली चलाने का था। गोलियों से दो विद्यार्थी मारे गये। गोलियां २ मिनट तक ही चलीं उसके बाद आक्रमणकारी बच कर भाग गये। हमारी सुरक्षा पुलिस ने उस स्थान की तुरन्त ही छानबीन की और उनको ७ खाली गोलियां मिलीं।

(ग) माव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। परन्तु ६ जुलाई, १९६१ को १०० सशस्त्र आक्रमणकारियों ने डीमापुर-इम्फाल रोड पर पुलिस दल पर गोलियां चलाई थीं। १५ मिनट तक दोनों ओर से गोली चली। एक आक्रमणकारी पकड़ा गया तथा आसाम राइफल्सका एक सैनिक घायल हो गया।

(घ) इस प्रकार की घटनायें अब कम हो गई हैं। अगस्त १९६०—फरवरी १९६१ तक अवधि की तुलना में यह घटनायें ३३ प्रतिशत कम हो गई हैं।

सरकार में विश्वास का पता इस से भी लगता है कि जनता अब आक्रमणकारियों के बारे में जानकारी देने आने लगी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तृतीय पंचवर्षीय योजना

†*४३. { महाराजकुमार विजय आनन्द :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार का सूचना विभाग तृतीय पंचवर्षीय योजना के विभिन्न पहलुओं का प्रकाशन समाचारपत्रों में करा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना के संसद् के सामने प्रस्तुत किये जाने के पहले ही उसका प्रकाशन क्यों किया जा रहा है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). प्रेस सूचना विभाग ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा के बारे में कुछ सामग्री समाचारपत्रों को दी है परन्तु उसने तृतीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित कोई लेख अन्तिम रूप से प्रकाशित नहीं किया है। योजना आयोग के परामर्श से तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप भी प्रकाशित किया गया है।

भारत-चीन सीमा-विवाद

†*४४. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री हेम बरुआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा विवाद के संबंध में चीन को सबसे हाल में क्या नोट भेजा गया है ; और

(ख) क्या उसका उत्तर आया है ; यदि हां, तो क्या ?

†वैदेशिक-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) सीमा-विवाद के संबंध में हमारा अन्तिम नोट भारत, बर्मा तथा चीन की सीमाओं के मिलने के स्थान के बारे में है।

(ख) भारत तथा चीन के बीच आए गए पांच पत्रों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती हैं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३०१३ / ६१]। १६ जून १९६१ के हमारे नोट के बाद कोई पत्र नहीं मिला है।

केरल के लिये सीमेंट

†*४६. { श्री मणियंगाडन :
श्री मे० के० कुमारन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कोडियान :
श्री कुन्हन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य की पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित जल-विद्युत् योजनाओं के कार्य संचालन के लिये अपेक्षित सीमेंट की वार्षिक या त्रैमासिक आवश्यकता की मात्रा के बारे में सूचित किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितनी मात्रा अपेक्षित है ;

(ग) क्या आवश्यकतानुसार पूरी मात्रा का संभरण किया जा रहा है ;

(घ) यदि नहीं, तो कितने सिमेंट का संभरण किया जा रहा है ; और

(ङ) अपेक्षित मात्रा का पूरा पूरा संभरण न कर पाने के क्या कारण हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पांच वर्षों में पन-बिजली योजनाओं के लिये केरल राज्य सरकार की सीमेंट की वार्षिक आवश्यकता नीचे दी जाती है :—

वर्ष	टन
१९६१—६२	३०,०००
१९६२—६३	६५,०००
१९६३—६४	७५,०००
१९६४—६५	७५,०००
१९६५—६६	२५,०००

एक करोड़ रुपये (बड़ी परियोजनायें) से अधिक की परियोजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा तथा अन्य (छोटी परियोजनाओं) की आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है । उनके लिये तीन महीने का इकट्ठा आवंटन किया जाता है । यह विभिन्न परियोजनाओं अथवा उपभोक्ताओं में इस प्रकार वितरण करते हैं जिस से आवश्यक आवश्यकताओं को कोई हानि न पहुंचे ।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास

†*४७. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये कई शिविर-शरणार्थी अपनी जीविका चलाने के लिये सरकारी सहायता की राशि के अतिरिक्त कुछ और काम भी करते हैं ;

(ख) क्या कई खेतिहर परिवारों ने परिस्थितियों से विवश होकर अपनी जीविका का ढंग ही बदल दिया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन परिवारों को अपनी व्यावसायिक श्रेणी बदल कर छोटे व्यापारियों की सुविधायें प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या उन परिवारों को जो अपने प्रयत्नों से अर्द्ध-पुनर्वासित हो चुके हैं, दण्डकारण्य जाना पड़ेगा ?

†**पुनर्वास उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) २—३ वर्ष पूर्व शिविरों की जांच करने पर पता लगा था कि उनमें से लगभग ७० प्रतिशत व्यक्तियों को अपने आय के साधन हैं।

(ख) और (ग). जी हां। प्रत्येक मामले के हिताहित पर विचार करके। परन्तु शिविर के किसी भी परिवार को, शिविर से पुनर्वास का नोटिस दिये जाने पर व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं दी गई।

(घ) उनका वहां जाना पूर्णतः स्वैच्छिक है। यदि कोई परिवार दण्डकरण्य नहीं जाना चाहता है तो उसको छः महीने की अग्रिम सहायता दे कर शिविर से हटा दिया जाता है।

कार्य-भारित कर्मचारियों के लिये प्रतिकर-भत्ता

†*४८. **श्री तंगामणि** : क्या आवास निर्माण, और संभरण मंत्री २४ मार्च, १९६१ को अतारांकित प्रश्न संख्या २२३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-भारित कर्मचारियों के सम्बन्ध में पासीघाट के हवाई अड्डे पर तैनात केवल तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिये प्रतिकर-भत्ता मंजूर किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विभेद के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उप-मंत्री (श्री अनिल कु० चंदा)** : (क) जी नहीं। तृतीय तथा चतुर्थ दोनों श्रेणियों के नियमित कर्मचारियों को मिलने वाला प्रतिकर-भत्ता ही कार्य-भारित कर्मचारियों के लिये स्वीकार किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पूना प्रसारण केन्द्र द्वारा बाढ़ सम्बन्धी चेतावनी

†*४९. **श्री सोनावने** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना प्रसारण केन्द्र ने खड़कवासला में पांचेट बांध के टूटने के कारण मूथा नदी में आई बाढ़ के सम्बन्ध में १२ जुलाई, १९६१ को जनता को पहले से कोई चेतावनी दी थी ;

(ख) यदि हां, तो ठीक ठीक किस समय पर, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). आकाश वाणी के पूना केन्द्र ने १२ जुलाई, १९६१ को १२.३० म० प०, १२.५० म० प०, १.०० म० प०, १.३० म० प० तथा २.०० म० प० पांचेट बांध के टूट जाने के बारे में तथा खड़गवासला बांध के ऊपर पानी आ जाने के बारे में विशेष प्रसारण किये थे। इस के पहिले जानकारी न होने के कारण कोई प्रसारण नहीं किया जा सका था। तथ्यों की जांच के लिये पूना कलक्ट्रेट के असिस्टेंट स्टेशन डाइरेक्टर द्वारा किये गये व्यक्तिगत दौरे के बाद ही प्रसारण करना संभव हो सका था।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक उत्पादन की लागत

†*५०. श्री हेम बरुआ :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री १५ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन की ऊंची लागत की परीक्षा करने के लिये एक अध्ययन दल की स्थापना के प्रस्ताव को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने अब अंतिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) दल ने यदि कोई सिफारिशें की हैं, तो वे क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने पांच चुने हुये उद्योगों में अध्ययन कराने के लिये पांच उत्पादकता अध्ययन दल बनाने का निर्णय किया है ।

(ख) परिषद् ने (१) सीमेंट, (२) जूट, (३) रेयन, (४) साइकिल तथा बिजली के मोटर और ट्रांसफार्मर के लिये क्रमशः उत्पादकता तथा लागत अध्ययन दल में शामिल होने वाले व्यक्तियों की राय मांगी है । राय मिल जाने पर अध्ययन दल का संगठन किया जायेगा ।

(ग) और (घ). अध्ययन दलों ने अभी काम आरम्भ नहीं किया है ।

टेलीविजन यूनिट द्वारा सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम माला

†*५१. श्री गोरे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री १५ फरवरी, १९६१ के तारांकित संख्या ११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन यूनिट द्वारा प्रसारित सामाजिक शिक्षा माला के अन्तर्गत शेष १२ कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया हुई, और सरकार ने उसकी सफलता का क्या मूल्यांकन किया है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, हां ।

(ख) इन कार्यक्रमों के बारे में राष्ट्रीय सारभूत शिक्षा संस्था और भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था द्वारा सामाजिक रूप से सर्वेक्षण किया गया है । उनका प्रतिवेदन कुछ महीनों बाद उपलब्ध होगा और उस से विचारकों की प्रतिक्रिया का वैज्ञानिक मूल्यांकन पता लगेगा ।

तथापि, ६६ टेली-क्लबों से आकाश वाणी को प्राप्त साप्ताहिक रिपोर्टों से पता चलता है कि इन कार्यक्रमों से विचारकों की जानकारी में वृद्धि हुई और इससे उन कार्यक्रमों में निहित कुछ समस्याओं के प्रति ठोस कार्य में प्रगति हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तृतीय योजना के लिये निर्यात लक्ष्य

†*५२. श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री कोडियान :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के निर्यात लक्ष्य में ३०० करोड़ रुपयों की वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बढ़े हुये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (ग). तृतीय योजना की प्रारूप रेखा में तृतीय योजना काल में कुल निर्यात से प्राप्त रुपये ३४५० करोड़ लिये गये हैं । उसके बाद तृतीय योजना में उत्पादन लक्ष्य, आन्तरिक खपत और विश्व व्यापार के रवैये का उचित ध्यान रखते हुये, भारत के निर्यात व्यापार में आने वाली विभिन्न वस्तुओं और उत्पादों का विस्तृत अध्ययन किया गया । इस अध्ययन के परिणामों से पता चला कि, यदि उचित रूप से प्रयत्न किये जायें तो, तृतीय योजना के पांच वर्षों में ३७०० करोड़ रुपयों के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा । तदनुसार, तृतीय योजना के दौरान कुल भुगतान अन्तर बनते समय निर्यात करने पर प्राप्त विदेशी मुद्रा को ३७०० करोड़ रुपये लिया गया है । इतना निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अपेक्षित पग कई प्रकार के होंगे और वे प्रत्येक वस्तु पर भिन्न होंगे । मुख्यत: इनमें उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति, सस्ते मूल्य पर निर्यात के लिये अपेक्षित फालतू सामान बढ़ाना और विपणन गवेषणा और ठीक विपणन जानकारी पर आधारित विकय सम्वर्धन शामिल है ।

मैसूर में मैंगनीज और लौह अयस्क

†*५३. श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री अगाड़ी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में मैंगनीज और लौह अयस्क का स्टाक काफी अधिक जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मैसूर सरकार उसके अबाध निर्यात की अनुमति चाहती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

(वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रादेशिक विकास

†*५४. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री चुनी लाल :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम राज :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :
डा० सामंत सिंहार :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या योजना मंत्री १६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रादेशिक विकास की समस्याओं सम्बन्धी कार्यवाही दल का प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गयी हैं ;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गयी हैं ;

(घ) क्या कार्यकारी दल ने पिछड़े पन की कसौटी को पारिभाषित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (ङ). प्रादेशिक विकास की समस्याओं पर कार्यकारी दल का अध्ययन एक निरंतर कार्य है। आज सभा में रखी जा रही तृतीय योजना के प्रतिवेदन में सन्तुलित प्रादेशिक विकास के बारे में एक चैप्टर है और उसमें अब तक उपलब्ध अध्ययन के परिणाम बताये गये हैं।

इंगलैण्ड में भारतीय बालक के साथ दुर्व्यवहार

†*५५. श्री नेकराम नेगी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री कुन्हन :

क्या प्रधान मंत्री २ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंगलैंड में भारतीय बालक के साथ किये गये दुर्व्यवहार के आरोप की जांच करली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच करने पर पता चला कि नौकर लड़के, चन्द राम द्वारा लगाये गये आरोप निराधार हैं और इस लिये पदाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

नेपाल के मंत्री का भारत विरोधी वक्तव्य

†*५६. श्री श्रीनारायण दास :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री वाजपेयी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अपने राजनयिक स्रोतों द्वारा नेपाल के राष्ट्रीय पथ प्रदर्शन मंत्री के उस भाषण के स्पष्टीकरण के लिये लिखा है जो उन्होंने पिछले मई महीने में वीरगंज में दिया था, और जिसमें भारत सरकार पर कुछ आरोप लगाये गये थे कि भारत ने नेपाल के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप किया और भारत में नेपाल-विरोधी कार्यवाहियों को छूट दी; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर में क्या कहा गया है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). जी हां । भारतीय राजदूत ने श्री विश्व बन्धु थापा द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर नैपाल सरकार का ध्यान दिलाया और स्पष्टीकरण मांगा । उनको आश्वासन दिया गया कि इस वक्तव्य से नैपाल सरकार के विचारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वे स्पष्टतः श्री थापा के व्यक्तिगत विचार थे ।

आसाम में दंगा ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास

†*५७. श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में गत वर्ष दंगों से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव है कि भारत सरकार उसमें संबंधित राज्य-सरकारों के साथ साथ बढ़ायें ;

(ख) यदि हां तो उसका पूरा ब्योरा क्या है ; और

(ग) उसे कब तक अंतिम रूप मिलने की आशा है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

भारत सरकार ने आसाम में भाषा सम्बन्धी दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार के अंशदान के तौर पर असम सरकार को २५ लाख रुपये और पश्चिम बंगाल सरकार को २० लाख रुपये के अनुदान मंजूर किये हैं। उपरोक्त धन राशि के भीतर भारत सरकार का अंश राज्य सरकार द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के ५० प्रतिशत तक सीमित होगा।

भारत सरकार ने असम सरकार को राज्य में भाषा सम्बधी दंगे में पीड़ित व्यक्तियों को पुनर्वास ऋण देने के लिये ७५ लाख रुपये का ऋण भी मंजूर किया है। इस मामले में भी दिये जाने वाले ऋण की रकम राज्य द्वारा उपरोक्त धन राशि में दिये गये वास्तविक ऋण के ५० प्रतिशत तक सीमित होगी।

भारत सरकार ने उस प्रत्येक परिवार के लिये, जो भाषा सम्बन्धी दंगे के कारण असम से पश्चिम बंगाल के शिविरों में आये और जिन्हें असम वापस जाने पर असम सरकार की योजना के अधीन कोई सहायक/पुनर्वास सहायता नहीं मिली क्योंकि दंगे के दौरान उन्हें कोई भौतिक हानि नहीं हुई थी, २०० रुपये की दर से तदर्थ अनुदान मंजूर किया है। इस योजना के अधीन ३१ जुलाई, १९६१ तक केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय द्वारा ४०७१ परिवारों को ८,१४,२०० रुपये दिये जा चुके हैं।

तटस्थ देशों का सम्मेलन

†*५८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दिनेश सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कालिका सिंह :
श्री वाजपेयी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री डामर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों की ओर से तटस्थ देशों का एक 'शिखर सम्मेलन' करने का कोई प्रस्ताव आया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किन देशों ने भेजा है और उससे उनका उद्देश्य क्या है; और

(ग) भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). इस वर्ष अप्रेल मास में संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपतियों ने असम्बद्ध राज्यों के राज्याध्यक्षों अथवा सरकारों का एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा। बाद में इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति भी उस आह्वान में शामिल हो गये और भारत के प्रधान मंत्री प्रस्तावित सम्मेलन सम्बन्धी विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिये काहिरा में बुलाई गयी एक पूर्व बैठक (प्रिपेरेटरी मीटिंग) को गये निमंत्रणों से सम्बद्ध थे।

पूर्व बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार, सम्मेलन बड़ी विश्व समस्याओं, विशेषतः अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ने से रोकना और इस बात की जांच करने कि किस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम किया जा सकता है, पर विचार करने के लिये १ सितम्बर से यूगोस्लाविया में आरम्भ होगा।

भारत सरकार ने पूर्व बैठक में भाग लिया था और अब वह सम्मेलन में भाग लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

काहिरा में चाय घर

†*५९. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री कोडियान :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय की खपत बढ़ाने की दृष्टि से काहिरा में हाल ही में एक भारतीय चाय घर खोला है;

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत से; और

(ग) इस नये उपक्रम की क्या मुख्य विशेषतायें है ?

†**वाणिज्य उतथा द्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां।

(ख) चाय बोर्ड के खाते में अब तक १·५ लाख रुपये का व्यय लिखा जा चुका है। कुल व्यय का अभी कोई पता नहीं है।

(ग) चाय केन्द्र का उद्देश्य संयुक्त अरब गणराज्य में भारतीय चाय के लिये संवर्द्धनात्मक केन्द्र के रूप में कार्य करने का है। भारतीय चाय और जलपान देने के अतिरिक्त केन्द्र में एक सूचना और प्रदर्शन काउन्टर और विशेष अभ्यागतों के लिये स्थान भी है।

†मूल अंग्रेजी में

पांडिचेरी को शक्तियों का प्रत्यायोजन

†*६०. { श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री आसर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, १९६१ के आरम्भ में पांडिचेरी के पार्षदों का एक दल राज्य प्रतिनिधि सभा को अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध करने के लिये उनसे दिल्ली में मिला था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के लिये दुर्गापुर आये पांडिचेरी के पार्षदों का एक दल पांडिचेरी के सम्बन्ध में विशिष्ट समस्याओं पर विचार करने के लिये दिल्ली आया।

(ख) भारत सरकार विधि सम्मत हस्तान्तरण होने तक प्रतिनिधि सभा की शक्तियों में कोई औपचारिक परिवर्तन नहीं करना चाहती।

संयुक्त प्रबन्ध परिषद्

†*६१. { श्री कोडियान :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रबन्ध में मजदूरों के सहयोग की योजना आरम्भ होने के बाद से औद्योगिक उपक्रमों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के कार्य का पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या उस पुनर्विलोकन प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जिन उपक्रमों में यह लागू की गयी थी उनमें संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के कार्य का मार्च, १९६० में हुए श्रम प्रबन्ध निगम के दूसरे सत्र में विस्तार से पुनर्विलोकन किया गया।

(ख) और (ग). प्रतिवेदन की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

मूल्य नीति

†*६२. { श्री स० मो० बनर्जी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री दि० चं० शर्मा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्यों को स्थिर करने के लिये आगे क्या कार्यवाही की गयी है या की जा रही है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) सरकार मूल्य स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखती है और समय समय पर आवश्यक उपाय किये जाते हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पटसन का वायदा व्यापार

†*६३. **श्री कुन्हन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायदा बाजार आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हेसियन एक्सचेंज को कच्चे पटसन और पटसन के तैयार माल का वायदा व्यापार फिर शुरू करने दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसको अनुमोदन कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). वायदा बाजार आयोग को ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हेसियन एक्सचेंज लिमिटेड, कलकत्ता से १५ जून, १९६१ से कच्चे पटसन और पटसन की वस्तुओं के वायदा व्यापार को पुनः शुरू करने की प्रार्थना प्राप्त हुई थी जिस पर आयोग ने अपनी सहमति प्रदान कर दी।

दिल्ली में शरणार्थियों के लिये मकान बनाना

*६४. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पुनर्वास मंत्रालय की ओर से कुल कितने मकान बनाये गये, (१) उनमें से कितने पूरी कीमत लेकर बेचे गये और (२) कितने किस्तों पर बेचे गये;

(ख) दिल्ली में अभी ऐसे कितने शरणार्थी परिवार हैं जिन्हें अभी तक कोई मकान या दुकान नहीं दी गयी है; और

(ग) उन्हें बसाने की क्या योजना है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) लगभग ३८,००० जिनमें से १७,५०० पूरी कीमत पर बेचे गये हैं और शेष किस्तों पर।

(ख) जून, १९५२ तक ३०,००० शरणार्थी परिवार लोक तथा निजी भूमि पर अनधिवास कर रहे थे। उनमें से अधिकतर व्यक्तियों को पहले ही वैकल्पिक रिहायशी मकान दिये जा चुके हैं। शरणार्थी परिवार जिनको ऐसा वासस्थान नहीं दिया गया है उनकी वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पुनर्वास मंत्रालय अब कोई ऐसी योजना नहीं बना रहा है। शेष अनधिवासियों की समस्या अब दिल्ली की अति भीड़ वाली तथा गन्दी वस्तियों के निष्कासन की समस्त समस्या के साथ ही हल की जायेगी।

त्रिपुरा के मोटर परिवहन कर्मचारी

†*६५. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के मोटर परिवहन कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा तथा अन्य सुविधायें, जैसे, सवेतन वार्षिक अवकाश, भविष्य निधि का लाभ आदि, प्राप्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो सेवा की इन शर्तों को लागू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, १९६१ मोटर परिवहन कर्मचारियों के लिये कल्याण सुविधाओं और काम के घंटों और छुट्टी आदि को नियमित करने के लिये मई, १९६१ में बनाया गया था और यह अधिनियम त्रिपुरा प्रशासन समेत सभी राज्यों में ३१ मार्च, १९६२ तक लागू किया जाना है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे नियत तिथि से पूर्व यथासम्भव शीघ्र इसको लागू करें।

त्रिपुरा में मोटर परिवहन उद्योग पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम भी लागू होते हैं।

पोलीप्रोपिलीन का निर्माण

†६६. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पोलीप्रोपिलीन का निर्माण करने के लिये मैसर्स मोन्टी गैटिनी नामक इटली की फर्म से बातचीत पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य शर्तें क्या हैं; और

(ग) यह संयंत्र कब और कहां लगाया जायेगा।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बर्मा-भारत सीमा पर अनधिकृत यात्रा

†*६७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा बर्मा सरकार के बीच भारत-बर्मा सीमा पर अनधिकृत यात्रा को रोकने के लिये प्रशासन सम्बन्धी समस्या पर कोई बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है तथा उसका क्या परिणाम निकला?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**: (क) और (ख). इस प्रश्न पर दोनों सरकारों के बीच हाल में कोई बातचीत नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा राज्य के लिये अतिरिक्त राजस्व

†*६८. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंच वर्षीय योजना की पूर्ति के लिये उड़ीसा राज्य को कितना अतिरिक्त राजस्व एकत्रित करना होगा;

(ख) क्या सरकार को उड़ीसा राज्य के नये मुख्य मंत्री की उस घोषणा की जानकारी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता पर नये अतिरिक्त कर नहीं लगाये जायेंगे; और

(ग) क्या उन्होंने राज्य के लिये राजस्व के कोई अतिरिक्त साधन बताये हैं और क्या उन प्रस्तावों से योजना आयोग सहमत हो गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) उड़ीसा की तीसरी योजना में धन लगाने के लिये २३ करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लगाये गये हैं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) योजना आयोग से ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई है ।

श्रम विधियों को लागू करने के लिये संयुक्त अभिकरण

†*६९. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न श्रम विधियों के अधीन सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कोई संयुक्त अभिकरण बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से क्रियान्वित होगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). इस बारे में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल ने एक सिफारिश की है । यह प्रस्ताव है कि इस मामले पर अक्तूबर, १९६१ में होने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन के अगले सत्र में विचार किया जाये ।

भारत-संयुक्त अरब गणराज्य का संयुक्त फिल्म निर्माण

†*७०. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-संयुक्त अरब गणराज्य के संयुक्त फिल्म निर्माण की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस योजना का अनुमोदन कर दिया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). सरकारी स्तर पर ऐसी किसी संयुक्त फिल्म निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

शेख-नेहरू वार्ता

†*७१. पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के नेता श्री के० एम० शेख ने प्रधान मन्त्री से जुलाई १९६१ में भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उस वार्ता के दौरान में काश्मीर के बारे में भी बातचीत हुई थी;

(ग) क्या काश्मीर समस्या का समाधान करने के लिये कोई नया प्रस्ताव रखा गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) वार्ता के दौरान जनरल शेख ने काश्मीर का मामला भी उठाया था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अमरीका में अयूब के भारत विरोधी वक्तव्य

*७२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :
श्री मा० ब० ठाकुर :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां द्वारा अमरीका में दिए गए भारत-विरोधी वक्तव्यों के विरुद्ध सरकार ने कोई विरोध पत्र भेजा है;

(ख) क्या उस समय भारतीय दूतावास ने काश्मीर के बारे में वास्तविक स्थिति बताने के लिए कोई पुस्तिका प्रकाशित की थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान सरकार विदेशों में भारतीय पक्ष को गलत रूप में पेश करने के लिए सुयोजित ढंग से प्रचार कर रही है; और

(घ) यदि हां तो इस प्रचार का खण्डन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :

(क) जी नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). विदेशों में पाकिस्तानी मिशन अवश्य ही भारत-विरोधी प्रचार करते हैं । हमारे विदेश-स्थित मिशनों को इस सम्बन्ध में नियमित रूप से परामर्श दिया जाता है और वे ऐसे प्रचार का निराकरण करने के लिए समाचारपत्रों के संपादकों और संवाददाताओं को वास्तविक तथ्यों का परिचय देते हैं, रेडियो और टेलीविज़न पर वक्तव्य देने के मौक़े निकालते हैं, पैम्फलेट और वृत्तक (हैंड आउट) जारी करते हैं, तथा मिशनों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में पाकिस्तानी आरोपों का उत्तर देते हैं ।

रेयन तथा कृत्रिम रेशम के धागे का हाथकरघा बुनकरों को संभरण

†*७३. **श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेयन तथा कृत्रिम रेशम के धागे का संभरण हाथकरघा बुनकरों को किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मद्रास राज्य में हाथकरघा बुनकरों को इसका वितरण किस ढंग से किया जायेगा;

(ग) क्या वास्तविक उपभोक्ताओं का निर्णय करने का भी कोई मापदण्ड है; और

(घ) क्या यह सच है कि १ जुलाई, १९६१ से शुरू होने वाली छमाही के लिए संभरण में कमी करदी गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

भारत के लिये शांति सेना[1]

†*७४. **श्री गोरे :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री नारायणन् कुट्टिमेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी शांति सेना के उपयोग करने का कोई विचार है,

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार उसका उपयोग किया जायेगा; और

(ग) क्या इसी प्रकार की सेना की व्यवस्था करने का कोई विचार सरकार का है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में .

[1]Peace Corps.

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार ने प्रयोगात्मक आधार पर वालण्टियरों की शान्ति सेना के प्रयोग की योजना आरम्भ करने का फैसला किया है । आरम्भ में यह पता लगाने के लिए प्रयत्न होगा कि इस कार्यक्रम को किस प्रकार लागू किया जाये ताकि उससे अधिकतम लाभ उठाया जा सके। वालण्टियरों की शान्ति सेना को निश्चित कार्यों के लिये, जिनके लिये उन्हें वर्तमान संस्थाओं में प्रशिक्षित किया गया है, प्रयोग किया जायेगा ।

(ग) जी, नहीं ।

ग्यान्तसे में भारतीय व्यापार अभिकरण

†*७५. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री हेमराज :
श्री भक्त दर्शन :

क्या प्रधान मंत्री ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यान्तसे (तिब्बत) में भारतीय व्यापार अभिकरण का भवन बनाने के लिए पट्ठे पर भूमि सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षेप करने के बारे में बातचीत पूरी हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो भवन निर्माण के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चीनी अतिक्रमण

†*७६. श्री प्र० चं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधारमण :
श्री खुशवक्त राय :
श्री वाजपेयी :
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
सरदार कबाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९६१ के बाद से चीनियों ने भारतीय सीमा क्षेत्र का अतिक्रमण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रूस द्वारा बनाया गया भारत का मानचित्र

†*७७. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री हेम राज :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** १६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को रूस की सरकार से इस बारे में कोई उत्तर मिला है कि उन्होंने अपने मानचित्रों में सिक्किम तथा भूटान को स्वतन्त्र राज्य बताया है; और

(ख) यदि हां, तो वह उत्तर क्या है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बेरूबाड़ी का हस्तान्तरण

†*७८. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बे० च० मलिक
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या **प्रधान मंत्री** १६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरूबाड़ी के हस्तान्तरण के लिये सीमांकन रेखा के बारे में निश्चय कर लिया गया है;

(ख) इस क्षेत्र के हस्तान्तरण का लगभग कितने परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) उन के पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : (क) सीमांकन की निश्चित रेखा तय करने के लिये २० जुलाई, १९६१ को पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के भू-अभिलेख निदेशकों की बैठक हुई। उनका प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

(ख) सीमांकन की निश्चित रेखा तय होने और उस को लगाये जाने के बाद ही इस का पता लगेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ये विचाराधीन हैं ।

नेपाल में भारतीय व्यापारियों के उद्योग

†*७९. { श्रीमती इलापालचौधरी :
श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
श्री राजेन्द्र सिंह : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने भारत सरकार से यह निवेदन किया है कि वह भारतीय व्यापारियों को नेपाल में उद्योगों की स्थापना करने की अनुमति दे;

(ख) यदि हां, तो इस की विस्तृत बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, नहीं । कोई सरकारी प्रयत्न नहीं किया गया है तथा नेपाल सरकार भारतीय उद्योगपतियों को निमंत्रण भेज सकती है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारतीय श्रम सम्मेलन

†*८०. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री तंगामणी : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय श्रम सम्मेलन के १९ वें अधिवेशन की प्रस्तावित तिथि, कार्यक्रम एवं स्थान क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** बंगलौर में ९ और १० अक्तूबर, १९६१ को कार्यक्रम की प्रमुख बातों में सामाजिक सुरक्षा और ठेका श्रम पद्धति सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन शामिल है ।

चाय उत्पादन का लक्ष्य

†*८१. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सरजू पांडेय :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई ऐसा समेकित कार्यक्रम है कि चाय उद्योग को फिर से ठीक किया जाये, उसे बढ़ाया जाये तथा उस का आधुनिकीकरण किया जाय जिस से कि तीसरी योजना के अन्तर्गत ९००० माउन्ड चाय उत्पादन करने के लक्ष्य की पूर्ति हो जाये;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय होगा और उसकी विस्तृत बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) से (ग). (१) चाय बोर्ड द्वारा चाय बागानों को ऋण देने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ताकि वे तृतीय योजना काल में पुनः पौधे लगाने का कार्यक्रम चालू रख सकें ।

(२) चाय बोर्ड ने किसी एक चाय बागान अथवा कारखाने के लिये अधिकतम २ लाख रुपये की, चाय मशीनें और/अथवा उपकरण चाय बागानों को क्रयावक्रय आधार पर देने के लिये २ करोड़ रुपये के खर्च से एक चाय मशीनरी-क्रयावक्रय योजना चालू की है ।

राष्ट्रीय बचत के लिये राज्यों में योजना अभिकरण

†*८२. { **श्री कं. डिंगान :**
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग तथा सरकार ने राष्ट्रीय बचत समिति के उस सुझाव की जांच करली है जिस में कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में वहां के विभिन्न विभागों के काम का समन्वय एवं उस का मूल्यांकन करने के लिये एक योजना अभिकरण की स्थापना की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र):** (क) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्थापित की गयी बचत समिति द्वारा इस बारे में कोई सिफारिश नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलाबारी

†*८४. { **श्री राम सुभग सिंह :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री आसर :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री आचार :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री बै० च० मलिक :
श्री राजेन्द्र सिंह : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर क्षेत्र के मेन्धार नामक स्थान पर पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय पुलिस पर २९ जून के बाद से गोली चलाई थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) २० मई, १९६१ से ले कर अब तक पाकिस्तानी सैनिकों ने कितनी बार गोली चलाई;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितनी क्षति हुई; और

(घ) इस बारे में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) और (ख). २० मई और २५ जुलाई, १९६१ के बीच ८४ घटनायें जिन में मेन्धार क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा पुलिस चौकियों अथवा अन्यों पर गोली चलाने की रिपोर्ट की गयी ।

(ग) एक भारतीय और एक पाकिस्तानी मारा गया और चार भारतीय और एक पाकिस्तानी घायल हुए ।

(घ) जहां आवश्यक समझा गया, संयुक्त राष्ट्र सेना प्रेक्षकों को युद्ध-विराम अतिक्रम शिकायतें भेज दी गयीं ।

राज्य व्यापार निगम

†१. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री पांगरकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य व्यापार निगम लि० के अन्तर्नियमों में संशोधन कर के प्रश्न इस बीच अन्तिम रूप से निश्चित हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम रहा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

बम्बई में टेलिविजन केन्द्र

†२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में टेलीविजन केन्द्र खोलने की योजना का ब्यौरा निश्चित हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). बम्बई में टेलीविजन केन्द्र खोलने की योजना का ब्यौरा तैयार नहीं हुआ है क्योंकि परियोजना की कार्यान्विति विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में मध्य तरंग (मीडियम वेव) के विस्तार को पूर्ववर्तिता दी जा रही है । फिर भी, टेलीविजन आवृत्ति जैसे कुछ प्राविधिक मामलों की जांच हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खान मजदूरों को स्थायी बनाने की योजना

†३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २१ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खान मजदूरों को स्थायी बनाने की योजना पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम रहा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख) मजदूरों को स्थायी बनाने की योजना के बारे में राज्य सरकारों के मत मांगे गये हैं। इन के प्राप्त होने पर निश्चय किया जायेगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिये चार मंजिल वाले मकान

†४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २१ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपलब्ध भूमि का सघन प्रयोग करने की दृष्टि से सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये चार मंजिल के मकान बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

पाकिस्तान में पवित्र तीर्थस्थान

†५. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** १९ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान में रह गये पवित्र तीर्थस्थानों की पवित्रता बनाये रखने और उन की सम्पत्ति की रक्षा करने का प्रश्न पाकिस्तान सरकार के साथ तय करने में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : भारत और पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्रियों की बैठक ५ और ६ जुलाई, १९६१ को कलकत्ता में हुई थी। उन्हों ने अपने अपने देश में अल्पसंख्यकों के धार्मिक तीर्थस्थानों की सुरक्षा तथा रख रखाव के प्रश्न पर भी विचार विनिमय किया था।

हमारे मंत्री महोदय ने दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति बैठक शीघ्र बुलाने के औचित्य पर जोर दिया। इस समिति की पिछली बैठक कराची में जनवरी, १९५८ में हुई थी, पाकिस्तानके पुनर्वास मंत्री, श्री लेफ्टीनेन्ट जनरल शेख ने हमारे मंत्रीजी को बताया कि उनकी सरकार संयुक्त समिति की बैठक सितम्बर या अक्तूबर में बुलाने से सहमत है। इस बीच हमें सूचित किया गया है कि यदि बैठक अक्तूबर, १९६१ के बाद हो, तो वे पसन्द करेंगे।

अब हम दूसरी बैठक नई दिल्ली में करने का प्रबन्ध कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

तोकलाई में अनुसंधान तथा वैज्ञानिक केन्द्र

†६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री १९ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच तोकलाई में अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक केन्द्र के लिए वित्तीय सहायता के बारे में भारतीय चाय संस्था की प्रार्थना पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख). हां, श्रीमन् । भारतीय चाय संस्था के चाय बोर्ड की निधि से १.५ लाख रु० का अनावर्त्तक और २.७ लाख रु० का आवर्त्तक अनुदान देने का विचार है ताकि तोकलाई केन्द्र अपना विद्यमान अनुसन्धान प्रोग्राम जारी रख सके और अपनी परामर्शदात्री सेवा बनाये रहे ।

भविष्य निधि के अंशदान की दर

†७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सोमानी :

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री १९ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि का अंशदान ६¼ से बढ़ा कर ८⅓ प्रतिशत कर देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई प्राविधिक समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो समिति का क्या विचार है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) हां । समिति ने निम्नलिखित चार उद्योगों के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी है : (१) कागज, (२) सिगरेट, (३) बिजली, मशीनी या सामान्य इंजीनियरी का सामान, और (४) लोहा और इस्पात ।

(ख) रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जा रही है ।

(ग) रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

पंजाब के बारे में वृत्त चल चित्र

†८. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १९ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के बारे में वृत्त चल चित्र बनाने में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** अक्टूबर, १९६१ में किसी समय चल चित्र बनाना पुनः आरम्भ करने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पटसन की वस्तुओं का निर्यात

†९. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में ईराक, अफगानिस्तान, और सऊदी अरब को कितनी और कितने मूल्य की पटसन की वस्तुओं का निर्यात हुआ; और

(ख) क्या उपरोक्त वर्ष में निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश का नाम	१९५९–६०		१९६०–६१	
	मात्रा टन	मूल्य (००० रु० में)	मात्रा टन	मूल्य (००० रु० में)
ईराक	५६९२	५६७०	६४८	११४५
अफगानिस्तान .	६१२	१०२३	३४१	५८९
सऊदी अरब . . .	२४	२८	४३	९८

(आंकड़े सह आर्थिक परामर्शदाता के कार्यालय ने दिये)

(ख) नहीं, श्रीमान । केवल सऊदी अरब को होने वाले निर्यात में कुछ वृद्धि हुई है ।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये निगम

†१०. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री २३ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शेष राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए निगम बनाने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** एक विवरण संलग्न है।

विवरण

शेष राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए निगम बनाने में इस बीच निम्नलिखित प्रगति हुई है :—

१. **राजस्थान :** राजस्थान लघु उद्योग निगम लि०, जयपुर स्थापित हो गया है । इसका उद्घाटन २६ जून, १९६१ को हुआ था ।

२. **केरल :** राज्य सरकार ने प्रस्ताव की जांच की है और यह इच्छा व्यक्त की थी कि यदि भारत सरकार उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही सम्मिलित कर सके तो वह उस पर १९६०–६१ में कार्यवाही करेगी । सरकार धन के अभाव के कारण इसे द्वितीय योजना में सम्मिलित न कर सकी ।

३. **पंजाब :** राज्य सरकार ने एक ऐसे लघु उद्योग विपणन तथा विकास निगम की स्थापना के लिए, जिसकी प्रदत्त पूंजी ५० लाख रु० हो, १९६०-६१ में एक योजना बनाई थी । आशा है कि निगम चालू वर्ष में काम आरम्भ कर देगा ।

†मूल अंग्रेजी में

४. **मद्रास** : मद्रास ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में, १५ लाख के उपबन्ध के साथ, निगम बनाने की योजना सम्मिलित की है ।

५. **उड़ीसा** : उड़ीसा सरकार ने भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में निगम बनाने का प्रस्ताव किया था क्योंकि द्वितीय योजना में धन उपलब्ध न था। उन्होंने ब्यौरा तैयार करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी।

६, ७, ८ और ९ : **महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात और जम्मू तथा काश्मीर**
मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

महाराष्ट्र के शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

†११. **श्री पांगरकर** : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में महाराष्ट्र में कितने व्यक्तियों ने काम दिलाऊ दफ्तरों में नाम लिखाये;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने कितने स्नातकोत्तर, इण्टर और मैट्रिक व्यक्ति बेरोजगार थे; और

(ग) कितने पंजीबद्ध बेकार व्यक्तियों को काम मिला ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) २,७७,२७१ ।

(ख)	स्नातकोत्तर	६,६९७
	इण्टर	३,७५८
	मैट्रिक . .	६८,३३७
	योग . .	७८,७९२
(ग)	स्नातकोत्तर .	१०,७१०
	इण्टर	५४८
	मैट्रिक	१,०५३
	अन्य	१७,५४८
	योग .	२९,८६४

महाराष्ट्र में कार्य तथा अनुस्थिति ज्ञान केन्द्र

†१२. **श्री पांगरकर** : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपि करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कार्य तथा अनुस्थिति ज्ञान केन्द्र कितने हैं; और

(ख) क्या १९६१–६२ में केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) (क) दो, नागपुर और पूना में एक एक ।

(ख) नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मजदूर शिक्षा केन्द्र

†१३. **श्री पांगरकर:** क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ में महाराष्ट्र में मजदूर शिक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय क्षेत्रीय मजदूर शिक्षा केन्द्रों से है, तो उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल

†१४. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल में भरती के काम के लिये स्थायी तथा विशेष एतदर्थ समितियों सहित कितनी संवरण समितियां बनाई गई थीं; और

(ख) इन में से कितनी समितियों में राज्य सरकार के प्रतिनिधि नियमपूर्वक सम्मिलित किये गये ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). दस । इन सब समितियों में राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि है ।

केबिल तथा तार निर्माता

†१५. **श्री मुरारका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केबिल तथा तार निर्माताओं से कहा है कि वे अपने उद्योग में तांबे के स्थान पर अल्यूमीनियम का प्रयोग करें; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा बचने की आशा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) आशा है कि अनुमानतः लगभग १६० लाख रु० की विदेशी मुद्रा की वार्षिक बचत होगी ।

गंधक के तेजाब का निर्माण

†१६. **श्री मुरारका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति यह है कि गंधक के तेजाब के निर्माण की नई क्षमताओं के लिए खुद के प्रयोग के लिए छोड़कर लाईसेन्स न दिया जायें; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जहां तक आयात होने वाले गंधक से बनने वाले तेजाब के उत्पादन का सम्बन्ध है, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के लिए निर्धारित क्षमता में से अधिकांश के लिए लाईसेन्स दिये जा चुके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांगो के लिये भारतीयों को पासपोर्ट

†१७. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में कितने भारतीयों को कांगो जाने के लिए पासपोर्ट दिये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री) (श्री जवाहरलाल नेहरू):** पिछले तीन महीनों में कांगो जाने के लिए २६५ भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट दिये गये ।

रेडियो धर्मिता

†१८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अप्रैल, १९६१ को देश में रेडियो-धर्मिता के उच्चतम दल में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे लोक-स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा उत्पन्न हो गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कांगो के लिये संयुक्त राष्ट्र निधि

†१९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने कांगो के लिये दी जाने वाली संयुक्त राष्ट्र निधि में अभी तक कुल कितना अंशदान किया;

(ख) अंशदानों के निर्धारण के लिये क्या आधार रखा गया है;

(ग) क्या भारत उसमें अभी और अंशदान भी करेगा; और

(घ) क्या अंशदाता देशों का निधि के बंटवारे पर भी कोई नियंत्रण रहता है ?

†**प्रधान मंत्री और वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) ९१·३९ लाख रुपये ।

(ख) वर्ष १९६१ में कांगों के लिये संयुक्त राष्ट्र निधि में विभिन्न देशों की ओर से किये जाने वाले अंशदानों का निर्धारण महासभा द्वारा २२ अप्रैल, १९६१ को पास किये गये संकल्प के आधार पर किया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २]** उस संकल्प के पैरा ८ (ग) के अनुसार, सदस्य-राज्यों को संयुक्त राष्ट्र के नियमित आयव्ययक के लिये निर्धारित अपने अंशदान-स्तर के अनुरूप ही इस निधि में अंशदान करना पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ छूट भी दी जाती है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के नियमित आय-व्ययक के लिये जिन सदस्य-राज्यों का अंशदान-स्तर १.२६ प्रतिशत या इस से ऊंचा है, उनको ५० प्रतिशत छूट मिल सकती है । संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमित आय-व्ययक के लिये हमारा अंशदान स्तर २.४६ प्रतिशत है, इसलिये हमें ५० प्रतिशत छूट मिलती है । इसे लेखने के बाद, जनवरी से अक्टूबर, १९६१ तक के लिये हमारा अंश ५८.०२ लाख रुपये बैठता है ।

(ग) अभी कोई और अंशदान नहीं मांगा गया है ।

(घ) संयुक्तराष्ट्र संघ के न्यूयार्क-स्थित भारतीय स्थायी मिशन से यह सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रखदी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुभाषियों को हिन्दी का प्रशिक्षण

२०. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में जो दूभाषिये हैं क्या उन्हें हिन्दी की शिक्षा देने की कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी नहीं।

(ख) दुभाषिए हिन्दी सीखने की उन सुविधाओं का उपयोग कर सकते है जिनका प्रबन्ध गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के अफसरों और कर्मचारियों के लिए कर रखा है। यह ज़रूरी नहीं समझा गया है कि उन्हें हिन्दी सिखाने के लिए कोई अलग योजना बनाई जाये।

भारतीय दूतावासों में हिन्दी का प्रयोग

२१. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में क्रमशः हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है; और

(ग) यदि ऊपर के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो यह कब तक करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) विदेश स्थित भारतीय मिशनों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग का सवाल तब उठेगा जबकि इस मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग काफी बढ़ जायगा।

हिन्दी में पत्र व्यवहार

२२. { **श्री क० भे० मालवीय** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार उन देशों के साथ भी अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करती है जिनकी राज भाषा अंग्रेजी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के साथ हिन्दी मे पत्र-व्यवहार करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) यदि कोई कठिनाई नहीं है, तो इस सम्बन्ध मे कब तक आदेश दिये जायेंगे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) यह बात उन देशों के व्यवहार पर निर्भर करती है। उनके साथ पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में होता है या स्थानीय भाषा में।

(ख) और (ग). बड़ी कठिनाई यह है कि हिन्दी जानने वाले योग्य कर्मचारियों की कमी है क्योंकि उन देशों के विदेश कार्यालयों में हिन्दी कोई नहीं जानता । इसलिए फिलहाल, भारतीय मिशनों को इन देशों की सरकारों के साथ या तो अंग्रेज़ी में पत्र-व्यवहार करना पड़ता है या स्थानीय भाषा में ।

नई दिल्ली में मुनीरका गांव के पास बनाये गये क्वार्टर

२३. **श्री क० भे० मालवीय :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राम गरीब :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में मुनीरका गांव के पास लगभग पांच हजार सरकारी मकान बन कर तैयार हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका अलाटमेंट अब तक क्यों नहीं किया जा सका;

(ग) इन क्वार्टरों के न दिये जाने से इन के बनने से अब तक सरकार को किराये की लगभग कितनी हानि उठानी पड़ी है; और

(घ) उनकी अलाटमेंट करने में क्या कठिनाइयां हैं तथा उन्हें जल्दी ही दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण उप मंत्री (श्री अनिल कु० चंदा): (क) से (घ). १२०० एकड़ वाले क्षेत्र में (मुनीरका गांव के पास) ४२२० मकानों का निर्माण हो रहा है और अभी तक ये मकान सब प्रकार से पूरे नहीं बने हैं । लकड़ी का काम, आन्तरिक स्वच्छता, पानी और बिजली की व्यवस्था करने और सड़कें बनाने का काम इस समय हो रहा है । बस्ती से बाहर जाने वाली मल निकास नाली और बिजली की व्यवस्था करने का काम भी दिल्ली नगर निगम ने शुरू कर दिया है । इस प्रकार अभी तक ये मकान निवास के लिए तैयार नहीं हुए हैं । इनके नियतन (अलौटमेंट) में विलम्ब और उसके फलस्वरूप होने वाली हानि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दी में कूटनीतिज्ञों के पारपत्र

२४. **श्री क० भे० मालवीय** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कूटनीतिज्ञों के पारपत्र (डिप्लोमैटिक पास्पोर्ट) आदि केवल अंग्रेज़ी में ही छापे जाते है;

(ख) क्या भविष्य में इस पर अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिन्दी भी छापी जायेगी;

(ग) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी नहीं । वर्तमान पासपोर्ट अंग्रेज़ी मे हैं और पासपोर्टधारी के निजी ब्यौरे और पासपोर्ट के नम्बर से संबद्ध मद अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी—दोनों भाषाओं में है ।

(ख) जी हां । यह किया जा रहा है ।

(ग) उम्मीद है कि इस वर्ष के खत्म होने से पहले ही नये पासपोर्ट छप जायेंगे।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा के लिये सीमेन्ट

†२५. श्री चित्तरंजन पाणिग्रही :
डा० सामन्त सिंहार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पिछले कई महीनों के दौरान उड़ीसा में सीमेन्ट प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई पड़ती है;

(ख) अप्रैल से जुलाई, १९६१ तक उड़ीसा के लिये कितनी बोरी सीमेन्ट आवंटित किया गया;

(ग) मांग कितने की थी;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा के काले बाज़ार में सीमेन्ट १२ रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बिक रहा है;

(ङ) सरकार वहां सीमेन्ट की इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने की सोच रही है; और

(च) सीमेन्ट की स्थिति में कब तक सुधार होने की आशा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) ७,७६,००० बोरियां।

(ग) २१,३९,८६० बोरियां।

(घ) सरकार को कालेबाज़ार के बारे में तो कोई शिकायत नहीं मिली। यदि वहां काला बाज़ार है भी, तो उसे रोकना राज्य सरकार का काम है। वह उड़ीसा सीमेंट नियंत्रण आदेश, १९५८ के अन्तर्गत उसे रोकने के लिये कार्यवाही कर सकती है।

(ङ) और (च). अप्रैल से जून १९६१ तक की तिमाही के लिये राज्य सरकार ने जनता के उपयोग के लिये सीमेंट का कोटा २,५२,००० बोरियां रखा था, लेकिन अब जुलाई से सितम्बर, १९६१ तक की तिमाही के लिये कोटा बढ़ा कर ३,१६,२०० बोरियां कर दिया गया है। अभी कुछ दिनों तक सीमेंट के निर्माण के लिये अनुज्ञप्त योजनाओं के पूरी होने तक संभरण की स्थिति में सुधार नहीं होगा और तब तक सीमेंट की कुछ न कुछ कमी बनी ही रहेगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ में विचाराधीन मामले

†२६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री २३ फरवरी १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित मदों के बारे में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने और क्या प्रगति की है :

१. दक्षिण अफ्रीका संघ में भारतीय उदभव के लोगों के साथ किया जाने वाला बर्ताव ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

२. दक्षिण अफ्रीका में जातियों की कलह का प्रश्न ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (१) और (२) संयुक्त राष्ट्र की महासभा के पन्द्रहवें अधिवेशन में इन दोनों विषयों पर चर्चा हुई थी और प्रत्येक के बारे में महासभा ने एक-एक संकल्प भी पारित किया था। दोनों संकल्पों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी जा रही है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३ और ४]**

भारत सरकार ने पहले विषय के सम्बन्ध में दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों को लिखा है और फिर एक बार वार्ता का सुझाव रखा है, लेकिन उसका केवल इतना उत्तर मिला है कि दक्षिण अफ्रीकी राजदूत को लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त का पत्र मिल गया है। खेद है कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने दूसरे विषय के सम्बन्ध में बिल्कुल चुप्पी साध ली है।

चूंकि महासभा में पिछली बार इनकी चर्चा के बाद से अब तक इन दोनों समस्याओं की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, इसलिये भारत सरकार ने कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर यह प्रस्ताव रखा है कि इन दोनों विषयों को महासभा के सोलहवें अधिवेशन की कार्यावलि में सम्मिलित किया जाये।

"चिड़ियाघर में एक दिन" नामक चलचित्र

†२७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २० फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि "चिड़ियाघर में एक दिन" नामक चलचित्र के निर्माण में आगे क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : चलचित्र पूरा तैयार हो चुका है।

आकाशवाणी का संस्कृत कार्यक्रम

२८ **श्री क० म० मालवीय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने अपने संस्कृत कार्यक्रमों के बारे में वैज्ञानिक ढंग से जनमत जानने का प्रयत्न किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस विषय में कुछ करना चाहती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर (क) जी, हां। १९५३–५४ में आकाशवाणी ने संस्कृत कार्यक्रमों के बारे में श्रोताओं के विचारों का सर्वे किया था।

(ख) सवाल नहीं उठता।

राजनयिक सम्बन्धों तथा उन्मुक्तियों के बारे में सम्मेलन

†२९. **श्री नाथ पाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में गत अप्रैल में वियना के हॉफबर्ग पैलेस में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक राजनयिक सम्बन्धों तथा उन्मुक्तियों सम्बन्धी सामान्य तथा व्यापक अभिसमय के बारे में एक समझौता करने के लिये हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उनमें भारत के प्रतिनिधि कौन-कौन थे ; और

(ग) इस बैठक के मुख्य-मुख्य निष्कर्ष क्या थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय प्रतिनिधि-मंडल में वियना-स्थित भारतीय राजदूत श्री आर्थर लाल, वैदेशिक कार्य मंत्रालय के वैधानिक तथा संधि विभाग के उप सचिव, डा० के० कृष्ण राव, वियना-स्थित भारतीय राजदूतावास के प्रथम सचिव श्री ए० के० मित्रा थे ।

(ग) सम्मेलन ने राजनयिक सम्बन्धों के अभिसमय का अनुमोदन कर दिया था और अब अलग-अलग देशों की सरकारें उस पर विचार करेंगी । अभिसमय की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जा रही है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३०१४/६१]**

आण्विक शक्ति संयंत्र

†३० **श्री नाथ पाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के व्यापारी सम्मेलन ने राजस्थान में एक आण्विक शक्ति संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । साथ में यह बताया जा सकता है कि, लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या ११०२ के उत्तर में २४ मार्च, १९६१ को जैसी सूचना दी जा चुकी है, योजना आयोग ने दिल्ली-पंजाब-राजस्थान-उत्तर प्रदेश क्षेत्र में एक आण्विक शक्ति केन्द्र के लिये उपयुक्त स्थान खोजने के लिये अणिवक ऊर्जा विभाग को प्राधिकृत कर दिया है हालांकि अभी तक ऐसे केन्द्र की स्थापना का निर्णय नहीं हुआ है । प्रारम्भिक जांच-कार्य चल रहा है ।

१९६१–६२ में आसाम के लिये व्यय

†३१. **श्री हेम बरुआ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ के दौरान आसाम के लिये होने वाले व्यय का निर्णय हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो व्यय की राशि कितनी है और विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितना आवंटन किया गया है ?

†**योजना उप मंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). आसाम सरकार ने १९६१–६२ की वार्षिक योजना के लिये १८.७५ करोड़ रुपये के व्यय रखने की सूचना दी है, जैसा कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिया हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५]**

रायपुर में ट्रान्समीटर

†३२. {**श्री हेम बरुआ** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १५ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रायपुर में एक पारेषक (ट्रांसमीटर) लगाने के काम में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : रायपुर-बिलासपुर सड़क पर ट्रांसमीटर लगाने के लिये चुना गया स्थान राज्य-सरकार से ले लिया गया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इमारत-निर्माण-कार्य कर रहा है। ट्रांसमीटर के लिये विद्युत संभरण के प्रबन्ध को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। ट्रांसमीटर यंत्र और उसे लगाने का 'मास्ट' भारत में आ चुका है। कुछ अन्य सहायक उपकरण के लिये आर्डर दे दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कर-अंशदान

†३३. **श्री गोरे** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों ने आयकर और निगमित कर के रूप में कितना अंशदान किया ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र :)** : यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारत-लंका वार्ता

†३४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** ४ मार्च १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी स्तर पर चलने वाली भारत-लंका विषयक वार्ता में आगे क्या प्रगति हुई ; और

(ख) इन वार्ताओं में क्या निर्णय किये गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). ४ मार्च, १९६१ को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या ५१७ का उत्तर देने के बाद से अब तक सरकारी स्तर पर भारत-लंका विषयक कोई वार्ता नहीं हुई।

नेहरू-नून करार

†३५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** ४ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच राज्य क्षेत्रों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में हुए नेहरू-नून करार के फैसलों को कार्यान्वित करने के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). भारत और पाकिस्तान के बीच अन्य राज्य-क्षेत्रों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही तभी की जायेगी जब सीमांकन का कार्य पूरा हो जायेगा, जो अभी चल रहा है।

सीमांकन-कार्य अभी भारत-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के २५१९ मील में से १६७१ मील में ही पूरा हुआ है। इतनी सीमा पर वहां खंभे गाड़ दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आण्विक शक्ति का शान्तिकालीन उपयोग

†३६. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री चुनी लाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के निकट तारापुर में, प्रस्तावित ३०० मेगावाट वाले आण्विक शक्ति केन्द्र के निर्माण में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या किसी देश का टेण्डर स्वीकार किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). बम्बई के निकट तारापुर में प्रथम आणविक शक्ति केन्द्र की स्थापना के लिये संसार के सभी देशों से टेण्डर मांगे गये हैं। टेंडर आने की अन्तिम तिथि ३१ अगस्त, १९६१ है।

इसी बीच उस के निर्माण की तैयारी का काम शुरू कर दिया गया है। उस स्थान तक पहुंचने वाली सड़क, अस्थायी कार्यालय की इमारत, विश्रामालयों और अस्थायी जल-संभरण के लिये कुंओं का निर्माण चल रहा है।

ताप-बेलित इस्पात के लिये मानक

†३७. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सै० अ० मेहदी :
डा० विजय आनन्द :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था ताप-बेलित इस्पात के लिये मानक निश्चित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). भारतीय मानक संस्था ताप-बेलित स्ट्रक्चरल इस्पात सैक्शनों के लिये निम्नलिखित मानक प्रकाशित कर चुकी है :—

(१) आई० एस० : ८०८–१९५७ रोल्ड स्टील बीम, चैनल और एंगिल सैक्शन्स

(२) आई० एस० : ११७३–१९५७ रोल्ड स्टील सैक्शन्स, टी बारस्; और

(३) आई० एस० : १२५२–१९५८ रोल्ड स्टील सैक्शन्स, बल्ब एंगिल्स

इन मानकों के अतिरिक्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के लिये एक भारतीय मानक संस्था गुटका : १, स्ट्रक्चरल स्टील सैक्शन्स भी प्रकाशित किया गया है, जिस में नये स्ट्रक्चरल स्टील सैक्शन्स की विशेषतायें बताई गयी हैं, नये सैक्शन्स के उपयोग के लिये नमूना तैयार करने वालों की सहायता के लिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य व्यापार निगम

†३८. {श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम के लिये भवन के निर्माण में तब से क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : निगम ने भूमि की लागत अदा कर दी है। निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ने, प्रतिरक्षा मंत्रालय के परामर्ष से, अब यह सुझाव रखा है कि उस क्षेत्र में आस पास एक मंजिली इमारतें होने के कारण निगम को अपने भवन की ऊंचाई तीस फीट से ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिये। अब निगम पर इस विचार कर रहा है कि इस प्रतिबन्ध को मानते हुए भवन का निर्माण किया जाये, या नहीं ।

चीन में भारतीय राजदूतावास का अधिकारी

†३९. {श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० च० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** १६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०४ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीन सरकार के नाम भेजे गये उस कड़े विरोध-पत्र का कोई उत्तर प्राप्त हुआ, जो पीकिंग में भारतीय राजदूत के निजी सहायक के साथ वहां किये गये दुर्व्यवहार के बारे में भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो उत्तर किस प्रकार का है; और

(ग) उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां।

(ख) उस उत्तर में उन आरोपों को ही दोहराया गया है, जिनको हम पहले ही ठुकरा चुके हैं ।

(ग) हम अब इस विषय पर चीन सरकार के साथ आगे लिखापढ़ी नहीं करना चाहते।

नान-कोकिंग कोयले की धुलाई के कारखानें

†४०. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **योजना** मंत्री १६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१९ के उत्तर के सबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने रेलवे के लिये नान-कोकिंग कोयले की धुलाई के कारखानों की स्थापना के लिये विशेष व्यवस्था करने के रेलवे मंत्रालय के अनुरोध पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या फल निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) और (ख). जैसाकि १६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१९ के उत्तर में बताया गया था, ईंधन गवेषणा प्रतिष्ठान से प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक जांच पड़ताल करने के लिये अनुरोध किया गया था । उसके परिणाम की प्रतीक्षा है ।

भारत-पाक कार्य संचालन समिति

†**४१. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ मार्च, १९६१ के बाद से अब तक भारत-पाक कार्य-संचालन समिति की कोई बैठक हुई है; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई, और उससे क्या निष्कर्ष निकले ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

यूरोपीय सामान्य मंडी

†**४२. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूरोपीय मंडी के छः सदस्यों द्वारा औद्योगिक माल पर लिये गये सामान्य प्रशुल्क के ठीक ठीक स्तर की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय निर्यात पर उसका क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** (क), (ख) और (ग). अभी जिनेवा में प्रशुल्क संबंधी वार्ता चल रही है। उसके निष्कर्षों के बाद ही यह पता चल सकेगा कि यूरोपीय सामान्य मंडी में बाहर के सभी औद्योगिक माल पर लगने वाले सामान्य प्रशुल्क का ठीक ठीक स्तर क्या होगा । भारत अभी यूरोप के उन देशों को कोई खास औद्योगिक माल नहीं भेजता । इसलिये प्रशुल्क के कम या ज्यादा होने से हमारे निर्यात व्यापार पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा ।

निर्यात करने वालों के लिये लम्बे अर्से के ऋण

४३. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात करने वालों को लम्बे अर्से के लिये ऋण देने के मामलों का परीक्षण करने के लिये छः व्यक्तियों की समिति के प्रतिवेदन का परीक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). प्रतिवेदन का अभी परीक्षण किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी मानचित्र

†४४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **प्रधान मंत्री** ६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चीन के उस मानचित्र को जिस में कुछ भारतीय क्षेत्रों को चीन के बतलाया गया था, बदलवाने के लिये विदेशों को कूटनीतिक अभिवेदन भेजे गये थे उनका परिणाम क्या रहा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** रूस, हंगरी, वियतनाम गणराज्य, चकोस्लोवाकिया और पूर्व जर्मनी का ध्यान इन देशों में प्रचलित कुछ गलत मान-चित्रों की ओर आकृष्ट करवाया गया है जिस में भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को गलत तौर पर दिखाया गया है। रूस सरकार ने उत्तर दिया है कि वह इस मामले की जांच करेंगे। हंगरी सरकार ने भी हमारे अभिवेदन पर विचार करने की बात कही है। वियतनाम के गणराज्य की सरकार ने तो हमें १९५९ में ही बता दिया था कि वह इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

मुद्रण कोटि में सुधार

†४५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मुद्रण कोटि में सुधार करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी, उस की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** प्रोत्साहन बोनस योजना को चालू करना योजना विभागों की स्थापना करने, प्रत्येक प्रैस में इलैक्ट्रिकल-कम-मेकेनिकल शाखायें खोलना, केस रूम्स में स्टील का फर्नीचर देना और कागज के रखने की ठीक व्यवस्था करना प्रैस हैंड बुक का पुनरीक्षण, इमारतों के निर्माण के साथ साथ मशीनें लगाने और बिजली देने की व्यवस्था करना आदि से सम्बन्धित सिफारिशें स्वीकार कर दी गयी हैं और उन को कार्यान्वित किया जा रहा है। अन्य सिफारिशों पर भी विचार किया जा रहा है।

उर्वरक संयंत्र

†४६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक उद्योग सर्वेक्षण मिशन की उन सिफारिशों पर विचार किया है जो कि उन्होंने उर्वरक संयंत्रों के बनाने के सम्बन्ध में की थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). सिंदरी में जो इस समय सुविधायें हैं उन का विकास कर के केन्द्रीय प्रविधिज्ञ संस्था का रूप दिया जा रहा है। यहां भारत के उर्वरक निगम के योजना तथा विकास संगठन को रखा जायेगा। ये वे सब प्राविधिक समस्यायें सुलझायेंगे, जिन का सम्बन्ध गवेषणा, क्रय, विकास निर्माण तथा इंजीनियरिंग से है। आगे से सर्वेक्षण मिशन की सलाह को उर्वरक परियोजनाओं को बनाने के समय सामने रखा जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

कांगड़ा चाय सहकारी कारखाना

†४७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री ६ अप्रैल १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में कांगड़ा के स्थान पर चाय सहकारी कारखाना स्थापित करने के मामले में क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : कांगड़ा में चाय सहकारी कारखाना लगाने के मामले पर बनाई पुनरीक्षित योजना पर पंजाब सरकार सविस्तार अमल कर रही है । पता चला है कि राज्य सरकार ने छोटे चाय उत्पादकों की समिति को रजिस्टर कराने की दिशा में पग उठा लिये हैं और छोटे चाय उत्पादकों से अंश पूजी एकत्रित करने का अभियान भी आरम्भ कर दिया जायेगा । इस दिशा में शीघ्र ही समिति के निर्माण हो जाने की आशा है ।

व्यापार और उद्योग सम्बन्धी रिपोर्टिंग प्रणाली

†४८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** १३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार और उद्योग सम्बन्धी रिपोर्टिंग प्रणाली को सरल बनाने और उसका ठीक समन्वय करने के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिये जो समिति नियुक्त की गयी थी, क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) अभी नहीं, कपड़ा और कोयला उद्योगों को ले लिया गया है । समवाय विधि के अतिरिक्त बाकी सभी प्रकार की रिपोर्टिंग के सरलीकरण सम्बन्धी प्रस्थापनाओं पर कपड़ा उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा अमल किया गया है और सम्बद्ध प्राधिकारों से इस पर चर्चा भी की गयी है । इस दिशा में काफी सीमा तक सहमति है । निर्देश समिति की बैठक शीघ्र ही इस पर विचार करने के लिये बैठेगी । उस समय सरकार को इस दिशा में प्रतिवेदन प्रस्तुत होगा । वह प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया जायेगा । कोयला उद्योग का कार्य भी इस दिशा में आरम्भ हो गया है ।

कर्म समितियां

†४९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री १३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने जनवरी १९६१ को बम्बई में हुई कर्म समितियों सम्बन्धी गोष्ठी के निर्णयों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री अबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) गोष्ठी में जो भी विचार प्रकट किये गये उन पर श्रमिकों की शिक्षा से सम्बन्धित बोर्ड ने विचार किया है, कि कर्म समितियों के सदस्यों के लिये शिक्षा कार्यक्रम क्या होना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी फिल्म

†५०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री क० द० परमार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १३ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी फिल्म के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : 'स्क्रिप्ट' को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

पंजाब की औद्योगिक बस्तियां

†५१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पंजाब में औद्योगिक बस्तियों के निर्माण के कार्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सविस्तार स्थिति क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ठ १, अनुबन्ध संख्या ६ ।]

पंजाब में कपड़ा मिलें

†५२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रंक राम रंगी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री २७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४००३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में कपड़ा मिलें चालू करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के आवेदन पत्रों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). पंजाब सरकार के परामर्श से इन आवेदन-पत्रों पर विचार अभी चल रहा है ।

भारत-चीन सीमा विवाद सम्बन्धी प्रतिवेदन

५३. **श्री बुशवक्त राय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अधिकारी दल ने जो रिपोर्ट भारत-चीन सीमा विवाद पर दी थी उसकी कितनी प्रतियां अब तक प्रकाशित की गई हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उक्त प्रकाशन की कितनी प्रतियां इस देश में और विदेशों में निःशुल्क बांटी गई हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :(क) पांच हजार।

(ख) विदेशों में लगभग २,४५० प्रतियां और भारत में १३०० ।

भारत-चीन सीमा पर विवाद सम्बन्धी प्रतिवेदन

५४. **श्री बुशवक्त राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-चीन सीमा विवाद पर भारतीय अधिकारी दल ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था क्या उसका किसी विदेशी भाषा में अनुवाद करके भी छापा गया है ;

(ख) यदि हां, तो भाषावार उक्त अनुवाद की कितनी कितनी प्रतियां प्रकाशित की गईं; और

(ग) उनमें से कितनी निःशुल्क बांटी गईं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). पूरी रिपोर्ट केवल अंग्रेजी में प्रकाशित की गई है। फिर भी, हमारे विदेश-स्थित मिशनों ने इसके (हमारे अधिकारी दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के) सारांश का अनुवाद कुछ बड़ी बड़ी विदेशी भाषाओं में कराया है। इन सारांशों की प्रतियां सभी को निःशुल्क दे दी गई हैं जिनमें प्रतिष्ठित लोग और समाचार-पत्र आदि भी शामिल हैं ।

नमक उद्योग

†५५. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) नमक समिति ने नियमित रूप में नमक उद्योग के विकास के लिये जो सिफारिशें की थीं उनको कार्यान्वित करने की दिशा में क्या क्या निर्णय किये गये हैं;

(ख) कौन से निर्णयों को अभी कार्यान्वित किया जाना है;

(ग) क्या स्वायत्त नमक बोर्ड की स्थापना कर दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो संक्षेप में उसका विधान और कार्यों का वितरण क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० ३०१५/६१ ।]**

(ग) अभी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशी फिल्में

†५६. **श्री अनजद अली** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जनता तथा अखबारों में जो कड़ी आलोचना हुई है उसके फलस्वरूप सरकार विदेशी फिल्मों के विवाचन सम्बन्धी अपनी नीति का पुनरीक्षण कर रही है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार की योजना क्या है; और

(ग) क्या वे सारे विधायन बोर्ड को ही बदलना चाहते हैं अथवा केवल नीति में ही परिवर्तन लाना चाहते हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भारत-चीन सीमा विवाद

५७. {**श्री भक्त दर्शन** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री जयप्रकाश नारायण के उस सुझाव की ओर दिलाया गया है जो उन्होंने १८-२० अप्रैल १९६१ को चेबरोल (मध्य प्रदेश) में हुए सर्वोदय सम्मेलन के सभापति पद से दिये गये अपने भाषण में दिया था और जिसमें उन्होंने यह कहा था कि भारत-चीन सीमा विवाद मध्यस्थ निर्णय द्वारा तय किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार इस सवाल को तय करने के लिए पंच-निर्णय को उचित तरीका नहीं समझती।

अखबारी कागज का निर्माण

†५८. {**श्री त० ब० विट्ठल राव** :
श्री हेम बरुआ :
श्री पांगरकर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के बोधन नामक स्थान पर खोई से कागज के निर्माण की प्रस्थापना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब आरम्भ हो रहा है; और

(ग) क्या इस परियोजना के लिए कोई आर्थिक सहायता दी जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जैसा कि ३१ दिसम्बर १९६० को तारांकित प्रश्न संख्या १०२९ के उत्तर में मैंने लोक सभा में बताया था, आंध्र में राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम द्वारा खोई से अखबारी कागज के निर्माण की योजना छोड़ दी गयी है। आंध्र सरकार राज्य में इस प्रकार के कारखाने की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही है, परन्तु उनसे भी अभी तक उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

संसद् में पांडीचेरी को प्रतिनिधित्व

†५९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी के राज्य विधान मंडल ने पांडीचेरी के लोगों के लिए भारतीय संसद् में प्रतिनिधित्व की मांग की है; और

(ख) क्या १९६२ के सामान्य चुनाव में पांडीचेरी राज्य को एक चुनाव क्षेत्र मान लेने की प्रस्थापना है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां; अगस्त, १९६० में प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पारित करके यह मांग की थी कि भारतीय संसद् में पांडीचेरी के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की जाये।

(ख) नहीं; जब तक अन्तिम रूप में पांडीचेरी का नियंत्रण हस्तांतरण न हो जाय इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देना सम्भव नहीं।

कोठागुदियम में उर्वरक संयंत्र

†६०. **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार की कोठागुदियम में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए दिये गये लाइसेन्स को किसी निजी सार्थ को हस्तान्तरण कर देने की प्रस्थापना पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यह लाइसेन्स किस सार्थ को हस्तान्तरित किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग). यह लाइसेन्स मैसर्स आन्ध्र सुगर्स लिमिटेड को दिया गया है। इन्होंने मैसर्ज सेशसयी ब्रादर्ज (त्रावनकोर) लिमिटेड के साथ मिल कर कारखाना स्थापित करने की प्रस्थापना प्रस्तुत की है।

भूमि सुधार

†६१. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
डा० सीमान्त सिंहार :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में भूमि सुधार का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए योजना के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि अलाट की गयी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री इया० नं० मिश्र)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३०१६/६१**]

हिमाचल प्रदेश का विकास

†६२. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कोडियान :

क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हिमाचल प्रदेश औद्योगिक तथा आर्थिक दृष्टि से देश का सब से अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र की आर्थिक दशा का सुधार करने की दिशा में तीसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत क्या विशेष पग उठाये जा रहे हैं; और

(ग) निकट भविष्य में कितने और उद्योग वहां आरम्भ किये जा रहे हैं और उनके नाम क्या हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री इया० नं० मिश्र)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७**]

उत्तर-प्रदेश को आर्थिक सहायता

६३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **योजना** मंत्री २७ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ के वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत धन राशियों में से प्रत्येक मद में कितना वास्तविक व्यय हो पाया, क्या इस बीच इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या तत्सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा;

(ग) जो मदें पूरी तरह खर्च नहीं हो सकीं क्या उनके कारणों पर भी प्रकाश डाला जायेगा;

(घ) विभिन्न मदों के लिए १९६१–६२ के वित्तीय वर्ष उत्तर प्रदेश को जो धन राशियां स्वीकृत की जाने वाली थीं, क्या उन्हें इस बीच अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उनका विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

योजना उपमंत्री (श्री इयान नन्दन मिश्र) : (क) सूचना की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) तथा (ङ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८**]

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कुटीर उद्योग

६४. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में कुटीर उद्योगों के सर्वेक्षण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है और जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य समाप्त हो गया है उनमें आगे क्या कार्यवाही की गयी है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): वितरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९]**

झील कुरंजा (गीता कालोनी) का विकास

६५. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की पुनर्वास बस्ती झील कुरंजा (गीता कालोनी) का कितना विकास किया गया है ; और

(ख) यह विकास कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) और (ख). बरसाती पानी की नालीयां तथा गन्दी नालियां बना दी गई हैं। जल हस्त द्वारा चलाये जाने वाले नलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। सड़कों तथा रास्तों का कार्य प्रगति पर है और आशा है कि यह मार्च १९६२ तक पूर्ण हो जायेगा। गलियों की रोशनी का कार्य दिल्ली नगर निगम द्वारा निष्पादित किया जायेगा जिसके निपटारे के लिये विशेष धनराशि निगम को दे दी गई है। निगम इस कार्य के विषय में विशेष प्राक्कलन तैयार कर रहा है।

विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों को दिल्ली नगर निगम को सौंपना

६६. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री बलराज मधोक :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की विस्थापित व्यक्तियों की किन-किन बस्तियों को दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है ;

(ख) शेष बस्तियां कब तक हस्तांतरित कर दी जायेंगी ;

(ग) कौन-कौन सी बस्तियां अभी तक दिल्ली नगर निगम को नहीं सौंपी गई हैं ;

(घ) यह हस्तांतरण किस करार के आधार पर किया गया है;

(ङ) इन बस्तियों के लिये सरकार ने दिल्ली नगर निगम को कितनी राशि दे दी है ; और

(च) इन बस्तियों में किये गये विकास कार्य का ब्योरा क्या है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० से० नास्कर): (क) से (ग). दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित की गई विविध शरणार्थी बस्तियों की सेवाओं सम्बंधी स्थिति अनुबंधन में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०]**। २७ बस्तियों में से ९ बस्तियां ऐसी हैं जिनकी कुर्द्धनियत सेवायें दिल्ली नगर निगम को सौंपनी शेष हैं। इन ९ बस्तियों में से ६ में सेवायें पूर्ण हो चुकी हैं और निगम से अनु-

रोध किया है कि इन्हें ले ले। निगम इन को लेन से पहले अपेक्ष्य बिहिताचार को पुर्ण कर रहा है। शेष ३ बस्तियों का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास है और यह संभवतः मार्च १९६२ तक पूर्ण हो जायेगा।

(घ) तथा (ङ). बस्ति की सेवाओं का प्रबन्ध तथा व्यवस्था स्थानीय निकाय का एक सामान्य कृत्य है। शरणार्थी बस्तियों में सेवाओं के प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व सरकार ने ले लिया था। प्रत्येक विशेष सेवा का कार्य समाप्त होने पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग समय समय पर उस सेवा की व्यवस्था का प्रबन्ध निगम को हस्तांतरित करता रहा है। जहां निगम ने किसी सेवा को इस कारण से लेने से इन्कार किया कि वह नगर स्तर से कम है, वह विशेष सेवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित स्तर पर लाई गयी और निगम को सौंप दी गयी या विशेष निधि निगम को इस प्रयोजन के लिये दे दी गयी। इस बारे में अभी तक निगम को लगभग ३० लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है।

(च) सड़कें, रास्ते, बरसाती पानी की नालियां, गन्दी नालियां और गलियों की रोशनी का उपबन्ध हो चुका है वे क्षेत्र जिनमें ट्रंक लाइन डाल दी गयी है वहां सिवेज तथा पीने के पानी का प्रबन्ध भी कर दिया गया है।

गोल मार्केट क्षेत्र के क्वार्टर

†६७. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७ तथा १९५८ में गोल मार्केट क्षेत्र के कुछ क्वार्टर सरकार द्वारा आवास के अयोग्य घोषित कर दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्वार्टरों को पुनः १९६० और १९६१ में बिना किसी प्रकार की मरम्मत इत्यादि के अलाट कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इन क्वार्टरों को खाली रखने के कारण सरकार को क्या हानि उठानी पड़ी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी हां।

(ख) कुछ क्वार्टर जो कुछ अच्छी अवस्था मे थे अस्थायी तौर पर अलाट कर दिये गये थे; परन्तु यह व्यवस्था स्थायी नहीं थी।

(ग) जब तक क्वार्टर ठीक प्रकार से नियमित रूप में अलाट किये जाने योग्य नहीं हो जाते तब तक उन से राजस्व की हानि होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब तक डी० आई० जैड० क्षेत्र के पुनर्निर्माण की प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता तब तक इन क्वार्टरों की मरम्मत का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हो सकता था। यदि मरम्मत के बाद ही इन को गिरा दिया जाता तो मरम्मत का व्यय व्यर्थ जाता। अब जब कि यह स्पष्ट हो गया है इस क्षेत्र का पुनर्विकास अभी देर से होगा अतः अब इन क्वार्टरों की मरम्मत का अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुनर्वास मंत्रालय में छंटनी

†६८. श्री बाजपेयी :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास मंत्रालय के अब तक छंटनी हुए लोगों को वैकल्पित रोजगार दे दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिला है;

(ग) अब तक कुल कितने व्यक्तियों की छंटनी की गयी है; और

(घ) १९६१ में कितने व्यक्तियों की छंटनी की जायेगी ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० से० नास्कर) : (क) जी हां। उनमें से कुछ व्यक्तियों को नियोजन और प्रशिक्षण के महानिदेशक के विशेष कोष्ठ के द्वारा रोजगार दिया जा चुका है, कुछ अन्य लोग अपने प्रयत्नों से नौकरी पाने में सफल हो गये हैं।

(ख) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि हमारी जानकारी के अनुसार छंटनी किये गये लोगों में अधिकांश विशेष कोष्ठ अथवा अपने प्रयत्नों के द्वारा पुनः काम पर लग चुके हैं। १७२३ व्यक्तियों को विशेष कोष्ट के द्वारा रोजगार मिल चुका है।

(ग) २६२४।

(घ) ५६५।

चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर अमल

†६९. श्री बाजपेयी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की बलरामपुर और तुलसीपुर की मिलों में चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आदिब अली) : (क) दोनों मिलों ने, केवल १९६० के गन्ने का मौसम समाप्त होने के बाद भी काम पर रखने के भत्ते को बढ़ी हुई दरों पर देने को छोड़ कर, अन्य सभी बातों में सिफारिशों पर अमल किया है। प्रबन्धकों से सिफारिशों के अवशेष अंश को भी क्रियान्वित करने को कहा जा रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पाकिस्तान के साथ सीमा समझौता

†७०. श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० गं० देव :
महाराज कुमार विजय आनन्द :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी १९६० को समाप्त हुए सीमा समझौते के संबंध में, इस वर्ष मई में, लाहौर में

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब सरकार और पश्चिमी पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच कोई वार्ता हुई ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(ग) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या नतीजा निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस बैठक में जिस मुख्य प्रश्न पर चर्चा की गयी थी वह उन मीनारों के संबंध में था जिन्हें दोनों पक्षों ने पंजाब पश्चिमी पाकिस्तान सीमान्त पर बनाया है। इस संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका। भारत पश्चिमी पाकिस्तान सीमान्त पर भूमि नियमों में परिवर्तन करने का यह विषय इसी महीने बाद में होने वाले भारत पाकिस्तान सम्मेलन में लिया जायेगा।

नकली रेशम का धागा

†७२. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में वास्तविक प्रयोग कर्त्ताओं तथा स्थापित आयातकों को मार्च, १९६१ में समाप्त होने वाली छमाही में नकली रेशम के धागे के आयात के लिये कितनी राशि की अनुज्ञप्तियां जारी की गयीं ; और

(ख) मद्रास राज्य के करघा उद्योग के लिये आवश्यक नकली रेशम के सूत का कितना प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन से दिया जाता है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) (१) वास्तविक प्रयोगकर्ता, कुछ नहीं

(२) विस्थापित आयातकर्त्ता रुपये १०५.१४६

(ख) अनुमानतः यह ४२ प्रतिशत है।

मनीपुर की औद्योगिक बस्ती

†७३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में औद्योगिक बस्ती की स्थापना की कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कौन सी जगह चुनी गई है कितनी राशि की व्यवस्था की गई है तथा कौन कौन से छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना इस बस्ती में की जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). मनीपुर राज्य में औद्योगिक बस्ती खोलने की योजना पर अभी विचार किया जा रहा है और प्रस्तावित बस्ती के स्थान तथा क्षेत्र के बारे में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है।

सिल्यूलोज उद्योग

†७४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में मनीपुर में सरकारी क्षेत्र में लुगदी और सिल्यूलोज के उद्योगों की स्थापना की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के विस्तृत विवरणों के सम्बन्ध में निश्चय किया जा चुका है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम १९५१ के अधीन सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में अमेरिकी समवाय

†७५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–६१ के दौरान कितने नये अमेरिकी समवायों ने भारतीयों की सहकारिता अथवा स्वाधीनता से भारत में अपना व्यवसाय आरम्भ किया है;

(ख) उन मुख्य उद्योगों के नाम क्या हैं जिन में यह समवाय स्थापित हुए हैं ;

(ग) भारतीयों और अमेरिकन भागीदारों के बीच पूंजी का क्या प्रतिशत है ;

(घ) भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या विशेष परित्राण विहित किये गये हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इन संयुक्त सहकारिता वाली फर्मों में पूंजी लगाई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १-४-१९५६ से ३१-३-१९६१ के बीच ऐसे २४ नये पूंजी निर्गमों की सहमति प्रदान की गयी जिन में अमेरिकी समवायों की भागीदारिता है । इस में अमेरिकी और भारतीय फर्मों के बीच केवल टैक्नीकल सहकारिता के मामले, जिन को सरकार की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है शामिल नहीं है ।

(ख) अमरीकी पूंजी भागीदारिता से प्रारम्भ की गई नई कम्पनियों का क्षेत्र बहुत व्यापक है । इस के अन्तर्गत मोटर गाड़ियों के पुर्जे, चीर फाड़ तथा औषधि सम्बन्धी उत्पाद, लुगदी तथा कागज फैरो मेंगनीज तथा अन्य मिश्रित धातुयें, अल्यूमीनियम, सीमेंट, कृत्रिम रबर, टायर, ट्यूब, कृत्रिम रेशम, रेयन, ढ़लाई घर, काला कार्बन, एन्टीबायोटिक, विद्युत् उपकरण इत्यादि शामिल है ।

(ग) अमरीकी तथा भारतीयों के बीच भागीदारिता प्रत्येक समवाय मे भिन्न है, तथापि सामान्यत: अमेरीकी भागीदारिता अल्पसंख्यक अंशधारण करने के आधार पर है । उक्त २४ मामलों मे से बहुत कम समवायों में अमेरींकी समवायों के बहुसंख्यक अंश हैं ।

(घ) विदेशी विनियोजन सम्बन्धी नीति की घोषणा प्रधान मंत्री द्वारा ६ अप्रैल, १९४९ को संसद् में दिये गये वक्तव्य में स्पष्ट की जा चुकी है । सहकारिताओं को स्वीकृत करने के पूर्व इस प्रकार की व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की, इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से स्थापित समितियों में, सावधानी से परीक्षा की जाती है । इस प्रकार की व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था को महत्व प्रदान किया जाता है जिस में भारतीय टैक्नीशियनों कार्यकारी अधिकारियों को उत्पादन तथा प्रबन्ध के सभी पहलुओं में प्रशिक्षण देने की संभावना होती है । जहां निर्माण कई प्रक्रमों में बंटा रहता है वहां स्वदेशी उत्पादन में शीघ्रता करने में अधिक जोर दिया जाता है ।

(ङ) सरकार ने ऐसी किसी संयुक्त सहकारिता फर्म में पूंजी नहीं लगाई गई है ।

मंगलौर में औद्योगिक बस्ती

†७६. **श्री आचार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य मंगलौर की औद्योगिक बस्ती के लिये आवश्यक इमारतों के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) बस्ती में वास्तविक कार्य के आरम्भ के लिये निर्माण कार्य तथा अन्य व्यवस्था कब तक पूरी हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेज में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) मंगलौर में औद्योगिक बस्ती की स्थापना की स्वीकृति ६ जून, १९५८ को दी गई थी। बस्ती के लिये भूमि अर्जन करने में एक साल का समय लगा क्योंकि बढ़ी हुई दर में भूमि के प्रतिकर का निश्चय करना था। तत्पश्चात् बस्ती में निर्माण कार्य के लिये टेंडर आमंत्रित किये गये। तथा विहित प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात् चुने हुए टेंडरों के आधार पर कार्य आरम्भ किया गया।

(ख) चार एककों के "ग" और "घ" प्रकार के ब्लाकों के निर्माण का कार्य लगभग समाप्ति पर है। इन कारखानों के वितरण के प्रार्थना पत्रों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और उन पर शीघ्र ही निश्चय किया जायेगा। प्राप्त कर्ताओं के मशीनें इत्यादि लगाने के पश्चात् लगभग ३ माह बाद इस बस्ती मे वास्तविक कार्य आरम्भ हो सकेगा।

बिजली बन्द होने से उत्पादन में हानि

†७७. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, और मई, १९६१ में बिजली के बन्द होने से पश्चिम बंगाल की इंजीनियरिंग, जूट और कपास उद्योगों के उत्पादन में हुई हानि के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस से कितने रुपयों की हानि हुई ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

बागान कर्मचारियों के लिये लाभांश

†७८. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान उद्योग में नियोजकों और मजदूरों के बीच लाभांश के संबंध में कोई समझौता हुआ है: और

(ख) यदि हां, तो लाभांश की क्या राशि निश्चित हुई है ?

†**श्रम मंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) आसाम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बागानों में वर्ष, १९५९, १९६० और १९६१ के लिये लाभांश के भुगतान के सम्बन्ध में नियोजकों और मजदूरों के बीच अभी हाल एक समझौता हुआ है।

(ख) इस समझौते के अधीन प्रत्येक समवाय को एक वर्ष में अपने लाभ की १४ प्रतिशत राशि अपने मजदूरों और क्लर्कों और डाक्टरी कर्मचारियों के बीच लाभांश के रूप में वितरित करने को पृथक रखनी होगी। इस समझौते में कुछ शर्तों के अधीन यह भी व्यवस्था की गई है कि आसाम और पश्चिमी बंगाल के ऐसे समवाय जिन्हें घाटा हो रहा है या जो उचित मुनाफा नहीं कमा रहे हैं वे न्यूनतम १० से २५ रु० तक लाभांश का भुगतान करेंगे।

प्रसाधन सामग्री का उत्पादन

†७९. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० में प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण में वृद्धि हुई है,

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक, और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस के क्या कारण हैं ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) लगभग १० प्रतिशत ।

(ग) बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये ।

त्रिपुरा में रिक्शा चालक

†८०. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कुल रिक्शा चालकों की कितनी संख्या है;

(ख) क्या सरकार के पास रिक्शा चालकों की दशा में सुधार करने के लिये कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) लगभग २,५०३ ।

(ख) और (ग). किसी प्रकार की शिकायत का सुझाव नहीं। सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों में रिक्शा चालकों की एक सहकारी योजना की स्थापना सम्बन्धी योजना परिचालित की गयी थी, तथापि त्रिपुरा के प्रशासन ने लिखा है कि रिक्शा चालकों ने इस योजना में कोई दिलचस्पी नहीं दिखलाई है ।

भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों में भेदभाव किया जाना

†८१. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधीन कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों में विदेशों में नियुक्ति से पूर्व भारत में ठहरने की मध्यावधि के सम्बन्ध में भेदभाव किया जाता है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस भेदभाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) जी नहीं, मुख्य कार्यालय में ठहरने की अवधि और विदेशों में नियुक्ति की पारियां प्रत्येक पदालि में भिन्न होती हैं, यह इस बात पर निर्भर है कि उस विशेष ग्रेड में कितने व्यक्ति विदेश स्थित मिशनों में काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में मुख्य कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की क्या संख्या है ?

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पदनिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के लिये भूमि

†८२. **श्री राम गरीब** : क्या **पुनर्वास और अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री ११ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पदनिवृत्त सैनिक कर्मचारियों को भूमि देने से सम्बन्धित नियम बना लिये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस प्रकार की भूमि मल्कियत तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी अधिकारों सहित दी जा रही है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कार)** : (क) और (ख). भूमि पुनर्वास नियमावलि में भूमि वितरण सम्बन्धी सभी नियम जो कि विस्थापित भूमि के दावेदारों पर लागू होते हैं, वे सभी पदनिवृत्त सैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होते है । तथापि प्रतिरक्षा मंत्रालय की एक योजना के अधीन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि केवल पदनिवृत्त सैनिक कर्मचारियों को देने के लिये ही संरक्षित हैं । इन क्षेत्रों में भूमि के वितरण सम्बन्धी अतिरिक्त नियमों को बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें भूमि अर्द्ध स्थायी आधार पर दी जाती है उचित जांच के पश्चात् स्थायी अधिकार दे दिये जाते हैं ।

विवरण

(१) वितरण के लिये/ निश्चित जिलों में ही भूमि दी गयी थी ।

(२) एलाटी का चुनाव करते समय निम्नलिखित को पूर्ववर्तिता दी गयी :

(क) ऐसे अर्हता प्राप्त दावेदारों को जिन्हें कोई अस्थायी भूमि नहीं दी गयी थी ।

(ख) ऐसे अर्हता प्राप्त दावेदारों को जिनके पुत्र अथवा भाई जम्मू और काश्मीर क्षेत्रों में काम कर रहे थे; और

(ग) जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में वीरता के पदक मिले थे ।

(३) ऐसा व्यक्ति जो ५० पक्के एकड़ से अधिक भूमि प्राप्त करने का अधिकारी था उसे प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये निश्चित गांवों में भूमि नहीं मिल सकती थी ।

(४) जहां कहीं निकटवर्ती गांव या ऐसा गांव जिसका अतिरिक्त मूल्य हो चुना गया था, वहां भूमि का आवंटन अतिरिक्त मूल्य के अधीन किया गया ।

(५) ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें उक्त चुने हुए गांवों में भूमि दी गयी थी वहां श्रेणीकरण सम्बन्धी नियमों पर अधिक कठोरता से अमल नहीं किया गया ।

भारत-पाक करार को लागू करना

८३. **श्री सरजू पाण्डे :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्रियों का सम्मेलन अचल सम्पत्ति के झगड़े के सिलसिले में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या निर्णय किया गया ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी नहीं । यह सम्मेलन दो देशों में चल सम्पत्ति के करार के परिपालन के विषय में हुआ था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय सम्पादक को राष्ट्रसंघीय पुरस्कार

८४. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास से निकलने वाले हिन्दू के उप-सम्पादक श्री कृष्णमाचारी बलरामन् को इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोई पुरस्कार दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पुरस्कार का नाम क्या है और उसकी राशि कितनी है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) और (ख). जी नहीं। जर्नेलिस्टक फ्रेटरनिटी, सिगमा डेल्टा ची ने संयुक्त राष्ट्र के समाचार बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत करने के लिए उन्हें पुरस्कार दिया है। इस पुरस्कार में एक कांसे की तख्ती, एक प्रशस्ति (साईटेशन) और ५०० डालर थे।

छटा ग्रीषम कालीन नाट्य उत्सव

†८५. **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगंधी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गायन तथा नाटय विभाग द्वारा संयोजित शष्ठ ग्रीष्म नाट्य उत्सव में जो दिल्ली में हुआ था प्रत्येक भाषा के कितने ड्रामे किये गये थे;

(ख) प्रत्येक नाट्य-मंडली पर कितना धन व्यय किया गया था;

(ग) क्या इस प्रकार के नाट्य उत्सव राज्यों में करने का भी विचार है; और

(घ) ड्रामाओं में भाग लेने वालों का चयन किस प्रकार होता है तथा उनको पारिश्रमिक किस आधार पर दिया जाता है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) तथा (ख). दो विवरण अलग से सभा पटल पर रखे जा रहे हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११ और १२]**

(ग) केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

(घ) सामान्यत: तो राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये व्यक्तियों को ही उत्सव में सम्मिलित किया जाता है। गायन तथा नाट्य विभाग द्वारा प्रमुख व्यावसायिक तथा शौकीन कलाकारों को स्वंत रूप से भी आमंत्रित किया जाता है। पहली दशा में पारिश्रमिक राज्यों द्वारा तय किया जाता है और सरकार तथा नाट्य विभाग आधा आधा बांट लेते हैं। दूसरी दशा में पारिश्रमिक कलाकार की ख्याति तथा उसके स्थान की दूरी को ध्यान में रख कर बातचीत के आधार पर निश्चित किया जाता है। पारिश्रमिक में प्रति व्यक्ति १० रुपये दैनिक भत्ता भी सम्मिलित है। इसमें आधा दिन आने और जाने तथा दिल्ली में एक दिन पुनर्भ्यास और नाट्य करने का दिन भी सम्मिलित है। प्रत्येक नाटक पर सामान्यत: २५० रुपये व्यय होते हैं। साथ ही आवश्यक वस्तुओं का परिवहन व्यय अथवा रेलवे भाड़ा भी शामिल है।

---

†मूल अंग्रेजी में

साबुन निर्माता

†८६. श्री अगाड़ी :
श्री बोडयार :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामीण उद्योग द्वारा प्रत्येक राज्य में तथा प्रति वर्ष साबुन बनाने वाली संस्थाओं को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और १९५६–५७ से लेकर अब तक आंध्र, मैसूर, मद्रास और महाराष्ट्र राज्यों को कितनी-कितनी सहायता दी गई है;

(ख) उन संस्थाओं की विशेष बातें क्या हैं, तथा प्रत्येक को प्रति वर्ष कितनी सहायता दी गयी है;

(ग) क्या यह सच है कि साबुन बनाने वाले कारखाने अधिकांशत: दिवालिये हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो जो संस्थाएं बन्द हो गई हैं तथा जिन्होंने अग्रिम राशि चुकाई नहीं है उनकी विशेष बातें क्या हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). वांछित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० ३०१७/६१]

(ग) तथा (घ). अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार केवल दो संस्था दिवालिया हुई हैं । इनमें से एक संस्था तो महाराष्ट्र में तथा दूसरी मद्रास में है अर्थात् विद्यार्थी सुधार संघ, नागपुर और आनन्दम् हरिजन साबुन निर्माता कर्मचारी सहकारी कुटीर उद्योग सोसाइटी लिमिटेड, रानीपेट, जिला नार्थ अर्काट में है। इनको खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग से १९५६–५७ में क्रमश: ६,१५० रुपये अनुदान तथा १०,२५० रुपये ऋण के रूप में और १९५८–५९ में ३,१५० रुपये अनुदान तथा ७,२५० रुपये ऋण के रूप में दिये गये थे ।

आसाम में विस्फोटक पदार्थों का गुम हो जाना

†८७. श्री सुबिमल घोष: क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री ५ मई, १९६१ को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य के सम्बन्ध में, जो आसाम राज्य के मार्गेरिटा के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के भांडागार में रखे गये विस्फोटक पदार्थों के खोने के बारे में था, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को किस प्रयोजनार्थ ये विस्फोटक पदार्थ दिये गये थे;

(ख) क्या ये बिल्कुल ही खो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनके बारे में कोई जांच की गई है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) पहाड़ी सड़कें बनाते समय चट्टान उड़ाने के लिये ।

(ख) तथा (ग). चुराये गये पदार्थ में से अभी कुछ नहीं मिला है । पुलिस जांच कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महिला संगठन का यूगोस्लोवियाई संघ

†८८. **श्री सुबिमन घोष:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के प्रचार विभाग ने (प्रेस रिलेशन ऑफ दी एक्स० पी. डिवीजन) ने इस समाचार का प्रसार किया है कि एक भारतीय महिला निजी व्यक्तित्व आधार पर महिला संगठन के यूगोस्लोवियाई संघ में जून, १९६१ के शुरू में सम्मिलित हुई है ;

(ख) यदि हां तो इस प्रकार के समाचार छापने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उस संघ में सम्मिलित होने का उनका सारा खर्च भारत सरकार कर रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) जी हां ।

(ख) हमारे दूतावास प्रमुख भारतीयों द्वारा विदेशों के दौरा करने के समाचारों से हमें अवगत कराते रहते हैं और इस प्रकार के समाचारों में जो कि समान्यत: वैदेशिक कार्य मन्त्रालय द्वारा जारी किये जाते हैं उनकी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हलचल का ब्यौरा होता है ।

(ग) जी नहीं ।

रुई का निर्यात

†८९. **सरदार इकबाल सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में जितनी रुई का निर्यात किया गया है उससे कितना विदेशी विनिमय प्राप्त हुआ है; और

(ख) रुई निर्यात करने की हमारी क्षमता कितनी है और वास्तव में हम कितना निर्यात कर रहे हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) ८.१४ करोड़ रुपये ।

(ख) १९६०–६१ की फसल को ध्यान में रखते हुए ऐसी आशा है कि लगभग ३ लाख गांठों का निर्यात हम कर सकेंगे जिसका मूल्य लगभग १२ करोड़ रुपये होगा । ऐसी सम्भावना है कि उतना ही निर्यात हम कर सकेंगे ।

पश्चिमी जर्मनी के साथ व्यापार अन्तर

†९०. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५८ से लेकर अब तक पश्चिमी जर्मनी के साथ किस हद तक व्यापारिक अन्तर में कमी हुई है ;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पश्चिमी जर्मनी के साथ इस अन्तर की वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) पश्चिमी जर्मनी के साथ भारत का व्यापारिक अन्तर वर्ष १९५८, १९५९ और १९६० में क्रमश: ७९.२५ करोड़, १००.९२ करोड़ तथा ९४.१६ करोड़ रुपये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पश्चिमी जर्मनी के साथ हमारे व्यापार में जो अन्तर रहा है उसका महत्वपूर्ण कारण यही है कि हम जिन वस्तुओं का वहां से आयात करते हैं उनके सम्भरण के मामले में उस देश में प्रति-स्पर्द्धात्मक साधन अपनाये जाते हैं। दूसरी ओर भारत जिन वस्तुओं का वहां के लिये निर्यात कर सकता है वहां उनके आयात पर काफी प्रतिबन्ध है, काफी प्रशुल्क है, और वहां के स्थानीय कर भी काफी मात्रा में हैं।

(ग) हमने पश्चिमी जर्मन सरकार पर आयात प्रतिबन्धों में कमी करने, प्रशुल्क तथा स्थानीय करों में कमी करने के बारे में विचार करने के लिये जोर डाला है और इसके अतिरिक्त एक विशेष व्यापार वृद्धि संगठन के द्वारा, जिसकी स्थापना १९५९ में फ्रेंकफुर्ट में हुई थी, निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिये भी प्रयत्न किये गये हैं।

आसाम में बसाये गये पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये रोजगार

†९१. **सरदार इकबाल सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए व्यक्तियों को रोज़गार देने के लिये छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके लिये कोई सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये ऋण

†९२. **सरदार इकबाल सिंह:** क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये अब तक पंजाब सरकार के द्वारा कितना ऋण दिलाया गया है; और

(ख) कितनी राशि बकाया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर):** (क) ३१ मार्च, १९६१ तक १०७१.४६ लाख रुपये।

(ख) ५६७.८० लाख रुपये।

पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों की शिक्षा

†९३. **सरदार इकदाल सिंह :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों की सभी प्रकार की शिक्षा पर १९४७ से लेकर १९६० तक प्रतिवर्ष कितना धन व्यय किया गया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर):** पंजाब सरकार से यह जानकारी मांगी गई है और मिल जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान से आये गैर-मुसलमानों का प्रव्रजन

†९४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१–६२ में प्रतिमास कितने पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** प्रव्रजन सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखा जाता हैं ।

विवरण

महीना	पूर्वी पाकिस्तान से	पश्चिमी पाकिस्तान से	योग
जनवरी	६७९	११८	७९७
फरवरी	९०९	१५३	१,०६२
मार्च	८७६	२३१	१,१०७
अप्रैल	७४१	२४०	९८१
मई	९२७	३९१	१,३१८
जन	८८२	३९१	१,२७३
कुल योग			६,५३८

कनाडा तथा अमरीका जाने वाले भारतीयों को पासपोर्ट (पारपत्र) जारी करना

†९५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९–६० तथा १९६०–६१ में कनाडा तथा अमरीका जाने वाले कितने भारतीयों को पारपत्र जारी किए गए ?

†**प्रधान मंत्री तथा वदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** दो वर्षों में जारी किये पारपत्रों की संख्या निम्न है :

	१९५९–६०	१९६०–६१
कनाडा	४,७७४	६,६६८
अमरीका	६,७२९	९,६८९

अफ्रीका के लिये आर्थिक मिशन

†९६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई आर्थिक मिशन अफ्रीका भेजने का विचार है ;

(ख) यदि हां तो इसका क्या उद्देश्य है; और

(ग) इस मिशन में कितने तथा कौन कौन व्यक्ति सदस्य होंगे ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

पंजाब में राल उद्योग

†९७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने अपने यहां राल उद्योग की स्थापना करने अथवा उसका विकास करने के लिये वर्ष १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में केन्द्र से कोई सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां तो किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

डेनमार्क के लिये निर्यात

†९८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ तथा १९६० में यदि डेनमार्क को कुछ निर्यात किया गया था तो कितना निर्यात किया गया था ; और

(ख) यूरोप की स्वतंत्र व्यापार संस्था में डेनमार्क द्वारा भाग लेने के कारण भारत और डेनमार्क के निर्यात व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) भारत का डेनमार्क के लिये निर्यात

१९५९	२३३ लाख रुपये
१९६०	१८० लाख रुपये

(ख) डेनमार्क का यूरोप की स्वतंत्र व्यापार संस्था में भाग लेने के कारण भारत से किये जाने वाले निर्यात व्यापार पर निम्न कारणों से कोई प्रभाव इसलिये नहीं पड़ेगा :

(१) यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार संस्था के नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य देश को यह छूट होगी कि वह किसी दूसरे देश से निजी उपकर तथा प्रशुल्क जारी रख सकता है ; और

(२) यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार संस्था के अन्य सदस्य देश भारत द्वारा डेनमार्क को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में बहुत कम प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।

निष्क्राम्य सम्पत्ति के महाभिरक्षक

†९९. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाभिरक्षक ने मंत्रालय को स्पष्टीकरण के लिये एक महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न भेजा है कि क्या वे अपने पूर्ववर्ती महाभिरक्षक के आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकते हैं,

†मूल अंग्रेजी में

अथवा निष्क्राम्य सम्पत्ति अधिनियम की धारा ६ के अधीन अथवा सामान्य खंड अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा करने के लिये अधिकार प्राप्त कर सकते हैं ; और

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर हां है तो कितने मामलों में उन्हें यह अधिकार दिया गया है, अथवा प्रत्येक सम्बन्धित मामलों में अनुमति दी गई है और कितने मामले अभी तक विलम्बित हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

डीजिल इंजिन तथा पम्प

†१००. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर स्थित भारतीय आयोग ने अभी हाल में सिंगापुर के विपणन तथा मलाया संघ का सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां के विपणन में डीजल इंजन तथा पम्प के लिये अच्छा क्षेत्र है ; और

(ग) विपणन में अपना माल भेजने के लिये उसके बाद से सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) तथा (ख). जी हां ।

(ग) भारत के इंजन तथा पम्प निर्माताओं को वह प्रतिवेदन भेज दिया गया है और उनसे कहा गया है कि वे अपना निर्यात बढ़ाने के लिये भर सक प्रयत्न करें। इंजीनियरिंग निर्यात वृद्धि परिषद् द्वारा, विस्तृत अध्ययन, व्यापारिक बातचीत करने, अभिकर्ताओं की नियुक्ति, बिक्री के बाद सेवा की व्यवस्था के लिये, कुछ दल भेजे जा रहे हैं। सिंगापुर में जो अभी हाल में प्रदर्शनी हुई थी उसमें डीज़ल इंजन तथा पम्पों का प्रदर्शन भी किया गया था।

सोडियम कारबॉक्सी मेथिल सेल्युलोज[1]

†१०१. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने एक गुजराती फर्म को सोडियम कारबॉक्सी मेथिल सेल्युलोज़ का बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए लाइसेंस मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है उसकी लाइसेंस प्राप्त उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ग) क्या मेथिल सेल्यलोज़ का देश में वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन करने वाली यह पहली फर्म होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). मेसर्स सर देसाई ब्रदर्स लिमिटेड, अहमदाबाद और मेसर्स सेल्युलोज़ प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, अहमदाबाद को उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत सोडियम कारबॉक्सी मेथिल सेल्युलोज़ के निर्माण के लिए लाइसेंस दिए गए हैं और उनकी क्षमता क्रमश: १,२०० टन और १५०० टन प्रति वर्ष होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sodium Carboxy Methyl Cellulose.

(ग) मेसर्स सर देसाई ब्रदर्स लिमिटेड देश में कार बॉक्सी मेथिल लेल्युलोज़ का उत्पादन करने वाली पहली फर्म है ।

चाय संवर्धन कार्य

†१०२. **श्री प्र० चं० बरुआ:** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा देश में तथा बाहर प्रारम्भ किए गए चाय संवर्धन कार्यों में हाल के वर्षों में बहुत कटौती कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) चाय के संवर्धन के लिए देश में तथा विदेशों में कौन कौन से कार्य प्रारम्भ किए गए थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) और (ख). गत तीन वर्षों में चाय के संवर्धन के लिए देश में तथा विदेशों में किया गया व्यय निम्न प्रकार है :

	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१
भारत में चाय का	रुपए	रुपए	रुपए
संवर्धन	३२,२१,१८८	२४,०१,७०७	१८,२२,९४८*
भारत के बाहर चाय का संवर्धन			
चाय परिषदों को अंशदान	३९,१६,३१२	४१,४६,३१४	२१,७३,८७८*
बाह्य संवर्धन पर अन्य व्यय	४,०९,२६९	४,२६,४५७	१०,२६,२००*
	४३,२५,५८१	४५,७२,७७१	३२,००,०७८

(* १९६०–६१ के आंकड़े अन्तर्कालीन हैं ।)

वास्तव में भारत के बाहर चाय के संवर्धन के आंकड़ों से कार्यों में कोई कमी नहीं मालूम होती है । व्यय में कमी मुख्यत: सहभागियों द्वारा किए जाने वाले अंशदानों के आधार के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिम जर्मनी की चाय परिषदों को कम अंशदान दिए जाने के कारण है ।

आन्तरिक संवर्धन कार्य भी जारी है परन्तु उसे नया रूप दिया गया है । बहुत से आन्तरिक संवर्धन कर्मचारियों को बड़ी औद्योगिक स्थापनाओं की कैंटीनों में मंत्रणा सेवाओं में लगा दिया गया है । ये कैंटीनें कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों का काफी हिस्सा भुगतान करती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रमुख आन्तरिक संवर्धन कार्य

(१) कुछ अवधि के लिये चाय बोर्ड के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करके औद्योगिक कैंटीनों को मंत्रणा सेवा उपलब्ध करना ;

(२) चाय केन्द्र और चायघर (टी बफेट्स) चलाना ;

(३) प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

प्रमुख विदेश संवर्धन कार्य

(१) संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिम जर्मनी में चाय परिषदों द्वारा लंका और स्थानीय चाय व्यापार के सहयोग से और आयरिश चाय परिषद् में स्थानीय चाय व्यापार से संयुक्त संवर्धन जारी रखना ;

(२) ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब गणराज्य में भारतीय चाय के हितों की देखभाल करने के लिये उन देशों में चाय बोर्ड के कार्यालय स्थापित करना । पश्चिम जर्मनी और ईराक में भी ऐसे कार्यालय खोले जायेंगे ;

(३) विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेना ;

(४) भारत को व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रयत्न करना ;

(५) काहिरा में चाय केन्द्र खोलना ; और

(६) आस्ट्रेलिया में शुद्ध भारतीय पैक चालू करना ।

हाथ से बने कागज का आयात

†१०३. **श्री दलजीत सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में १९६०–६१ और १९६१–६२ में अभी तक कितना हाथ से बना कागज आयात किया गया ; और

(ख) उसी अवधि में हमारे देश में ऐसा कितना कागज बनाया गया ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) वर्ष १९६०–६१ में ६ हंडरवेट हाथ से बना तथा सांचे से बना कागज आयात किया गया था । वर्ष १९६१–६२ के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) विभिन्न एककों ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की सहायता से १९६०–६१ और १९६१–६२ (३०–६–६१ तक) में क्रमशः ८८०.१२ और १८५.२ टन हाथ से बने कागज का उत्पादन किया ।

पंजाब में अम्बर चर्खे

†१०४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में १९६१-६२ में अभी तक कितने अम्बर चर्खे वितरित किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) वहां कुल कितने चर्खे चल रहे हैं ; और

(ग) उनसे कितना सूत तैयार किया गया ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) अभी तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पंजाब राज्य में १९६१–६२ में जून, १९६१ के अन्त तक ४१ अम्बर चर्खे वितरित किये गये हैं।

(ख) मोटे तौर से यह अनुमान किया जाता है कि पंजाब में अभी तक वितरित किये गये २०,९७३ चर्खों में से १२,५८४ चर्खे ३० जून, १९६१ को चालू थे।

(ग) जून, १९६१ को अन्त होने वाली तिमाही में ०.१५ लाख पौंड अम्बर सूत का उत्पादन हुआ।

घड़ियों का आयात

†१०५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९६१ से जून १९६१ तक की अवधि में विदेशों से कितनी घड़ियों का आयात किया गया ; और

(ख) कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). भारत में जनवरी—मार्च, १९६१ में आयात की गई घड़ियों (स्टाप घड़ियों' हाथ की घड़ियों तथा वाच मुवमेंट वाली दीवाल घड़ियों को सम्मिलित करके) की संख्या और उनका मूल्य नीचे दिये गये हैं। मार्च के बाद के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

संख्या	मूल्य रुपये
१५,६००	५,८७,०००

योजना प्रचार

†१०६. **श्री दलजीत सिंह**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली शासन द्वारा १९६०–६१ और १९६१–६२ में अभी तक योजना प्रचार पर कितना धन व्यय किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार है :

	रुपये
१९६०–६१	६८,३०६
१९६१–६२ (३० जून तक)	१,२३५

आयात लाइसेंस

†१०७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात तथा आयात के लाइसेंस प्राप्त करने में बुरे साधन अपनाने के कारण १९६१ में अभी तक कितनी कितनी फर्मों को ब्लैक लिस्ट किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: ४४ (२०-७-१९६१ तक) ।

सहकारी समितियों का ऋण

†१०८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब की राज्य सरकार ने हाल में प्राइमरी सहकारी समितियों को उपकर निधि में से कार्यवहन पूंजी ऋण देने की कोई योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) केन्द्र द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) राज्य को इस मामले में कितनी केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पंजाब और दूसरी पंचवर्षीय योजना

†१०९. **श्री दलजीत सिंह:**
सरदार इकबाल सिंह:
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित राशि पूरी व्यय हो चुकी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कितनी राशि बाकी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) और (ख). राज्य के १९६०-६१ के वास्तविक योजना व्यय के आंकड़े अभी प्रतीक्षित हैं ।

शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार

†११०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ के पहले छै महीनों में गत वर्ष की तुलना में अधिक रजिस्टर्ड शिक्षित बेरोजगार को रोजगार दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्तियों को ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य	जनवरी से जून के दौरान रोजगार में लिये गये शिक्षित व्यक्तियों की संख्या	
	१९६०	१९६१
(१)	(२)	(३)
आंध्र प्रदेश	४,१७७	६,१५०
आसाम	३१६	३९४
बिहार	१,१८२	२,३७१
दिल्ली	१,५९४	१,८८५
गुजरात	२,१६५	३,१८२
हिमाचल प्रदेश	२८७	२९४
जम्मू तथा काश्मीर	११२	१३३
केरल	२,११३	२,९४१
मध्य प्रदेश	१,४८४	३,६७४
मद्रास	६,१९०	७,३७८
महाराष्ट्र	५,८३७	७,९७०
मनीपुर	७६	२८३
मैसूर	३,२९९	५,०१६
उड़ीसा	७५१	१,६४९
पांडिचेरी	१४	३५
पंजाब	४,३१४	७,०५८
राजस्थान	३,२७७	३,८८१
त्रिपुरा	२४४	१४९
उभर प्रदेश	५,४१९	१२,२६५
पश्चिम बंगाल	१,३३०	१,९३१
अखिल भारतीय योग	४४,१८१	६८,६३९

दिल्ली में बेरोजगार

†१११. **श्री दलजीत सिंह:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १९६१ की प्रथम तिमाही में रजिस्टर्ड बेरोजगारों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) इसी अवधि में कितने बेरोजगार स्नातकों , इन्टर पास तथा मैट्रिक पास व्यक्तियों ने अपने नाम रजिस्टर, कराये ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क)

	दिल्ली के रोजगार दफ्तर के चालू रजिस्टर में महीने के अन्त में दर्ज व्यक्तियों की संख्या
जनवरी, १९६१	५९,७५९
फरवरी, १९६१	५९,०१५
मार्च, १९६१	५८,२३९

(ख)

	जनवरी-मार्च में रजिस्टर्ड व्यक्तियों की संख्या
स्नातक	१,०१८
इन्टरमीजिएट पास	५२०
मैट्रिक पास	४,८७१

त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड

११२. **श्री कालिका सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के एक प्रमुख ब्रिटिश औद्योगिक संस्था बुकर्स द्वारा भारत के साहनी संगठन के सहयोग से ४५०,००० पौंड की पूंजी से, जिसमें से ५० प्रतिशत बुकर्स की होगी, भारत में निगमित किया गया है ;

(ख) क्या भारत के निवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री मेहर चन्द महाजन बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के एक सदस्य हैं ;

(ग) त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की निर्माण क्षमता कितनी है ; और

(घ) नई कम्पनी कहां स्थित है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कम्पनी को जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस के अनुसार उसके द्वारा चीनी और कागज उद्योगों के लिए एक पारी के आधार पर प्रतिवर्ष १५५ लाख रुपये के इंजन, टरबाइन और अन्य मशीनों का निर्माण किए जाने की आशा है ।

(घ) कम्पनी का रजिस्टर्ड दफ्तर नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग, ५, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में स्थित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रायपुर-जगदलपुर रोड पर शरणार्थियों के मकान

†११३. **श्री किस्तैया :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायपुर से जगदलपुर की सड़क के किनारे किनारे अनेक मकान क्यों बनाये गये हैं जिनमें कोई भी शरणार्थी नहीं रहता है ;

(ख) उन पर अनुमानतः कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) क्या उन मकानों के स्थानीय आदिम जातीय लोगों द्वारा उपयोग की अनुमति दे दी जा सकती है । यदि उन्हें आवश्यकता हो ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर):** (क) और (ग). विस्थापित व्यक्तियों के लिए उनके पुनर्वास के लिए गांवों की जगहों तक भेजे जाने तक के समय के लिए कार्य-एवं रहने के स्थान का उपबन्ध करने के लिए दण्डकारण्य में बस्ती के क्षेत्रों के निकट राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४३ और अन्य सड़कों के किनारे कार्य-केन्द्र बनाने की योजना बनाई गई थी । अभी तक दण्डकारण्य में लगभग ३००० विस्थापित परिवार पहुंचे हैं । पिछले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल के १५,०००—२०,००० कैम्प परिवारों को और नोटिस जारी किए गए हैं, जब तक इन परिवारों की समस्या हल न हो तब तक इन केन्द्रों के अन्य लोगों द्वारा आदिवासियों को सम्मिलित करते हुए—उपयोग किए जाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं समझा जाता है ।

(ख) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४३ पर चरमा और जगदलपुर के बीच बने कार्य-केन्द्रों पर मार्च, १९६१ के अन्त तक कुल ८,१६,०३४ रुपये व्यय हुए हैं ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४३ का दंडकारण्य विकास प्राधिकार से लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण

†११४. **श्री किस्तैया :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४३ रायपुर से ले कर जगदलपुर तक दण्डकारण्य विकास प्राधिकार से पुनः जलोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की जाने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अन्तरिम काल मे उस सड़क की व्यवस्था कौन सा विभाग करेगा ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर):** (क) से (ग). रायपुर से जगदलपुर तक का राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४३ प्रारम्भ में दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों को स्थायी पुनर्वास के लिए गांवों की जगहों तक भेजे जाने तक के समय के लिए रोजगार देने की दृष्टि से ग्रहण किया गया था । परन्तु नीति बदल जाने के कारण, जिसके अनुसार विस्थापितों को केवल उनके पुनर्वास से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित कार्यों में नियोजित किया जाना था, और इंजीनियरिंग कर्मचारियों और अच्छे ठेकेदारों की कमी के कारण राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४३ के इस भाग को राज्य सरकार को लौटा देने

---

†मूल अंग्रेजी में

का निश्चय किया गया । इस मामले पर दंडकारण्य विकास प्राधिकार की २७ जुलाई, १९६१ को कलकत्ता में हुई बैठक में पुनः चर्चा की गई और यह निश्चय किया गया कि राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४३ का मील ६६ से १४४ तक का भाग राज्य सरकार को लौटा दिया चाहिए और दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को को डागांव से उड़ीसा सीमान्त (मील १४४ से १९८) तक के टुकड़े की देखभाल जारी रखनी चाहिये ।

हिन्दी में कार्य करने के लिये की गई व्यवस्था

११५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री २ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी मुआवजा एक्ट और न्यूनतम मजूरी एक्ट के अन्तर्गत हिन्दी में कार्यवाही करने के लिए जो व्यवस्था की गई है उसे ज्ञात करने के लिए क्या कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : अतारांकित प्रश्न संख्या ४२९९ में जो सूचना मांगी गई थी वह वेतनअदायगी कानून एवं न्यूनतम वेतन कानून के बारे में थी । कर्मचारी मुआवजा कानून का प्रशासन राज्य सरकारें करती हैं । न्यूनतम वेतन कानून के सम्बन्ध में भी स्थिति यह है कि केन्द्रीय क्षेत्र के उद्योगों के अलावा बाकी सब कामों के लिये इस कानून के प्रशासन काम राज्य सरकारों का है । इस कानून के अधीन आने वाले दावों की सुनाई और निर्णय के लिये राज्य सरकारों ने अपने क्षेत्र के उद्योगों के लिये जो अधिकारी नियुक्त किये हैं, केन्द्रीय सरकार ने भी अपने क्षेत्र के उद्योगों के लिए उन्हीं अधिकारियों को नियुक्त किया है । हिन्दी माध्यम के लिये सम्बन्धित राज्यों में अन्य विभागों को जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, वे उपरोक्त दो कानूनों के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर की जाने वाली कार्रवाई के लिये भी प्राप्त हैं ।

श्रम विधियों को लागू न करना

११६. **श्री मा० ला० द्विवेदी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मूल्यांकन तथा प्रवर्तन प्रभाग को गत छः मास में श्रम विधियों, पंचाटों और मध्यस्थ निर्णयों के कार्यान्वित न किये जाने के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ;

(ख) कितने मामलों में जांच पड़ताल की गई ;

(ग) कितने मामले राज्य सरकारों को भेजे गये ; और

(घ) सरकार ने उनकी प्रगति पर नजर रखने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): जनवरी १९६१ से जून १९६१ तक ।

(क) १०३ जिन पर कार्रवाई की जरूरत थी ।

(ख) ८२ ।

(ग) २१ ।

(घ) जिन महत्वपूर्ण मामलों को केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को भेजती है उनकी जांच करने और उल्लंघनों को ठीक ठीक करवाने के बारे में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों

को लिखती है, राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी जाती है कि उल्लंघ सम्बन्धी मामले कर्मचारियों या नियोजकों के संगठनों के सम्बन्धित केन्द्रीय दफ्तर के ध्यान में लाये जायें और यदि जरूरत हो तो मामला राज्य की त्रि-दलीय प्रवर्तन समिति के सामने रखा जाये। जहां कहीं राज्य सरकारें चाहती हैं, केन्द्रीय मूल्यांकन और प्रवर्तन प्रभाग भी सम्बन्धित संगठनों को लिखता है। इस प्रकार यह प्रभाग उल्लंघनों को ठीक करवाने में राज्यों के प्रयत्नों को सफल बनाता है।

श्रमिकों के मामलों का न्यायलय के बाहर निबटाया जाना

११७. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मूल्यांकन तथा प्रवर्तन प्रभाग ने इस साल अब तक न्यायालय के बाहर निर्णय कराने के लिए कितने मामले लिये और उनमें से कितनों को सफलता प्राप्त हुई ;

(ख) क्या राज्यों के संगठन भी अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के मामले तय करने का प्रयत्न कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कहां तक सफलता मिली है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) अब तक केन्द्रीय मूल्यांकन और प्रवर्तन प्रभाग ने ४४ मामले अदालतों के बाहर तय करवाने के वास्ते लिये हैं ; इनमें से २१ मामलों में सफलता मिली। इस साल ४ मामले लिये गये थे लेकिन उनके तय करने में कामयाबी नहीं मिली।

(ख) हां।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकारों ने अदालत के बाहर निर्णय के लिये ६९ मामले लिये थे उनमें १५ में सफलता मिली।

घरेलू नौकरों का कल्याण

११८. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू नौकरों के कल्याण के लिए सरकार ने जो रोजगार दफ्तर खोला है उसमें जनवरी, १९६१ से अब तक कितने लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं ;

(ख) इनमें से कितन लोगों को रोजगार दिलाने में मदद दी गई है ; और

(ग) उन जगहों की संख्या क्या है जिनकी सूचना नियोजकों ने इस दफ्तर को जनवरी, १९६१ से अब तक भेजी है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) ४२।

(ख) १०।

(ग) १०२।

राजनैतिक मिशनों द्वारा नगरपालिका को देय धन

११९. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नई दिल्ली नगरपालिका को यह लिखा है कि नई दिल्ली स्थित विदेशी दूतावासों से बिजली और पानी का कोई कर न लिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने इस सम्बन्ध में अपना निर्णय बता दिया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

कंबलों का उत्पादन एवं विक्रय

†१२०. **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :
श्री वोडयार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कम्बलों के उत्पादन एवं विक्रय पर १९५४–५५ से आद्यतन मैसूर, मद्रास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में प्रतिवर्ष कुल कितनी सहायता दी गई ; और

(ख) उपरोक्त राज्यों में से प्रत्येक में १९५४–५५ से आद्यतन प्रतिवर्ष कितने कम्बल बनाए तथा बेचे गए ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). चूंकि सहायता का हिसाब समस्त ऊनी वस्तुओं का एक साथ रखा जाता है और केवल कम्बलों का कोई पृथक हिसाब नहीं रखा जाता है, इसलिए आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं है ।

सम्पत्ति की चोरी

†१२१. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ५ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस्टेट ऑफिस में पड़ी सम्पत्ति के चोरी के अनेक मामलों की उनके मालिकों द्वारा शिकायतें की गई हैं; और

(ख) कितनी राशि का दावा किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) केवल एक तथाकथित चोरी के मामले की सूचना मिली थी परन्तु जांच किए जाने पर वह सर्वथा निराधार निकली ।

(ख) ६०० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जम्मू में कपास की मिलें

१२२. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू में गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में एक कपास मिल की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तकुओं की क्षमता तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जम्मू तथा काश्मीर सरकार का एक सूती वस्त्र मिल की स्थापना का प्रस्ताव सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है ।

(ख) प्रस्ताव का अंतिम ब्यौरा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

कहवा की फसल

†१२३. { श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कहवा की फसल बहुत अच्छी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जून, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में ४९,५०६ मीट्रिक टन काफी, जिसमें २५, ३७९ टन प्लान्टेशन, ६,७४८ टन अरेबिका चेरी और १३,३७९ टन रोबस्टा है, प्राप्त हुई थी जब कि जून, १९६१ के अन्त तक ६६,६४८ टन काफी पूल में प्राप्त हुई है जिसमें २८,८९४ टन प्लान्टेशन, १०,०३९ टन अरेबिका चेरी और २७,७१८ टन रोबस्टा है ।

भारतीय चाय संस्था

†*१२४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय सस्था ने अपनी पांचवीं वार्षिक बैठक में जो जून, १९६१ में कलकत्ता में हुई थी, चाय उद्योग को उपलब्ध परिवहन सुविधाओं की अपर्याप्तता और विदेशों में भारतीय चाय का अपर्याप्त प्रचार का उल्लेख किया था एवं चाय के बागों के लिये सिंचाई की सुविधाओं की गहन जांच तथा चाय उद्योग के लिये करभार में कमी करने के सुझाव भी दिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान् ।'

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (१) **परिवहन सुविधायें** : स्वयं अध्यक्ष के अभिभाषण में इस बात पर सन्तोष व्यक्त किया गया था कि असम और पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने तृतीय योजना काल में सड़क संचार में सुधार करने के लिये बहुत बड़ी धनराशियां निर्धारित की है। तो भी, बोर्ड ने इन मामलों से सम्बद्ध अधिकारियों का ध्यान दिलाया है ।

यद्यपि बोर्ड को पश्चिमी बंगाल या आसाम से कलकत्ता को चाय भेजने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में कोई बड़ी शिकायत नहीं मिली है, रेलवे ने एक व्यवस्था की है जिससे सिलिगुरी जिले से चाय का बुक कराने के बाद ८ से १० दिन के भीतर सियालदह, चितपुर, हावड़ा और कलकत्ता बन्दरगाह क्षेत्र में पहुंचाया जाना निश्चित हो गया है । आमतौर पर यह योजना बागान मालिकों में बहुत लोक-प्रिय हो गई है । इस योजना के अतिरिक्त, उत्तरपूर्व सीमान्त रेलवे अधिकारियों ने इस वर्ष कटिहार और अलीपुर जंकशन पर अपने अधिकारियों को आदेश दिये हैं कि वे रजिस्ट्रेशन की तारीख से दो दिन के भीतर वैगन लदान के लिए उपलब्ध करें ।

असम की ८० प्रति शत से अधिक चाय जहाज़ (स्टीमर) से भेजी जाती है । स्टीमर कम्पनियों की विशेष चाय–सेवायें––जिनके लिए कोई अधिक भाड़ा नहीं लिया जाता–– नियामती, जोरहाट, आदि जैसे दूर के स्थानों पर बुक कराने से आठ दिन के भीतर कलकत्ता में माल पहुंचा देती है ।

जहां तक भाड़े में वृद्धि का सम्बन्ध है, **स्टीमर कम्पनियां केन्द्रीय सरकार के कहने पर ५** प्रतिशत से अधिक वृद्धि न करने से सहमत हो **गई हैं** ।

(२) **विदेशों में भारतीय चाय का प्रचार** : चाय बोर्ड ने निम्नलिखित कार्यवाही की है ।

(एक) भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेना ;

(दो) उपयुक्त अवसरों पर ऐसे व्यक्तियों को भारतीय चाय भेंट की गई है जिनसे भारतीय चाय के उपभोग पर प्रभाव पड़ सकता है ;

(तीन) एयर इंडिया इन्टरनेशनल के दफ्तरों द्वारा भारतीय चाय का दिया जाना ;

(चार) स्वीटज़रलैंड के औद्योगिक केन्टीनों में मजदूरों को चाय दिये जाने के लिये भारतीय चाय का मुफ्त दिया जाना ;

(पांच) युरोप में भारतीय चाय के हितों की देखभाल करने के लिये महाद्वीप में अपना अधिकारी नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है ;

(छ) ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, अमरीका और मिस्र में परामर्शदाता नियुक्त किये गये हैं; और

(सात) काहिरा में एक चाय केन्द्र खोला जा चुका है । इस क्षेत्र में होने वाली सारी कार्यवाही की जांच बोर्ड की निर्यात संवर्धन समिति करती है । क्षेत्रीय तालिका-सदस्य उसकी सहायता करती हैं । इन चाय व्यापार के सदस्य भी होते हैं जो दक्ष परामर्श देते हैं ।

(३) **सिंचाई की सुविधायें** : बोर्ड अपनी किराया दो खरीदो चाय मशीन योजना के अन्तर्गत छिड़काओ सिंचाई यंत्र खरीदने के लिए बागों के आवेदन पत्र स्वीकार कर रहा है। बोर्ड सिंचाई यंत्रों के आयात के लिये भी बागों को सहायता दे रहा है। बोर्ड सम्बद्ध राज्य-सरकारों से भी निवेदन कर रहा है कि वे सिंचाई की समस्या की गहन जांच करें।

(४) **चाय उद्योग में कराधान** : चाय उद्योग की कर व्यवस्था का निरन्तर पुनरीक्षण हो रहा है।

चीन के कब्जे में मिन्सर गांव

†१२५. **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :
श्री वोडयार :

क्या प्रधान मंत्री ५ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिन्सर गांव के बारे में, जो आज कल चीनियों के कब्जे में हैं, डा० राम मनोहर लोहिया से कोई नये दस्तावेज़ प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन दस्तावेजों का ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या उल्लिखित दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिये कोई प्रयास किया गया है; और

(घ) यदि हां तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ). यह स्पष्ट नहीं है कि किन विशेष दस्तावेज़ों का उल्लेख किया गया है। सरकार को विदित नहीं है कि डा० राम मनोहर लोहिया के पास मिन्सर गांव के बारे में कोई और लिखित गवाही है। याद होगा कि अधिकारियों की वार्ता में निर्णयात्मक लिखित गवाही पेश की जा चुकी है (देखिये अधिकारियों की रिपोर्ट)। यदि और कोई गवाही उपलब्ध है, तो सरकार को उसे प्राप्त करने और उसका अध्ययन करने में प्रसन्नता होगी।

कलकत्ता प्रसारण

†१२६. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी का कलकत्ता प्रसारण नई दिल्ली में साफ सुनाई नहीं देता; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). आकाशवाणी का दिल्ली के अलावा और कोई स्टेशन इतना शक्तिशाली नहीं है, यहां तक बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में से भी कोई नहीं, कि समूचे देश में सुना जा सके। दिल्ली विदेशी सेवा प्रसारण का केन्द्र है और इसी कारण वहां अधिक शक्ति वाले ट्रांसमिटर हैं। ये सारे देश में, १००० मील से अधिक दूरी आदि पर भी सुने जा सकते हैं।

कलकत्ता या बम्बई और मद्रास जैसे समान क्षेत्रीय स्टेशनों को इतना शक्तिशाली बनाना असम्भव है कि उन्हें दिल्ली में सुना जा सके। व्यय बहुत अधिक होगा और ध्येय सदैव यह रहा है कि वे उन क्षेत्रों में स्पष्ट सुनाई देने चाहियें जहां वे स्थित हैं या जिन क्षेत्रों के लिए वे बने हैं। फिर भी, उन्हें यथासंभव शक्तिशाली बनाने की कोशिश की जाती है।

हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक विकास

†१२७. **श्री दलजीत सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ और १९६१-६२ में अब तक हिमाचल प्रदेश को अपने औद्योगिक विकास के लिये कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : १९६०-६१ और १९६१-६२ में हिमाचल प्रदेश को अपने औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कुल धनराशि आवंटित की गई है :—

१९६०-६१	२२,९४,५५०रु०
१९६१-६२	४३,९०,७९५रु०

कार के पुर्जों का निर्माण

†१२८. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार के पुर्जों के निर्माण के लिए कम लागत वाले उपायों का अध्ययन करने के लिए कोई अध्ययन दल हाल में विदेश भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का क्या परिणाम रहा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने कार के पुर्जों के निर्माण के कम लागत के उपाय का अध्ययन करने के लिए कोई दल नहीं भेजा है। राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् ने मोटरगाड़ी सहायक उद्योगों के उत्पादिता के पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विदेश भेजा है। दल की अध्ययन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण सन्धि

†१२९. { श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :
श्री वोडयार :

क्या प्रधान मंत्री २५ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रारूप प्रत्यर्पण सन्धि पर, जो पाकिस्तान की सरकार को भेजी गई थी, उनके हस्ताक्षर नियमित रूप में हो गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कोई आपत्तियां उठाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) यह प्रारूप कब तैयार किया गया था और क्या इससे दोनों सहमत है; और

(ङ) सन्धि निश्चित होने की दृष्टि से कितने मामले अनिश्चित पड़े हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) नहीं; श्रीमान् ।

(ख) और (ग). मामला अभी पाकिस्तान सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) पाकिस्तान सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रत्यर्पण सन्धि होने में दिलचस्पी दिखाई है । तदनुसार दिसम्बर, १९५९ में एक प्रारूप सन्धि तैयार की गई और उसे सरकार को विचार करने के लिए भेजी गई ।

(ङ) पांच ।

हथकरघा का बिना बिका कपड़ा

†१३०. श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में सहकारी क्षेत्र में हथकरघा का आजकल कितना माल बिना बिका पड़ा है;

(ख) उड़ीसा में हथकरघा के ऐसे बिना बिके माल को वेचने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा में हथकरघा के बिना बिके माल की मात्रा प्रति वर्ष बढ़ती रही है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग

†१३१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना की पूर्ण अवधि में उड़ीसा में कितने और कहां-कहां छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग खोले गये;

(ख) इन उद्योगों के विकास के लिए ऋणों और अनुदानों के रूप में कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई और प्रत्येक उद्योग को कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा सरकार ने कितना व्यय किया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मैसूर में बसे तिब्बती शरणार्थी

†१३२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में अब तक कुल कितने तिब्बती शरणार्थी बसे हैं ;

(ख) वहां एक तिब्बती शरणार्थी परिवार को कितने एकड़ कृषि भूमि दी गई है;

(ग) कृषि भूमि के अतिरिक्त उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(घ) क्या मैसूर तथा कोडाई कनल पहाड़ियों में और तिब्बती शरणार्थियों को बसाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) अब तक लगभग २,१०० तिब्बती शरणार्थी मैसूर राज्य में पेरियापटना ताल्लुक में स्थायी रूप से जमीन पर बसाये जाने के लिए भेजे गये हैं।

(ख) मैसूर सरकार एक परिवार को ५ एकड़ तक कृषि भूमि दे रही है।

(ग) बसने के लिए नकद कोई वित्तीय सहायता नहीं जाती। फिर भी, तिब्बती शरणार्थियों को कृषि उपकरण, बीज, पौदे, खाद तथा काम में आने वाले पशु मुफ्त दिये जाते हैं।

(घ) मैसूर की पेरियापटना योजना के अन्तर्गत कुल ३००० तिब्बती शरणार्थी बसाने का विचार है। कोडाई कनल पहाड़ियों में तिब्बती शरणार्थियों को बसाने का हमारा कोई विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में तिब्बती शरणार्थियों का पुनः बसाया जाना

†१३३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बती शरणार्थियों को उड़ीसा में पुनः बसाने के लिए उड़ीसा सरकार की कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है;

(ख) उड़ीसा में तिब्बती शरणार्थियों को कितने एकड़ भूमि उपलब्ध की जायेगी; और

(ग) वे लोग किस क्षेत्र में बसाये जायेंगे?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) उड़ीसा की सरकार ने उड़ीसा में तिब्बती शरणार्थियों को बसाने की इच्छा प्रकट की है।

(ख) ३,००० एकड़

(ग) विद्यमान वर्षा ऋतु की समाप्ति पर स्थान का चुनाव होगा।

मध्य प्रदेश में तिब्बती शरणार्थियों का बसाया जाना

†१३४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दलाई लामा और वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधिकारियों में तिब्बती शरणार्थियों को मध्य प्रदेश में बसाने के बारे में कोई बातचीत हुई थी;

(ख) क्या दलाई लामा ऐसे प्रस्ताव से सहमत हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में कितने तिब्बती शरणार्थियों को पुनः बसाया जायेगा?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) हां श्रीमान्।

(ख) हां।

(ग) शाहडोल जिला में, १,००० तिब्बती शरणार्थियों को बसाने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश सरकार योजना बना रही है।

कार्य-भारित कर्मचारियों के लिए प्रतिकर-भत्ता

†१३५. **श्री तंगामणि :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री ८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२७४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-भारित कर्मचारियों को प्रतिकर-भत्ता देने के प्रश्न पर कोई निश्चय किया गया है?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** प्रश्नास्पद कर्मचारियों को कुछ भत्ता देने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मशीनों आदि का निर्यात

१३६. श्री डामर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक भारत से कौन-कौन सी मशीनों का कितना निर्यात किया गया है ;

(ख) इन वस्तुओं का निर्यात किन-किन देशों को किया गया ; और

(ग) क्या उषा सिलाई की मशीनों और पंखों की विदेशों में बहुत अधिक मांग है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). इंजीनियरी की लगभग १२० वस्तुओं का निर्यात, जिनमें पूंजीगत वस्तुयें, निर्माता की वस्तुयें तथा उपभोक्ता की वस्तुयें शामिल हैं, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, यूरोप, अमरीका तथा न्यूज़ीलैन्ड को किया जा रहा है ।

(ग) निर्यात के आंकड़े ब्रांडों के अनुसार नहीं रखे जाते ।

फिल्मों का आयात तथा निर्यात

†**१३७. श्री अ० मु० तारिक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९, १९६० और १९६१ में अब तक विदेशों में कितनी भारतीय फिल्में दिखाई गईं ;

(ख) इसी अवधि में भारत में कितनी विदेशी फिल्में दिखाई गईं ;

(ग) १९५९, १९६० और १९६१ में अब तक भारतीय फिल्मों से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(घ) इसी अवधि में भारत में विदेशी फिल्मों के दिखाये जाने से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मजदूरों का स्थायी बनाया जाना

†**१३८. श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १७ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तदर्थ समिति ने कितने मजदूरों की सूचियां स्थायी बनाये जाने के लिए पेश की हैं ;

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजिनियर ने वास्तव में कितने मजदूरों को स्थायी बनाया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) मुख्य इंजिनीयर द्वारा स्थायीकरण के आदेश देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) २,७८२ ।

(ख) ९६८ ।

(ग) विलम्ब होने का मुख्य कारण यह है कि चिकित्सा परीक्षा और आचरण तथा प्राक्चरित की औपचारिकताओं की पूर्ति में कुछ समय लगता है। फिर भी, इन औपचारिकताओं की यथाशीघ्र पूर्ति करने के लिए विशेष कार्यवाही की गई है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठता

†१३९. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्थायीकरण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों की वरिष्ठता की सूचियां अब तक पूरी हो गई हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : स्थायीकरण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों की सूचियां अन्तिम रूप से तैयार की जा रही हैं ।

हथकरघा उद्योग संबंधी कार्य-दल

†१४०. **श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग संबंधी कार्य-दल की बैठक १६ मई, १९६१ को हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निश्चय किये गये ;

(ग) सहकारी क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों को ऋण देने की सुविधाओं के बारे में क्या सिफारिशें की गईं ; और

(घ) छूट देने के बारे में क्या सिफारिशें की गईं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). अनुमान है कि प्रश्न उस कार्य दल (अध्ययन टीम) के बारे में है जो हथकरघा उद्योग के कार्य की जांच करने के लिए बनाई गई थी । यदि ऐसा है, तो केन्द्रीय सरकार ने सिद्धान्त रूप में कार्य-दल (अध्ययन टीम) की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं , देखिये ५ मई, १९६१ के भारत के असाधारण गजट के भाग १ सेक्शन १ में प्रकाशित ५ मई, १९६१ का संकल्प संख्या ४(१५)—टेक्स 'सी'/५९ । तत्काल देखने के लिए यहां संकल्प की एक प्रति नत्थी की जाती है । १६ मई, १९६१ को कोई बैठक नहीं हुई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी कर्मचारियों की बस्तियां

†१४२. **श्री राम गरीब :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों की रहने की बस्तियों में बरात आदि के ठहरने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है और रहने वालों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या को हल करने के लिए सरकार की कोई योजना है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) और (ख). सरकारी बस्तियों में बरात, आदि के ठहरने के लिए कोई विशेष स्थान नहीं बनाया या निर्धारित किया गया है । फिर भी, यदि कोई रहने का क्वार्टर आदि खाली होता है और उसके तत्काल किसी को दिये जाने की संभावना नहीं होती, तो वह सरकारी कर्मचारियों या संसद् सदस्यों को अपने निकट संबंधियों का विवाह करने के लिए दे दिया जाता है ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को सूचना देनी है कि हमारे पांच मित्र, सरदार बलदेव सिंह, श्री भोली सरदार, श्री विमल कुमार घोष, श्री विजय चन्द्र दास और श्री पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, का देहांत हो गया है ।

सरदार बलदेव सिंह---सभा के सदस्य थे । संविधान सभा के भी सदस्य थे । वह १६४७ से १६५२ तक प्रतिरक्षा मंत्री रहे । उनका देहान्त २६ जून, १६६१ को नई दिल्ली मे हुआ । उनकी आयु ५६ वर्ष थी ।

श्री भोली सरदार--सभा के सदस्य थे । उनका देहान्त ३ अगस्त, १६६१ को पटना में हुआ । उनकी आयु ४३ वर्ष थी ।

श्री विमल कुमार घोष--सभा के सदस्य थे । उनका देहान्त ४ अगस्त १६६१ को कलकत्ता में हुआ । उनकी आयु ५५ वर्ष थी ।

श्री विजय चन्द्र दास---१६५२--५७ तक प्रथम लोक-सभा के सदस्य थे । उनका देहान्त २६ जून, १६६१ को कलकत्ता में हुआ । उनकी आयु ४६ वर्ष थी ।

श्री पुरुषोत्तमदास---१६२३ से १६३० तक भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे । उनका देहान्त ४ जुलाई, १६६१ को बम्बई में हुआ । उनकी आयु ८३ वर्ष थी ।

हमें इन मित्रों के निधन का महान शोक है तथा मुझे पूरा विश्वास है कि उनके परिवारों के प्रति समवेदना प्रकट करने में सभा मेरा साथ देगी ।

शोक प्रकट करने के लिये सभा कुछ देर के लिए खड़ी रहे ।

तत्पश्चात सभासद एक मिनट के लिए मौन खड़े रहे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न-संख्या ४४ तथा ४५ के बारे में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मैंने लिखित रूप में निवेदन किया था कि प्रश्न ४४ तथा ४५ पर विचार किया जाये । किन्तु कहना पड़ता है कि इस पक्ष से किसी भी सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जबकि दूसरे पक्ष के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सदस्यों में कोई अन्तर नहीं करता । इतना अवश्य देखता हूं कि प्रश्न का ठीक से उत्तर दे दिया गया है और जो अनुपूरक प्रश्न पूछे गये हैं उनका भी उचित उत्तर दिया गया है या नहीं । प्रश्नों को अधिक विलम्बित नहीं करना चाहता जहां तक कि इस प्रश्न का सम्बन्ध है मैं सन्तुष्ट हूं कि इसका उचित उत्तर दे दिया गया था ।

साथ ही मैं इस बात का भी ध्यान रखता हूं कि सभा के सभी दलों के सदस्यों को समान अवसर मिले । व्यति व्यक्ति के आधार पर मैं कोई भेदभाव नहीं करता।

स्थगन प्रस्ताव

आसाम में पाकिस्तानियों का कथित अनधिकृत प्रवेश

†**अध्यक्ष महोदय** : आसाम में पाकिस्तानियों के कथित अवैध प्रवेश, और फलस्वरूप भारत की सुरक्षा एवं प्रतिष्ठा को खतरा तथा इस सम्बन्ध में प्रभावी उपाय करने में सरकार की विफलता के सम्बन्ध में मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री वाजपेयी की ओर से मिली है । इस बारे में श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने एक तारांकित प्रश्न भी पूछा है जिसका उत्तर ९ अगस्त को दिया जायेगा । अब मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि स्थिति क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जहां तक मैं समझता हूं हाल के महीनों में आसाम में पाकिस्तानियों के बड़े पैमाने पर अवैध प्रवेश की घटनायें नहीं हुई हैं ; शायद कुछ घटनायें हुई हैं । गत १२ वर्षों में तुलनात्मक छोटे पैमाने पर इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं । हमने उसे रोकने की कोशिश की है और कुछ सीमा तक हम ऐसा करने में सफल भी हुए हैं । कभी कभी वे सीमा की ओर से घुस आते हैं । इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये आसाम सरकार तथा भारत सरकार और अधिक प्रभावी उपाय कर रही हैं । मेरा विचार है यह कहना ठीक नहीं है कि बड़े पैमाने पर घटनाएं हुई हैं ।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : पिछले कुछ वर्षों में एक लाख से भी अधिक पाकिस्तानी आसाम में आये हैं । प्रधान मंत्री ने एक प्रेस सम्मेलन में कहा था कि ५ लाख पाकिस्तानियों का आना मान भी लिया जाय तो वह बहुत अधिक नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ठीक से तो नहीं कह सकता कि कितने लोग यहां आये हैं । पता नहीं कि माननीय सदस्य ने ये आंकड़े कहां से प्राप्त किये ? मैं यह बात मानने को तैयार नहीं हूं । मैं नहीं समझता कि ये आंकड़े सही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि विभाजन के बहुत पहले भी भूतपूर्व बंगाल के अधिक जनसंख्या वाले भागों से लोग निरंतर आसाम में जाते रहते थे। उन दिनों आसाम की जनसंख्या बहुत कम थी। गत ५०–६० वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। इसे रोकने के लिये प्रयत्न भी किया गया कुछ हद तक सफलता भी मिली और कुछ हद तक नहीं भी, घनी बस्ती वाले क्षेत्रों से कम आबादी वाले भागों में लोगों के आने जाने का क्रम एक समस्या बना हुआ था। विभाजन के बाद लोगों का इस प्रकार जाना बंद हो गया है। इसे रोकने का बराबर प्रयत्न किया जा रहा है। कुछ रुक भी गया है। लेकिन थोड़ा बहुत चलता रहता है। हम इसे रोकने के लिये प्रयत्न भी कर रहे हैं।

जहां तक वास्तविक स्थिति का सम्बन्ध है, जनगणना के आंकड़ों तथा अन्य उपलब्ध जानकारी की छानबीन के बाद ही हम इसे जान पायेंगे। परन्तु हमारा प्रयत्न तथा हमारी इच्छा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का ही है।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी): वास्तव में बात यह है कि ये पाकिस्तानी काफी संख्या में तो आसाम में नहीं आये लेकिन गत कई वर्षों से बराबर आते रहते है। मैं प्रधान मंत्री की इस बात से सहमत नहीं हूं कि सुरक्षा उपबंध काफी हैं। बल्कि सुरक्षा उपबंध काफी होने चाहिये मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री इस बारे में ध्यान दें।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): एक औचित्य प्रश्न है। प्रक्रिया नियमों के अनुसार स्थगन प्रस्ताव की सूचना निर्धारित समय के अनुसार आनी चाहिये और आपको यह देखना चाहिये कि क्या प्रस्ताव सुसंगत है अथवा नहीं। मेरे विचार में यदि स्थगन प्रस्ताव नियमित प्रश्न और उत्तर का विषय बन गया तो सभी पुरानी परम्पराएं टूट जायेंगी।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं जानता हूं कि वह विषय लोक महत्व का होना चाहिये। हमें इस बात का कटु अनुभव है कि धर्म के कारण ही हमारे देश का विभाजन हुआ था और अगर इसी प्रकार पाकिस्तानी लोग आकर यहां बसने लगें तो एक दिन वे आसाम के बटवारे की भी बात करेंगे। अतः मैं ने यह ठीक समझा कि इस पर यहां विचार किया जाये। स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने से पूर्व मुझे यह देखना है कि क्या ये पाकिस्तानी लोग भारी संख्या में आ रहेहैं अथवा थोड़ी संख्या में। जो कुछ मैंने सुना है उसके आधार पर मैं इस प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट): सिलचर में ११ नवयुवकों को १९ मई को गोली मारने का मामला मैंने उठाया था और आपने यह कह कर उसे रद्द कर दिया कि यह राज्य सरकार का मामला है। मैं यह प्रश्न फिर उठाना चाहती हूं और निवेदन करती हूं कि वहां केवल अल्पसंख्यकों को दबाने के विचार से ही उन शांत सत्याग्रहियों पर गोली चलाई गई थी। मेरा निवेदन है कि यह गोलीकांड अवांछित था। मेरा यह भी निवेदन है कि इस गोलीकांड में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न अर्न्तगस्त है। इसलिये इस पर विचार करना चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: इस मामले की एक उच्च स्तर पर जांच की जा रही है, शायद उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश जांच कर रहे हैं। इसमें अभी समय लगेगा। हमें जांच प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

†**श्री हीरेन मुकर्जी** (कलकत्ता–मध्य): इस घटना में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का प्रश्न निहित है। इसलिये इसमें जल्दी करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक अल्पसंख्यकों का प्रश्न है, यह एक बहुत बड़ा तथा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार सभी सम्बद्ध दलों की राय से इस प्रश्न को हल करने का प्रयत्न कर रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहा तक स्थगन प्रस्ताव की बात है मैं इसकी अनुमति नहीं देता क्योंकि यह विधि और व्यवस्था का मामला है। प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि यह मामला स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं निपटाया जा सकता इसके लिये तो कोई और ही रास्ता अपनाना होगा।

पानशेत में मिट्टी का बांध का टूट जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : पानशेत में मिट्टी के बांध टूट जाने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है।

†**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : जहां तक पानशेत में मिट्टी के बांध टूटने की बात है महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने यह बता दिया है कि यह मामला एक आयोग को सौंप दिया गया है और वह आयोग इसकी जांच करेगा। आयोग का प्रतिवेदन मिल जाने के बाद उसके निष्कर्षों के बारे में बताया जायेगा। अतः मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि इस बारे में कुछ बता सकूं।

†**श्री श्री अ० डांगे** (बम्बई---नगर---मध्य) : जहां तक इस बांध के टूटने का प्रश्न है यह मामला मामूली बाढ़ का नहीं है बल्कि प्रश्न तो मिट्टी के बांध बनाने सम्बन्धी सिद्धांत का है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि ये बांध बनाने के बारे में उस सरकार ने केन्द्रीय सरकार से परामर्श लिया था। हम यह मालूम करना चाहते हैं कि क्या यह बात सही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जो आयोग इस विषय की जांच करेगा उसके सामने ये सारी बातें आयेंगी। हमारे लिये यह उचित नहीं है कि हम इस बारे में कोई गैर-सरकारी तौर पर छानबीन करें कि हमारे किसी इंजीनियर ने वहां क्या परामर्श दिया था। हो सकता है कि यह बात ठीक भी हो और गलत भी।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके लिये कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी चाहिये। ये ऐसे मामले हैं जो स्थगन प्रस्ताव द्वारा नहीं निपटाये जा सकते।

माननीय मंत्री महोदय क्षेत्र में आई बाढ़ के बारे में एक वक्तव्य देना चाहते हैं। अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की सूचना भी इस बारे में मुझे मिली है। इस प्रश्न को पढ़ने तथा इसके बारे में माननीय मंत्री से वक्तव्य देने के लिये निवेदन करने में कोई हानि नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री ब्रजराज सिंह** : अन्य स्थगन प्रस्ताव भी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। माननीय सदस्य को सदन के निर्णय का पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिये।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : * * *

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। इस लिये हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

***आदेशानुसार निकाला गया।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : * * *

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । इस विषय पर चर्चा नहीं की जायेगी ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं एक निवेदन कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय

बाढ़ की स्थिति

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं नियम १९७ के अधीन सिंचाई तथा विद्युत मंत्री का ध्यान केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, और पूना में हाल की बाढ़ों से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह उस बारे में एक वक्तव्य दें ।

†**सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : वर्षा ऋतु के आरंभ में बहुत अधिक मात्रा में तथा ज़ोरदार वर्षा के फलस्वरूप केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के पूना नगर को गंभीर बाढ़ों का सामना करना पड़ा । केरल में अप्रत्याशित भारी वर्षा के कारण पेरियार तथा अन्य दूसरी नदियों में बहुत बाढ़ आ गई । नदियों की बाढ़ के कारण काफ़ी हानि हुई । मद्रास में भी कावेरी तथा इसकी सहायक नदियों में काफी बाढ़ आई और बाढ़ के कारण नदियों के किनारे कट गये । मैसूर में कावेरी नदी में बाढ़ आने के कारण सिंचाई के छोटे छोटे कामों को क्षति पहुंची, सड़कों तथा पुलों को भी क्षति हुई । उड़ीसा राज्य में महानदी तथा उसकी सहायक नदियों में काफी बाढ़ आई । हीराकुड जलाशय भी पूरी तरह भर गया और खतरे की संभावना होने लगी लेकिन सौभाग्य से कोई हानि नहीं हुई । महाराष्ट्र के पूना नगर में मूथा नदी की बाढ़ के कारण बहुत हानि हुई । क्षति का विस्तृत अनुमान राज्य सरकारें तैयार कर रही हैं । राज्य सरकारों ने काफी बड़े पैमाने पर सहायता कार्य आरंभ कर दिया है ।

केरल, मद्रास, मैसूर तथा पूना नगर में बाढ़ों के कारण हुई क्षति के बारे में विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : क्या क्षति के बारे में वादविवाद भी किया जायेगा । हम यह मालूम करना चाहते हैं कि इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री महोदय ने विवरण सभा पटल पर रख दिया है माननीय सदस्य उसका अध्ययन करें ।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : क्या इस विवरण की प्रतियां सभी सदस्यों को दी जायेंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो सदस्य इसकी प्रतियां चाहते हैं वे नोटिस आफिस से ले सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

* * * अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाला गया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अणु शक्ति विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं अणुशक्ति विभाग की वर्ष १९६०–६१ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २९७३ / ६१]

जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियम १९६१ तथा बीमा अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†वित्त मंत्री (**श्री मोरारजी देसाई**) : मैं (१) जीवन बीमा निगम अधिनियम १९५६ धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४७६ में प्रकाशित जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८६४ / ६१]

(२) बीमा एक्ट, १९३८ की धारा २-ग की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २९ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ९२४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता है।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०२९७४ / ६१]

तीसरी पंचवर्षीय योजना तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना का सारांश

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना के सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९७५ / ६१]

कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**श्री नन्दा** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १३ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८० में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९७६ / ६१]

(२) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत जारी की गयी उक्त एक्ट के क्षेत्राधिकार को चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित कुछ स्थापनाओं पर लागू करने वाली दिनांक २४ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८२७।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९७७ / ६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य व्यापार निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार द्वारा समीक्षा

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष १९५९-६० की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(२) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २९७८/६१]

बाढ़ की स्थिति

†**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : मैं देश में बाढ़ की स्थिति के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २९७२/६१]

खनिज रियायत नियम, १९६०

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं:

**(६) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) एक्ट, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५९ द्वारा शुद्ध किये गये दिनांक २६ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९८ में प्रकाशित खनिज रियायत नियम, १९६० की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २५०३/६१]

कहवा (दूसरा संशोधन) नियम और समवाय अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं:

(१) कहवा अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १ जुलाई, १९६१ को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८४७ में प्रकाशित कहवा (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २९७९/६१]

(२) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६२० की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १७ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३५५ में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना के प्रारूप की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २९८०/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा राज्य विधान सभा (शक्तियों का प्रत्यायोजन) और उड़ीसा के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४७९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम (महापौर के लिये सुविधायें) निगम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १८ मार्च, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या २१/१३/६०—दिल्ली की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० २८२२/६१]

(२) उड़ीसा राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) एक्ट, १९६१ की धारा ३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलखित एक्टों की एक-एक प्रति:—

(१) उड़ीसा विलयित राज्य क्षेत्रों के याचिका लेखकों के लाइसेंसों को जारी रखना (संशोधन) एक्ट, १९६१ (१९६१ का राष्ट्रपति का एक्ट संख्या १)।

(२) उड़ीसा बिक्री कर विधियां (संशोधन) एक्ट, १९६१ (१९६१ का राष्ट्रपति का एक्ट संख्या २)।

(३) बिहार और उड़ीसा राज्य उद्योगों को सहायता (उड़ीसा संशोधन) एक्ट, १९६१ (१९६१ का राष्ट्रपति का एक्ट संख्या ३)।

(४) उड़ीसा मकान किराया नियंत्रण (संशोधन) एक्ट, १९६१ (१९६१ का राष्ट्रपति का एक्ट संख्या ४)।

(५) उड़ीसा करारोपण (सड़कों तथा देश की भीतरी नदियों द्वारा वहन की जाने वाली वस्तुओं पर) संशोधन एक्ट, १९६१ (१९६१ का राष्ट्रपति का एक्ट संख्या ५)।

(३) संविधान के अनुच्छेद ३५६ के खंड (३) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा उड़ीसा राज्य के संबंध में २५ फरवरी, १९६१ को की गयी उद्घोषणा को रद्द करने वाली २३ जून, १९६१ को की गयी उनकी उद्घोषणा की एक प्रति।

(४) प्रादेशिक परिषदें एक्ट, १९५६ की धारा ५४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २७ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७११ में प्रकाशित प्रादेशिक परिषदें (करों का भुगतान) नियम, १९६१ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० २९८१/६१ से २९८७/६१ तक]

---

†मूल अंग्रेजी में

हैवी इलैक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड और चैकोस्लोवेकिया के टेक्नो एक्सपर्ट के बीच हुए समझौते तथा अन्य अधिसूचनायें

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) (क) हाई प्रैशर बायलर्स प्लांट का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये हैवी इलैक्ट्रिकल्ज (इंडिया) लिमिटेड और चैकोस्लोवेकिया के टैक्नो एक्सपर्ट के बीच हुआ दिनांक ३१ मई, १९६१ का करार ।

(ख) हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये हैवी इलैक्ट्रिकल्ज (इंडिया) लिमिटेड और चैकोस्लोवेकिया के टैक्नो एक्सपर्ट के बीच हुआ दिनांक ७ जून, १९६१ का करार ।

(ग) फाउन्डरी फोर्ज प्लांट के निकट हैवी मशीन टूल प्लांट का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची और चैकोस्लोवेकिया के टैक्नो एक्सपर्ट के बीच हुआ दिनांक ७ जून, १९६१ का करार ।

(दो) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८—क की उपधारा (२) के परन्तुक के अन्तर्गत दिनांक १४ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १९६१ ।

(तीन) (क) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा १३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड, भोपाल की वर्ष १९५९-६० की वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(चार) (क) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत नाहन फाउंडरी लिमिटेड , नाहन की वर्ष १९५९-६० की वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० २९८८/६१ से २९९३/६१]

(पांच) (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य का वर्ष १९५९—६० का प्रशासकीय प्रतिवेदन ।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य का वर्ष १९६०—६१ का प्रशासकीय प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९९४/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २९ अप्रैल, १९६१, की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ९५३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९९५/६१]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जनेवा द्वारा स्वीकृत सिफारिशें और कर्मचारी भविष्य निधि की टेक्नीकल समिति का प्रतिवेदन

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) (क) जून, १९६० में जैनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के चवालीसवें अधिवेशन में स्वीकार किये गये अभिसमय और सिफारिशों के पाठ।

(ख) उक्त अभिसमय और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी या की जाने वाली कार्यवाही बताने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९९६/६१]

(२) निम्नलिखित उद्योगों के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट। भाग १ (१९६०-६१):

(क) सिगरेट।

(ख) बिजली का सामान, मशीनें और सामान्य इंजीनियरिंग की वस्तुयें।

(ग) लोहा तथा इस्पात।

(घ) कागज।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल०. टी० २९९७/६१ से एल० टी० ३०००/६१]

धान कूटना उद्योग विनियमन अधिनियम, १९५८ के अधीन जारी की गयी अधिसूचनायें

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा): मैं चावल कूटना उद्योग (विनियमन) अधिनियम १९५८ की धारा २२ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत चावल कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) नियम, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०२८ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २३७५/६०]

अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों को शुद्ध करने वाला विवरण

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: मैं जापान को लोह अयस्क की कच्ची धातु के निर्यात के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १४५

†मूल अंग्रेजी में

पर श्री राघेश्याम रामकुमार मुरारका द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों में २० फरवरी, १९६१ को दिये गये उत्तरों को शुद्ध करने वाला एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :

वक्तव्य

तारांकित प्रश्न संख्या १४५ जो कि लोक-सभा में २० फरवरी, १९६१ को पूछा गया था उसके अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मैंने कहा था कि राज्य व्यापार निगम के रूरकेला इस्पात संयंत्र को लोहा नहीं बेचा है। सही स्थिति यह है कि निगम रूरकेला संयंत्र के लिये घटिया प्रकार के लौह अयस्क जिसमें ५८–६० प्रतिशत तक लोहा होता है, संभरण करने की व्यवस्था करता आ रहा है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और विदेशी खरीददारों को जो लौह अयस्क संभरित किया जाता है वह भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है अतः उनकी कीमतों की तुलना नहीं की जा सकती है।

विदेशी मुद्रा नियम १९६१ की घोषणा

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १३ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६६८ में प्रकाशित विदेशी मुद्रा की उद्घोषणा नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३००२/६१]

त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, १९६० के अधीन जारी की गई अधिसूचना

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मैं त्रिपुरा लगान तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९६० की धारा १९८ के अन्तर्गत दिनाँक १३ अप्रैल, १९६१ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ७४ (१४)–रैव/६० जिसमें त्रिपुरा लगान भूमि सुधार नियम, १९६१ दिये हुये हैं, की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३००३/६१]

सरकारी भाषा आयोग के बारे में संकल्प और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) (क) राजभाषा (वैधानिक) आयोग की बनाने वाला दिनांक १७ जून, १९६१ के गजट में प्रकाशित सरकारी संकल्प संख्या एफ ३९/६१––एडम० १

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३००४/६१]

(ख) लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा १३* की उप-धारा (३)

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजरनवीस]

के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनायें :—

(१) दिनांक १८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५६७ में प्रकाशित विधान परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र (मद्रास) परिसीमन संशोधन आदेश, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३००५/६१]

(२) दिनांक १८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५६८ में प्रकाशित विधान परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र (मैसूर) संशोधन आदेश, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३००६/६१]

(३) दिनांक १८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५६९ में प्रकाशित विधान परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र (पंजाब) संशोधन आदेश, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३००७/६१]

(२) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उपभारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८५९ में प्रकाशित निर्वाचनों के संचालन सम्बन्धी नियम, १९६१ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९३९/६१]

डाकघर बचत प्रमाण पत्र (संशोधन) नियम, १९६१

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : मैं सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उपधारा २३ (२) के अन्तर्गत दिनांक २७ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१२ में प्रकाशित डाकघर बचत प्रमाण पत्र (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३००८/६१]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रति कर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४६० में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) चौथा संशोधन नियम, १९६१ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या•जी० एस० आर० ४९२ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) पांचवां संशोधन नियम, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९५९ / ६१]

(३) दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५६५ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) छटा संशोधन नियम, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९६० / ६१]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० न० मिश्र)**: मैं (१) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८३ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३००९ / ६१]

(ख) दिनांक १७ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८०८ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३०१० / ६१]

(२) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उपधारा (२) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची १ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २० मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७०५ की एक प्रति ।

(३) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत निकाली गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति :—

(क) दिनांक २० मई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ७०४, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम को होटलों और जलपानगृहों पर लागू किया गया है ।

(ख) दिनांक २० मई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ७०६ जिसके द्वारा उक्त अधिनियम को तेल उद्योग से सम्बन्धित कुछ प्रतिष्ठानों पर लागू किया गया है ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३०११ / ६१]

संसदीय समितियां—कार्य का सारांश

†**सचिव** : मैं १० जून, १९६० से ३१ मई, १९६१ तक की अवधि से सम्बन्धित 'संसदीय समितियां—कार्य का सारांश' की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : मैं ५ मई १९६१ को लोक सभा में दी गई सूचना के बाद दूसरी लोक सभा के पिछले सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१ ।

(२) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक, १९६१ ।

(३) विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६१ ।

(४) दिल्ली दुकानें तथा प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, १९६१ ।

(५) विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९६१ ।

(६) मोटर परिवहन कामगर विधेयक, १९६१ ।

†**सचिव :** श्रीमन्, मैं ५ मई, १९६१ को लोक सभा में दी गई सूचना के बाद दूसरी लोक सभा के पिछले सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये, राष्ट्रपति द्वारा अनुमतिप्राप्त तथा राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक, १९६१ ।

(२) दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१ ।

(३) कोयला-खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक, १९६१ ।

(४) अधिवक्ता विधेयक, १९६१ ।

(५) सालार जंग संग्रहालय विधेयक, १९६१ ।

†**सचिव :** श्रीमन्, मैं, दहेज निषेध विधेयक, १९६१ को, जिसे संसद् के दोनों सदनों ने संयुक्त बैठक में पारित किया था और जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी है, सभा पटल पर रखता हूं ।

भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

†**श्री न० रं० घोष** (कूच बिहार) : मैं भारतीय रेलवे अधिनियम १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

साक्ष्य

†**श्री न० रं० घोष :** भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९६१ के सम्बन्ध में प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्यों का त्यागपत्र

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि निम्नलिखित सदस्यों ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है :—

(१) श्री निवारण चन्द्र लास्कर, २४ मई, १९६१ से

(२) श्री टी० संगण्णा २१ जून, १९६१ से ।

प्रत्यर्पण विधेयक

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं ।

शब्दों के निकालने के बारे में

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : मैं प्रक्रिया नियम संख्या ३८० के सम्बन्ध में आपका पथप्रदर्शन चाहता हूं । उस नियम में लिखा गया है कि यदि अध्यक्ष महोदय की यह राय हो कि शब्द, मान हानिकारक, अशिष्ट, असंसदीय या अभद्र हैं तो ऐसे शब्दों को सभा की कार्यवाही से निकाला जा सकता है । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं ने अपने स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिन शब्दों का प्रयोग किया था उनको समाचारपत्रों में छापने की मनाही क्यों की गई ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम संख्या ३८० के सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी भाषण लोक सभा के अभिलेखों का अंग तभी बन सकता है जब कि अध्यक्ष महोदय सदस्य को उक्त भाषण देने को कहें । यदि बिना उनकी अनुमति के कोई सदस्य बोलता हुआ चला जाये तो उसे मैं किस प्रकार प्रकाशित होने दे सकता हूं । अतः यह मामला नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है । सदस्य को बिना अनुमति के सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या आप अपने विचारों को नियमों में शामिल करने के विचार से सभा की एक समिति नियुक्त करने में सहमत हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में नये नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब डा० का० ला० श्रीमाली द्वारा ४ मई, १९६१ को प्रस्तावित निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी :—

> "कि यह सभा अप्रैल, १९५९, से मार्च, १९६० तक की अवधि के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर, जो १७ फरवरी, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क प्रतिवेदन पर विज्ञान एवं टेक्नोलौजी की प्रगति के दृष्टिकोण से विचार करने पर मुझे निराशा हुई है। जबकि सामाजिक विज्ञान संबंधी विषयों के लिये ९०,०५,००० रु० की योजनायें स्वीकृत की गयी हैं। विज्ञान तथा टैक्नोलौजी संबंधी केवल ७६,०५,५०० रु० की योजनायें ही स्वीकृत हुई हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक मुख्य कार्य यह है कि वह केन्द्र द्वारा प्रशासित चारों विश्वविद्यालयों यथा बनारस, अलीगढ़, विश्वभारती और दिल्ली विश्वविद्यालयों के संचालन पर निगरानी रखें। तथापि दिल्ली विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य सभी विश्वविद्यालयों का संचालन असन्तोषजनक तरीके से किया जा रहा है।

जहां तक विश्वविद्यालयों की संख्या का संबंध है, वह विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को खपाने में असमर्थ है। इतना ही नहीं कई प्रकार के बहाने बना कर विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश देने से रोका जाता है। यहां तक कि अर्हताप्राप्त विद्यार्थियों को भी विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पाता है। वस्तुतः इस समस्या को दूरदर्शितापूर्वक नहीं निपटाया जा रहा है। सरकार को भरसक प्रयत्न करके उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करना चाहिये कि वे देश के लिये लाभदायक कार्य करने में अपना समय लगायें न कि देश के लिये समाज परित्यक्त व्यक्ति बनें। इस प्रयोजन के लिये अपने शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को आर्थिक समस्याओं से सम्बद्ध करना चाहिये। हमें अपने नवयुवकों के संबंध में एक स्पष्ट कल्पना रखनी चाहिये।

विदेशों में बहुत तेजी से टैक्नोलौजी की उन्नति हो रही है तथापि हमारे देश में इस दिशा में बहुत कम किया गया है। हमारे देश में विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा औद्योगिक उपक्रमों में सम्पर्क स्थापना करने के लिये कुछ नहीं किया गया है।

निस:देह प्रत्येक व्यक्ति को विश्वविद्यालय में स्थान नहीं मिल सकता है इसमें आर्थिक कठिनाइयां भी हैं तथापि इस स्थिति को देश के समक्ष रखना चाहिये जिससे कि देश, वास्तविक कठिनाइयां समझ सके। हमें अपने देश के नवयुवकों के समक्ष ऐसा चित्र रखना चाहिये कि वे अपना आत्मविश्वास न खो दें। जब तक युवकों में आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो देश में भावात्मक एकता प्राप्त करना असंभव हो जायेगा।

विद्यार्थियों में अनुशासन के प्रश्न को उठाया गया है। जहां हमें देखना है कि प्रशिक्षण में कोई कमी आने न पाये तथा विद्यार्थियों के बर्ताव में सुधार हो, हम उन्हें किसी कठोर प्रतिबन्ध में नहीं रख सकते। उनके अपने संघ हैं, इन संघों के चुनावों के सिद्धांतों का सम्मान किया जाना चाहिये।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि अध्यापकों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह चुनावों से पृथक रहना चाहिये। इस संबंध में समाचारपत्रों में भी बहुत कुछ कहा गया है अतः मैं इस संबंध में

---

†मूल अंग्रेजी में

अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूं। इस संबंध में मेरा मत यह है कि जब कोई अध्यापक संसद् या विधान सभा में चुना जाता है तो इससे उसके कार्य में काफी रुकावटें पैदा होती हैं अतः इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि उसके कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी न पैदा हो। तथापि उन पर चुनाव में खड़े होने के लिये प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं है।

तथापि इस बात की पूरी सावधानी बरतनी चाहिये कि अध्यापक विद्यार्थियों को अपने राजनैतिक वादों का खिलौना न बनायें। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ अध्यापक अपने चुनावों के लिये विद्यार्थियों को प्रचार का साधन बनाते हैं। तथापि यह उचित नहीं है। हमारे देश में अध्यापक वर्ग को सम्मान और मान्यता दी जाती है इससे बहुत से व्यक्ति जो केवल आंशिक समय किसी कामर्स या विधि कालेजों में काम करते हैं चुनावों के समय अपने को प्रोफेसर लिखते हैं। अतः यह कहना कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों का अपने दल के प्रचार के लिये उपयोग करते हैं, गलत है। इसे रोकने के अन्य साधन भी मौजूद हैं।

हम लाखों रुपया इमारतों पर खर्च कर रहे हैं। परन्तु हम यह भूल जाते हैं कि हमारे लाखों युवक इस कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वह पाठ्य पुस्तकें खरीद नहीं सकते। हमें देखना चाहिये कि हम इस प्रकार के पुस्तकालय स्थापित करने की दिशा में क्या कर रहे हैं। सरकार को बताना चाहिये कि पाठ्य पुस्तकों के पुस्तकालयों पर जो कि हमारे विद्यार्थियों के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कितना धन खर्च किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमें महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में तैयार करवाना चाहिये। आखिरकार कितनी देर हम अंग्रेजी का सहारा लेते रहेंगे। इस कार्य को आरम्भ किया जाना चाहिये। इस दिशा में जो कार्य भी आज तक हुआ है वह न इतना अधिक ही है और न ही उसे सन्तोषजनक कहा जा सकता है। देश की शिक्षा के भविष्य को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये। आशा करनी चाहिये अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के लिये शिक्षा मंत्री महोदय कुछ करेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मेरा निवेदन है कि पूर्व वक्ता ने मामले को ठीक ढंग से समझा नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मामले को अन्य आयोगों के साथ मिला दिया है। श्री देशमुख ने आयोग के अध्यक्ष के रूप में निस्सन्देह कई अच्छे कार्य किये हैं। उनका स्थान आंध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने लिया था और अब श्री कोठारी इस आयोग के अध्यक्ष हैं। आशा करनी चाहिये कि वह अपने कार्यकाल में आयोग के कार्य को सुचारु रूप से आगे बढ़ायेंगे और अपने अनुभव का लाभ देश को पहुंचायेंगे। आयोग का कार्य न्यायिक दृष्टिकोण से चलाया जायेगा। इस दिशा में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि संसद् के नियमित रूप से चुने हुये कुछ सदस्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सम्मिलित करना चाहिये। इससे यह लाभ होगा कि देश की शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में काफी आसानी होगी और इसमें प्रतिनिधित्व भी हो सकेगा।

देश भर में जो नये नये विश्वविद्यालय बन रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। देश में उच्च शिक्षा की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस बढ़ रही शिक्षा संबंधी भूख की व्यवस्था करना केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है। मैं तो इस बात पर जोर दूंगा कि हमारे विश्वविद्यालयों को शिक्षा के बारे में ब्रिटेन और अमरीका जैसे देशों की प्रगति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। अमरीका में प्रत्येक १००० में से १७ लोग विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिये आगे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

आते हैं ... भारत में यह आंकड़ा १.५ है। यद्यपि इसके लिये हम यह कह सकते हैं कि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस कमी को पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिये। दिल्ली में लोग शिक्षा के लिये तड़प रहे हैं परन्तु उन्हें कहीं प्रवेश ही नहीं मिलता। कई देशों में शाम को भी कालिज लगते हैं पढ़ाई होती है। रविवार को लगने वाले विश्वविद्यालय भी हैं ताकि लोगों को अधिक से अधिक शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यदि ऐसा करना चाहे तो कर सकता है और सरकार को इस बारे में सलाह दे सकती है। मेरा मत तो यह है कि प्राइवेट विद्यार्थियों के लिये शाम की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिये। प्राइवेट विद्यार्थियों को सभी नौकरियों के लिये होने वाले सरकारी मुकाबले की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति भी होनी चाहिये।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : इस दिशा में कुछ गलत फहमी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शाम के कालिजों तथा डाक से पढ़ाई करने के विरुद्ध नहीं है। वह तो इस प्रश्न का पूरी तरह परीक्षण कर रही है। मैं माननीय सदस्यों की यह भ्रांति दूर कर देना चाहता हूं कि आयोग लोगों के इस प्रकार अपनी शिक्षा जारी रखने के विरुद्ध है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं कह रहा था कि आयोग को इस प्रकार की नीति अपनानी चाहिये जिससे शिक्षा का प्रसार हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : आजकल स्कूलों की मांग बढ़ रही है। हाल ही में मैं जिन देशों में गया वहां शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। शिक्षा मुफ्त दी जाती है, छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। मेरा निवेदन है कि हमारे देश में भी व्यवस्था यह होनी चाहिये कि केवल अमीरों को ही शिक्षा के अवसर न मिलें। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को भी शिक्षा के सामान्य अवसर मिलने चाहियें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मेरी बात आपने बहुत ही उत्तम ढंग से कह दी है। लोगों को कालिजों में प्रवेश नहीं मिलता। हमारे यहां प्रवेश के समय उत्तीर्ण परीक्षा में प्राप्त दर्जे को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। मेरा मत है कि तीसरे दर्जे को प्राप्त करने वालों के लिये आगे शिक्षा लेने का द्वार बन्द नहीं होना चाहिये। यह स्पष्ट है कि चुने हुये छात्रों को प्रवेश देने की गलत समस्या हमारे देश में समय से बहुत ही पूर्व आ उपस्थित हुई है। मैं आग्रह करूंगा कि इस बात को हमें नहीं अपनाना चाहिये। यह समय के भी प्रतिकूल है और विवेक तथा बुद्धि भी इसे स्वीकार नहीं करती।

खेद की बात है कि हमारे सभी छोटे बड़े अधिकारी शिक्षा के स्तर के गिर जाने की बातें करते हैं। यह तो अपने आप की स्वयं ही निन्दा करने वाली बात है। आखिरकार शिक्षा के स्तर को उठाने का उत्तरदायित्व भी तो इन्हीं सम्बद्ध अधिकारियों का ही है। शिक्षा के स्तर को कई ढंगों से सुधारा जा सकता है। सब से पूर्व तो मैं यह निवेदन करूंगा कि शिक्षा से संबंधी सभी प्राध्यापकों का वेतन स्तर बढ़ाया जाये।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि सामान्य दर्जे के भारतीय विद्यार्थियों को आरम्भ से अन्त तक सहायता दी जानी चाहिये। विद्यार्थियों की सामाजिक प्रगति और कल्याण की ओर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ध्यान आकृष्ट होना चाहिये। विविध प्रकार

---

†मूल अंग्रेजी में

की योग्यताओं के लिये सरकार को छात्रवृत्तियां भी देनी चाहियें। मेरा विश्वास है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय ने इस कार्य के लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुछ व्यवस्था करली है।

मैं यह भ्रान्ति दूर कर देना चाहता हूं कि हमारा शिक्षा स्तर गिरा है अथवा उसमें निरन्तर गिरावट आ रही है। मेरा मत तो यह है कि भारतीय विद्यार्थी अब पहले से अच्छा काम कर रहे हैं। विदेशों में उनको अब बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा जाता है। अतः सरकार को उन्हें सभी प्रकार से प्रोत्साहन देना चाहिये।

अनुशासन की बात की गई है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि अलोकतंत्रीय ढंग से आप अनुशासन की भावना नहीं पैदा कर सकेंगे। इसके लिये कालिजों तथा विश्वविद्यालयों में जो लोकतंत्रीय संस्थायें हैं उन पर दबाव डाल कर तथा उनके लोकतंत्रीय स्वरूप को नष्ट करके हमें अनुशासन स्थापित करने का यत्न नहीं करना चाहिये। हमें अपने छात्रों को ब्रिटिश काल से अब अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये। मेरा मत है कि इस दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन में बहुत सी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की गई है। इन बातों का सारे देश पर प्रभाव है। मुझे इस बात का भी हर्ष है कि एक नवयुवक को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वैसे तो इस मामले में आयु का कोई महत्व नहीं परन्तु हमें चाहिये कि अनुदान आयोग में विश्वविद्यालयों के ४५, ५५ वर्ष की आयु के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में २ अध्यापक लेने चाहियें। कारण यह है कि इस प्रकार के अध्यापक हमेशा स्थायी रूप में विद्यार्थियों के सम्पर्क में रहते हैं, इस कारण वे उनकी कठिनाइयों और समस्याओं को भली भांति जानते हैं। हायर सैकेण्ड्री स्कूलों में से किसी एक स्कूल के प्रिंसिपल को और शिक्षा निदेशक को भी आयोग में स्थान दिया जाना चाहिये। यह लोग इस विषय से सम्बन्धित सारी बातें आयोग के समक्ष रखते रहेंगे और इसके लिए विचार कर इन समस्याओं की ओर समुचित ध्यान देंगे और व्यवस्था करेंगे। मैं यह भी चाहता हूं कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये भी पंचवर्षीय योजना तैयार की जानी चाहिये ताकि यह पता लग सके कि पांच वर्षों में इस दिशा में क्या विकास और प्रगति हुई है। इसके लिए आयोग को अपनी कार्य प्रणाली को बदलना होगा। वित्तीय सहायता सम्बन्धी प्रक्रिया में मौलिक परिवर्तन भी करना होगा। अनियमित ढंग से जो कार्य इस दिशा में हो रहे हैं उससे कोई लाभ प्राप्त होने की आशा नहीं, अतः इस प्रकार के कार्य नहीं किये जाने चाहियें।

नये विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में मेरे आयोग से बड़े गम्भीर मतभेद हैं। मैं आयोग के इस कथन को ठीक नहीं मानता कि नया विश्वविद्यालय खोलने के पूर्व राज्य सरकारों तथा विधान मंडलों को आयोग से अवश्य परामर्श करना चाहिये। उनका मत है कि ऐसा करने से विश्वविद्यालय की शैक्षिक स्वायत्तता पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेंगे, मेरा मत यह है कि आयोग का यह कहना राज्य सरकारों, राज्य विधान मंडलों तथा स्वयं लोकतंत्र पर एक आक्षेप लगाना है। और इस प्रकार की बातों से नये विश्वविद्यालय खोलने के मार्ग में बहुत ही बाधायें डाल दी हैं। इस दिशा में हमारी जो वर्तमान समस्यायें हैं उन को हल करने का यह ढंग न न व्यवहारिक है और न यथार्थवादी है। मैं तो यह जोर देना चाहता हूं कि हमें नये विश्वविद्यालय खोलने के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिये। ऐसा करने से ही अधिकाधिक विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए भर्ती किया जा सकता है। और जो स्थिति आज है उसका मुकाबला करने का यही एक साधन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

अध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में जो समस्या है मेरे विचार में आयोग ने उसकी तह तक जाने का प्रयत्न नहीं किया है। यदि हम शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के विचार से अच्छे प्रथम श्रेणी के लोगों को अध्यापन कार्य की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं तो हमें यह व्यवस्था अवश्य करनी होगी कि प्रशासकीय सेवाओं के लोगों के मुकाबले में अध्यापकों तथा प्राध्यापकों को अच्छा वेतन तथा उच्च स्थान प्राप्त हो। इस बात को आयोग से सम्बद्ध सभी लोगों को समझ लेना चाहिये।

†श्री च० का० भट्टाचार्य (पश्चिम दीनाजपुर) : विश्वविद्यालय आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने से पूर्व मैं इसके भूतपूर्व अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके कार्यकाल में आयोग ने बहुत ही शानदार कार्य किया है। इस आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि शिक्षा का विषय राज्य के अन्तर्गत आता है। केन्द्र का कार्य तो विभिन्न राज्यों में प्रचलित शिक्षा स्तर का समन्वय करना है। और गत कुछ वर्षों से यह कार्य अच्छे ढंग से किया जा रहा है।

यह तो बड़ी स्पष्ट बात है कि विश्वविद्यालय शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिये। विद्यार्थियों को प्रवेश न मिलने की जो भयंकर समस्या हमारे सामने है उसका हल तो होना ही चाहिये। इस दिशा में हमें वही रास्ता और नीति अपनानी चाहिये जो ब्रिटेन में प्रचलित है। भारत में एकाएक जिस प्रकार से विश्व विद्यालय खोल दिये जाते हैं, यह ढंग किसी भी दशा में उचित नहीं कहा जा सकता।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जहां तक उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने का प्रश्न है यह मुख्यत: केन्द्र का उत्तरदायित्व है। इस दिशा में पाठ्यक्रमों, अध्यापकों की योग्यताओं तथा वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान कार्य को व्याप्ति की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। अभी तक तो करोड़ों रुपया इमारतों पर ही खर्च किया गया है। मेरा यह भी मत है कि विश्व विद्यालयों को शैक्षिक स्वतन्त्रता देने का सिद्धान्त भी स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। इसके साथ ही अध्यापकों के चुनाव सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तों का भी आदर किया जाना चाहिये।

मैंने कुछ नये विश्वविद्यालयों के गठन का अध्ययन किया है। ऐसा लगता है कि विश्व-विद्यालयों के शासी निकाय कुछ ढंग से गठित किये जाते हैं कि वे सचिवालय की मुट्ठी में रहें। श्री माथुर स्वयं इसकी जांच कर सकते हैं। यह तरीका विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता नष्ट कर देता है। उनके निर्बाध विकास के लिये यह श्रेयस्कर नहीं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पुनर्गठन का एक और भी तरीका है। हर दस वर्ष बाद आयोग के काम का पुनरीक्षण किया जाये। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी अव्यवस्था है। माध्यमिक शिक्षा का एक समुचित स्तर नहीं बन पाया है। फिर भी तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है, यह मानकर कि माध्यमिक शिक्षा समुचित स्तर तक पहुंच चुकी है। यही विडम्बना है।

मेरा यही सुझाव है कि हर दस वर्ष बाद माध्यमिक और विश्वविद्यालयी शिक्षा का पुनरीक्षण किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा अपना विश्वास है कि तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने के पहले और माध्यमिक शिक्षा के बाद, दोनों के बीच में एक इन्टरमीजियेट पाठ्यक्रम रखना आवश्यक है। तभी विद्यार्थी अपने आपको विश्वविद्यालय की शिक्षा के योग्य बना सकेंगे। यदि वे समुचित स्तर के नहीं होंगे, तो कई सामाजिक समस्यायें सामने आयेंगी। उनमें निराशा और पस्तहिम्मती फैल जायेगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, राधाकृष्णन् आयोग के प्रतिवेदन का एक यह सुझाव दोहराया है कि विश्वविद्यालयों में निर्वाचन न हो, बल्कि बारी-बारी से नियुक्तियां की जायें। सुझाव बड़ा अच्छा है।

पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल, स्वर्गीय डा० एच० सी० मुकर्जी ने, कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया था कि अध्यापकों को चुनावों से बचना चाहिये।

कहीं अच्छा रहता कि डा० साहा और प्रोफेसर सत्येन्द्रनाथ बनर्जी जैसे वैज्ञानिक संसद् में न आकर अपनी प्रयोगशाला में ही रहते। उससे देश को सचमुच बड़ा लाभ होता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा भी है कि अध्यापकों को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिये।

अब प्रश्न है शिक्षा के माध्यम का। प्रस्ताव यह है कि विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषा ही शिक्षा की माध्यम बने। आशंका यह है कि विश्वविद्यालयों को इतना अधिक प्रादेशिक रूप दे देने से देश में एक सामान्य भाषा नहीं रह जायेगी, अलगाव का रुझान बढ़ेगा। कोई ऐसा सूत्र नहीं रह जायेगा, जो सभी विश्वविद्यालयों को बांध सके। अभी तक यह काम अंग्रेज़ी करती आई है। अब जब तक अपने देश की कोई भाषा अंग्रेज़ी का स्थान लेने योग्य न हो जाये, तब तक अंग्रेज़ी को ही रहने देना चाहिये। उसके जरिये विभिन्न विश्वविद्यालयों में सम्पर्क तो बना रह सकेगा।

†श्री रंगा (तेनालि) : मेरे पूर्व वक्ता ने शिक्षा के माध्यम के बारे में बहुत ठीक कहा है। प्रादेशिक भाषा और हिन्दी तथा अंग्रेजी की शिक्षा पर समान रूप से जोर देना चाहिये, नहीं तो देश में विघटनकारी शक्तियों को बल मिलेगा।

मैं इस सुझाव से भी सहमत हूं कि वर्तमान परिस्थिति में अध्यापकों और प्राध्यापकों को विधान मंडलों में नहीं जाना चाहिये। यही मेरा अपना निजी अनुभव है। यदि अध्यापक या प्राध्यापक शासक दल के साथ हो, तो विधानमंडल में जाने से उसे कोई अड़चन नहीं पड़ती, लेकिन यदि विरोधी दल का हो, तो उस पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं। इसलिये उनका विधान-मंडलों में न जाना ही ज्यादा अच्छा रहेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य प्रमुख शिक्षा अधिकारियों ने अनुशासनहीनता के लिये विद्यार्थियों को ही दोषी ठहराया है। कभी-कभी प्राध्यापकों और शिक्षा अधिकारियों का भी दोष रहता है। उस्मानिया विश्वविद्यालय का उदाहरण हमारे सामने है। वहां हड़ताल होने का कारण यही था कि विद्यार्थियों के अभिभावकों से पूछे जांचे बिना ही ५० या ७५ प्रतिशत फीस बढ़ा दी गई थी। उपकुलपति ने अभिभावकों से कहा था कि यदि आन्ध्र प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय का एक लाख रुपये का घाटा पूरा करदे तो फीस बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार ने भी निर्णय करने में देर करदी। बाद में बढ़ी हुई फीस रद्द कर दी गई थी। और, उसी दिन हड़ताल खत्म हो गई थी। इससे स्पष्ट है कि उसमें विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

मैं रूसी अन्तरिक्ष-यात्री का अभिनन्दन करता हूं । मैं चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय भी एक दिन अन्तरिक्ष में उड़ाने भरना सम्भव बना सकें । इसीलिये विश्वविद्यालयों को अधिकाधिक स्वायत्तता देनी चाहिये ।

आयोग का यह सुझाव भी अच्छा है कि नये विश्वविद्यालयों के खोलने के बारे में कोई विधान बनाने से पहले आयोग से परामर्श किया जाये । हाल के कुछ उदाहरणों को देखते हुए, मैं तो यही अच्छा समझता हूं कि सरकार को आयोग का परामर्श मान ही लेना चाहिये ।

श्री माथुर की यह बात भी ठीक है कि अध्यापकों के वेतन में यथाशक्य वृद्धि की जानी चाहिये ।

मैं श्री माथुर और श्री शर्मा की इस बात से सहमत हूं कि विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने और उनके लिये बड़ी-बड़ी शानदार इमारतें बनाने से कोई लाभ नहीं । उन पर जितना व्यय होता है, उससे नये कालेज खोलकर अधिक युवकों के लिये शिक्षा की सुविधायें जुटाने से कहीं अधिक लाभ होगा ।

विश्वविद्यालयों के निकट ही औद्योगिक बस्तियों का संगठन करना एक बड़ा लाभप्रद परीक्षण होगा ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है । मैं इस सुझाव के पक्ष में हूं कि समय समय पर आयोग और विश्वविद्यालयों के काम का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये । हर पांच वर्ष बाद ऐसा पूनरीक्षण किया जा सकता है ।

डा० कृष्ण के निधन से देश का एक सुयोग्य शिक्षाविद् हमारे बीच से उठ गया है । मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

आशा है कि अब उनका पद संभालने वाले डा० कोठारी सरकार को इस बात के लिये राजी कर लेंगे कि विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन के लिये सरकार अधिक राशि की व्यवस्था करे ।

यह सोचना बिलकुल ग़लत है कि अपने प्राचीन ग्रंथों से हमें वैज्ञानिक क्षेत्र में कोई सहायता नहीं मिल सकती । आज हम अन्तरिक्ष-यात्रियों की सराहना कर रहे हैं । लेकिन हमारे यहां ऐसे भी योगी थे जो बिना किसी प्रयास के अपने शरीर को जमीन से ऊपर उठा लेते थे । आज भी ऐसे योगी हैं । कम से कम एक को तो मैंने भी देखा है । उसके पीछे कुछ न कुछ अवश्य है । हमें उनसे सीखना चाहिये ।

†श्री कालिका सिंह (आजमगढ़) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुकाबले, अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिये कम राशि रखी है । उसे २१.६ से घटाकर १९.६ कर दिया गया है ।

यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के विपरीत है । कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आने वाले १६ देशों में से कई ऐसे हैं जो अपने कुल व्यय का ४० प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करते है । परन्तु हम शिक्षा को उतना महत्व नहीं दे पाते ।

आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा को संघ सरकार का दायित्व मान कर चला है, जब कि संविधान के अनुसार विश्वविद्यालयी शिक्षा राज्य सरकारों का विषय है । इसलिये संविधान में

---

†मूल अंग्रेजी में

संशोधन करके, शिक्षा को संघ सरकार का दायित्व ही बनाया जाना चाहिये। शिक्षा को संघ सूची में शामिल किया जाना चाहिये। तीन विश्वविद्यालयों--जिनमें बनारस और अलीगढ़ के दो साम्प्रदायिक विश्वविद्यालय हैं और एक दिल्ली विश्वविद्यालय है--को ही संघ सरकार ने अपना दायित्व क्यों माना है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मैंने साम्प्रदायिक इसलिये कहा है कि उनको "हिन्दू" और "मुस्लिम" शब्द अपने नाम से हटाने पर आपत्ति है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना अंग्रेज शासकों ने नहीं, महामना मालवीय जी ने की थी।

†**श्री कालिका सिंह** : जी, हां। मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद, उसकी एक प्रतिक्रिया के रूप में। शायद महात्मा गांधी को वह विचार पसन्द नहीं था।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : महात्मा गांधी ने तो उसमें बड़ी दिलचस्पी ली थी।

†**श्री कालिका सिंह** : सभी ४६ विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना देना चाहिये। उसे संघ का दायित्व बना देना चाहिये।

आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि देश में विश्वविद्यालयी विद्यार्थियों की संख्या ९ लाख है, और उनके लिये २०० विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारों ने नये विश्वविद्यालय खोलने का समुचित प्रयास नहीं किया है। आयोग ने कहा है कि एक विश्वविद्यालय में ५,००० हजार से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिये। इस संबंध में एक कोई नीति निर्धारित की जानी चाहिये। विद्यार्थियों का दृष्टिकोण प्रांतीय या प्रादेशिक न होकर, राष्ट्रीय होना चाहिये।

प्राध्यापकों के वेतन क्रम में वृद्धि करना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। प्राध्यापकों के पदों के लिये पहली श्रेणी में प्रथम आने वाले विद्यार्थी ही आते हैं। उनकी संख्या भी इतनी अधिक होती है कि अधिकांश बेरोजगार रह जाते हैं। हम उनको केवल २०० रुपये ही दे पाते हैं। आयोग ने उनको २२५ रुपये देने की सिफारिश की है। उनका दायित्व और उसका महत्व देखते हुए, हमें डिग्री कालिजों के लैक्चरारों को शुरू में ३५० रुपये तो देने ही चाहिये।

सभी मानते हैं कि देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है।

इसका सारा दोष विद्यार्थियों पर नहीं थोपा जाना चाहिये। प्राध्यापकों के वेतन कम होने से, वे भी शिक्षा की ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाते। साथ ही शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिये विद्यार्थियों को अधिक सुविधायें दी जानी चाहिये।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : पिछले सात- आठ वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। अब श्री देशमुख के निवृत्त, और डा० कृष्ण के असमय निधन के बाद, आयोग के नये सभापति ने कार्य-भार संभाल लिया है। मुझे बताया गया है कि वह आयोग के सभापति होने के साथ ही साथ, दिल्ली विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्राध्यापक और प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के अवैतनिक सलाहकार भी हैं। भय है कि शायद वह आयोग की ओर उतना ध्यान न दे पायें। वैसे अपने पद के लिये पूरी तरह समर्थ तो हैं, पर उनके पास इतना समय शायद न निकल पाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० स० मुनिस्वामी]

प्रथम और द्वितीय---दोनों ही योजनाओं के दौरान अध्यापकों और प्राध्यापकों के वेतनों में वृद्धि हुई है, परन्तु उसका कोई अच्छा परिणाम तो निकला। इसलिये कि अध्यापक और प्राध्यापक तो वही पुराने लोग बने हुए हैं। उन्होंने शिक्षा का स्तर उठाने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया।

आज मजदूरों में हड़तालों की तरह, विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता एक रोग बनती जा रही है। आयोग को इसे दूर करने का उपाय निकालना चाहिये। अनुशासनहीनता को एक साधन नहीं बनने देना चाहिये। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ाने के लिये एक हद तक उनके अभिभावक भी जिम्मेदार हैं। उनको भी विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना पैदा करने की कोशिश करनी चाहिये।

शिक्षा अधिकारियों को हर वर्ष अभिभावकों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिये। हमें अभिभावकों को बताना चाहिये कि वे अनुशासनहीनता रोकने के लिये अपनी ओर से क्या कर सकते हैं। आयोग ने इस दिशा में क्या किया है?

इस प्रतिवेदन में आयोग के सभापति और सचिव द्वारा किये गये दौरों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। मुझे बताया गया है कि सचिव ने इंगलैण्ड, जर्मनी, अमरीका, इत्यादि देशों का बड़ा विस्तृत दौरा किया है। उनको अपने अनुभवों से आयोग को लाभान्वित तो करना चाहिये। और जब सचिव दौरे पर जायें, तो उनके स्थान पर लोगों को परामर्श देने के लिये कोई अन्य पदाधिकारी तो रहना चाहिये। सचिव की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालयों के कई उपकुलपतियों को परामर्श की आवश्यकता पड़ी थी, परन्तु उनको निराश होना पड़ा। सचिव को कम से कम समय देश से बाहर रहना चाहिये।

शिक्षा के माध्यम के संबंध में मेरे विचार यह हैं कि अभी प्रादेशिक भाषाओं को माध्यम बनाने का समय नहीं आया है। अभी उसके लिये परिस्थिति परिपक्व नहीं हुई है। वैज्ञानिक और तकनीकी पारिभाषिक शब्दों की एक सामान्य शब्दावली तैयार करने का काम एक समिति को सौंपा गया है। लेकिन प्रत्येक राज्य की अपनी शब्दावली है। इसलिये अच्छा यही रहेगा कि पारिभाषिक शब्दावली अंग्रेजी से ले ली जाये, उसे संस्कृत से गढ़ा न जाये। अभी विश्वविद्यालयी शिक्षा के स्तर पर अंग्रेजी को कुछ दिनों और बनाये रहना चाहिये।

मद्रास में तो डिग्री पाठ्यक्रमों की पढ़ाई उनकी प्रादेशिक भाषा---तामिल---में शुरू भी कर दी गई है। परन्तु इसमें अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। पहले तो हमें सभी पाठ्य पुस्तकें प्रादेशिक भाषाओं में अनूदित कर लेनी चाहिये। तब तक अंग्रेजी ही बनी रहनी चाहिये।

हमें शिक्षा के लिये अधिक राशियों की व्यवस्था करनी चाहिये। अभी हम यही तय नहीं कर पाये हैं कि तृतीय योजना में शिक्षा के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की जाये। योजना आयोग को इस मामले में उदारता से काम लेना चाहिये।

उत्तर प्रदेश और बम्बई राज्यों ने तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं किया है। विश्वविद्यालय से पूर्व का पाठ्यक्रम एक वर्ष का रखा गया है। एक वर्ष में विद्यार्थियों को इतने सारे विषय घोंट कर पिलाना उचित और हितकारी नहीं होगा। वैसे पहले भी चार वर्ष लगते थे, दो इन्टरमीजियेट में और दो बी० ए० में और अब भी चार ही वर्ष लगेंगे---एक विश्वविद्यालय पूर्व पाठ्यक्रम में और तीन बी० ए० में। फिर इसका लाभ क्या? मैं तो समझता हूं कि तीन-वर्षीय पाठ्यक्रम एक व्यर्थ का तमाशा खड़ा किया जा रहा है। कई बड़े बड़े राज्य इसे स्वीकार करने से हिचक रहे हैं। हमें इस योजना पर पुनर्विचार करना चाहिये।

शिक्षा सुधार के नाम पर बहुत धन खर्च किया जा रहा है। जो कुछ धन व्यय हो रहा है उसका कोई सदुपयोग मुझे नजर नहीं आता। वांछित लाभ के बिना धन व्यय नहीं किया जाना चाहिये। हमारे यहां फोर्ड फाउन्डेशन तथा राकफेलर फाउन्डेशन हैं। वे क्या काम करते हैं, और उनके काम का क्या लाभ होता है। इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। इनके बारे में संघ लोक सेवा आयोग से पूछा जाना चाहिये। इन फाउन्डेशन के अन्तर्गत पांच वर्ष तक काम करने के बाद लोगों की सेवायें भी नहीं ग्रहण की जातीं। इस बारे में विचार करना है।

पुस्तकालयों के निर्माण पर भी बहुत धन व्यय किया गया है। उनको वायु अनुकूलित बनाया गया है। बजाय इसके कि लोग वहां जाकर पढ़ें और लाभ उठायें वे आराम करते हैं। इस प्रकार की बातों को रोकना चाहिये।

जहां तक आयोग में कर्मचारियों की भर्ती का प्रश्न है एक वर्ग विशेष के लोगों को ही भर्ती किया जाता है। मेरा निवेदन है कि भर्ती करने के ढंग को बदला जाना चाहिये। कर्मचारियों की भर्ती का एक ढंग होना चाहिये।

विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिये जो १६ वर्ष की आयु की बात रखी गई है। वह तो ठीक है लेकिन यदि कुछ कम आयु के लोग भी आ जाते हैं तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उनके लिये छूट दे देनी चाहिये। क्योंकि ऐसे मामले मुश्किल से एक या दो ही आते हैं। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि एक दो विद्यार्थी जो अपनी योग्यता के कारण इस योग्य हो जाते हैं उन्हें पढ़ाई का अवसर मिल सके। अतः मेरा निवेदन है कि १६ वर्ष की आयु के बन्धन का पालन कठोरता के साथ न किया जाये।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी हमारे सामने बहुत सी योजनायें रखी हैं जिनका मेरी दृष्टि से निर्धन तथा सामान्य लोगों को कोई लाभ नहीं होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य कार्य विभिन्न विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा संबंधी गतिविधियों का समन्वय करना तथा शिक्षा के स्तर में सुधार करना है। इन दोनों कामों में यह आयोग असफल रहा है। मेरा निवेदन है कि शिक्षा का स्तर बराबर गिर रहा है। इस स्तर के गिरने के कारण हैं। पहला कारण तो तीन वर्षीय डिग्री कोर्स प्रारम्भ करना है जिसने चारों ओर गड़बड़ी पैदा कर दी है। हाई स्कूलों को बड़ी तेजी के साथ हायर सैकंडरी स्कूलों में बदला जा रहा है--उनमें अधिक योग्य अध्यापकों तथा अधिक अच्छी प्रयोगशालाओं आदि की व्यवस्था किये बिना ही इन हायर सैकंडरी स्कूलों से जो अपरिपक्व विद्यार्थी निकलते हैं वे कालिजों में जाते हैं और उनकी अपरिपक्वता वहां भी बनी रहती है। जहां तक आयु बन्धन की बात है उत्तर प्रदेश ने जो प्रयोग किया है, उसका अनुकरण अन्य राज्य उपयोगी ढंग से कर सकते हैं। अगर हम तीन वर्षीय डिग्री कोर्स से पूर्व एक वर्ष की अवधि बढ़ा दें तो यह कोई बुरी बात नहीं होगी। दूसरा कारण अच्छे अध्यापकों का अभाव है। उनके चयन में सावधानी से काम नहीं लिया जाता।

समन्वय के मामले मे भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि होनी चाहिये। इस संबंध में आयोग के सुझावों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिये अलीगढ़ विश्वविद्यालय की जांच के लिये एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। उस आयोग ने सिफारिश की थी कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बलराज मधोक]

प्राध्यापकों की नियुक्ति के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि उस नियुक्ति समिति में होना चाहिये लेकिन उस विश्वविद्यालय ने यह प्रार्थना भी ठुकरा दी।

स्कूलों तथा कालिजों में भरती की समस्या, विशेष रूप से दिल्ली में बड़ी भीषण है। यह कहा जाता है कि काफी संख्या में विद्यार्थी कालिजों में प्रवेश के लिये आ रहे हैं। इसलिये स्तर गिर रहा है। इसलिये यह सुझाव दिया गया है कि चुने हुये विद्यार्थीयों का ही प्रवेश लिया जाये। अब प्रश्न यह उठता है कि जो लोग प्रवेश नहीं पायेंगे उनका क्या होगा वे कहां जायेंगे उनकी पढ़ाई के लिये प्रविधिक स्कूल भी नहीं हैं और न उनको कोई रोजगार ही है। लड़कियों के मामले में तो समस्या और भी गम्भीर है। पहले पंजाब विश्वविद्यालय उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दिया करता था लेकिन उसने भी अब बन्द कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज जन साधारण के सामने बहुत बड़ी कठिनाई है। यह तर्क कुछ समाधान नहीं करता कि नये कालेज खोलने के लिये धन नहीं है। जब हम इमारतों के बनवाने में बड़ी बड़ी राशियां खर्च कर सकते हैं तो वर्तमान कालेजों को क्यों नहीं बढ़ा सकते। या नये कालेज क्यों नहीं खोल सकते। दिल्ली की जामिया मिलियां को विश्वविद्यालय बनाने की योजना है। मैं इसका विरोध करता हूं। जब दिल्ली में पहले से ही एक विश्वविद्यालय है तो दूसरे विश्वविद्यालय की क्या आवश्यकता है। इसकी अपेक्षा तो यही होगा कि नये कालेज खोले जायें जिससे दिल्ली के उन बच्चों को स्थान मिल सके जिन्हें भारी संख्या में निकटवर्ती शहरों में पढ़ने जाना पड़ता है। क्योंकि दिल्ली के किसी भी कालिज में उन्हें दाखिला नहीं मिला। मेरा निवेदन है कि इस स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये।

विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं तो कहूंगा कि पहले की अपेक्षा अब के विद्यार्थी अधिक अच्छे हैं लेकिन जो कुछ भी अनुशासनहीनता है उसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि देश में नैतिक मान्यताओं का पतन हो गया है और दूसरा कारण यह है कि नवयुवकों में निराशा है। वे जानते हैं कि परीक्षा पास करने के बाद उनका भविष्य अन्धकार में है अतः उनमें उत्तरदायित्व कम होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि विद्यार्थियों में वे पुरानी बातें विद्यमान हैं जो ब्रिटिश शासन काल में व्याप्त थीं। उसी प्रकार की हड़तालें अब भी होती हैं क्योंकि वर्तमान सरकार की बहुत कुछ नीति वही है जो ब्रिटिश सरकार की थी। अच्छे अध्यापकों की कमी भी अनुशासनहीनता का महत्वपूर्ण कारण है। यह सुझाव कि अध्यापकों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये और उन्हें विधानमंडलों में नहीं आना चाहिये एक प्रतिक्रियावादी तथा प्रतिगामी सुझाव है। मैं तो कहूंगा कि एक अध्यापक यदि राजनीति में भाग लेता है तो विद्यार्थियों में उसका सम्मान अधिक होता है। संसार के सभी देशों में यह देखने को मिलता है कि वहां के अध्यापक विधानमंडलों में जाते हैं।

जहां तक शिक्षा के माध्यम का सवाल है, क्षेत्रीय भाषाओं को धीरे धीरे ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिये। हिन्दी के विकास के लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये ताकि वह अल्पतम समय में अंग्रेजी का स्थान ले ले। मैं कहूंगा कि शिक्षा मंत्रालय ने हिन्दी के विकास के लिये उचित ध्यान नहीं दिया। आयोग ऐसा प्रबन्ध करे कि सभी विषय की पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद हो जाये और विश्वविद्यालय प्रामाणिक अनुवादों का प्रयोग करें।

यह कहा जाता है कि शिक्षा के निम्न स्तर का एक कारण यह भी है कि अध्यापकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। अध्यापकों को वेतन तो पहले भी बहुत कम मिलता था लेकिन अब इस भौतिकवादी युग में अध्यापक इतना अवश्य चाहते हैं कि उन्हें वे सभी सुविधायें उपलब्ध हों जो कि उच्च पदाधिकारियों को उपलब्ध हैं। ऐसा सोचना उनका ठीक भी है। यह तो अच्छा है कि केन्द्रीय

विश्वविद्यालयों में अध्यापकों का वेतन बढ़ा दिया गया है। लेकिन पुराने तथा नये अध्यापकों को बराबर ही वेतन मिलता है जिसके परिणामस्वरूप पुराने अध्यापकों मे निराशा बढ़ गई है जिसे दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। गैर-सरकारी कालिजों में अध्यापकों की दशा और भी खराब है। उत्तर प्रदेश में डिग्री कालेज के अध्यापकों को केवल २००रु० प्रतिमास वेतन मिलता है।

अध्यापकों की भर्ती के मामले में संकीर्णता बरती जाती है। जिसे हटाया जाना चाहिये। योग्य व्यक्तियों को, भले ही वह किसी राज्य का रहने वाला हो, उचित स्थान दिया जाना चाहिये। राज्यीय आधार पर भर्ती नहीं की जानी चाहिये। दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये प्रतिवर्ष ५ नये कालेज खोले जाने चाहियें और वर्तमान कालेजों की क्षमता भी बढ़ाई जानी चाहिये। जब तक यह नहीं किया जायेंगा तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव): उपाध्यक्ष जी, भोजन और वस्त्र के पश्चात् जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं में जिन तीन वस्तुओं का नाम आता है वे हैं शिक्षा, चिकित्सा और न्याय।

शिक्षा को हमारी सरकार ने तीन श्रेणियों में विभक्त किया हुआ है, प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चस्तरीय शिक्षा जिसको विश्वविद्यालय की शिक्षा कहा जाता है। विश्वविद्यालयों की शिक्षा और प्रबन्ध के सम्बन्ध में जो आयोग ने गत वर्ष की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसको देखने से जहां बहुत सी बातों के सम्बन्ध में जानकारी मिली और प्रसन्नता हुई, वहां एक बात को देखकर हार्दिक कष्ट भी हुआ है कि जब से इस आयोग की स्थापना हुई है तब से ही देशी भाषाओं को विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा बराबर पीछे हटाने की प्रवृत्ति बढती चली जा रही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में देशी भाषाओं को लाने में चार वर्ष से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन आयोग का इस सम्बन्ध में अपना यह मत है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरे-धीरे उच्चस्तरीय शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि इस जल्द-बाजी से आयोग का तात्पर्य क्या है। अगर यह बात इसी प्रकार टलती चली गयी तो नहीं कहा जा सकता कि अन्तिम रेखा इसके बारे में कहां खींची जा सकेगी। आखिर कभी न कभी तो यह निर्णय लेना ही है। आयोग ने इस सम्बन्ध में भी अपनी कोई सम्मति नहीं दी है कि जिन प्रान्तों ने अपनी प्रान्तीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया हुआ है प्रान्तीय स्तर पर उन प्रान्तीय भाषाओं की स्थिति क्या होगी। मेरा अपना निवेदन है कि जब अपना देश स्वतंत्र हो कर प्रान्तीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की स्थिति में है तो जिन प्रान्तों ने अपनी प्रान्तीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया है, प्रान्तीय स्तर पर उन भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात जो आवश्यक प्रतीत होती है वह यह कि आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि उच्चस्तरीय शिक्षा सब विद्यार्थियों को न दी जाये। उसके लिए कुछ विद्यार्थियों का चुनाव किया जाये और योग्य एवं प्रतिभावान् छात्रों को ही उच्चस्तरीय शिक्षा मिले। मैं नहीं समझ पाया कि आयोग के कार्य-क्षेत्र में यह बात आती भी है कि नहीं जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार का सुझाव दे दिया। लेकिन अगर उनके क्षेत्र में यह बात आती भी हो तो भी उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह इंगलैंड का प्रस्तुत किया है। लेकिन वह भूल जाते हैं कि रूस और चीन में प्रत्येक विद्यार्थी को उच्चस्तरीय शिक्षा का अधिकारी समझा जाता है। भारतवर्ष की जनसंख्या

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

को देखते हुए हिन्दुस्तान में विश्वविद्यालयों की संख्या २०० अवश्य होनी चाहिए। सरकार अपनी इस दुर्बलता को छिपाने के लिए विचित्र प्रकार की युक्तियां देती है और कहती है कि उच्च-स्तरीय शिक्षा का मार्ग सबके लिए न खोला जाये। होना तो यह चाहिए था, जैसा कि अभी अनेक माननीय सदस्यों ने कहा, कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के मार्ग में प्रतिबन्ध न लगाये जायें और सब के लिए अधिक से अधिक उच्चस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की जाये। और एक बात देखकर आश्चर्य होता है कि भारतवर्ष में जो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा चल रही है इसके ऊपर सरकार द्वारा जितना व्यय एक प्रतिशत किया जाता है। और इतना कम व्यय करते हुए भी सरकार यह सोचती है कि उच्चस्तरीय शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगा दिये जायें। यह बात संगत प्रतीत नहीं होती।

एक तीसरी बात मैं शिक्षा मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूं और वह यह कि कई बार यह शिकायत सुनने में आती है, और आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में कुछ संकेत किया है, कि छात्रों में अनुशासनहीनता है। मेरा अपना अनुमान है कि इसका कारण यह है कि आजकल हमारे विश्वविद्यालयों में छात्रों को केवल मानवीय विज्ञान की शिक्षा अधिक मात्रा में दी जा रही है। अगर इसके साथ उनको टैक्निकल और वैज्ञानिक शिक्षा भी दी जाये तो जिन विद्यार्थियों के पास रिक्त समय रहता है उसका उपयोग हो जायेगा। इसी रिक्त समय में वे ऐसी कार्रवाइयां करते हैं जो अनुशासनहीनता में सम्मिलित की जाती हैं। यदि उनके पास रिक्त समय ही नहीं बचेगा तो वे इस प्रकार की कार्रवाइयों में भाग ही न ले सकेंगे।

साथ ही साथ हमारे देश में जो वर्तमान शिक्षा पद्धति चल रही है वह लार्ड मैकाले के समय की है और उसी पगडंडी पर चलते हुए क्लर्कों की संख्या बढ़ रही है। और एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों में नौकरी पाने की इच्छा रखने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है। इसलिए मेरा निवदन है कि इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को गम्भीरता के साथ कुछ निर्णय लेने चाहिए। देश में अब वह समय आ गया है कि पास किये हुए उन युवकों की जिनको रोजगार नहीं मिल पाता और संख्या बढ़ती चली जा रही है उनके लिए कोई उपाय सोचें। द्वितीय योजना के अन्त में ऐसे युवकों की जो संख्या थी उससे अधिक संख्या तीसरी योजना के अन्त में रहने की सम्भावना है। यह किसी स्वाधीन देश की सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। आयोग को इस पर निर्णय लेना चाहिए और विशेष रूप से शिक्षा विभाग को इस सम्बन्ध में गम्भीरता से निर्णय लेना चाहिए।

एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं और वह यह कि अगर हमारी सरकार और आयोग चाहता है कि हमारे विश्वविद्यालयों के छात्रों की अनुशासनहीनता पर रोक लगायी जा सके तो जो छात्र संघ कायम हैं उनकी पद्धति में कुछ परिवर्तन करना होगा। आज कल इनके कारण अनुशासनहीनता बढ़ रही है। एक समय था जब कि छात्र संघों या यूनियनों के द्वारा विद्यार्थियों की ज्ञान वृद्धि होती थी और मस्तिष्क का विकास होता था। लेकिन आजकल इन यूनियनों का जब चुनाव होता है तो बाहर की राजनीतिक पार्टियां जो साधारण चुनावों में भाग लेती हैं, वे भी इन चुनावों में प्रवेश पा जाती हैं। इस पर सख्ती से प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए कि छात्र संघों के चुनावों में बाहर की राजनीतिक पार्टियां किसी प्रकार का भाग न ले सकें। यह नैतिक दृष्टि से भी उचित नहीं है और सरकार को इस विषय में गम्भीरता से निर्णय लेने चाहिए, अन्यथा

आजकल जो पद्धति चल रही है वह छात्रों की अनुशासनहीनता को बहुत बढ़ा सकती है। मेरा अपना निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आयोग को भविष्य के लिए कोई नीति निर्धारित करनी चाहिए और शिक्षा मंत्रालय को भी भविष्य के लिए इस विषय में नीति निर्धारित करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा हम वर्तमान अपने विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को केवल मानवीय विज्ञान की जो शिक्षा देते हैं इसके साथ ही अगर उनको टैक्निकल और वैज्ञानिक शिक्षा भी दी जाय तो उनमें अनुशासनहीनता भी रुकेगी और साथ ही उनको शिक्षा पाने के बाद बेरोजगारी का भी सामना नहीं करना होगा।

मुझे इस रिपोर्ट को पढ़ कर एक बात से बड़ा दुःख हुआ कि कुछ चीजों को, जिनको हमने अपने देश में बनाया था और जिनके कारण न केवल अपने देश में बल्कि बाहर भी हमारा गौरव बढ़ा था, उनको हम समाप्त करने जा रहे हैं। मेरा तात्पर्य गुलमर्ग की आबजरवेटरी से है। उसको अब बन्द करने की तैयारी है। हमारे देश के एक बड़ वैज्ञानिक ने अपनी सारी शक्ति लगाकर इसका निर्माण किया था और विदेशियों ने भी इसकी प्रशंसा की थी। इसको बन्द करने की बात हो रही है और इसी की बगल में एक दूसरी प्रयोगशाला बनाने की बात कही जा रही है। मैं नहीं समझ पाया कि इसका क्या कारण है। अगर इसके पीछे कोई और हाथ काम कर रहा है तो हमारे शिक्षा विभाग को और विशेषकर हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस सम्बन्ध में गम्भीरता से निर्णय लेने चाहिएं जिससे यह संस्था समाप्त न हो।

एक बात मैं विशेष रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से और शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं वह यह कि आजकल शिक्षणालयों के सम्बन्ध में सबसे बड़ी जो शिकायत की जाती है वह देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के सम्बन्ध में है। अभी तक देशी भाषाओं में विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें तैयार नहीं हो पायी हैं जिससे देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के मार्ग में कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आजकल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डा० कोठारी हैं जो कि भौतिक शास्त्र के एक बड़े पंडित हैं। मेरा अपना निवेदन है कि डा० कोठारी और कुछ करने से पूर्व विज्ञान के क्षेत्र में देशी भाषाओं को शीघ्रता से स्थान दिलाने के लिए यत्नशील हों और इसका श्रेय लें।

एक और बात जो मैं आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं वह महिलाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में है। इस बारे में आयोग ने कुछ संकेत भी दिये हैं। हमारे देश में जैसी कि सभी को जानकारी है महिलाओं की संख्या देश की जनसंख्या की लगभग आधी है। लेकिन महिला शिक्षण संस्थाओं की स्थिति क्या है। हमारे देश में कुल १२५८ कालिज हैं, लेकिन इन १२५८ कालिजों में से केवल महिलाओं के लिए १४६ कालिज ही हैं। आप अनुमान लगाइये कि जब संख्या की दृष्टि से महिलाओं का स्थान आधा है तो उनके लिए शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था भी उसी प्रकार होनी चाहिए। सारे देश के अन्दर केवल एक विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए पूना में है। उस विश्वविद्यालय का अनुभव न केवल महाराष्ट्र राज्य के लिए ही उपयोगी रहा है बल्कि वह सारे देश के लिए एक अनुकरणीय विश्वविद्यालय भी है और हमारे शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस सम्बन्ध में गम्भीरता से निर्णय लेना चाहिए कि केवल पूना में ही महिलाओं के लिए एक विश्वविद्यालय न रहे बल्कि देश में जितने प्रान्त हैं उनमें एक एक महिला विश्वविद्यालय भी हो। इस प्रकार देश में १६ महिलाओं के विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें। और ये विश्वविद्यालय महिलाओं की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दें क्योंकि महिलाओं के मस्तिष्क की स्थिति पुरुषों के मस्तिष्क की अपेक्षा कुछ भिन्न होती है। पूना के अन्दर जो महिलाओं का विश्वविद्यालय है और जिसको कि आज से कुछ सौ वर्ष पहले एक बहुत बड़े शिक्षा विशारद ने स्थापित किया था उस ने महाराष्ट्र के लिए व अपने देश के अन्य प्रान्तों के लिए भी एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया था।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

तीसरी बात जो मैं महिलाओं के सम्बन्ध में विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि जिस प्रकार से आप पिछड़े वर्गों को तरह-तरह की सुविधाएं देते हैं मेरा अपना अनुमान है कि शिक्षा की दृष्टि से भारतवर्ष में महिलाएं भी पिछड़े वर्गों में आती हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व कुछ देशी रियासतों में महिलाओं की शिक्षा निःशुल्क थी परन्तु दुर्भाग्य से स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् वह स्थिति समाप्त हो गयी । मैं यह चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस ओर ध्यान दे और महिलाओं को उच्च शिक्षा निःशुल्क देने के हेतु आवश्यक पग उठाये । महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा निःशुल्क हो । जो महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहें उन पर किसी प्रकार का भार न पड़े ।

मैं अपने इस संक्षिप्त वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए अपने शिक्षा मंत्री के उस वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि उन्होंने नये स्थापित होने वाले विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में दिया था । शिक्षा मंत्री महोदय ने कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हुए पहले बताया था कि बहुत से प्रान्त ऐसे हैं जो कि नये विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श नहीं लेते और बिना उससे परामर्श किये लिये ही नये विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कर देते हैं और बाद में जाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भार होते हैं । मैं समझता हूं कि जहां देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए हमारे देश में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़नी चाहिये, उसी के साथ-साथ मैं यह भी चाहता हूं कि विश्वविद्यालय इस रूप में बढ़ें जिससे उनका स्तर किसी प्रकार से न गिरे ।

इस तरह के छोटे-छोटे विश्वविद्यालय भी बनते जाते हैं जिनका शैक्षणिक सार कुछ भी नहीं है । अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में एक संगीत का विश्वविद्यालय खोला गया । अब वह कैसा विश्वविद्यालय था और वहां पर कितने विद्यार्थी परीक्षा देने के लिये आये और कितने अध्यापक वहां पर थे यह आयोग को पता है ? मेरा नम्र निवेदन है कि इस तरह के विश्वविद्यालय खोल कर विश्वविद्यालय के नाम को अपमानित करना है और विश्वविद्यालय शब्द के गौरव को घटाना है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मेरा यह अनुरोध है कि वह इस तरह के विश्वविद्यालय खोलने के निर्णय के सम्बन्ध में सतर्क रहे, उसके लिये बहुत सावधानी और सतर्कता बर्तने की जरूरत है । प्रान्तीय सरकारें जो इस प्रकार के निर्णय ले लेती हैं उनके साथ दृढ़ता बरती जाये ताकि इस प्रकार के विश्वविद्यालय स्थापित न होने पायें जो कि विश्वविद्यालय शब्द के गौरव को भी घटाते हों और उसके स्तर को भी गिराने वाले हों ।

मैं इस चित्र का दूसरा पहलू भी रखना चाहता हूं कि कुछ विश्वविद्यालय इस प्रकार के भी हैं जो कि बड़े अच्छे उद्देश्य को लेकर स्थापित हुए लेकिन पता नहीं बीच में आकर कौन सा राजनैतिक मोड़ आया कि वह मुख्य उद्देश्य से भटक कर दूसरे स्थानों पर चले गये ।

उदाहरण के लिये मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । देश में यह बड़े सौभाग्य का विषय माना गया कि कुरुक्षेत्र जो कि भारत का एक ऐतिहासिक स्थल है वहां पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । पंजाब गवर्नमेंट ने भी संस्कृत की उन्नति के लिये इसमें सब शक्ति लगाने का आश्वासन दिया और केन्द्रीय सरकार की ओर से उसका स्वागत हुआ लेकिन दुर्भाग्यवश जिन हाथों में उस विश्वविद्यालय का प्रबन्ध सौंपा गया वह हाथ पवित्र नहीं थे और वह संस्कृत को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते थे । संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जिस विश्व-विद्यालय की स्थापना हुई वह वहां से हट कर आज फिर उसी स्थान पर आ रहा है जो अंग्रेजी को बढ़ावा देते हैं । कुरुक्षेत्र का यह विश्वविद्यालय भी दूसरे विश्वविद्यालयों की भांति बनता चला जा

रहा है। मैं चाहता यह हूं कि संस्कृत जो कि इस देश की गौरवपूर्ण भाषा है और जिसकी कि भारत की सभी देशी भाषाएं ऋणी हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थिति को फिर उसी पुराने रूप में लाया जाय और उसको भारतवर्ष का एक गौरवपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया जाय। वैसे संस्कृत का एक विश्वविद्यालय वाराणसी में भी खुला है। तिरुपति में भी संस्कृत का एक विश्वविद्यालय खुला है लेकिन मुझे इन शब्दों के कहने की आज्ञा दी जाय कि अब तक जितने भी संस्कृत के विश्वविद्यालय खुले हैं, सरकार की नीति अभी तक उनके साथ उपेक्षापूर्ण ही रही है। देश की परम्पराओं के अनुरूप संस्कृत विश्वविद्यालयों का रूप जैसा गौरवपूर्ण होना चाहिये उतना गौरवपूर्ण रूप उनका अभी तक नहीं हो पाया है। केन्द्रीय सरकार को और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस सम्बन्ध में गम्भीरता के साथ निर्णय करना चाहिए।

एक विशेष बात जिसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मैंने पीछे केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन किया था और इस सदन में भी कई बार इस प्रकार की चर्चाएं आई हैं। जैसे कि अभी मेरे एक माननीय मित्र चर्चा कर रहे थे कि जामिया मिलिया को तो राष्ट्रीय स्तर की संस्था घोषित किया जा रहा है पर गुरुकुलों को नहीं। क्या हम उन बातों से परिचित नहीं हैं कि जिस समय हम अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय इस देश में कुछ इस प्रकार की शिक्षण संस्थायें थीं जिनका कि राष्ट्रीय स्वाधीनता के युद्ध में बहुत बड़ा योग रहा है। आज हमारे राष्ट्र के प्रधान मंत्री, हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति और देश के शिक्षा मंत्री स्वयं उन संस्थाओं को जाकर आशीर्वाद देते हैं, उनके साथ में सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं वह संस्थाएं गुरुकुल शिक्षण पद्धति की हैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अपने अन्दर एक आदर्श प्रणाली है। आज हमारे राष्ट्रीय नेता स्थान-स्थान पर जाकर इस बात को कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली में अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुछ परिवर्तन किया जा सकता है तो उसमें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को लाना चाहिए। वहां पर छात्रों के रहन सहन की व्यवस्था अच्छी होगी क्योंकि जाहिर है कि वे गुरु के सम्पर्क में चौबीसों घंटे रहेंगे और जहां पुस्तक सम्बन्धी ज्ञान उनको अच्छा प्राप्त होगा वहां उनका नैतिक चरित्र भी ऊंचा उठेगा। जब आप इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली एक आवश्यक शिक्षा प्रणाली है तो मेरा अपना नम्र निवेदन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जो काम बहुत पहले करना चाहिए था अगर वह अब तक भी नहीं हो पाया है तो अब उस कार्य को अवश्य कर देना चाहिए। भारतवर्ष में जितने भी गुरुकुल हैं उन सब गुरुकुलों को एक करके एक गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए .....

श्री कालिका सिंह : गुरु राजनीति में भी भाग ले सकते हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं इस समय गुरुओं द्वारा राजनीति में भाग लेने या न लेने की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं तो दूसरी ही चर्चा कर रहा हूं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में मैं इस समय निवेदन कर रहा हूं। मैं कह यह रहा था कि गुरुकुलों का इस देश के प्राचीन वातावरण के संरक्षण में बहुत बड़ा योग रहा है। इसलिये बलपूर्वक मैं शिक्षा मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि आपने तृतीय पंचवर्षीय योजना में गुरुकुलों को सहायता देने के लिए एक छोटी सी राशि ९ लाख रुपये की रखी है। यह राशि सर्वथा अपर्याप्त है। इतनी बड़ी-बड़ी राशियां तो कालिज एक-एक को दे देते हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अपने में एक पूर्ण प्रणाली है और जो प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ रही है और परिस्थितियों से लड़ने के बावजूद अभी तक जीवित है उसके लिए आपका यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि आप उस प्रणाली की रक्षा करें और देश के सब गुरुकुलों को मिला कर एक गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना करें।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मेरा निवेदन है कि महिला प्रशिक्षकों के लिये छात्रावासों के खोलने की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि उनकी भी बहुत आवश्यकता है। और विशेष रूप से उस समय जब कि उन्हें देहाती क्षेत्रों में पढ़ाने के लिये जाना पड़ता है।

जहां तक विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता की बात है मैं कहूंगी कि स्वभाव से वे अनुशासनहीन नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता को रोकने के लिये उनकी सक्रियता के सदोपयोग का उपाय सर्वोत्तम है। इस कार्य को अच्छे अध्यापक करने में समर्थ हैं और अच्छे अध्यापक तभी मिल सकते हैं जब कि उन्हें अच्छा वेतन दिया जाये। मेरा यह भी सुझाव है कि प्रशिक्षकों को पुलिस की रिपोर्ट पर सेवा से निकाल देने की प्रणाली का परित्याग कर दिया जाना चाहिये। क्योंकि यह बुरी प्रथा है।

यह कहना गलत है कि शासक दल से सम्बन्ध रखने वाले विद्यार्थी संघों को कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं। प्रशिक्षकों द्वारा विधान सभाओं के चुनावों के लड़ने में कुछ गलत बात नहीं है। क्योंकि वे विधान सभाओं को सही बात सुझाने में सहायता दे सकते हैं।

संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने के पक्ष में मैं हूं। मेरा निवेदन है कि नवद्वीप में एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाये। संस्कृत विश्वविद्यालयों में यदि प्राचीन संस्कृति के आधार पर शिक्षा दी जाती है तो अनुशासनहीनता बहुत कुछ अंशों में दूर हो जायेगी। ऐसा मेरा विश्वास है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम-स्मृति में एक पद स्थापित करने का निर्णय किया है। यह एक अच्छी बात है। मेरा निवेदन है कि आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रे के नाम-स्मृति में एक पद स्थापित करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। श्री रे ने अपना सारा जीवन विद्यार्थियों के लिये लगाया था।

श्रीमती जयाबेन शाह (गिरनार) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में एडमिशन के बारे में बहुत सी चर्चा हुई है। मैं भी इस के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह मत प्रकट किया है कि एडमिशन का आधार सिलेक्टिव न हो और सब बच्चों को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलना चाहिए। इस विषय में अगर यह माना जाता है कि कोई बच्चों को ऊंची शिक्षा देने के पक्ष में नहीं है, तो मैं कहना चाहती हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे फ़िनांस मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हैं। अगर वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में ज्यादा पैसा रख दें, तो हम सब बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को ऊंची शिक्षा देंगे, लेकिन हमको इस बात पर भी अच्छी तरह से गौर करना चाहिए कि क्या हर एक स्टूडेंट ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। मैट्रिक के बाद उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो वे सब यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। लेकिन इससे अगर हम यह समझ लें कि वे सब आगे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी समझ में यह सही नहीं है। जो स्टूडेंट्स आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिये अवश्य सुविधा होनी चाहिए, लेकिन इस तरफ किसी स्टूडेंट का एप्टीट्यूड है या नहीं, उसकी देख-भाल होनी चाहिए। आजकल यूनिवर्सिटीज़ में कितना स्टैग्नेशन है, कितना वेस्टेज हो रहा है, उस ओर हमें देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हायर एडूकेशन का मक़सद भी हमारे सामने स्पष्ट नहीं है—न तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामने और न हम लोगों के सामने यह स्पष्ट है कि उसका उद्देश्य क्या है। लोग, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स तो यह सोचते हैं कि हायर एडूकेशन प्राप्त करने के बाद बड़े-बड़े अफसरों के पद मिल सकते हैं और इंजीनियर, डाक्टर

†मूल अंग्रेजी मे

और लाइयर बन सकते हैं। उनके सामने तो यही भावना विद्यमान है। हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ टैम्पल्ज़ आफ लर्निंग हैं, लेकिन वह बात तो खाली पेपर पर है। वाकया यह है कि सब के सब लोग यह चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको अच्छी अच्छी जाब्ज़ मिलें। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने ये कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ एम्पलायमेंट ब्यूरो नहीं हैं। लेकिन लोग तो उनको इसी रूप में देख ते हैं कि वहां से उनको कुछलाभ मिल सकता है। उनको कुछ मिले, या न मिले, यह अलग बात है, लेकिन हर एक के दिल में यही लालच भरा हुआ है।

मैं यह निवेद न करना चाहती हूं कि यह जो समस्या है, वह ज्यादा से ज्यादा कालेज खोलने से हल नहीं होगी। आवश्यकता इस बात की है कि इस समय लरनिंग और जाब्ज़ का जो परस्पर नाता बना हुआ है, उसको तोड़ दिया जाये। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो ऊंची शिक्षा प्राप्त न कर सके, उसको भी कुछ काम मिल सके। आज हम इस स्थिति में हैं कि हम इस ओर भी नहीं जा सकते हैं और उस ओर भी नहीं जा सकते हैं, दोनों के बीच में हम चल रहे हैं। हम ऐसे मौके पर आ गये है कि किसी ओर भी जाना हमारे लिये कठिन है, हम ऐसी उलझन में पड़ गये हैं कि हम कुछ तय नहीं कर सकते हैं। मैं समझती हूं कि मैट्रिक के बाद ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि इस समय देश में निर्माण का जो काम हो रहा है, जो नया देश बन रहा है, देश की जितनी नई डिमाण्ड्ज़ हैं, जितनी ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने के लिये लोगों को तैयार किया जाये। इसके लिये पालिटैक्नीक्स और अन्य टैक्निकल संस्थायें होनी चाहियें। जो लोग टैक्निकल लाइन में चले जाते हैं, उनको तो कुछ काम मिल भी जाता है और वे अच्छा काम करते हैं, लेकिन जहां तक आर्ट्स कालेजिज का सम्बन्ध है, ऐसा माना जाता है कि वहां स्टुडेंट्स लरनिंग के लिये, ह्यूमैनिटीज़ का खास अभ्यास प्राप्त करने के लिये, मानवीय शास्त्र को सीखने के लिये, जिससे देश का चरित्र-निर्माण होता है, जाते हैं, किन्तु स्थिति यह है कि आर्ट्स कालेजिज़ में पढ़ने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। स्टुडेंट्स वहां जायें या न जायें, उनकी प्रैज़ेन्स मार्क हो जाती है। यह सब कुछ जानते हुए भी वह व्यवस्था चल रही है और इसके अतिरिक्त ईवनिंग क्लासिज़ और कारेसपांडेंस कोर्सिज़ की बात कही जा रही है। जिन लोगों ने पढ़ना नहीं है, उनके लिये हम धन क्यों व्यय करें? अगर घर बैठे ही सर्टिफिकेट मिल जाये, तो स्टुडेंट्स इससे खुश हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई डिग्री होगी, तो हमें कहीं न कहीं जाब मिल सकती है। अभी माननीय सदस्य श्री कालिका सिंह, ने बताया है कि जो बी० ए०, एम० ए० होते हैं, उनको क्या मिलता है--उनको बहुत कम मिलता है। बी० ए० पास करने के बाद उनको कुछ खास स्टडी करनी पड़ती है। आज देश में को-आपरेशन, रूरल वर्क, एग्रीकल्चर, हैल्थ और हाईजीन आदि का काम है, लेकिन उसके लिये उनको कोई खास जानकारी नहीं होती है। जाब के लिये स्टुडेंट्स को छः महीने या एक साल तक पढ़ना पड़ता है। इस अवस्था में मेरी समझ में नहीं आता कि हम हायर एजूकेशन को किस लिये चला रहे हैं। आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए है कि जो हमारे आर्ट्स कालेज हैं, उनका जो करिकुलम है, उस करिकुलम में हमें संशोधन करना पड़ेगा। जो हमारा मकसद है उसको सामने रखते हुए और पूरा जोर लगा कर और स्ट्रिक्ट होकर अगर हम उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तभी कुछ हो सकता है वर्ना नहीं। लेकिन आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई किसी बारे में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि पहले तो एजूकेशन बदनाम होती है और दूसरे जो पढ़ कर बाहर आते हैं वे कहीं के नहीं रहते हैं। यहां पर कहा गया है कि सभी को क्यों एडमिशन नहीं दिया जाता है। लेकिन मैं समझती हूं कि सबको एडमिशन देने के बाद भी यह जो प्राबलैम है, हल नहीं हो सकेगा।

बीस करोड़ रुपय के खच की बात यहां कही गई है। यहां पर कहा गया है कि यह सारा रुपया बिल्डिगें बनाने पर और ऐसे वैसे कामों पर खर्च कर दिये गये। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि लाइब्रेरीज़ को एयर कंडिशन करने पर और इधर उधर रुपया खर्च कर दिया जाता है। जहां

[श्रीमती जयाबेन शाह]

तक लाइब्रेरीज़ का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं एक सुझाव देना चाहती हूं । मैं पूछना चाहती हूं कि आजकल जो लाइब्रेरीज़ खुलती हैं, उनमें कितने विद्यार्थी दिलचस्पी लेते है, कितने उनसे लाभ उठाते हैं और किस किस्म की किताबें वे पढ़ते हैं, क्या इसका भी आपने कभी पता लगाया है ? हम विद्यार्थियों से अपेक्षा तो यह करते हैं कि वे किताबें पढ़ें मगर इस के बावजूद भी उनका जितना उपयोग होना चाहिये नहीं होता है । आज जिस किस्म की बिल्डिंग्ज़ वहां होती हैं और जो इम्प्लेमेंट्स वहां रखे जाते हैं, उसमें कुछ सादगी हैं । जो लोग कालेजों में पढ़ते हैं वे रीयल लाइफ से पिछड़ जाते हैं, उससे अनभिज्ञ हो जाते हैं । मेरा सुझाव है कि उनके लिये जो मकान बनें, बिल्डिंग्ज़ बनें और जो उनको साधन दिये जाएं वे सब ऐसे हों कि जिनका उनकी रीयल लाइफ के साथ कुछ न कुछ सम्बन्ध हो ।

हम देख रहे हैं कि नई नई यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, नए नए कालेज खुल रहे हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे देश में दो सौ यूनिवर्सिटियां होनी चाहियें । मैं समझती हूं कि आज नहीं तो कल, कभी न कभी इतनी यूनिवर्सिटियां हमारे यहां होंगी ही । इस बारे में मेरा कहना यह है कि उनका जो बायस होना चाहिये, वह रूरल होना चाहिये । बड़े बड़े शहरों में जब हम देखते हैं तो हमें यह बायस दिखाई नहीं देता है । मैं चाहती हूं कि जो नई यूनिवर्सिटीज़ बनें उनमें कुछ ऐसा वातावरण बनें कि जब स्टुडेंट्स वहां से पढ़ कर निकलें तो उनके दिमागों में देश के जो प्राबलैम्ज़ हैं, उनकी छाया रहे और उनको हल करने में वे अपना योगदान करें और वहां रह कर देश की जो परिस्थितियां हैं, उनसे अभ्यस्त हों ।

अब मैं मीडियम के बारे में कुछ कहना चाहती हूं । इसके बारे में माननीय सदस्यों ने काफी कुछ कहा है । मुझे खुशी है कि हम सब इस बारे में एक मत हो गए प्रतीत होते है कि जो मीडियम हो वह मदर-टंग ही हो । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इससे स्टैण्डर्ड गिर जायेंगे । इसमें स्टैण्डर्ड का सवाल कैसे पैदा होता है, यह मेरी समझ में नहीं आया है । जो बच्चे सीखते हैं, उसको वे समझते नहीं हैं, वहां किस तरह स्टैण्डर्ड रह सकता है । लेकिन इसमें स्टैण्डर्ड का सवाल पैदा नहीं होता है । एक तकनीफ टैक्सट बुक्स के बारे में अवश्य है । लेकिन यह भी कोई कठिन काम है, ऐसा मैं नहीं मानती हूं । यह हो सकता है कि उनमें ओरिजिनेलिटी न हो, खुद वे तैयार न कर सकें लेकिन अंग्रेज़ी भाषा से उनको ट्रांसलेट करना मुश्किल नहीं होना चाहिये । यह कहना कि जल्दी से जल्दी अगर हम मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन को बदल कर मदर टंग पर चले गए तो जो स्टैण्डर्ड हैं, वे गिर जायेंगे, मैं समझती हूं कि यह एक पुरानी मनोदशा है और इससे हमें जल्दी से जल्दी बाहर आ जाना चाहिये । जहां तक टैक्सट बुक्स तैयार कराने का सम्बन्ध है, यह काम हमारी मिनिस्ट्री खुद भी कर सकती है, यूनिवर्सिटीज़ भी कर सकती हैं । इस काम के लिए आप छः साल का या पांच साल का समय दे सकते हैं कि इतने समय में वे टैक्सट बुक्स तैयार कर लें ।

यहां पर टीचर्ज़ के चुनावों में चुन कर आने का भी जिक्र किया गया है । इस बात में तो हम सभी एक मत दिखाई देते हैं कि अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो जितना ध्यान उनको स्टुडेंट्स की पढ़ाई पर देना चाहिये नहीं दे पाते हैं । कोई भी काम करना हो, हम सभी जानते हैं, उसको करने के लिए हमें कंसेंट्रेट करना पड़ता है । मैं समझती हूं कि अगर वे चुनाव लड़ेंगे तो वे अपने काम के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे ।

विमेंज़ एजुकेशन के बारे में अब मैं कुछ कहना चाहती हूं। हमारे प्रकाशवीर शास्त्री जी ने कहा है कि वह बढ़नी चाहिये । उन्होंने बताया है कि हमारे देश में उनके लिए एक ही विद्यापीठ है । बहनों के लिए विश्वविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिये । आजकल जो कालेज हैं, बहनों

के लिए या जहां पर कोएजुकेशन है, वहा बहनों की क्या स्थिति हैं, यह हम सब जानते हैं। इसके बारे में हमें कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये। जो लड़कियां आजकल कालेजों में पढ़ती हैं, उनको वहां जैसा वातावरण मिलना चाहिये, नहीं मिलता है। अगर हम कहें कि हर एक जगह पर बहनों के लिए अलग से कालेज खुलें, तो ऐसा आज की परिस्थितियों में सम्भव नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा तो हम कर ही सकते हैं कि जहां जहां लड़कियां पढ़ती हों, वहां वहां उनके लिये खास व्यवस्था हो, उनके लिये खास खास कोर्सिस हों और उन कोर्सिस को पढ़ाने के लिए, टीचर्ज़ भी रखे जायें।

जहां तक आर्टस कालेजिज़ का सम्बन्ध है, वहा ऐसा देखा गया है कि कम से कम समय के लिए लड़के जाते हैं और खाली समय में कुछ करते धरते नहीं हैं और इसका नतीजा यह होता है कि उनमें इनडिसिप्लिन बढ़ता है। टैक्नीकल कालेजिज़ में कम इनडिसिप्लिन है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इंडिसिप्लिन तब पैदा होता है जबकि किसी के पास काम कम हो और समय ज्यादा बच रहता हो और इस खाली समय में वे दूसरी चीज़ों में फंस जाते हैं और स्ट्राइक वगैरह चलती हैं। इस वास्ते मैं समझती हूं कि उनको पूरा काम दिया जाना चाहिये। ह्यूमैनिटीज़ की स्टडी पर खास ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके वास्ते यह जरूरी है कि सारे का सारा जो करिकुलम है उसको हम फिर से देखें और जो संशोधन करना हो करें। मैट्रिक के बजाय हायर सैकेंडरी और चार साल के बजाय तीन साल का डिग्री कोर्स कर देने मात्र से कोई खास फर्क नहीं हुआ है। जरूरी बात यह है कि सारे का सारा जो डिग्री कोर्स है आर्टस का, उसके बारे में हमारे मन्त्री महोदय और यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन सोचें और उसकी तरफ खास ध्यान दें। हायर एजूकेशन को हमें देश के हालात को ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिये। इसको एबसोल्यूट फार्म में अगर हम देखेंगे तो हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां यूनिवर्सिटी एजूकेशन यूनिवर्सल बन सकी हो। जब हम यहां हायर एजूकेशन पर जोर देते हैं तो प्राइमरी एजूकेशन को हम कट कर देते हैं। जब भी कोई प्लान बनता है तो हम देखते हैं कि अगर हम किसी ऊपर की चीज़ पर जोर देते हैं तो नीचे की जो बात है, उस पर से एमफेसिस शिफ्ट हो जाता है। जब हम प्राइमरी एजूकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें चाहियें कि हम रेलेटिव टर्म में इसको देखें।

†**श्री अ० त्रि० शर्मा** (छतरपुर) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चार पूर्वीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की व्यवस्था की गई थी। मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या ये विश्वविद्यालय इस अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में आते हैं अथवा नहीं। यदि नहीं आते तो इन्हें इस क्षेत्राधिकार में लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

तीसरी योजना में भी कुछ पूर्वीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का उल्लेख है लेकिन इनके आकार के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। इनके आकार कार्य तथा अन्य बातों के बारे में स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये। आशा है कि आयोग इस बारे में जानकारी करेगा।

यह एक विचित्र बात है कि जहां विभिन्न इमारतों के बनाने के लिये व्यवस्था की गई है वहां प्रादेशिक भाषाओं को प्रशिक्षण का माध्यम बनाने के लिये धन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसके लिये आवश्यक है कि पुस्तकों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद कराया जाये।

विश्वविद्यालयों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये आयोग ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं। आयोग की तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम सम्बन्धी सिफारिश जो विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर बनाने के उद्देश्य से की गई है यदि कालिजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या काफ़ी नहीं है तो इसका दोष सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० त्रि० शर्मा]

पर है, विद्यार्थी पर नहीं । इस सीमा तक कार्यान्वित नहीं की गई है कि एक वर्ष को विश्व-विद्यालय शिक्षा से पूर्व के पाठ्यक्रम के लिये नियत रखा गया है ।

सहायता देने से पूर्व अनुदान आयोग कुछ राशि विश्वविद्यालय से भी मांगता है । मेरा निवेदन है कि नये विश्वविद्यालयों से राशि को उसी अनुपात से देने की मांग नहीं करनी चाहिये जिस अनुपात से पुराने विश्वविद्यालयों को राशि देने के लिये कहा जाता है । हम चाहते हैं कि नये विश्वविद्यालयों का विकास हो । अतः उनके बारे में सहृदयतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये और अनुदान देते समय उन्हें कुछ रियायत दी जानी चाहिये ।

कुछ विश्वविद्यालय सभी प्राइवेट विद्यार्थियों को परीक्षाओं में शामिल होने की सुविधा देते हैं तथा कुछ विश्वविद्यालयों ने इस संबंध में अधिक कड़े नियम बनाये हुए हैं । अतः मेरा सुझाव है कि प्राइवेट विद्यार्थियों को परीक्षायें देने के संबंध में सुविधा देने के लिये सभी विश्वविद्यालयों को एक से नियम बनाने चाहियें ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत सी महत्वपूर्ण समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है । जब से यह आयोग कायम हुआ है, मेरा ख्याल है, उस ने उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिये या उच्च शिक्षा के विकास और विस्तार के लिये बहुत से ऐसे काम किये हैं जिन की प्रशंसा किये बिना मैं नहीं रह सकता ।

इस सम्बन्ध में सब से पहला विषय, जिस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं, यह है कि उच्च शिक्षा की जो वर्तमान अवस्था है, उस की जो पद्धति है, वह इतनी खर्चीली हो गई है कि तेज से तेज विद्यार्थी जो स्कूलों से निकलते हैं, वे सबके सब अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते ।

[श्री हेडा पीठासीन हुए]

इस बात से मैं सहमत हूं कि कुछ हद तक स्कूलों, कालेजों या विश्वविद्यालयों में प्रवेश के सम्बन्ध में कुछ नियंत्रण रहना चाहिये । लेकिन नियंत्रण इस लिये रहना चाहिये कि योग्य से योग्य व्यक्ति, जिन की रुचि शिक्षा में है, वे विश्वविद्यालयों में भर्ती हो जायें और अयोग्य विद्यार्थी उन में भर्ती न हो सकें । लेकिन आज हालत यह है कि हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है, विशेषकर उच्च शिक्षा पद्धति, वह इतनी खर्चीली हो गई है कि तेज से तेज विद्यार्थी जो हमारे देश में हैं, जिन की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है, वे अपने अध्ययन को जारी नहीं रख सकते हैं । इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक सुझाव दिया है और कहा है कि जो तेज विद्यार्थी हैं, तीव्र बुद्धि वाले हैं, उन की शिक्षा जारी रह सके, इस के लिये ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । लेकिन अभी तक हमारे देश में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में जो प्रबन्ध किये हैं वे दाल में नमक के बराबर हैं । सुनते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ स्कालर्शिप्स, कुछ रकम तेज विद्यार्थियों को देने के लिये निर्धारित की गई है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, अभी भी हमारे देश के अन्दर हजारों नहीं लाखों तेज विद्यार्थी ऐसे हैं जिन की आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि वे जो वर्तमान विश्वविद्यालय की शिक्षा या कालेज की शिक्षा है उसे जारी रख सकें । इस लिये वे मजबूर हो कर अपने अध्ययन को बन्द कर देते हैं और संसार, भारतवर्ष या अपनी बद्धि के विकास के लिये काम न कर के संसारिक कामों में लग जाया करते हैं । इसलिए जहां पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बात की सिफारिश की है वहां उन्होंने कहा है उसका सारांश यह है कि प्रतीभाशीत विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने तथा

सुयोग्य विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस सिलसिले में उन्होंने दूसरे देशों से मुकाबला किया है। विशेषकर ब्रिटेन से। ब्रिटेन के बारे में उन्होंने कहा है कि वहां विश्वविद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं उनमें से सैंकड़ा में ७५ विद्यार्थियों को राजकीय सहायता मिलती है या यूनीवरसिटी की सहायता मिलती है। और ऐसा कोई भी तीव्र बुद्धि का विद्यार्थी नहीं होता जो आर्थिक कठिनाई के कारण अपना अध्ययन जारी न रख सके। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचना चाहूंगा कि इस दिशा में प्रयत्न किया जाए और केन्द्रीय सरकार स्वयं ही ऐसा न करे बल्कि राज्य सरकारों को भी कहे कि ऐसा कोई भी तीव्र बुद्धि विद्यार्थी न रहे जो कि आर्थिक कठिनाई के कारण अपना अध्ययन जारी रखने से वंचित रह जाए और अपना विकास न कर सके। इसके लिए हमने अपने संविधान में भी व्यवस्था की है। आज हमारे देश की जो आर्थिक अवस्था है और हमारे विश्वविद्यालयों और कालिजों की जैसी व्यवस्था है उसका खर्चा देश के सैंकड़े में से ७५ परिवार सहन नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में इस बात का विशेष प्रयत्न होना चाहिए कि जो तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थी हैं वे चाहे ह्यूमेनिटीज से सम्बन्धित हों या विज्ञान से, उनको बढ़ावा देने का पूरा इन्तिजाम हो।

दूसरा विषय जिस की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह शिक्षा के माध्यम के बारे में है। जहां तक शिक्षा के माध्यम का सम्बन्ध है, सिद्धान्त रूप में तो करीब करीब सभी यह मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, चाहे वह प्रारम्भिक शिक्षा हो या माध्यमिक और विश्वविद्यालय की शिक्षा हो। लेकिन इस प्रतिवेदन से प्रकट होता है और इससे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो दूसरे प्रतिवेदन दिए हैं उनमें भी यह जिक्र किया गया है कि मातृभाषा द्वारा शिक्षा देना अच्छा है लेकिन यह काम कठिन है और इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। इसका कारण यह है कि पाठ्यक्रम के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें अभी काफी नहीं हैं। यह कहा जाता है कि चूंकि अभी क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें काफी नहीं हैं, इसलिए मातृ भाषा के द्वारा यदि शिक्षा दी जाएगी तो शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। मैं इस बात की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगा कि हमारे देश में आज लगभग २०० वर्षों से अंग्रेज़ी के द्वारा शिक्षा दी जाती रही है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे देश में बड़े बड़े विद्वान विज्ञान के क्षेत्र में, टेकनालाजी के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में हुए हैं। लेकिन चूंकि उनकी शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से नहीं हुई इसलिए ये लोग क्षेत्रीय भाषाओं में मौलिक ग्रन्थ नहीं लिख सके और इस कारण आज हमारी देशी भाषाओं में मौलिक ग्रन्थों का अभाव है। हमारे यहां बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ी में पुस्तकें लिखीं। उनकी शिक्षा चूंकि अंग्रेज़ी के माध्यम से हुई थी इसलिए वे देशी भाषाओं में पुस्तकें नहीं लिख पाए। इससे पता चलता है कि मातृभाषा के द्वारा शिक्षा न होने के कारण मौलिकता का विकास नहीं हो सकता। और जब तक मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा नहीं होगी तब तक मौलिकता का विकास नहीं होगा। हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री चिन्ता देशमुख बड़े विद्वान हैं लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने अपनी मातृभाषा में या देश की किसी भाषा में कोई पुस्तक नहीं लिखी जिससे पता चले कि वह बड़े विद्वान हैं। वह अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं। अंग्रेज़ी में सोच सकते हैं, अंग्रेज़ी में व्याख्यान दे सकते हैं। लेकिन वह अपनी मातृभाषा में कुछ नहीं लिख सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से शरू होनी चाहिए। इसमें हमको प्रारम्भ में कठिनाई अवश्य होगी लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक मातृभाषा के द्वारा शिक्षा नहीं देंगे तब तक मौलिकता का विकास नहीं होगा। और जब तक मौलिकता का विकास नहीं होगा हमारे देश में विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या टेकनालाजी के क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करने में कठिनाई होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिन विश्वविद्यालयों ने अपने यहां शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बना लिया है उनको आयोग को बढ़ावा देना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए।

[श्री श्रीनारायण दास]

दूसरी चीज जिसकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहूंगा वह यह है कि रिपोर्ट में बताया गया है कि आयोग ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जो शिक्षा के सम्बन्ध में रिपोर्ट दिया करेगा। मालूम नहीं कि उन्होंने कोई रिपोर्ट दी या नहीं। लेकिन यह वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट दे या न दे या कुछ भी रिपोर्ट दे, हम को इस बात को मान कर चलना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी देश के कालिजों और यूनिवर्सिटियों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनावेंगे। जब तक हम ऐसा ऐसा नहीं करेंगे तब तक क्षेत्रीय भाषाओं का विकास नहीं हो सकता।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मैंने केवल दो विषयों का जिक्र किया है और मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इन पर उचित ध्यान देंगे। एक बात तो मैंने यह कही है कि ऐसा प्रबन्ध किया जाए कि कोई भी तीव्र बुद्धि का विद्यार्थी आर्थिक कठिनाई के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह पाए। इसके लिए केन्द्रीय सरकार प्रयत्न करे और राज्य सरकारों को भी ऐसा करने के लिए कहे। दूसरा विषय जिसकी तरफ मैंने ध्यान खींचा है वह यह है कि शिक्षा का माध्यम चाहे वह नीचे के स्तर की शिक्षा के लिए हो या विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषा करने का प्रयत्न जल्द से जल्द होना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट को मैंने बड़े गौर से पढ़ा। यह खुशी है कि जो कुछ भी इस आयोग ने काम किया है वह प्रशंसनीय है। लेकिन बहुत सी चीजें जो इसमें लिखी गयी हैं मैं समझता हूं कि उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश तो जरूर की गयी है लेकिन तेजी से नहीं की गयी है।

बहुत सी चीजें आज सदन के सामने कही गयीं। कहा गया कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी एक यूनिवर्सिटी कमीशन का निर्माण किया है। उसके सामने भी ये मसले हैं कि आखिर वह विद्यार्थी जिसे एडमिशन न मिले वह क्या करे, कालिजों में जो कनजेशन और ओवर क्राउडिंग है उसके बारे में क्या किया जाए और साथ ही साथ यह जो अनुशासनहीनता विद्यार्थियों में बढ़ रही है उसका समाधान क्या हो।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि चाहे वह कानपुर हो या लखनऊ हो या कलकत्ता हो या बम्बई हो, आप देखेंगे कि कुछ विद्यार्थियों को इस वजह से भूख हड़ताल या हड़ताल की धमकी देनी पड़ती है कि आई० एस० सी० पास करने के बाद उनको बी० एस० सी० में एडमिशन नहीं मिलता। अगर कोई लड़का अपनी बदकिस्मती से अपने माता पिता की बदकिस्मती से फेल हो जाता है तो जिस कालिज में उसने चार वर्ष पढ़ा है उसी में उसको एडमिशन नहीं मिलता। यूनीवरसिटी कमीशन ने, जिसमें हाईकोर्ट के जज भी हैं, जबकानपुर शहर में इस बात की जांच करने की कोशिश की तो हैड्स आफ इंस्टीट्यूशन्स के उनसे कहा कि नहीं ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन मैं खुद जानता हूं कि इसी वजह से बहुत से बच्चे मारे मारे फिरते हैं और वह एम० एल० एज० और एम० पीज० से सिफारिश मांगते हैं कि उनको एडमिशन मिल जाए। तो मैं एक मुख्य सवाल सदन के सामने रखना चाहता हूं। आज स्थिति यह है कि एक विद्यार्थी जिसने बी० एस० सी० पास किया है लेकिन जिसको बदकिस्मती से थर्ड क्लास मिला है, अगर वह आगे पढ़कर उन्नति करना चाहता है तो उसको इसका मौका नहीं मिलता। जब उसे एडमिशन नहीं मिलता तो उसके सामने कोई रास्ता नहीं रहता। अगर सरकार ऐसे विद्यार्थियों को कालिजों में और यूनिवरसिटियों में एडमिशन नहीं दे सकती तो उनके लिए कोई वोकेशनल या टैक्कनीकल स्कूल खोले और उनसे कहे कि तुम इसमें जाकर शिक्षा प्राप्त करो ताकि वह अपना भविष्य बना सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उसके सामने आत्म हत्या, या भूख हड़ताल या आन्दोलन के करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहता जिससे कि उसे एडमिशन

मिल सके । मैं यह समझता हूं कि आज यह जो परिस्थिति विद्यार्थियों में उत्पन्न होती है वह सिर्फ इस वजह से उत्पन्न हो रही है कि उसका भविष्य कुछ अंधकारमय नजर आता है । उसका भविष्य अगर उज्जवल होता तो कोई भी विद्यार्थी किसी आन्दोलन में शायद हिस्सा नहीं लेता ।

यह भी कहा गया कि विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए । मैं एक चीज इस सदन में कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी राजनीति में हिस्सा लें या न लें ऐक्टिव पालिटिक्स में हिस्सा लें या न लें लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि अगर विद्यार्थी राजनीति से बिल्कुल अलग हो जायं तो यह चीज देश के लिए आगे चल कर हित कर नहीं होगी क्योंकि यह विद्यार्थी ही तो देश के भावी निर्माता होने वाले हैं और अगर उनको राजनीति से बिल्कुल अलग रक्खा गया तो इस देश का भविष्य क्या होने वाला है इसे आप भली भांति समझ सकते हैं । हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के हेतु या दूसरी चीजों को लेकर जिस समय हमारे देश के प्रधान मंत्री भारतवासियों को आवाहन करेंगे तो उस समय सारे देश का विद्यार्थी वर्ग ही नहीं बल्कि समस्त देश की जनता को एक आवाज के साथ कंधे से कंधा मिला कर देश की हिफाजत के वास्ते राष्ट्रीय झंडे के नीचे इकट्ठा होना पड़ेगा और क्या उस समय विद्यार्थी ये कह कर अलग हो जायेंगे कि हम चूंकि राजनीति के अन्दर नहीं रहे इसलिए हम इसमें साथ नहीं रहेंगे ?

हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मन्त्री जी ने बार बार यह कहा कि उत्तर प्रदेश को तीन रेजीडेंशिएल यूनिवरसिटीज मिलेंगी लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में ७ यूनिवरसिटीज हैं इसलिए उत्तर प्रदेश को अब और यूनिवरसिटीज नहीं मिलेंगी । एक नया स्लोगन और एक नई चीज निकाली गई है आटोनमस कालिजेज की । सभापति महोदय, मैं बखूबी जानता हूं कि यह आटोनमस कालिजेज कैसे हैं ? मैं जानता हूं कि कुछ लोग कालिजेज अपने हाथ में लेकर वे अपना एक राज्य बनाना चाहते हैं । यह आटोनमस कालिजेज अगर इस तरीके से दे दिये गये तो मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि यह डिप्लोमाज और डिग्रीज घर से बंटा करेंगी । उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है ।

उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए और उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए मैं माननीय मन्त्री महोदय के मार्फत यूनिवरसिटी ग्राण्ट्स कमीशन से निवेदन करूंगा कि वह सोचें कि क्या उत्तर प्रदेश में कानपुर, बरेली या मेरठ में विश्वविद्यालय की जरूरत है कि नहीं ।

दूसरी चीज हमारे सामने टीचर्स की है । अब टीचर्स बिल्डर्स आफ दी नेशन कहलाते हैं । सेंट्रल यूनिवरसिटीज में जो तनख्वाहें उनको दी गईं वह दूसरे विश्वविद्यालयों में नहीं मिलीं । अब अगर टीचर्स बिल्डर्स आफ दी नेशन हैं तो जाहिर है कि स्टारविंग टीचर्स बिल्डर्स आफ दी नेशन नहीं हो सकते । इसलिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि टीचर्स की हालत को सुधारा जाय । उनका लौट बैटर किया जाय । अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा में उन्नति हो और उसका स्टैण्डर्ड ऊंचा हो तो आप को टीचर्स को सैटिसफाईड रखना होगा ताकि उनको अपना कर्तव्य भली प्रकार निभाने की प्रेरणा मिले और उसके लिये आप को उनका स्टैण्डर्ड बढ़ाना चाहिए ।

आज कालिजेज में बहुत कंजैशन और ओवरक्राउडिंग है और हमारे यहां के कालिजेज बिल्कुल फैक्टरी बन चुके हैं और उनमें तीन तीन और चार चार शिफ्टें लगती हैं और जिसका कि परिणाम यह है कि विद्यार्थियों और टीचर्स में कोई कंटैक्ट नहीं है । विद्यार्थी तो जरूर टीचर्स को जानते हैं लेकिन बदकिस्मती यह है कि टीचर्स बहुत कम विद्यार्थियों को जानते हैं और उनके बीच कोई कंटैक्ट अथवा सम्बन्ध ही नहीं रह गया है ।

इसके साथ ही साथ एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं और मेरी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस चीज को कम से कम इस कमीशन के सामने रक्खा है और वह वर्किंग पीपुल के सम्बन्ध में है जो

[श्री स० मो० बनर्जी]

कि हमारे एम्प्लाईज दफ्तरों में काम करते हैं और फैक्टरियों में काम करते हैं वह अगर आगे पढ़ना चाहें तो उन्हें पढ़ने के वास्ते आवश्यक सुविधाएं सुलभ की जायं । इस तरह की सुविधा हमारे कानपुर और बम्बई में थी कि वे दिन भर आठ घंटे मेहनत करने के बाद शाम को या सुबह तड़के एफ० ए०, बी० ए०, एम० ए० और ला० वगैरह की पढ़ाई पढ़ कर इम्तिहान पास कर लेते थे लेकिन बदकिस्मती से वर्किंग पीपुल के वास्ते वह सुविधा करीब करीब हटती जा रही है । मिनिस्टर महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए और वर्किंग पीपुल को आगे पढ़ने की आवश्यक सुविधा सुलभ करनी चाहिए ।

हमें अपने विद्यार्थियों को हायर टेकनिकल और वैज्ञानिक शिक्षा दिलाने के वास्ते भी उचित प्रबन्ध करना चाहिए । अभी हमारे आचार्य रंगा ने कहा कि विद्यार्थियों को हमें यौगिक शिक्षा देना चाहिए और उन्होंने बतलाया कि यौगिक अभ्यास करके विद्यार्थी ६ इंच जमीन से ऊपर उठ सकते हैं । अब मेरा तो कहना कि आप यौगिक शिक्षा विद्यार्थियों को दें मुझे उसमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा लेकिन वास्तव में बात यह है कि हम अपने देश को यौगिक अभ्यास के द्वारा केवल जमीन से ६ इंच ही ऊपर नहीं उठाना चाहते हैं बल्कि हम अपने देश को अन्य प्रगतिशील देशों के साथ चलते देखना चाहते हैं जो कि वैज्ञानिक क्षेत्र में महान क्रांति ला रहे हैं । हमने देखा कि अन्य राष्ट्र वैज्ञानिक क्षेत्र में इतनी प्रगति कर चुके हैं कि वे अन्तरिक्ष में मानव को भेज रहे हैं और ग्रह और नक्षत्रों की यात्रा कर रहे हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं श्री सी० डी० देशमुख साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह रिपोर्ट दी । डा० कुठारी साहब को भी मैं यही निवेदन करूंगा कि वह देखें कि आज हमारे देश की क्या जरूरतें हैं । डिफेंस मिनिस्ट्री की क्या जरूरतें हैं और उनको पूरा करें । वह एक बड़े साइंटिस्ट हैं और मुझे विश्वास है कि वह साइंस और डिफेंस सम्बन्धी दोनों कामों को सुचारू रूप से चलायेंगे और डिफेंस इंडस्ट्री ठीक से काम करेगी ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यद्यपि मेरे लिये उन सभी प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं होगा जो कि माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में उठाये हैं तथापि मैं उन महत्वपूर्ण समस्याओं के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा जिन के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कड़ी आलोचना की है ।

केवल चुने हुये विद्यार्थियों को प्रवेश देने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मत की तीव्र आलोचना की गई है । जिस पृष्ठभूमि पर आयोग ने यह आलोचना की है उसे समझने के लिये हमें निरपेक्ष दृष्टि से विचार करना होगा । वर्तमान अवस्था यह है कि विश्वविद्यालयों पर बहुत दबाव पड़ रहा है, जैसे जैसे प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा की वृद्धि होती जायेगी यह दबाव बढ़ता जायेगा । यदि पिछले दस वर्षों में हुए शिक्षा प्रणाली के विकास का अध्ययन किया जायेगा तो यह ज्ञात होगा कि हम विज्ञान टैक्नोलोजी और मानव संबन्धी शास्त्रों में पहिले से बहुत अधिक संख्या में स्नातक तैयार कर रहे हैं । पहिली और दूसरी योजनाओं के दौरान बहुत कालेज खुले हैं और हम तीसरी योजना के दौरान १० या १५ नये विश्वविद्यालय खोलने की व्यवस्था कर हैं । यह उल्लेखनीय है कि पिछले १०० वर्षों में केवल ४६ विश्वविद्यालय खुले थे जब कि केवल अगली योजना के दौरान १० या १५ विश्वविद्यालय खोले जायेंगे ।

जैसा कि आपको ज्ञात है सरकार डाक से पढ़ाने की व्यवस्था कर रही है । हमने शाम के कालेजों की भी व्यवस्था की है । इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि सरकार उच्चतर शिक्षा की सुविधाओं तथा उसके प्रसार पर रोक नहीं लगाना चाहती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चुने हुए विद्यार्थियों का प्रवेश देने की समस्या केवल इस कारण पैदा हुई है कि हमारे पास धनराशि बहुत सीमित है, यदि हमारे पास उचित धनराशि होती तो हम कई अन्य विश्वविद्यालय खोलने में समर्थ हो सकते थे। इस समय जब कि हम निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रसार में लगे हैं तो हमें माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार के लिये भी प्रयत्न करना होगा। तथापि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सभी विद्यार्थियों को अपने विश्वविद्यालयों में प्रवेश दे सके। साम्यवादी देशों में भी विश्वविद्यालय स्तर पर चुनाव किया जाता है। वस्तुतः विश्व के किसी भी देश में विश्वविद्यालयों में सभी विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है।

विश्वविद्यालयों को ऐसे विद्याथों लेने होते हैं जो अपनी शिक्षा समाप्ति के पश्चात् समुदाय का नेतृव करेंगे वे इंजीनियर, डाक्टर, अध्यापक या प्रोफेसर बनेंगे तथा अपने कार्यों से समाज का मस्तक ऊंचा करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ठीक ही कहा है कि यदि एक नाव में बहुत से व्यक्ति सवार हो जायेंगे तो उस नाव का भविष्य क्या होगा इसकी भली भांति कल्पना की जा सकती है। अतः वर्तमान स्थिति में जब कि हमारे पास धन राशि की कमी है हमें विद्यार्थियों का चुनाव करना ही होगा। देश के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना उचित है। उदाहरणार्थ एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में केवल ५० व्यक्तियों के लिये स्थान है यदि हम वहां १०० विद्यार्थी दाखिल कर लेंगे तो यह उन विद्यार्थियों को धोका देना और उनके प्रति अन्याय करने के बराबर होगा।

वास्तविक समस्या यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी उन्नत नहीं है कि वह उच्च माध्यमिक स्तर पास हुए सभी विद्यार्थियों को खपा सकें। यदि हमारे पास उनके लिये उचित रोजगार होता तो मुझे विश्वास है कि ५० प्रतिशत विद्यार्थी विश्वविद्यालय जाना पसन्द नहीं करते। वे वस्तुतः कालेज केवल इसी कारण जाना चाहते हैं कि उनके लिये अन्यत्र उपयुक्त अवसर नहीं हैं। अतः वास्तविक समस्या है कि हाई स्कूल से निकलने के बाद युवक एवं युवतियों को रोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान किये जांय। यद्यपि हम तीसरी योजना में इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कर रहे हैं तो भी संभव है बहुत से शिक्षित युवकों को रोजगार नहीं मिल सके। अतः यह दायित्व केवल शिक्षा मंत्रालय का नहीं है।

शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल शिक्षा के स्तर से ही संबंधित है। विश्वविद्यालयों का स्तर ऊंचा बनाये रखने के लिये विश्वविद्यालयों में भी सभी के प्रवेश पर रोक लगानी होगी। निसंदेह जो युवक और युवतियां वहां प्रविष्ट नहीं हो सकते हैं उनके प्रति मेरी पूर्ण सहानुभूति है तथापि हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जो कि देश तथा उन लड़के और लड़कियों के हितों के भी विरुद्ध हो। वस्तुतः हमारी तथा सम्पूर्ण भारत सरकार की समस्या यह है कि इन बहुसंख्यक युवक और युवतियों के लिये रोजगार के साधन खोजे जांय।

मैं श्री ही० ना० मुकर्जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि विश्वविद्यालय की पवित्रता के नाम पर अथवा जैसा कि दी० चं० शर्मा ने कहा कि चुनाव और भर्ती के नाम पर जो रोक लगाई जाती है वह उचित नहीं है। उनके विचार से विश्वविद्यालयों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है। यद्यपि वहां अराजकता और अव्यवस्था फैल जाये।

वर्तमान ४६ विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त हमने तीसरी योजना में १० से १५ विश्वविद्यालय और खोलने का उपबंध किया है। हमने डाक द्वारा पढ़ाई करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये

[डा० का० ला० श्रीलाली]

एक समिति नियुक्त की है । हमें विश्वास है कि हम एक दो वर्ष के भीतर यह पाठ्यक्रम आरम्भ करने में समर्थ हो जायेंगे ।

नये विश्वविद्यालयों को खोलने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों ने जो आलोचना की है उसकी पर्याप्त आलोचना हुई है । श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने यहां तक कहा है कि आयोग का ऐसा कहना अनुत्तरदायित्व की चरमसीमा है । मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अपनी योजना एकक है । योजना बनने के पहिले ही विश्वविद्यालय और राज्य सरकारें विश्वविद्यालय आयोग को अपनी योजनायें भेजती हैं, तदन्तर विश्वविद्यालयों में किये जाने वाले काम को ध्यान में रखते हुये इन योजनाओं की परीक्षा की जाती है । वस्तुतः यदि हम श्री हरिश्चन्द्र माथुर के सुझावों को ध्यान में रखते हुये कार्य करें तो पूर्ण अव्यवस्था फैल जाये । उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से यह कहना कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करें बिल्कुल अनुचित है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुछ संविहत दायित्व प्राप्त हैं । आयोग अपने संविहित दायित्वों का सफलतापूर्वक वहन तभी कर सकती है जब कि प्रत्येक राज्य सरकार नया विश्वविद्यालय खोलने के पूर्व उससे राय लें । यदि राज्य सरकारें मनमाने ढंग से नये विश्वविद्यालय खोलेंगे तो आयोग एक असहाय दर्शक मात्र रह जायेगा । वस्तुतः उचित योजना को ध्यान में रखते हुये और उच्च शिक्षा गवेषणा के समायोजित विकास को ध्यान में रखते हुए आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है । यदि हम अपनी प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक गवेषणा और वैज्ञानिक उपकरणों का ऊंचा स्तर चाहते हैं तो हमें ये आवश्यक है कि राज्य सरकारें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करें ।

एक दो अपवादों को छोड़ कर राज्य सरकारें आयोग को पूरा सहयोग दे रही हैं । आयोग उनके आवश्यकताओं की जांच कर उन्हें सलाह देता है कि उन्हें नये विश्वविद्यालय खोलने चाहिये कि नहीं । अतः यह कहना कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं करना चाहिये गलत है । आयोग केवल केन्द्रीय सरकार से धनराशि ले कर विश्वविद्यालयों को वितरण करने का साधन मात्र नहीं है उसके कुछ दायित्व भी हैं और अब अपने दायित्व का पालन तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि राज्य सरकारें उससे परामर्श नहीं करें ।

विश्वविद्यालयों का स्तर गिरने का प्रश्न कई बार दुहराया गया है । मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र श्री दी० चं० शर्मा ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई है । वस्तुतः किसी ने भी स्तरों में इस गिरावट के संबंध में वस्तुगत अध्ययन नहीं किया है । मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले दस वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सरकार ने स्तर उठाने का भरसक प्रयत्न किया है । स्तर किस प्रकार उठाया गया है । अच्छे उपकरण, अच्छ पुस्तकालय और अच्छी सुविधायें दे कर । माननीय सदस्य अपने निकटवर्ती विश्वविद्यालयों में जा कर स्वयं देख सकते हैं । उदाहरणार्थ चण्डीगढ़ का विश्वविद्यालय सुन्दर पुस्तकालयों, सुन्दर इमारतों, अहाते इत्यादि सभी से सुशोभित है । यही नहीं अन्य स्थानों में भी आयोग ने स्तर को ऊंचा उठाने का भरसक प्रयत्न किया है । अतः वह समय आ गया है कि इस आरोप को चुनौती दी जानी चाहियें । वस्तुतः इस प्रकार का आरोप लगाने के पूर्व इसकी दृष्टि के लिये भी तैयार रहना चाहिये । मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष इस समस्या का निष्पक्ष अध्ययन करें । मुझे आशा है कि मैं निकट भविष्य में ही सभा के समक्ष यह बताने में समर्थ हो ऊंगा कि हमारा स्तर गिरा नहीं है अपितु उठा है । स्वतंत्रता के पश्चात से हमारे प्रशासन, प्रतिरक्षा, इस्पात संयंत्रों तथा नदी घाटी परियोजनाओं का संचालन कौन कर रहे हैं ? ये सभी लोग हमारे विश्वविद्यालयों से निकले हुए विद्यार्थी हैं । हमें गर्व है कि हमने ऐसे युवक तैयार किये हैं जिन पर किसी देश को भी फख्र हो सकता है । देश के

निर्माण के लिये व युवक प्रसंशनीय कार्य कर रहे हैं। वस्तुतः ऐसी आलोचनाओं को जो नितांत निराधार हैं, विश्वविद्यालयों पर अनैतिक प्रभाव पड़ा है।

दूसरा प्रश्न जिस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं वह अध्यापकों तथा विधान सभा के सदस्यों के रूप में उनका कार्य है। आयोग ने इस सम्बन्ध में कोई राय नहीं दी है केवल एक प्रश्न उठाया है। यह प्रश्न इस कारण उठा कि राजनैतिक कार्यों में अध्यापकों के भाग लेने से विश्वविद्यालयों के कार्य पर धक्का पहुंचता है। इस सम्बन्ध में मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि समाज का एक समझदार वर्ग होने के नाते उन्हें देश के राजनैतिक जीवन में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार होना चाहिये। उन्हें चुनाव लड़ने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिये। तथापि हमें इस संबंध में वह परम्परा अपनानी चाहिये जो कि अन्य स्वतंत्र देशों में अपनायी जाती है। वहां जब कोई अध्यापक विधान सभा का सदस्य चुन लिया जाता है तो वह तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देता है जिससे कि वह विधान सभा में अधिक अच्छी प्रकार कार्य कर सके।

†**श्री च० कृ० भट्टाचार्य** : क्या सरकार किसी अध्यापक को राज्य सभा के लिये नाम निर्देश करते समय यह शर्त रखती है कि वह अपने पद से इस्तीफा दे दे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है हमें इस सम्बन्ध में सभा की राय लेनी होगी। यह धी ध्यान रखना होगा कि विश्वविद्यालयों को किसी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचने पाये। अध्यापकों को सर्वप्रथम अपने विद्यार्थियों तथा संस्था के प्रति ईमानदार रहना होता है। उन्हें कोई ऐसा बात नहीं करनी चाहिये जिससे कि संस्था और विद्यार्थियों के हितों पर आघात हो। वस्तुतः यदि वे विधान सभाओं की ईमानदारी और वफादारी से सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिये। वस्तुतः हमें स्वयं ही देश में स्वस्थ्य परम्परा कायम करनी चाहिये इस संबंध में लोक मत का प्रभाव होना चाहिये और अध्यापक, जिनके सम्बन्ध में समझा जाता है कि वे जनता का नेतृत्व करेंगे और सामाजिक जीवन में ऊंचे मानदंड निर्धारित करेंगे, उन्हें चाहिये कि विधान सभा या संसद् में चुने जाने पर वे अपने पद से इस्तीफा दे देवें।

जहां तक भारतीय भाषाओं का प्रश्न है कई सदस्यों ने यह कहा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सरकार भाषाओं के विकास के सम्बन्ध में उपेक्षा करती रही है तथा उन्होंने भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वह वैज्ञानिक पुस्तकों का हिन्दी तथा भारतीय भाषा में अनुवाद करने के सम्बन्ध में पूरी पूरी सहायता देने को तैयार हैं। सरकार इससे अधिक क्या कर सकती है। किताबें अन्ततः विद्वानों और विश्वविद्यालयों द्वारा ही लिखी ज जायेंगी। सरकार आदेश मात्र से यह पुस्तकें तैयार नहीं कर सकती है। मुझे प्रसन्नता है कि कई विश्वविद्यालयों ने यह काम अपने हाथों में ले लिया है। मुझे विश्वास है कि कुछ ही समय के पश्चात् विज्ञान तथा टैकनीकल विषयों में हमारी अपनी भाषाओं में काफी पुस्तकें तैयार हो जायेंगी।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : क्या यह भी योजना है कि काम पांच दस सालों में समाप्त हो जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० **श्रीमाली** : यह काम है चलता रहेगा । यह तो कभी भी नहीं कहा जा सकता कि साहित्य का निर्माण दो वर्षों के भीतर हो जायेगा जिसके निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगे हैं और अब भी इस दिशा में काम होता रहेगा ।

एक दो छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान देना चाहता हूं । एक माननीय सदस्य ने ऐसा कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संसद् से सदस्य चुन कर जाने चाहिएं अर्थात् सदस्य मनोनीत नहीं होने चाहिएं । प्रथम बात तो यह है कि अधिनियम में चुनाव की व्यवस्था नहीं है । दूसरा मेरा मत यह है कि इस मामले में चुनाव को लाना ठीक नहीं । हमारा उद्देश्य तो यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक गैर राजनीतिक संस्था के रूप में विकसित करने का है । चुनाव से तो इसमें भी राजनीति घुस जायेगी । यदि ऐसा ही था तो सरकार सीधे ही विश्वविद्यालयों को अनुदान दे सकती थी । सरकार को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का तो निर्माण ही इसीलिये किया गया कि एक स्वतंत्र आयोग स्वतंत्रता से विश्वविद्यालयों के विकास के सम्बन्ध में विचार कर सके। जैसे ही चुनावों की बात आई सारा गुड़ गोबर हो जायेगा ।

इस समय तो संसद् सदस्य आयोग के सदस्य हैं । दोनों सदस्य स्वतंत्र सदस्य हैं, उनका किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नहीं । उन दोनों ने अपना सारा जीवन ही शिक्षा के लिये व्यतीत किया है । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राजनीतिक प्रभाव से बचाये रखना चाहती है ।

प्राध्यापकों के वेतनों के सम्बन्ध में भी एक प्रश्न था । श्री दी० चं० शर्मा ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के शिक्षकों के वेतन बढ़ा देने के लिए आयोग की प्रशंसा की है और बाकी विश्वविद्यालयों में ऐसा न करने के कारण उन्होंने बुरा माना है । परन्तु मेरा निवेदन है कि हमने अन्य विश्वविद्यालयों को भी ऐसा करने को कहा है और इस के लिए अपना अंश देने की अनुमति भी मांगी है । यह तो स्पष्ट ही है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय सीधे केन्द्र के उत्तरदायित्व के अन्तर्गत आते हैं और राज्यों के विश्वविद्यालयों की सीधी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । इस पर भी राज्यों के विश्वविद्यालयों के विकास के लिये भी सब कुछ किया जा रहा है । यदि राज्य सरकारें इस के लिए अपना अंशदान देने को तत्पर हो जायें तो राज्य सरकारों के प्राध्यापकों के वेतन भी बढ़ सकते हैं । आयोग इस दिशा में अपना ८० प्रतिशत अंशदान देता है और राज्य सरकारों को केवल २० प्रतिशत की व्यवस्था करनी पड़ती है । कालिजों और विश्वविद्यालयों में कुछ भेद अवश्य है । राजस्थान विश्वविद्यालय के वेतनक्रम आगे हो काफी अधिक है ।

मैं ने सभी बातें सदन के समक्ष रख दी हैं और मैं इस बात का पूरा प्रयत्न करूंगा कि वाद-विवाद के समय माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनका पूरा ध्यान रखा जायेगा और जो कुछ सम्भव होगा किया जायेगा ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा अप्रैल, १९५९, से मार्च, १९६० तक की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर, जो १७ फरवरी को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य मंत्रणा समिति

†श्री राने (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौंसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, ८ अगस्त, १९६१/श्रावण १७, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, ७ अगस्त, १९६१ / १६ श्रावण, १८८३ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२—२६
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१	वाशिंगटन में भारत विरोधी परिपत्र	२–३
२	छोटी मोटर गाड़ियों का निर्माण .	३—५
३	श्री लंका में भारतीय	६
८३	भारत-लंका वार्ता . .	६—१०
४	कोयला खानों में मजूरी ढांचा . .	१०—१२
५	लाओस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को ऋण .	१२–१३
६	श्री राजेश्वर दयाल का त्यागपत्र .	१४—१६
७	पाकिस्तान में भारतीय व्यापारी फर्म .	१६—१९
८	संयुक्त राष्ट्र संघ के नक्शे में काश्मीर का स्थान .	१९—२१
९	भारी ढांचे और जलपोत परियोजनाएं .	२२–२३
४५	अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र की सहायता .	२३—२६
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२६—११९
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१०	सूती वस्त्र की कीमतें .	२६
११	मेथानोल संयंत्र, सिन्दरी .	२६
१२	कांस्टीट्यूशन हाउस . .	२७
१३	सरकारी कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत .	२७–२८
१४	सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना .	२८
१५	पटसन के माल का निर्यात .	२८
१६	कोयला खनन मशीन संयंत्र, दुर्गापुर	२९
१७	समुद्री मीन क्षेत्रों के लिए उपकरण	२९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८	कृत्रिम रबड़ का कारखाना, बरेली . .	२९-३०
१९	बारी से बाहर मकान दिया जाना . . .	३०-३१
२०	घड़ियों का कारखाना . .	३१
२१	मिट्टी के तेल से चलने वाली मोटर गाड़ी . . .	३१
२२	पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से जम्मू और काश्मीर में अतिक्रमण	३२
२३	प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण	३२-३३
२४	कांगों सम्बन्धी सम्मेलन . . .	३३
२५	अभ्रक का निर्यात बाजार . . .	३३-३४
२६	सीमेंट की कमी . . .	३४
२७	ट्रैक्टरों का आयात . .	३४-३५
२८	चाय बागान अकर्मचारियों की मजूरी	३५
२९	स्विस फर्म के साथ वस्तु विनिमय करार	३५
३०	नरेला में तेल तथा सामान्य मिलें . .	३६
३१	पश्चिम बंगाल के शिविरों में असम के निष्क्रमणार्थी	३६-३७
३२	तिब्बत में चोरी से अनाज ले जाना . . .	३७
३३	कांगो में भारतीय पदाधिकारी की गिरफ्तारी .	३७-३८
३४	कोयला धोने का कारखाना . .	३८
३५	भारत और बर्मा के बीच सीमा स्तम्भ .	३८-३९
३६	वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन . .	३९
३७	वाराणसी में रिले केन्द्र . .	३९
३८	नयी दिल्ली में पम्प हाउस . .	४०
३९	कहवा बोर्ड के मुख्य विपणन पदाधिकारी .	४०
४०	कागज मिलें . . .	४१
४१	तीसरी योजना और उड़ीसा .	४१
४२	नागा आक्रमणकारी .	४२
४३	तृतीय पंचवर्षीय योजना	४३
४४	भारत चीन सीमा विवाद . . .	४३
४६	केरल के लिए सीमेंट . . .	४३-४४
४७	पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास	४४-४५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
४८	कार्य भारित कर्मचारियों के लिये प्रतिकर भत्ता	४५
४९	पूना प्रसारण केन्द्र द्वारा बाढ़ सम्बन्धी चेतावनी	४५
५०	औद्योगिक उत्पादन की लागत	४६
५१	टेलीविजन यूनिट द्वारा सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम माला	४६
५२	तृतीय योजना के लिये निर्यात लक्ष्य	४७
५३	मैसूर में मेंगनीज और लौह अयस्क	४७
५४	प्रादेशिक विकास	४८
५५	इंगलैंड में भारतीय बालक के साथ दुर्व्यहार	४८–४९
५६	नेपाल के मंत्री का भारत विरोधी वक्तव्य	४९
५७	आसाम में दंगाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास	४९–५०
५८	तटस्थ देशों का सम्मेलन	५०–५१
५९	काहिरा में चाय घर	५१
६०	पांडिचेरी को शक्तियों का प्रत्यायोजन	५२
६१	संयुक्त प्रबन्ध परिषद्	५२
६२	मूल्य नीति	५२–५३
६३	पटसन का वायदा व्यापार	५३
६४	दिल्ली में शरणार्थियों के लिये मकान बनाना	५३–५४
६५	त्रिपुरा के मोटर परिवहन कर्मचारी	५४
६६	पोलीप्रोपिलीन का निर्माण	५४
६७	बर्मा भारत सीमा पर अनधिकृत यात्रा	५४
६८	उड़ीसा राज्य के लिये अतिरिक्त राजस्व	५५
६९	श्रम विधियों को लागू करने के लिये संयुक्त अभिकरण	५५
७०	भारत संयुक्त अरब गणराज्य का संयुक्त फिल्म निर्माण	५५
७१	शेख—नेहरू वार्ता	५६
७२	अमरीका में अयूब के भारत विरोधी वक्तव्य	५६–५७
७३	रेयन तथा कृत्रिम रेशम के धागे का हथकरघा बुनकरों को संभरण	५७
७४	भारत के लिये शांति सेना	५७–५८
७५	ग्यान्तसे में भारतीय व्यापार अभिकरण	५८
७६	चीनी अतिक्रमण	५८–५९

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या

७७	रूस द्वारा बनाया गया भारत का मानचित्र	५६
७८	बेरुबाड़ी का हस्तान्तरण	५६–६०
७९	नेपाल में भारतीय व्यापारियों के उद्योग	६०
८०	भारतीय श्रम सम्मेलन	६०
८१	चाय उत्पादन का लक्ष्य	६०–६१
८२	राष्ट्रीय बचत के लिये राज्यों में योजना अभिकरण	६१
८४	पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलाबारी	६१–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या

१	राज्य व्यापार निगम	६२
२	बम्बई में टेलीविजन केन्द्र	६२
३	कोयला खान मजदूरों को स्थायी बनाने की योजना	६३
४	सरकारी कर्मचारियों के लिये चार मंजिल वाले मकान	६३
५	पाकिस्तान के पवित्र तीर्थस्थान	६३
६	तोकलाई में अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक केन्द्र	६४
७	भविष्य निधि के अंशदान की दर	६४
८	पंजाब के बारे में वृत्त चलचित्र	६४
९	पटसन की वस्तुओं का निर्यात	६५
१०	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए निगम	६५–६६
११	महाराष्ट्र में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति	६६
१२	महाराष्ट्र में कार्य तथा अनुस्थिति ज्ञान केन्द्र	६६
१३	मजदूर शिक्षा केन्द्र	६७
१४	हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल	६७
१५	केबिल तथा तार निर्माता	६७
१६	गंधक के तेजाब का निर्माण	६७
१७	कांगो के लिए भारतीयों को पासपोर्ट	६८
१८	रेडियो धर्मिता	६८
१९	कांगो के लिये संयुक्त राष्ट्र निधि	६८
२०	दुभाषियों को हिन्दी का प्रशिक्षण	६९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१	भारतीय दूतावासों में हिन्दी का प्रयोग	६९
२२	हिन्दी में पत्र व्यवहार . .	६९–७०
२३	नई दिल्ली में मुनीरका गांव के पास बनाये गये क्वार्टर .	७०
२४	हिन्दी में कूटनीतिज्ञों के पारपत्र .	७०–७१
२५	उड़ीसा के लिये सीमेंट	७१
२६	संयुक्त राष्ट्र संघ में विचाराधीन मामले .	७१–७२
२७	"चिड़ियाघर में एक दिन" नामक चलचित्र	७२
२८	आकाशवाणी का संस्कृत कार्यक्रम . .	७२
२९	राजनयिक सम्बन्धी तथा उन्मुक्तियों के बारे में सम्मेलन	७२–७३
३०	आण्विक शक्ति संयंत्र .	७३
३१	१९६१–६२ में आसाम के लिये व्यय	७३
३२	रायपुर में ट्रांसमीटर .	७३–७४
३३	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कर––अंशदान	७४
३४	भारत लंका वार्ता . .	७४
३५	नेहरू–नून करार . .	७४
३६	आण्विक शक्ति का शांति कालीन उपयोग .	७५
३७	तापबेलित इस्पात के लिये मानक .	७५
३८	राज्य व्यापार निगम . . .	७६
३९	चीन में भारतीय राजदूतावास का अधिकारी	७६
४०	नान-कोकिंग कोयले के धुलाई कारखाने .	७६–७७
४१	भारत-पाक कार्य संचालन समिति	७७
४२	यूरोपीय सामान्य मंडी . . .	७७
४३	निर्यात करने वालों के लिये लम्बे अर्से के ऋण .	७७
४४	चीनी मान चित्र . .	७८
४५	मुद्रण कोटि में सुधार .	७८
४६	उर्वरक संयंत्र . .	७८
४७	कांगड़ा चाय सहकारी कारखाना . .	७९
४८	व्यापार और उद्योग सम्बन्धी रिपोर्टिंग प्रणाली	७९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४६	कर्म समितियां	७६
५०	अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी फिल्म	८०
५१	पंजाब की औद्योगिक बस्तियां	८०
५२	पंजाब में कपड़ा मिलें	८०
५३	भारत चीन सीमा विवाद सम्बन्धी प्रतिवेदन	८०–८१
५४	भारत-चीन सीमा विवाद सम्बन्धी प्रतिवेदन	८१
५५	नमक उद्योग	८१
५६	विदेशी फिल्में	८१–८२
५७	भारत-चीन सीमा विवाद	८२
५८	अखबारी कागज का निर्माण	८२
५६	संसद् में पांडीचेरी को प्रतिनिधित्व	८३
६०	कोठागुदियम में उर्वरक संयंत्र	८३
६१	भूमि सुधार	८३–८४
६२	हिमाचल प्रदेश का विकास	८४
६३	उत्तर प्रदेश को आर्थिक सहायता	८४
६४	कुटीर उद्योग	८५
६५	झील कुरंजा (गीता कालोनी) का विकास	८५
६६	विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों को दिल्ली नगर निगम को सौंपना	८५–८६
६७	गॉल मार्केट क्षेत्र के क्वार्टर	८६
६८	पुनर्वास मंत्रालय में छंटनी	८७
६६	चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर अमल	८७
७०	पाकिस्तान के साथ सीमा समझौता	८७–८८
७२	नकली रेशम का धागा	८८
७३	मनीपुर की औद्योगिक बस्ती	८८
७४	सिक्यूलोज उद्योग	८८
७५	भारत में अमेरिकी समवाय	८६
७६	मंगलौर में औद्योगिक बस्ती	८६–६०
७७	बिजली बन्द होने से उत्पादन में हानि	६०
७८	बागान कर्मचारियों के लिये लाभांश	६०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

७९	प्रसाधन सामग्री का उत्पादन	९०–९१
८०	त्रिपुरा में रिक्शा चालक . . .	९१
८१	भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों में भेदभाव किया जाना . . .	९१
८२	पदनिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के लिये भूमि .	९१–९२
८३	भारत पाक करार को लागू करना	९२
८४	भारतीय सम्पादक को राष्ट्रसंघीय पुरस्कार	९३
८५	छठा ग्रीष्म कालीन नाट्य उत्सव	९३
८६	साबुन निर्माता . . .	९४
८७	आसाम में विस्फोटक पदार्थों का गुम हो जाना . .	९४
८८	महिला संगठन का यूगोस्लोवियाई संघ .	९५
८९	रूई का निर्यात	९५
९०	पश्चिमी जर्मनी के साथ व्यापार अन्तर . . .	९५
९१	आसाम में बसाये गये पश्चिमी पकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये रोजगार	९६
९२	पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये ऋण	९६
९३	पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों की शिक्षा . .	९६
९४	पाकिस्तान से आये गैर-मुस्लमानों का प्रव्रजन . .	९७
९५	कनाडा तथा अमेरिका जाने वाले भारतीयों को पासपोर्ट (पारपत्र) जारी करना	९७
९६	अफ्रीका के लिए आर्थिक मिशन .	९७–९८
९७	पंजाब में राल उद्योग . .	९८
९८	डेनमार्क के लिये निर्यात . .	९८
९९	निष्क्राम्य सम्पत्ति के महाभिरक्षक . .	९८–९९
१००	डीजिल इंजिन तथा पम्प	९९
१०१	सोडियम कार बॉक्सी मेथिल सेल्यूलोज . .	९९–१००
१०२	चाय संवर्धन कार्य . . .	१००–१०१
१०३	हाथ से बने कागज का आयात	१०१
१०४	पंजाब में अम्बर चर्खे	१०१–१०२
१०५	घड़ियों का आयात	१०२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१०६	योजना प्रचार	१०२
१०७	आयात लाइसेंस .	१०२–१०३
१०८	सहकारी समितियों को ऋण .	१०३
१०९	पंजाब और दूसरी पंचवर्षीय योजना	१०३
११०	शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार .	१०३–१०४
१११	दिल्ली में बेरोजगार	१०४–१०५
११२	त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड .	१०५
११३	रायपुर–जगदलपुर रोड पर शरणार्थियों के मकान .	१०६
११४	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४३ का दंडकारण्य विकास प्राधिकार से लोक-निर्माण विभाग को हस्तान्तरण .	१०६–१०७
११५	हिन्दी में कार्य करने के लिये की गई व्यवस्था	१०७
११६	श्रम विधियों को लागू न करना .	१०७–१०८
११७	श्रमिकों के मामलों का न्यायालय के बाहर निबटाया जाना	१०८
११८	घरेलू नौकरों का कल्याण . . .	१०८
११९	राजनैतिक मिशनों द्वारा नगरपालिका को देय धन . .	१०९
१२०	कंबलों का उत्पादन एवं विक्रय . .	१०९
१२१	सम्पत्ति की चोरी	१०९
१२२	जम्मू में कपास की मिलें	११०
१२३	कहवा की फसल	११०
१२४	भारतीय चाय संस्था . . .	११०—१२
१२५	चीन के कब्जे में मिन्सर गांव	११२
१२६	कलकत्ता प्रसारण	११२–१३
१२७	हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक विकास .	११३
१२८	कार के पुर्जों का निर्माण .	११३
१२९	पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण संधि	११४
१३०	हथकरघा का बिना बिका कपड़ा . .	११४
१३१	उड़ीसा में छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग .	११५
१३२	मैसूर में बसे तिब्बती शरणार्थी . . .	११५
१३३	उड़ीसा के तिब्बती शरणार्थियों का पुनः बसाया जाना .	११६
१३४	मध्य प्रदेश में तिब्बती शरणार्थियों का बसाया जाना .	११६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३५	कार्य-भारित कर्मचारियों के लिये प्रतिकर भत्ता	११६
१३६	मशीनों आदि का निर्यात	११७
१३७	फिल्मों का आयात तथा निर्यात	११७
१३८	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मजदूरों का स्थायी बनाया जाना	११७–१८
१३९	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठता	११८
१४०	हथकरघा उद्योग संबंधी कार्यक्रम	११८
१४२	सरकारी कर्मचारियों की बस्तियां	११९

निधन संबंधी उल्लेख . . . ११९

अध्यक्ष महोदय ने सरदार बलदेव सिंह, श्री मोली सरदार और विमल कुमार घोष, जो वर्तमान लोक-सभा के सदस्य थे, श्री विजय चन्द्र दास, जो पहली लोक-सभा के सदस्य थे और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जो भूतपूर्व विधान सभा के सदस्य थे, के निधन का उल्लेख किया।

इसके पश्चात् सदस्य गण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे।

स्थगन प्रस्ताव . . . . . . १२०—२३

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनके सामने उन सदस्यों के नाम बताये गये हैं, जिन्होंने उनकी सूचना दी थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी :—

(१)	पाकिस्तानी नागरिकों का बहुत अधिक संख्या में असम में घुस आना।	श्री अटल बिहारी बाजपेयी
(२)	पूना के निकट पानेशत बांध का गिर जाना।	सर्वश्री प्रेमजी आर० आसर, उत्तमराव एल० पाटिल, अटल बिहारी बाजपेयी और बलराज मधोक।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १२३

श्री स० मो० बनर्जी ने केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा और पूना में हाल की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान दिलाया।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया और एक विस्तृत वक्तव्य टेबल पर भी रखा।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १२४—३८

निम्नलिखित पत्र ~~टेबल~~ सभा पटल पर रखे गये :—

(१) अणु शक्ति विभाग की वर्ष १९६०—६१ की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति ।

(२) जीवन बीमा निगम एक्ट, १९५६ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ८ अप्रैल, १९६१, की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४७६ में प्रकाशित जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(३) बीमा एक्ट, १९३८ की धारा २ग की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २९ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ९२४ की एक प्रति ।

(४) निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(एक) तीसरी पंचवर्षीय योजना ।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १३ मई, १९६१ अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८० में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, १९६१ ।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट, १९५२ के अन्तर्गत जारी की गयी उक्त एक्ट के क्षेत्राधिकार को चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित कुछ स्थापनाओं पर लागू करने वाली दिनांक २४ जून, १९६१ की अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० ८२७ ।

(५) निम्न लिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कम्पनीज़ एक्ट, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत भारत राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष १९५९—६० की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(६) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) एक्ट, १९५७ की धारा २८, की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधि सूचना संख्या जी० एस० आर० १४५९ द्वारा शुद्ध किये गये दिनांक २६ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९८ में प्रकाशित खनिज रियायत नियम, १९६० की एक प्रति ।

(७) कहवा एक्ट, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १ जुलाई १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८४७ में प्रकाशित कहवा (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(८) कम्पनीज़ एक्ट, १९५६ की धारा ७२० की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १७ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३५५ में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना के प्रारूप की एक प्रति ।

*(९) दिल्ली नगर निगम एक्ट, १९५७ की धारा ४७९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम (महापौर के लिये सुविधायें) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १८ मार्च, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या २१/१३/६० —दिल्ली की एक प्रति ।

(१०) उड़ीसा राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) एक्ट, १९६१ की धारा ३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित एक्टों की एक प्रति :—

(क) उड़ीसा विलयित राज्य क्षेत्रों के याचिका लेखकों के लाइसेंसों को जारी रखना (संशोधन) एक्ट, १९६१ (१९६१ का राष्ट्रपति का एक्ट संख्या १) ।

(ख) उड़ीसा बिक्री कर विधियां (संशोधन) एक्ट, १९६१ (१९६१ का राष्ट्रपति का एक्ट संख्या २) ।

(ग) बिहार और उड़ीसा राज्य उद्योगों को सहायता (उड़ीसा संशोधन) एक्ट, १९६१ (१९६१ का राष्ट्रपति का एक्ट संख्या ३) ।

(घ) उड़ीसा मकान किराया नियंत्रण (संशोधन) एक्ट, १९६१ (१९६१ का राष्ट्रपति का एक्ट संख्या ४) ।

वाली वस्तुओं पर) संशोधन एक्ट, १९६१ (१९६१ का राष्ट्रपति का एक्ट संख्या ५) ।

(११) संविधान के अनुच्छेद ३५६ के खंड (३) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में २५ फरवरी, १९६१ को की गयी उद्घोषणा को रद्द करने वाली २३ जून, १९६१ को की गयी उनकी उद्घोषणा की एक प्रति ।

(१२) प्रादेशिक परिषदें एक्ट, १९५६ की धारा ५४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २७ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७११ में प्रकाशित प्रादेशिक परिषदें (करों का भुगतान) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(१३) निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(एक) (क) हाई प्रेशर बायलर्स प्लांट का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये हैवी इलेक्ट्रिकल्ज (इंडिया) लिमिटेड और चैकोस्लोवेकिया के टैक्नो एक्सपर्ट के बीच हुआ दिनांक ३१ मई, १९६१ का करार ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रख. गया पत्र—(क्रमशः)

(ख) हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये हैवी इलैक्ट्रिकल्ज़ (इंडिया) लिमिटेड और चैकोस्लोवेकिया के टैक्नो एक्सपर्ट के बीच हुआ दिनांक ७ जून, १९६१ का करार।

(ग) फाउन्डरी फोर्ज प्लांट के निकट हैवी मशीन टूल प्लांट का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची, और चैकोस्लोवेकिया के टैक्नों एक्सपर्ट के बीच हुआ दिनांक ७ जून, १९६१ का करार।

(दो) उद्योग (विकास तथा विनियमन) एक्ट, १९५१ की धारा १८-क की उपधारा (२) के परन्तुक के अन्तर्गत दिनांक १४ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १९६१।

(तीन) (क) कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा १३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज़ लिमिटेड, भोपाल की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(चार) (क) कम्पनीज़ एक्ट, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत नाहन फाऊंड्री लिमिटेड नाहन की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रण महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(पांच) (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य की वर्ष १९५९–६० की प्रशासकीय रिपोर्ट।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य की वर्ष १९६०–६१ की प्रशासकीय रिपोर्ट।

(१४) अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन एक्ट, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २९ अप्रैल, १९६१, की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ९५३ की एक प्रति।

(१५) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) जून, १९६० में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के चवालीसवें अधिवेशन में स्वीकार किये गये अभिसमय और सिफारिशों के पाठ।

(ख) उक्त अभिसमय और सिफारिशों पर सरकार द्वारा ली गयी या की जाने वाली कार्यवाही बताने वाला विवरण।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रख गये पत्र—(क्रमश:)

(दो) निम्नलिखित उद्योगों के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट। भाग १ (१९६०–६१) :

(क) सिगरेट।

(ख) बिजली का सामान, मशीनें और सामान्य इंजीनियरिंग की वस्तुयें।

(ग) लोहा तथा इस्पात।

(घ) कागज।

(१६) चावल कूटना उद्योग (विनियमन) एक्ट, १९५८ की धारा २२ की उप-धारा ४ के अन्तर्गत चावल कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) नियम, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०२८ की एक प्रति।

(१७) जापान को लोह अयस्क की कच्ची धातु के निर्यात के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १४५ पर श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों में २० फरवरी, १९६१ को दिये उत्तरों को शुद्ध करने वाला एक वक्तव्य।

(१८) विदेशी मुद्रा विनियमन एक्ट, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १३ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६६८ में प्रकाशित विदेशी मुद्रा की उद्-घोषणा नियम, १९६१ की एक प्रति।

(१९) त्रिपुरा लगान तथा भूमि सुधार एक्ट, १९६० की धारा १९८ के अन्तर्गत दिनांक १३ अप्रैल, १९६१ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ७४(१४)—रैव/६० जिसमें त्रिपुरा लगान भूमि सुधार नियम, १९६१ दिये हुए हैं, की एक प्रति।

(२०) राजभाषा (वैधानिक) आयोग को बनाने वाला दिनांक १७ जून, १९६१ के गजट में प्रकाशित सरकारी संकल्प संख्या एफ० ३९/६१—एडम० १।

(२१) लोक प्रतिनिधित्व एक्ट, १९५० की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनायें :—

(क) दिनांक १८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५६७ में प्रकाशित विधान परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र (मद्रास) परिसीमन संशोधन, आदेश, १९६१।

(ख) दिनांक १८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५६८ में प्रकाशित विधान परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र (मैसूर) संशोधन आदेश, १९६१।

विषय पृ०

(ग) दिनांक १८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५६६ में प्रकाशित विधान परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र (पंजाब) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(२२) लोक प्रतिनिधित्व एक्ट, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८५९ में प्रकाशित निर्वाचनों के संचालन सम्बन्धी नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(२३) सरकारी बचत प्रमाण पत्र एक्ट, १९५९ की धारा १२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २७ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१२ में प्रकाशित डाक घर बचत प्रमाण पत्र (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(२४) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) एक्ट, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४६० में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) चौथा संशोधन नियम, १९६१ ।

(दो) दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९२ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) पांचवां संशोधन नियम, १९६१ ।

(तीन) दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५६५ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) छठा संशोधन नियम, १९६१ ।

(२५) कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८३ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना १९६१ ।

(ख) दिनांक १७ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी एस० आर ८०८ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, १९६१ ।

(२६) कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट, १९५२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत उक्त एक्ट की अनुसूची १ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २० मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७०५ की एक प्रति ।

विषय **पृष्ठ**

(२७) कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट, १९५२ के अन्तर्गत निकाली गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति :—

(क) दिनांक २० मई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ७०४, जिसके द्वारा उक्त एक्ट को होटलों और जलपानगृहों पर लागू किया गया है ।

(ख) दिनांक २० मई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ७०६ जिसके द्वारा उक्त एक्ट को तेल उद्योग से संबंधित कुछ प्रतिष्ठानों पर लागू किया गया है ।

'संसदीय समितियां—कार्य का सरांश' सभा पटल पर रखा गया ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १३२

(एक) सचिव ने गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और ५ मई, १९६१ को सभा को दी गई अन्तिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक पटल पर रखे :—

(१) उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१ ।

(२) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक, १९६१ ।

(३) विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६१ ।

(४) दिल्ली दुकानें तथा प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, १९६१ ।

(५) विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९६१ ।

(६) मोटर परिवहन कामगर विधेयक, १९६१ ।

(दो) सचिव ने गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और ५ मई, १९६१ को सभा को दिया गया अन्तिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विलों की राज्यसभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं :—

(७) अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक, १९६१ ।

(८) दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१ ।

(९) कोयला-खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक, १९६१ ।

(१०) अधिवक्ता विधेयक, १९६१ ।

(११) सालार जंग संग्रहालय विधेयक, १९६१ ।

(१२) दहेज निषेध विधेयक, १९६१ ।

१०. प्रवर समिति की रिपोर्ट

श्री एन० आर० घोष ने भारतीय रेलवे एक्ट, १८९० में आगे संशोधन करने वाले बिल सम्बन्धी प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश की ।

विषय पृष्ठ

११. बिल पर साक्ष्य--टेबल पर रखा गया

श्री एन० आर० घोष ने भारतीय रेलवे (संशोधन) बिल, १९६१ सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति टेबल पर रखी।

१२. सदस्यों का त्याग पत्र

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि सर्वश्री निवारण चन्द्र लास्कर और टी० संगण्णा ने क्रमशः २४ मई, १९६१ और २१ जून, १९६१ से लोक-सभा के सदस्य-पद से त्याग-पत्र दे दिया है।

१३. सरकारी बिल--पेश किया गया

प्रत्यर्पण बिल--१९६१।

१४. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट के बारे में प्रस्ताव

श्री के० एल० श्रीमाली द्वारा ४ मई, १९६१ को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही :—

"कि यह सभा अप्रैल, १९५९, मार्च, १९६० तक की अवधि के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रिपोर्ट पर, जो १७ फरवरी, १९६१ को सभा ~~की टेबल~~ पटल पर रखी गई थी, विचार करती है।"

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . १३२

भारतीय रेलवे अधिनियम १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

विधेयक पर साक्ष्य--सभा पटल पर रखा गया

श्री न० रं० घोष ने भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९६१ सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

सदस्यों का त्याग पत्र १३३

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि सर्वश्री निवारण चन्द्र लास्कर और टी० संगण्णा ने क्रमशः २४ मई, १९६१ और २१ जून, १९६१ से लोक-सभा के सदस्य-पद से त्याग पत्र दे दिया है।

विधेयक पुरस्थापित

प्रत्यर्पण विधेयक--१९६१ . . . . १३३

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १३४--६२

श्री का० ला० श्रीमाली द्वारा ४ मई, १९६१ को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही :—

"कि यह सभा अप्रैल, १९५९, मार्च १९६० तक की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर, जो १७

विषय पृष्ठ

फरवरी, १९६१ को सभा की पटल पर रखी गई थी, विचार करती है ।"

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १६३

चौसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मंगलवार, ८ अगस्त, १९६१/१७ श्रावण, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

अनसूचित जातियों और अनसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा ।

GMGINPD—LS III—798 (Ai) LSD—26-8-61—125.